भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

खान मंत्रालय
MINISTRY OF MINES

अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025

सहकारी समितियाँ एक बेहतर दुनिया का निर्माण करती हैं

वर्ष 2025- 26, अंक 1
अप्रैल-सितंबर

खान भारती

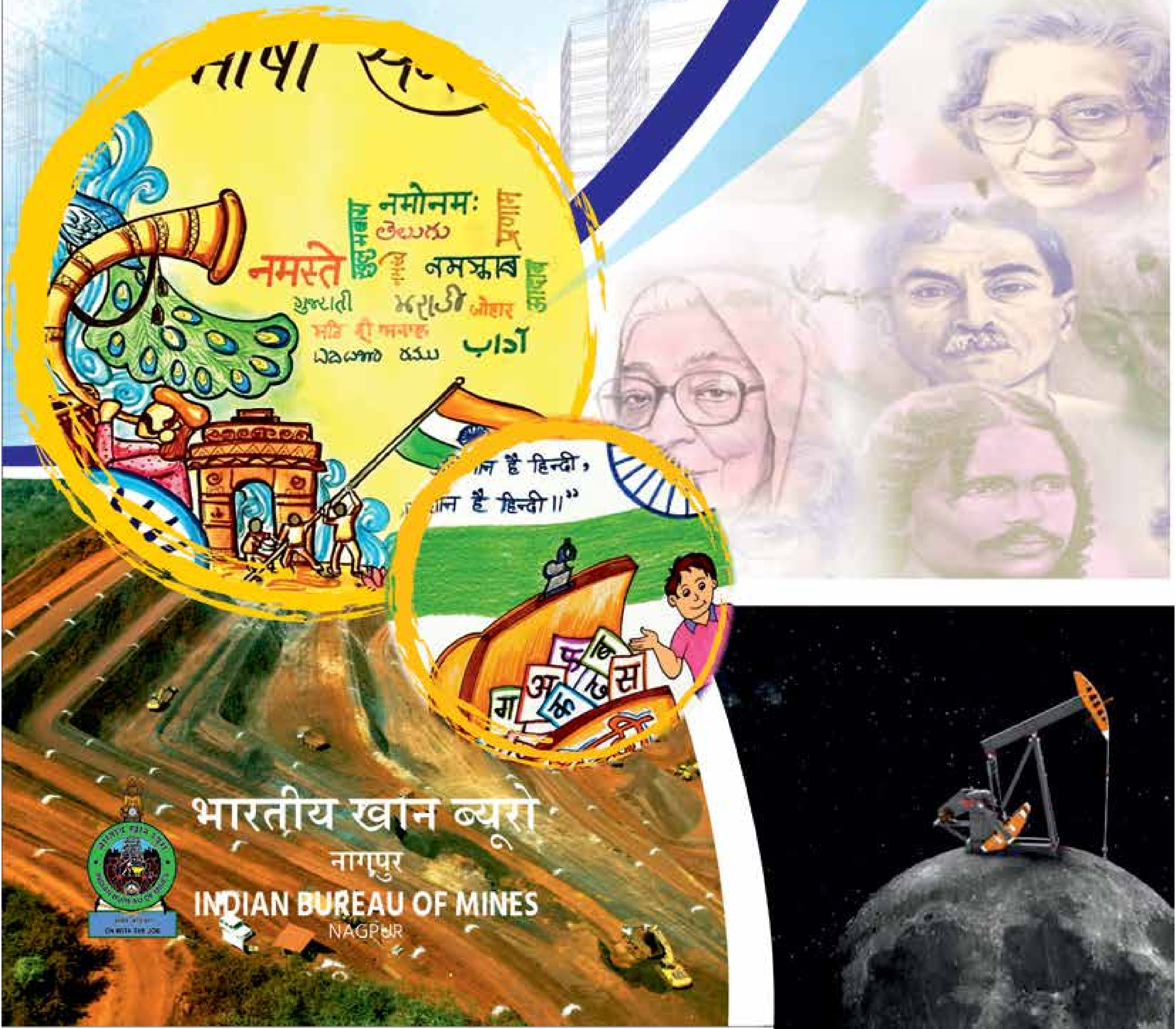

भारतीय खान ब्यूरो
नागपुर
INDIAN BUREAU OF MINES
NAGPUR

संसदीय राजभाषा समिति की तीसरी उप समिति द्वारा दिनांक 3/03/2025 को उदयपुर आंचलिक कार्यालय का राजभाषा निरीक्षण ।

संसदीय राजभाषा समिति की तीसरी उप समिति द्वारा दिनांक 19/06/2025 को देहरादून क्षेत्रीय कार्यालय का राजभाषा निरीक्षण ।

वर्ष 2025- 26, अंक 1
अप्रैल-सितंबर

खान भारती

संरक्षक
पंकज कुलश्रेष्ठ
महानियंत्रक

संपादक मंडल

प्रधान संपादक
डॉ. योगेश गुलाबराव काले
मुख्य खान नियंत्रक एवं राजभाषा अधिकारी

संपादक
अभिनय कुमार शर्मा
संपादक

संपादन सहयोग
असीम कुमार
बरिष्ठ अनुवाद अधिकारी

किशोर डी. पारधी
कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी

वीनू खत्री
कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी

सुबोध कुमार
आशुलिपिक

साज - सज्जा एवं टंकण
प्रदीप कुमार सिन्हा
उच्च श्रेणी लिपिक

भारतीय खान ब्यूरो
नागपुर

संदेश

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA
खान मंत्रालय
MINISTRY OF MINES
भारतीय खान ब्यूरो
INDIAN BUREAU OF MINES

पंकज कुलश्रेष्ठ
महानियंत्रक (प्रभारी)
Pankaj Kulshrestha
Controller General (I/c)

संदेश

संरक्षक की कलम से ....

भारतीय खान ब्यूरो मुख्यालय, नागपुर की राजभाषा हिंदी गृह-पत्रिका "खान भारती" के नवीन अंक के प्रकाशन पर मुझे अत्यंत गौरव की अनुभूति हो रही है। हिंदी गृह-पत्रिका का प्रकाशन राजभाषा के विकास और प्रचार प्रसार की दिशा में एक सराहनीय कदम है। इससे कार्यालय कार्मिकों में हिंदी सृजनात्मक प्रतिभा उजागर होती है और हिंदी में कार्य करने के लिए प्रेरणादायी बातावरण का निर्माण होता है।

भारत अनेक समृद्ध भाषाओं का देश है। हिंदी सभी भाषा-भाषियों तथा जनता व सरकार के बीच एक महत्वपूर्ण सेतु का काम करती है। राजभाषा होने के साथ-साथ यह हमारे देश की एकता और अखंडता को बढ़ावा देने का एक सशक्त माध्यम भी है। ऐसे में हिंदी के प्रचार-प्रसार के प्रति हमारा दायित्व और भी बढ़ जाता है। मेरी यह कामना है कि "खान भारती" पत्रिका का नियमित रूप से प्रकाशन होता रहे तथा यह हिंदी के प्रचार प्रसार में अपने महत्वपूर्ण भूमिका निभाती रहे। इस पत्रिका से जुड़े सभी लेखकों, पाठकों एवं संपादक मंडल को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं।

(पंकज कुलश्रेष्ठ) 17/09/25
महानियंत्रक (प्रभारी)
भारतीय खान ब्यूरो

इन्दिरा भवन, सिविल लाईन्स, नागपुर 440 001 फोन/ फैक्स क. 0712 0712-2560041, 2565073 ईमेल:-cg@ibm.gov.in
Indira Bhavan, Civil Lines, Nagpur 440 001 Phone/Fax No. 0712-2560041, 2565073, E mail:-cg@ibm.gov.in

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA
खान मंत्रालय
MINISTRY OF MINES
भारतीय खान ब्यूरो
INDIAN BUREAU OF MINES

डॉ. योगेश गुलाबराव काले
मुख्य खान नियंत्रक एवं राजभाषा अधिकारी

Dr. Yogesh G. Kale
Chief Controller Of Mines
& Rajbhasha Adhikari

संदेश

प्रधान संपादक की कलम से ....

यह अत्यंत ही हर्ष और गर्व का विषय है कि भारतीय खान ब्यूरो मुख्यालय, नागपुर की राजभाषा हिंदी गृह पत्रिका "खान भारती" अपने नवीनतम अंक के प्रकाशन की और अग्रसर है । पत्रिका का नियमित प्रकाशन भारतीय खान ब्यूरो के कार्मिकों में हिंदी के प्रति लगाव और इसके प्रचार के प्रति निष्ठा और सद्भावना का परिचायक है । "खान भारती " के रचनाकारों और पाठकों के परस्पर सहयोग के द्वारा ही इसके नियमित प्रकाशन को मूर्त रूप दिया जा सकता है ।

भाषाई अभिव्यक्तियों के जरिये भाषा विशेष की संस्कृति और संस्कार सामने आते हैं । किसी भी भाषा में लेखन उस भाषा की सांस्कृतिक विरासत को परिलक्षित करता है । एक ऐसी विरासत जो राष्ट्र, राष्ट्रीयता और राष्ट्र के अस्तित्व से जुड़ी है । इस दृष्टि से हिंदी के प्रचार-प्रसार में प्रोत्साहन और प्रेरणा का योग आवश्यक है । मुझे उम्मीद है कि पत्रिका में प्रस्तुत तकनीकी लेख, कहानी, कविता, निबंध, राजभाषा कार्यान्वयन से जुड़े प्रसंग आदि सभी के लिए प्रेरणादायक सिद्ध होंगे ।

आज हिंदी को देश की अन्य सभी क्षेत्रीय भाषाओं के साथ कदम-से-कदम मिलाकर चलने की भी आवश्यकता है । भारत की सभी भाषाएं एक-दूसरे से सीखती भी हैं और एक-दूसरे को समृद्ध भी करती हैं । इसलिए भाषाओं के बीच परस्पर सम्बन्ध को बढ़ावा दिया जाना चाहिए । हिंदी को देश की क्षेत्रीय भाषाओं के लोकप्रिय शब्दों को अपनाने से परहेज नहीं करना चाहिए । हमारा कर्तव्य है कि हम राजभाषा हिंदी के साथ-साथ देश की अन्य भाषाओं के साथ लेकर चलें ।

मैं इस पत्रिका के प्रकाशन में अपना योगदान देने वाले सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को हार्दिक बधाई देता हूँ तथा इस पत्रिका की सफलता एवं उन्नति की कामना करता हूँ ।

(डॉ. योगेश गुलाबराव काले)

इंदिरा भवन, सिविल लाईंस,नागपुर - 440 001
दूरभाष: (0712) 2560961
ई-मेल: ccom@ibm.gov.in/ddr.hindi@ibm.gov.in
वेबसाईट : http://ibm.gov.in

Indira Bhavan, Civil Lines, Nagpur-440 001
Telephone: (0712) 2560961
e-mail: ccom@ibm.gov.in/ddr.hindi@ibm.gov.in
Website: http://ibm.gov.in

संपादकीय...

भारतीय खान ब्यूरो अपनी हिंदी गृह पत्रिका खान भारती का वर्ष 2025 - 26 का प्रथम अंक प्रकाशित करने जा रहा है। इस अंक को प्रकाशित करते हुए हमे हर्ष के साथ संतोष भी हो रहा है कि यह पत्रिका अपनी विविधता पूर्ण रचनाओं के माध्यम से भारतीय खान ब्यूरो के कार्मिकों के विचारप्रवाह का एक मजबूत माध्यम बन रही है। पत्रिका को प्रत्येक अंक में एक नया कलेवर देने की चेष्टा हिंदी अनुभाग द्वारा अपेक्षा के अनुरूप की जा रही है जिससे इसे अन्य राष्ट्रीय स्तर की पत्रिकाओं के समकक्ष लाया जा सके। खान भारती भारतीय खान ब्यूरो के राजभाषा हिंदी के प्रगति हेतु किये गए प्रयासों का लेखा जोखा है।

भारतीय खान ब्यूरो द्वारा यह पत्रिका प्रकाशित किए जाने के पीछे निश्चित रूप से यही उद्देश्य है कि वह तकनीकी विषयों के साथ–साथ राजभाषा हिंदी के सफल कार्यान्वयन और उसके प्रबंधन में भी अपनी प्रतिबद्धता परिलक्षित कर रहा है। इसी क्रम में मुख्यालय द्वारा प्रेरणा, प्रोत्साहन और मार्गदर्शन के परिणामस्वरूप अधीनस्थ कार्यालयों को राजभाषा विभाग और नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियां द्वारा पुरस्कार भी प्राप्त हो रहे हैं। इसी क्रम में वर्ष 2024- 25 में देहरादून, जबलपुर, गांधीनगर, रायपुर को नराकास द्वारा तथा गोवा, भुवनेश्वर, को राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय से हिंदी के उत्कृष्ट कार्य के लिए पुरस्कार प्राप्त हुए। मुख्यालय एवं अधीनस्थ क्षेत्रीय एवं आंचलिक कार्यालयों में कंठस्थ मशीनी अनुवाद का प्रशिक्षण दिया गया और इ ऑफिस पर अधिक से अधिक हिंदी में कार्य करने हेतु एक एस ओ पी (sop) भी तैयार करना आदि नवोन्मेषी कार्य इस वर्ष निष्पादित किये गए। अधिक से अधिक हिंदी टिप्पण एवं हिंदी पत्राचार किया जा रहा है। सभी क्षेत्रीय एवं आंचलिक कार्यालयों को हिंदी गृह पत्रिका प्रकाशित करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। राजभाषा संसदीय समिति के निरीक्षणों को भी ब्यूरो द्वारा सफलतापूर्वक संपन्न किया जा रहा है।

खान भारती पत्रिका भारतीय खान ब्यूरो द्वारा किये गए उपर्युक्त नवोन्मेषी कार्यों का दर्पण है। भारतीय संविधान में राजभाषा की प्रगति के लिए जिस समर्पण भाव और प्रतिबद्धता की अपेक्षा की गयी है भारतीय खान ब्यूरो उस अपेक्षा के अनुरूप ही कार्य करने हेतु सतत प्रयासरत है और वह राजभाषा कार्य-कलापों के सभी संस्थागत प्रयासों में एक प्रभावी समन्वय बनाने की दिशा में अग्रसर है।

अंत में, मैं श्रीमान पंकज कुलश्रेष्ठ, महानियंत्रक (प्रभारी) तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारियों को धन्यवाद देना चाहूँगा जिन्होंने राजभाषा हिंदी को समुन्नत बनाने की दिशा में अपना योगदान दिया। इसके अतिरिक्त, मैं अपने राजभाषा अधिकारी डॉ. योगेश जी. काले, मुख्य खान नियंत्रक महोदय का भी साधुवाद देना चाहूँगा जिनके नेतृत्व के कारण ही भारतीय खान ब्यूरो की राजभाषा हिंदी की दशा और दिशा प्रगतिशील अवस्था में बनी हुई है। इसके साथ ही मैं पत्रिका के संपादक मंडल को भी धन्यवाद देना चाहूँगा जिसके कारण पत्रिका अपना आकर्षक कलेवर ले पाई।

(अभिनय कुमार शर्मा)
संपादक

संपादकीय...

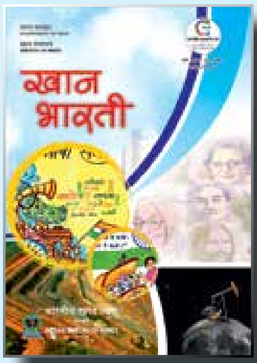

अनुक्रमणिका

क्र.सं.	रचना का शीर्षक	लेखक	पृष्ठ संख्या
	तकनीकी आलेख		
1	भारतीय गैर-कोयला खनन उद्योग -एक अवलोकन	डॉ. योगेश गुलाबराव काले	9
2	खान क्षेत्र में जल प्रबंधन की आवश्यकता संपोषित विकास की ओर भारतीय खान ब्यूरो की भूमिका	नरेश कुमार कटारिया	11
3	भारतीय अर्थव्यवस्था में खनन क्षेत्र का योगदान	गौरव शर्मा	16
4	भारतीय खनन उद्योग: आज की स्थिति, खनिज प्रसंस्करण का महत्व और उन्नत तकनीकों का उपयोग	अचिंत गोयल	20
5	भारत में महत्वपूर्ण खनिजों का रणनीतिक भंडारण: आवश्यकता, नीति और आगे की राह	निपम जोशी	26
6	भारत के नए खनन सुधार- खनिज क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत की ओर एक सुदृढ़ कदम	मीनाक्षी कुमावत	28
7	अंतरिक्ष खनन भविष्य में खनन क्षेत्र की एक ऊंची उड़ान	विनय कुमार सक्सेना	30
8	कोबाल्ट खनन: तकनीक का त्याग या शोषण?	आशुतोष	33
9	दुर्लभ मृदा धातुएँ: आधुनिक विश्व के महत्वपूर्ण संसाधन	अक्षय गुप्ता	36
10	खनन क्षेत्र : अर्थव्यवस्था की मजबूत नींव	कपिल पाण्डेय	39
11	खनन क्षेत्र में तकनीकी प्रगति: पारंपरिक प्रथाओं में बदलाव	आर. एस. धोपटे	41
12	भूमिगत खनन कर्मियों पर मानसिक प्रभाव	सत्यम विश्वकर्मा	45
	राजभाषा संबंधी आलेख		
13	ई-ऑफिस में हिंदी में पत्राचार एवं नोटिंग करने सम्बन्धी सुझाव	अभिनय कुमार शर्मा	49
14	शब्दों के शिल्पकार	प्रज्ञा देव	51
15	राजभाषा प्रबंधन के विभिन्न आयाम	असीम कुमार	53
16	शक्ति, भक्ति और क्रांति की भाषा – हिन्दी	किशोर डी. पारधी	55
17	राजभाषा हिंदी कल, आज और कल	सुबोध कुमार	56
18	साहित्यिक भाषा का पुनर्जन्म: तकनीक की कलम से	नेहा नरवल	57
19	हिंदी पत्रकारिता दिवस: इतिहास, संकट और पुनरावलोकन की आवश्यकता	आयुष सेंगर	59
20	हिंदी लोकोक्तियों में स्वस्थ जीवन के मन्त्र	कृति गुप्ता	60
21	हिंदी हमारी शान है, हिंदी हमारी पहचान है	निलेश प्रमोदराव महात्मे	63
22	विश्व की सहज और समृद्ध भाषाओं में एक है हिंदी	प्रदीप कुमार सिन्हा	65

समसामायिक संबंधी आलेख

23	चॉकलेट	एन. रोशनी कुमार सिंह	68
24	घुघवा राष्ट्रीय जीवाश्म उद्यान	अभिषेक रंजन गौतम	70
25	कैंसर: एक मूक घातक रोग	अज़मतउल्लाह शरीफ	73
26	मन से बात	एकता गिरि	75
27	समय का महत्व	एस. एन. होरे	77
28	विनम्रता एक श्रेष्ठ धन	दिलीप पंवार	79
29	स्टार्टअप भारत: युवाओं के लिए नया अवसर या भ्रम?	गौरव कुमार गुप्ता	81
30	सफलता का वास्तविक अर्थ	राकेश सिरावता	84
31	चतुर खिलाड़ी	कमल किशोर वंशकार	86
32	दफ्तर नहीं बदलाव की प्रयोगशाला	अंकित पटेल	88
33	दोपहर के पहाड़ गहरे होते हैं	आयुष्मान गोसाईं	89
34	ससि (सनाया सिंह)	जितेन्द्रिय प्रधान	91
35	पिता की जिम्मेदारी	राजेन्द्र कुमार गुप्ता	92
36	संत नामदेव महाराज	प्रविण गजभिये	93
37	प्रकाश प्रदूषण- कारण, प्रभाव एवं उपचार	भरत कुमार शर्मा	95
38	नागपुर शहर की विशेषता	प्रकाश पी. गावंडे	97
39	वरिष्ठों का मार्गदर्शन, नई पीढ़ी के लिए एक दीपस्तंभ	रोहित कुमार	101
40	नई पीढ़ी और भारतीय संस्कृति: दूरी या पुनराविष्कार	शिवशंकर	102
41	सोशल नेटवर्किंग साइटों का समाज पर प्रभाव	डॉ. संजय कुमार	104
42	खुफिया कैमरा और निजता पर उसका प्रभाव	रंजय कुमार	105
43	सवाल का जवाब	प्रशांत तिनगुरिया	106
44	बेरोजगारी एक समस्या एवं समाधान	हर्षित गुप्ता	107

कविताएँ

45	सृष्टि की संवेदना	रोहित स्नेही	110
46	आगे बढ़ती रहूंगी मैं	सौम्या केशरी	111

राजभाषा संबंधी गतिविधियाँ

	विगत छ: माह के दौरान हिंदी संबंधी कार्यों का विवरण		113

स्तंभ

हिंदी ज्ञान परखें		129
राजभाषा प्रश्नोतरी		129
अंग्रेजी में प्रयुक्त विदेशी अभिव्यक्तियाँ और उनके हिंदी पर्याय		130

विविधा

हिंदी शब्द सिंधु		131
कंठस्थ 2.0		132
भारतीय भाषा अनुभाग		132

तकनीकी आलेख

भारतीय गैर-कोयला खनन उद्योग - एक अवलोकन

डॉ. योगेश गुलाबराव काले
मुख्य खान नियंत्रक तथा राजभाषा अधिकारी
भारतीय खान ब्यूरो मुख्यालय, नागपुर

1.0 परिचय

खनिज और खनिज आधारित उत्पाद किसी भी राष्ट्र के आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए महत्वपूर्ण घटक हैं। खनिज सीमित एवं अनवीकरणीय होने के कारण मूल्यवान प्राकृतिक संसाधन हैं। वे कई बुनियादी उद्योगों के लिए महत्वपूर्ण कच्चे माल हैं और विकास के लिए एक प्रमुख संसाधन हैं। प्रचुर मात्रा में समृद्ध भंडारों के रूप में खनिजों की व्यापक उपलब्धता और पारिस्थितिकी -भूवैज्ञानिक स्थितियां भारत में खनन क्षेत्र की वृद्धि और विकास के लिए बहुत अनुकूल हैं।

भारत सरकार ने समय की मांग को देखते हुए समय-समय पर राष्ट्रीय खनिज नीति की घोषणा की है। वर्तमान में राष्ट्रीय खनिज नीति 2009 प्रचलन में है। राष्ट्रीय खनिज नीति 2019 का उद्देश्य खनिज सुरक्षा के लक्ष्य की दिशा में और अधिक पारदर्शिता, बेहतर विनियमन और प्रवर्तन, संतुलित सामाजिक और आर्थिक विकास के साथ-साथ टिकाऊ खनन प्रथाओं को लाना है। कुछ प्रमुख प्रावधानों में अन्य बातों के साथ-साथ गवेषण के लिए निजी क्षेत्र को प्रोत्साहित करना, मेक इन इंडिया पहल और, राजस्व हिस्सेदारी के आधार पर खनिज क्षेत्रों में नीलामी करना, तथा खनन संस्थाओं के विलय और अधिग्रहण को प्रोत्साहित करना शामिल है।

2.0 भारतीय खनन उद्योग की स्थिति

भारतीय खनन क्षेत्र देश में आर्थिक विकास, निवेश आकर्षित करने और रोजगार सृजन में महत्वपूर्ण भूमि का निभाता है। वर्त्तमान में भारतवर्ष में 95 खनिजों का उत्पादन प्रचलन में है, जिसमें 4 ईंधन, 10 धातु, 23 अधातु, 3 परमाणु और 55 लघु खनिज (इमारत के पत्थर और अन्य सामग्री सहित) शामिल हैं। भारत में तेजी से हो रहे शहरीकरण और विनिर्माण क्षेत्र में वृद्धि को देखते हुए खनिजों की भारी मांग होगी।

स्वतंत्रता के अन्वेषण निगम लिमिटेड मुख्य अन्वेषण एजेंसियां हैं, जिनके साथ विभिन्न राज्य भूविज्ञान और खनन निदेशालयों ने व्यापक अन्वेषण किया है। हाल ही में कई निजी उद्यमियों ने खनिज अन्वेषण क्षेत्र में प्रवेश किया है, जिसके सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं।

भारत प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले खनिजों की एक विस्तृत विविधता से समृद्ध है। भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 328.73 मिलियन हेक्टेयर है। इसमें से ईंधन, परमाणु खनिजों और सभी लघु खनिजों को छोड़कर खनन पट्टा क्षेत्र लगभग 0.09% है। 31.3.2023 तक खनन पट्टों की स्थिति से पता चलता है कि देश में राज्य सरकारों द्वारा 3,007 खनन पट्टे (कोयला, लिग्नाइट, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, परमाणु खनिज और लघु खनिजों को छोड़कर) दिए गए हैं, जो 34 खनिजों को कवर करते हैं, जिनका कुल पट्टा क्षेत्र लगभग 2,82,356.54 हेक्टेयर है और ये 23 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में फैले हुए हैं।

2024-25 के लिए खनिज उत्पादन (परमाणु, ईंधन और लघु खनिजों को छोड़कर) का अनंतिम कुल मूल्य ₹ 1,47,723 करोड़ अनुमानित है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 5.2% की वृद्धि दर्शाता है। इस मूल्य में धातु खनिजों का प्रभुत्व है, जिसका अनंतिम अनुमान ₹ 1,34,462 करोड़ है, जो कुल का 91.02% है। इसके विपरीत, गैर-धात्विक खनिजों का मूल्य ₹ 13261 करोड़ या 8.98% है, जो समग्र उत्पादन परिदृश्य में धात्विक खनिजों के महत्व को रेखांकित करता है।

ओडिशा 64,785 करोड़ रुपये का योगदान देकर अग्रणी राज्य बनकर उभरा, जो राष्ट्रीय कुल का 43.9% है। राजस्थान, छत्तीसगढ़ और कर्नाटक ने भी क्रमशः ₹ 23,399 करोड़ (15.8%), ₹ 20,724 करोड़ (14%), और ₹ 18,248 करोड़ (12.4%) के योगदान के साथ महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। महाराष्ट्र और झारखंड ने ₹ 6,395 करोड़ (4.3%) और ₹ 5,105 करोड़ (3.5%) जोड़े, जो 2024-25(अनंतिम) में भारत के खनिज उत्पादन में प्रमुख राज्यों के विविध योगदान को दर्शाता है।

3.0 राष्ट्रीय खनिज नीति, 2019

खनन क्षेत्र को बढ़ावा देंगे जैसे:

क) पीएल धारकों के लिए खनन पट्टा हेतु प्राथमिकता देनी।
ख) निजी क्षेत्र को अन्वेषण करने के लिए प्रोत्साहित करना।
ग) राजस्व हिस्सेदारी के आधार पर समग्र पीएल सह एमएल के लिए अछूते क्षेत्रों में नीलामी।
घ) खनन संस्थाओं के विलय और अधिग्रहण को प्रोत्साहन।

च) निजी क्षेत्र के खनन क्षेत्रों को बढ़ावा देने के लिए खनन पट्टों का हस्तांतरण और समर्पित खनिज गलियारों का निर्माण।

च) निजी क्षेत्र के लिए खनन के वित्तपोषण को बढ़ावा देने और निजी क्षेत्र द्वारा अन्य देशों में खनिज परिसंपत्तियों के अधिग्रहण के लिए खनन गतिविधि को उद्योग का दर्जा देना।

छ) इसमें यह भी उल्लेख किया गया है कि खनिजों के लिए दीर्घकालिक आयात-निर्यात नीति निजी क्षेत्र को बेहतर नियोजन और व्यापार में स्थिरता लाने में मदद करेगी।

ज) सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को दिए गए आरक्षित क्षेत्रों को तर्कसंगत बनाना, जिनका उपयोग नहीं किया गया है और इन क्षेत्रों को नीलामी में रखना, जिससे निजी क्षेत्र को भागीदारी के लिए अधिक अवसर मिलेंगे।

झ) नीति में निजी क्षेत्र की मदद के लिए करों, शुल्कों और रॉयल्टी को विश्व मानकों के अनुरूप बनाने के प्रयास करने का भी उल्लेख किया गया है।

4.0 राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण नीति 2016

सरकार द्वारा अन्वेषण प्रयासों को और गति देने के लिए वर्ष 2016 में राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण नीति 2016 (एनएमईपी) (गैर-ईंधन और गैर-कोयला के लिए) लाई गई है। इस नीति का उद्देश्य निजी एजेंसियों को चिन्हित ब्लॉक/क्षेत्रों में अन्वेषण कार्य करने की अनुमति देना है, जिसमें पट्टा अवधि के दौरान राज्य सरकार को मिलने वाले राजस्व में हस्तांतरणीय अधिकारों के साथ एक निश्चित हिस्सा प्राप्त करने का अधिकार होगा। नीति में कहा गया है कि यह प्रतिशत/राशि सफल बोलीदाताओं द्वारा संबंधित अन्वेषण एजेंसी को भुगतान की जाएगी और इसका निर्धारण तब किया जाएगा जब सफल अन्वेषण के आधार पर खनिज ब्लॉकों को ई-नीलामी में रखा जाएगा। यह नीति विभिन्न प्रकार के खनिजों के लिए अन्वेषण की मानक लागत निर्धारित करने की दिशा में आगे बढ़ती है, ताकि अन्वेषण एजेंसियों को उनके संबंधित क्षेत्रों में किसी भी खनन योग्य भंडार की खोज न होने की स्थिति में मुआवजा दिया जा सके।

5.0 महत्वपूर्ण (क्रिटीकल) खनिज

महत्वपूर्ण (क्रिटीकल) खनिज वे खनिज हैं जो आर्थिक विकास और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए आवश्यक हैं। ये उच्च तकनीक वाले इलेक्ट्रॉनिक्स, दूरसंचार, परिवहन और रक्षा सहित कई क्षेत्रों की उन्नति के लिए आवश्यक हैं।

लिथियम, निकल, तांबा, कोबाल्ट, ग्रेफाइट, दुर्लभ मृदा तत्व (आरईई) आदि जैसे महत्वपूर्ण खनिज अर्थव्यवस्था के ग्रीन परिवर्तन के लिए आवश्यक हैं और सौर पैनल, पवन टर्बाइन, बैटरी और इलेक्ट्रिक वाहनों जैसी ग्रीन प्रौद्योगिकियों में उनके उपयोग के लिए आवश्यक हैं, जो स्वच्छ ऊर्जा और निम्न-कार्बन अर्थव्यवस्था की ओर संक्रमण के लिए अभिन्न अंग हैं। लिथियम, तांबा, कोबाल्ट, ग्रेफाइट और अन्य खनिजों का उपयोग इलेक्ट्रिक वाहन, बैटरी, कांच के बने पदार्थ, चीनी मिट्टी की चीज़ें, ईंधन निर्माण और स्नेहक में किया जाता है। पोटाश, ग्लौकोनाइट और फॉस्फेट जैसे खनिजों का रासायनिक और उर्वरक उद्योग में कई उपयोग हैं। भविष्य की वैश्विक अर्थव्यवस्था उन प्रौद्योगिकियों पर आधारित होगी जो लिथियम, ग्रेफाइट, कोबाल्ट, टाइटेनियम और दुर्लभ मृदा तत्वों जैसे खनिजों पर निर्भर होंगी। तथापि, कम या शून्य भंडार/उत्पादन के कारण देश आयात पर अत्यधिक निर्भर है। खनिजों और धातुओं में आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को बढ़ाने और प्राप्त करने के लिए, भारत सरकार द्वारा कई नीतिगत उपाय और पहल शुरू की हैं।

6.0 सम्पोषित विकास ढांचा

जैसा कि राष्ट्रीय खनिज नीति 2008 में परिकल्पित है, सभी खनन गतिविधियों को सम्पोषित विकास ढांचे (एसडीएफ) के मापदंडों के भीतर किया जाना आवश्यक है। एसडीएफ को लागू करने के हिस्से के रूप में, खान मंत्रालय ने भारतीय खान ब्यूरो के माध्यम से खानों के स्टार रेटिंग मूल्यांकन की अवधारणा पेश की है। स्टार रेटिंग योजना के तहत, खनन पदचिह्नों के मूल्यांकन और सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय कल्याण को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किए बिना समावेशी विकास को शामिल करते हुए खनन गतिविधि शुरू करने की एक विश्वसनीय प्रणाली विकसित की गई है। इसे दो-स्तरीय प्रणाली के रूप में स्थापित किया गया है, जिसमें आईबीएम पोर्टल के माध्यम से विकसित ऑनलाइन प्रणाली में खान संचालक द्वारा भरे जाने वाले स्व-मूल्यांकन टेम्पलेट्स प्रदान किए गए हैं, जिसके बाद आईबीएम के माध्यम से सत्यापन किया जाता है। खनिज संरक्षण एवं विकास नियम 2017 के नियम 35(2) के अनुसार प्रत्येक खनन पट्टाधारक को समय-समय पर आईबीएम द्वारा अधिसूचित टेम्पलेट के अनुसार खनन एवं संबद्ध गतिविधियों की निगरानी करनी होगी तथा प्रत्येक वर्ष 1 जुलाई से पहले पिछले वित्तीय वर्ष के लिए ऑनलाइन स्व-मूल्यांकन रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होती है। इसके बाद आईबीएम स्टार रेटिंग का सत्यापन करता है।

भारतीय खनिज उद्योग ने एक लंबा सफर तय किया है। समय बीतने के साथ, समकालीन जरूरतों के अनुरूप कई सुधार किए गए हैं। हालांकि, इसके बावजूद, राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद में खनन उद्योग का हिस्सा महत्वपूर्ण नहीं है। एमएमडीआर 2015 संशोधनों के रूप में प्रमुख सुधारों को लागू करके, एनएमईपी 2016 और एनएमपी 2019 को अपनाने के साथ-साथ पहले से ही निष्पादित और विचाराधीन कई पहलों के साथ, यह उम्मीद की जाती है कि भारतीय खनिज उद्योग वैश्विक नेताओं के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकता है।

खान क्षेत्र में जल प्रबंधन की आवश्यकता:
संपोषित विकास की ओर भारतीय खान ब्यूरो की भूमिका

नरेश कुमार कटारिया
क्षेत्रीय खान नियंत्रक
भारतीय खान ब्यूरो, गोवा

1. प्रस्तावना

जल केवल एक प्राकृतिक संसाधन नहीं, बल्कि मानव सभ्यता की जीवनरेखा है। भारत जैसे कृषि-प्रधान एवं जलवायु विविधता वाले देश में जल का समुचित संरक्षण, पुनर्भरण और प्रबंधन आज एक अपरिहार्य आवश्यकता बन गया है। बीते दशकों में तीव्र औद्योगीकरण, शहरीकरण और जनसंख्या वृद्धि के चलते जल संसाधनों पर अत्यधिक दबाव पड़ा है, जिससे न केवल जल की उपलब्धता में कमी आई है, बल्कि उसकी गुणवत्ता और वितरण व्यवस्था भी प्रभावित हुई है।

खनन एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ संसाधनों की प्राप्ति के लिए भूमि की सतही परतों का निष्कलन किया जाता है। इस प्रक्रिया से न केवल भू-आकृति परिवर्तित होती है, बल्कि जल चक्र में भी गंभीर व्यवधान उत्पन्न होता है। भूजल पुनर्भरण में गिरावट, सतही जल निकासी में वृद्धि, तथा आसपास के जल स्रोतों में प्रदूषण जैसी समस्याएं खनन क्षेत्रों में आम हो जाती हैं। इन समस्याओं का प्रभाव स्थानीय समुदायों, जैव विविधता और दीर्घकालिक पारिस्थितिक संतुलन पर प्रत्यक्ष रूप से पड़ता है।

ऐसे परिदृश्य में जल प्रबंधन को केवल एक सहायक प्रक्रिया न मानकर, खनन गतिविधियों की केंद्रीय रणनीति के रूप में स्थापित करना आवश्यक हो गया है। जल संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग, वैज्ञानिक पुनर्भरण उपायों का समावेश, और सतत निगरानी ही खनिज आधारित विकास को पर्यावरणीय संतुलन के साथ आगे ले जा सकते हैं।

इस दिशा में भारतीय खान ब्यूरो (IBM) की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण रही है। IBM द्वारा नीतिगत दिशानिर्देशों, तकनीकी हस्तक्षेपों और प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से खनन क्षेत्र को जल-संवेदनशील एवं उत्तरदायी बनाने के अनेक प्रयास किए गए हैं। प्रस्तुत लेख इसी क्रम में IBM की जल प्रबंधन पहल, कानूनी ढांचे, राज्यवार अनुभवों और भावी रणनीतियों का एक समग्र विश्लेषण प्रस्तुत करता है।

चित्र 1: एक संयुक्त छवि जिसमें बाईं ओर हरियाली से घिरा हुआ स्वच्छ जल निकाय (नदी) और दाईं ओर धूल-युक्त, परिवर्तित भू-आकृति के साथ एक खनन क्षेत्र | यह विकास के दबाव के कारण जल संसाधनों पर पड़ रहे प्रभाव को रेखांकित करता है।

2. खनन और जल संसाधन: एक जटिल संबंध

खनन उद्योग प्राकृतिक संसाधनों की प्राप्ति हेतु भूमि की सतही

परतों को हटाकर, मिट्टी, चट्टानों और खनिजों का निष्कलन करता है। विशेष रूप से ओपनकास्ट खनन में बड़े क्षेत्र को खोदकर खनिज निकाले जाते हैं, जिससे क्षेत्र की भौगोलिक और जल-परिसंचरण व्यवस्था में गहरा हस्तक्षेप होता है। इस प्रक्रिया का सबसे प्रत्यक्ष प्रभाव जल संसाधनों पर पड़ता है—जो मात्रा, गुणवत्ता और पुनर्भरण की दृष्टि से अत्यधिक संवेदनशील हो जाते हैं।

खनन के कारण उत्पन्न प्रमुख जल संबंधित प्रभावों में शामिल हैं:

- **भूजल पुनर्भरण में कमी:** भूमि की सतही परत के हटने से वर्षाजल का अवशोषण घटता है, जिससे प्राकृतिक रिचार्ज प्रक्रिया बाधित होती है।
- **सतही जल निकासी में वृद्धि:** खनन क्षेत्रों में प्राकृतिक ढाल और जलग्रहण क्षेत्रों का विनाश जल बहाव को तेज करता है, जिससे जल स्रोत जल्दी सूखते हैं।
- **जल स्रोतों का प्रदूषण:** खनिज अपशिष्ट, रासायनिक रिसाव, तथा असंगठित अपशिष्ट निपटान से स्थानीय नदी, नालों और भूमिगत जल स्रोतों में प्रदूषण फैलता है।

उदाहरण स्वरूप, चूना पत्थर, बॉक्साइट या लौह अयस्क जैसे खनिजों के निष्कलन के दौरान यदि वर्षाजल का संचयन उपयुक्त रूप से न किया जाए, तो वह बहकर चला जाता है और उसका पुनर्भरण में योगदान नगण्य होता है। इसके अतिरिक्त

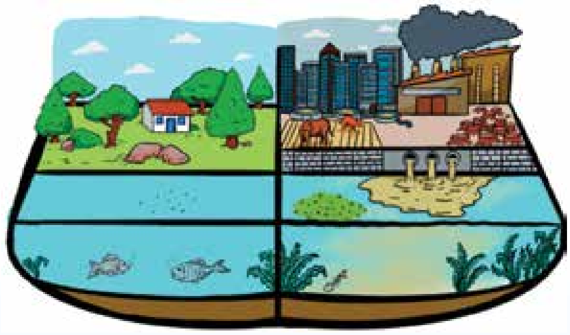

चित्र 2. *संतुलित/गैर-प्रदूषित (बाएं) और पोषक-तत्व प्रदूषित (दाएं) प्रणालियों का दृश्य* |

खनन से निकला घुलनशील कचरा भूजल में घुलकर उसकी गुणवत्ता को हानि पहुँचा सकता है, जिससे पीने योग्य जल भी अनुपयोगी हो सकता है। इस प्रकार खनन और जल संसाधनों के बीच का संबंध अत्यंत नाजुक एवं बहु-आयामी है। जब तक जल की उपलब्धता, गुणवत्ता और पुनर्भरण को खनन योजनाओं का अभिन्न अंग नहीं बनाया जाएगा, तब तक यह संबंध असंतुलन की दिशा में ही अग्रसर रहेगा।

3. भारतीय खान ब्यूरो (IBM) की नीतियाँ और तकनीकी पहल

भारतीय खान ब्यूरो (IBM) ने खनन क्षेत्रों में वर्षा जल संचयन (Rainwater Harvesting), जल पुन: उपयोग (Reuse) और जल उपचार (Treatment) के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए हैं। यह न केवल खनिजों के संरक्षण

चित्र 3 प्रदूषण के स्रोतों का दृश्य – (a) नदी किनारे कचरा डंपिंग, (b) शहरी सीवेज मिलना, (c) मृत पशु नदी में फेंके जाना, (d) जैविक सामग्री का सड़ना – ये सभी खनन प्रभावित क्षेत्रों में जल प्रदूषण की स्थितियाँ और जटिलताएँ बढ़ाते हैं।

और समुचित उपयोग को सुनिश्चित करता है, बल्कि जल संसाधन प्रबंधन को भी खनिज विकास की धारा में एकीकृत करता है। IBM द्वारा खनन क्षेत्रों में जल प्रबंधन को बढ़ावा देने हेतु कई तकनीकी और नियामक पहलों को लागू किया गया है:

3.1 खनन योजना में जल प्रबंधन का समावेश

IBM के नियमानुसार प्रत्येक खनन योजना में जल प्रबंधन संबंधी विवरण प्रस्तुत करना अनिवार्य है। इसमें निम्नलिखित घटकों को समाहित किया जाता है:

- वर्षा जल संचयन संरचनाएं: रूफ वॉटर हार्वेस्टिंग, कंटूर ट्रेंच, रिचार्ज पिट आदि।
- भूजल पुनर्भरण उपाय: क्षेत्र की जल-भूगोल के अनुसार पुनर्भरण संरचनाओं की योजना।
- जल उपचार प्रणाली: ETP (Effluent Treatment Plant) और STP (Sewage Treatment Plant) की स्थापना।
- अपशिष्ट जल का पुनः उपयोग: खदानों और हरे क्षेत्र के सिंचाई कार्यों में ट्रीटेड वाटर का प्रयोग।
- जल उपयोग दक्षता: प्रति टन उत्पादन पर जल खपत कम करने के लिए तकनीकी उपायों को अपनाना।

3.2 जल संरचनाओं का निर्माण और प्रोत्साहन

IBM द्वारा जल पुनर्भरण हेतु संरचनात्मक उपायों को प्राथमिकता दी जाती है:

- चेक डैम (Check Dam)
- पर्कोलेशन टैंक
- स्टोरेज तालाब
- कंटूर ट्रेंच
- रिचार्ज वेल
- बायोफिल्टर युक्त जल-संग्रहण प्रणाली

इन संरचनाओं को खनन क्षेत्र की स्थलाकृति और जलग्रहण क्षमता के अनुसार डिजाइन करने के लिए IBM तकनीकी मार्गदर्शन भी प्रदान करता है।

3.3 डिजिटल निगरानी तंत्र का प्रोत्साहन

IBM, पारदर्शिता और जल प्रबंधन की प्रभावशीलता बढ़ाने हेतु

- जल गुणवत्ता और भूजल स्तर की निगरानी के लिए IoT आधारित यंत्रों की योजना।
- खनन योजना, पर्यावरण रिपोर्ट एवं ESG दस्तावेज़ों में जल संबंधित डेटा का समावेश।
- डाटा रिपोर्टिंग और मूल्यांकन प्रणाली को विकसित कर निर्णय आधारित नीति निर्माण में सहयोग।

3.4 प्रशिक्षण और जन-जागरुकता कार्यक्रम

जल प्रबंधन की अवधारणाओं को ज़मीनी स्तर तक पहुँचाने के लिए IBM द्वारा विभिन्न स्तरों पर प्रशिक्षण आयोजित किए जाते हैं:

- खनिकों, राज्य खनिज अधिकारियों और स्थानीय समुदायों के लिए कार्यशालाएं।
- जल संरक्षण पर थीम आधारित प्रचार-प्रसार गतिविधियाँ।

3.5 जल लेखांकन और ESG रिपोर्टिंग में समावेशन

IBM खनन पट्टाधारकों को Water Accounting प्रणाली अपनाने के लिए प्रोत्साहित करता है, जिसमें वर्षा जल, भूजल पुनर्भरण, जल उपयोग और अपशिष्ट जल का समेकित रिकॉर्ड रखा जाता है। IBM ने यह भी मार्गदर्शन दिया है कि यह डेटा Environmental, Social and Governance (ESG) रिपोर्टों में सम्मिलित हो ताकि:

- निगरानी प्रणाली सुदृढ़ हो
- पर्यावरणीय उत्तरदायित्व की पारदर्शिता बनी रहे
- सतत विकास के मानकों की पूर्ति सुनिश्चित हो

हालाँकि ESG रिपोर्टिंग अनिवार्य नहीं है, लेकिन इसे एक श्रेष्ठ अभ्यास (Best Practice) के रूप में प्रोत्साहित किया जा रहा है। भारतीय खान ब्यूरो की यह समग्र रणनीति यह सुनिश्चित करती है कि खनन कार्य केवल खनिज दोहन तक सीमित न रहकर, पर्यावरणीय उत्तरदायित्व और जल संतुलन के साथ भी कदमताल करे। IBM की पहलें नीतिगत, तकनीकी और व्यवहारिक तीनों स्तरों पर खनन क्षेत्र को जल-संवेदनशीलता की दिशा में प्रेरित करती हैं।

4. कानूनी और नियामक ढांचा

भारत सरकार ने जल प्रबंधन को खनन क्षेत्र में सुदृढ़ करने हेतु विभिन्न अधिनियमों और नियमों के माध्यम से एक विस्तृत नियामक ढांचा तैयार किया है:

4.1 खनिज एवं खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (MMDR Act)

- यह अधिनियम देश में खनिज संसाधनों के वैज्ञानिक एवं सुनियोजित दोहन को नियंत्रित करता है।
- पर्यावरणीय दायित्वों, पुनर्वास, भूमि बहाली और जल प्रबंधन जैसे स्थायी विकास के सिद्धांतों को अपनाने हेतु नीति- निर्धारण का आधार प्रदान करता है।
- इस अधिनियम के अंतर्गत दी गई सुधारात्मक शक्तियाँ राज्य सरकारों और IBM को पर्यावरणीय गैर-अनुपालनों पर कार्यवाही का अधिकार देती हैं।

4.2 खनन संचालन (विकास और विनियमन) नियम, 2017

(MCDR Rules) IBM द्वारा लागू किए गए इस नियम के अंतर्गत खनन पट्टाधारकों के लिए निम्नलिखित अनिवार्यताएँ निर्धारित की गई हैं:

- खनन योजना में जल प्रबंधन खंड प्रस्तुत करना
- जल गुणवत्ता की नियमित निगरानी
- भूजल पुनर्भरण एवं जल संरक्षण संरचनाओं का निर्माण
- अपशिष्ट जल के निपटान एवं पुनः उपयोग की योजना बनाना
- जल उपयोग पर रिपोर्टिंग करना

MCDR नियमों का अनुपालन IBM द्वारा निरीक्षण के माध्यम से सुनिश्चित किया जाता है, और उल्लंघन की स्थिति में दंडात्मक प्रावधान भी लागू होते हैं।

4.3 केंद्रीय भूजल प्राधिकरण (CGWA)

- CGWA देशभर में भूजल दोहन को नियंत्रित और अनुशासित करने वाला प्रमुख निकाय है।
- खनन क्षेत्रों में भूजल निकासी की पूर्व अनुमति, स्थानीय भूजल स्तर की निगरानी, तथा पुनर्भरण संरचनाओं की अनिवार्यता के दिशा-निर्देश इसी प्राधिकरण द्वारा जारी किए जाते हैं।
- CGWA की अनुमति के बिना खनन क्षेत्र में ट्यूबवेल बोरवेल जैसे स्रोतों से जल निकासी अवैध मानी जाती है।

4.4 जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1974

- यह अधिनियम सतही और भूजल स्रोतों को प्रदूषण से बचाने हेतु लागू किया गया है।
- खनन क्षेत्र में उत्पन्न होने वाले खनिज अपशिष्ट, रासायनिक जल, तथा अपशिष्ट जल की निकासी को नियंत्रित करने हेतु राज्य प्रदूषण नि यंत्रण बोर्ड (SPCB) से सहमति-अनुसार (Consent to Operate) लेना अनिवार्य होता है।

4.5 पर्यावरण प्रभाव आकलन (EIA) अधिसूचना, 2006

- खनन परियोजनाओं के लिए EIA रिपोर्ट में जल स्रोतों पर प्रभाव का मूल्यांकन अनिवार्य है।
- रिपोर्ट में जल संतुलन तालिका, जल उपयोग की मात्रा, और प्रस्तावित पुनर्भरण उपायों का स्पष्ट विवरण दिया जाना होता है।

- IBM EIA अनुमोदन के उपरांत ही खनन योजना स्वीकृतिकी प्रक्रिया को आगे बढ़ाता है।

इन समग्र कानूनी एवं नियामक प्रावधानों के माध्यम से जल प्रबंधन को खनन गतिविधियों का अभिन्न हिस्सा बनाने की दिशा में ठोस कदम उठाए गए हैं। IBM इन प्रावधानों की अनुपालना की निरंतर निगरानी करता है और राज्यों तथा खनन पट्टाधारकों को आवश्यक तकनीकी एवं प्रशासनिक सहयोग भी प्रदान करता है।

5. स्टार रेटिंग प्रणाली में जल प्रबंधन की भूमिका

भारतीय खान ब्यूरो (IBM) द्वारा विकसित की गई **"स्टार रेटिंग प्रणाली"** एक अभिनव मूल्यांकन तंत्र है, जिसका उद्देश्य खनन पट्टाधारकों के पर्यावरणीय, सामाजिक और प्रबंधकीय प्रदर्शन का पारदर्शी एवं मापनीय मूल्यांकन करना है। यह प्रणाली खनन क्षेत्र में सतत विकास (Sustainable Development) की दिशा में एक प्रेरक साधन बन चुकी है। इस प्रणाली में जल प्रबंधन को विशेष प्राथमिकता दी गई है और इसे रेटिंग अंक वितरण में एक समर्पित घटक के रूप में सम्मिलित किया गया है।

तालिका 1: ***IBM द्वारा स्टार रेटिंग में जल प्रबंधन के लिए निर्धारित विशिष्ट बिंदु जिनके आधार पर खदानों को अंक प्रदान किए जाते हैं:***

मानदंड	उद्देश्य/प्रभाव
वर्षा जल संचयन संरचनाओं की उपलब्धता	सतही जल संग्रह और भूजल पुनर्भरण सुनिश्चित करना
भूजल पुनर्भरण उपायों की प्रभावशीलता	दीर्घकालिक जल स्तर स्थायित्व
प्रति टन उत्पादन पर जल खपत की दक्षता	जल उपयोग में मितव्ययिता और तकनीकी सुधार
अपशिष्ट जल का पुन: उपयोग और पुनर्चक्रण	जल संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण
जल गुणवत्ता की नियमित निगरानी और विश्लेषण रिपोर्ट	जल स्रोतों की स्थिति पर पारदर्शी जानकारी
जल लेखांकन प्रणाली का पालन	इनपुट-आउटपुट आधारित जल बजटिंग
जल संरक्षण विषयक जागरूकता एवं प्रशिक्षण गतिविधियाँ	समुदाय और कर्मियों की सहभागिता एवं क्षमता निर्माण

उपरोक्त उत्तरदायी प्रथाओं को अपनाने वाले पट्टाधारकों को स्टार रेटिंग में अधिक अंक प्रदान किए जाते हैं, जिससे प्रतिस्पर्धात्मक रूप से बेहतर प्रदर्शन हेतु प्रोत्साहन मिलता है।

- संपूर्ण स्टार रेटिंग में जल प्रबंधन से संबंधित बिंदुओं को 15– 20% वज़न प्रदान किया गया है।
- ये बिंदु नवीकरणीय जल स्रोतों के उपयोग, जल पुनर्भरण और शून्य जल अपव्यय जैसी स्थायी प्रथाओं को बढ़ावा देते हैं।
- जिन खनन पट्टाधारकों ने जल प्रबंधन को प्राथमिकता दी है, उन्होंने न केवल उच्च रेटिंग प्राप्त की है, बल्कि स्थानीय सामाजिक स्वीकृति और पर्यावरणीय अनुशासन भी सुनिश्चित किया है।
- स्टार रेटिंग अब एक प्रोत्साहन तंत्र के रूप में कार्य कर रही है, जिससे प्रतिस्पर्धात्मक भावना के साथ बेहतर जल प्रबंधन उपाय अपनाए जा रहे हैं।

इस प्रकार स्टार रेटिंग प्रणाली न केवल IBM की पर्यावरणीय निगरानी प्रक्रिया को सशक्त बनाती है, बल्कि जल संरक्षण के प्रति खनन उद्योग में जवाबदेही और सजगता भी सुनिश्चित करती है। यह प्रणाली नीति, प्रदर्शन और पारदर्शिता को एक साझा मंच पर लाकर खनन क्षेत्र को सतत विकास की दिशा में अग्रसर करती है।

6. सीख, चुनौतियाँ और सिफारिशें

प्रमुख सीखी गई बातें

- स्थानीय जल संरचनाओं का महत्व: वर्षा जल संचयन की स्थानीय भूगोल और जलवायु अनुसार योजना बनाना अत्यधिक प्रभावी सिद्ध हुआ है।
- समुदाय की भागीदारी: ग्राम स्तर पर जल संरक्षण कार्यों में जनभागीदारी से सततता बढ़ती है।
- प्रौद्योगिकी का उपयोग: IoT और GIS आधारित निगरानी से जल प्रबंधन की सटीकता में वृद्धि होती है।

प्रमुख चुनौतियाँ

- नियामक अनुपालन में देरी: कुछ पट्टाधारक CGWA एवं IBM के दिशा-निर्देशों के अनुपालन में ढिलाई बरतते हैं, जिससे जल संरक्षण उपाय प्रभावित होते हैं।
- व्यावसायिक प्राथमिकता की कमी: खनन कंपनियाँ जल प्रबंधन को पूरक या सहायक कार्य मानती हैं, न कि संचालन की अनिवार्यता।
- तकनीकी दक्षता का अभाव: खनन क्षेत्र के अनेक तकनीकी कर्मियों को जल लेखांकन, पुनर्भरण डिज़ाइन, या जल गुणवत्ता विश्लेषण की पर्याप्त जानकारी नहीं होती। IBM की सिफारिशें और रणनीतियाँ।
- हर खनन क्षेत्र के लिए अनिवार्य जल लेखांकन (Water Accounting)

- वर्षा जल संचयन के लिए GIS आधारित माइक्रोप्लानिंग
- NABET/IBM द्वारा संयुक्त रूप से जल प्रबंधन पर ई-प्रशिक्षण पोर्टल का विकास
- राज्य सरकारों के सहयोग से डेमोंस्ट्रेशन साइट्स और मॉडल माइन्स की स्थापना
- सतत निगरानी हेतु जल ऑडिट रिपोर्ट का त्रैमासिक मूल्यांकन

तालिका 2: *IBM द्वारा सुझाई गई जल प्रबंधन रणनीतियाँ और अपेक्षित प्रभाव*

रणनीति	अपेक्षित प्रभाव
GIS आधारित माइक्रोप्लानिंग	संरचनात्मक दक्षता और स्थल विशेष उपयुक्तता
जल लेखांकन	पारदर्शिता और जल उपयोग का प्रभावी नियंत्रण
सामुदायिक भागीदारी	दीर्घकालिक प्रभावशीलता और संरचनाओं का संरक्षण
त्रैमासिक जल ऑडिट	नियमित मूल्यांकन और नीतिगत सुधार हेतु अवसर
IoT आधारित निगरानी	त्वरित डेटा और निर्णय आधारित जल प्रबंधन
ई-प्रशिक्षण पोर्टल	व्यापक प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण
मॉडल माइन्स/डेमो साइट्स	व्यावहारिक उदाहरण और नीति निर्माण हेतु साक्ष्य

जल लेखांकन की प्रक्रिया में इनपुट-आउटपुट, वर्षा जल और पुनर्भरण को समाहित कर गणना की जाती है।

7. निष्कर्ष

खनिज संसाधनों का वैज्ञानिक, जिम्मेदार और पारिस्थितिकीय रूप से संतुलित दोहन 21वीं सदी के भारत की विकास यात्रा की एक अनिवार्य शर्त बन चुका है। खनन गतिविधियों से उत्पन्न भू-परिवर्तन और जल चक्र में हस्तक्षेप, यदि जल प्रबंधन के बिना किया जाए, तो दीर्घकालिक पारिस्थितिकीय और सामाजिक असंतुलन को जन्म देता है। ऐसे परिदृश्य में भारतीय खान ब्यूरो (IBM) की भूमिका केवल एक निरीक्षणकर्ता या नियामक तक सीमित न रहकर, पर्यावरणीय नेतृत्वकर्ता और नवाचार प्रेरक के रूप में उभरती है।

IBM ने जल प्रबंधन को खनन योजनाओं का अभिन्न अंग बनाने की दिशा में जो पहल की हैं—जैसे अनिवार्य जल लेखांकन, वर्षा जल संचयन संरचनाएं, डिजिटल निगरानी, सामुदायिक प्रशिक्षण और ESG रिपोर्टिंग—वे न केवल जल संकट की चुनौती का समाधान प्रस्तुत करती हैं, बल्कि खनन क्षेत्र को सतत विकास के वैश्विक मानकों की ओर भी अग्रसर करती हैं।

राज्यवार केस स्टडीज़ यह सिद्ध करती हैं कि IBM के मार्गदर्शन में अपनाई गई रणनीतियाँ व्यावहारिक परिणाम देती हैं—भूजल स्तर में वृद्धि, जल स्रोतों की स्थिरता, खदान संचालन की जल आत्मनिर्भरता, और समुदायों की सहभागिता जैसे सकारात्मक परिवर्तन स्पष्ट रूप से परिलक्षित होते हैं।

अतः यह कहा जा सकता है कि यदि IBM की सिफारिशों को कानूनी कड़ाई, प्रौद्योगिकी सशक्तिकरण, और स्थानीय सहभागिता के साथ पूरी निष्ठा से लागू किया जाए, तो भारत का खनन क्षेत्र केवल खनिज उत्पादन में ही नहीं, बल्कि जल संरक्षण की दृष्टि से भी एक वैश्विक उदाहरण बन सकता है।

भारतीय अर्थव्यवस्था में खनन क्षेत्र का योगदान:

गौरव शर्मा
खनिज अर्थशास्त्री
भारतीय खान ब्यूरो, नागपुर

पृष्ठभूमि

खनिज एक सीमित और अनवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन हैं, जो अपनी दुर्लभता के कारण अत्यंत मूल्यवान हैं। ये कई मूलभूत उद्योगों के लिए आवश्यक कच्चा माल प्रदान करते हैं और आर्थिक विकास के महत्वपूर्ण आधार हैं। भारत में खनिजों की प्रचुरता, समृद्ध भंडार और अनुकूल पारिस्थितिकी-भूवैज्ञानिक परिस्थितियाँ खनन क्षेत्र के विकास के लिए उपयुक्त वातावरण प्रदान करती हैं।

मार्च 2019 में खान मंत्रालय ने राष्ट्रीय खनिज नीति 2019 (एनएमपी 2019) जारी की, जिसका उद्देश्य पारदर्शिता बढ़ाना, विनियमन एवं प्रवर्तन को मजबूत करना, सामाजिक-आर्थिक संतुलन को बनाए रखना और टिकाऊ खनन को बढ़ावा देना है। इस नीति में निजी क्षेत्र को खनिज खोज में भागीदारी के लिए प्रोत्साहन, 'मेक इन इंडिया' पहल को समर्थन, और लैंगिक संवेदनशीलता जैसे महत्वपूर्ण पहलुओं पर भी ध्यान दिया गया है।

खनन क्षेत्र न केवल आर्थिक प्रगति में योगदान करता है, बल्कि यह निवेश को आकर्षित करने और रोजगार के अवसर उत्पन्न करने में भी सहायक है। भारत वर्तमान में 95 प्रकार के खनिजों का उत्पादन करता है, जिनमें हाइड्रोकार्बन आधारित ऊर्जा खनिज, परमाणु खनिज, धात्विक और अधात्विक खनिजों के साथ-साथ लघु खनिज (जैसा कि एमएमडीआर अधिनियम, 1957 की धारा 3(ई) में परिभाषित है) शामिल हैं। देश में तेजी से हो रहे शहरीकरण और विनिर्माण क्षेत्र के विस्तार को देखते हुए निकट भविष्य में खनिजों की मांग और अधिक बढ़ने की संभावना है।

खनन उद्योग की प्रमुख विशेषताएं

खनन और उत्खनन क्षेत्र से सकल मूल्य वर्धन (GVA) का आकलन राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO), जो सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है, के राष्ट्रीय लेखा प्रभाग द्वारा किया जाता है। वित्त वर्ष 2024-25 के लिए राष्ट्रीय आय के अनंतिम अनुमान दर्शाते हैं कि वर्ष 2011-12 की स्थिर कीमतों पर खनन और उत्खनन क्षेत्र का GVA लगभग ₹3,47,271 करोड़ रहने का अनुमान है, जो 2023-24 के ₹3,37,623 करोड़ के अनुमान की तुलना में 2.9% अधिक है। वहीं, चालू कीमतों के अनुसार 2024-25 में इस क्षेत्र का कुल योगदान ₹5,39,567 करोड़ रहने का अनुमान है, जो कुल सकल मूल्य वर्धन का लगभग 1.84% है।

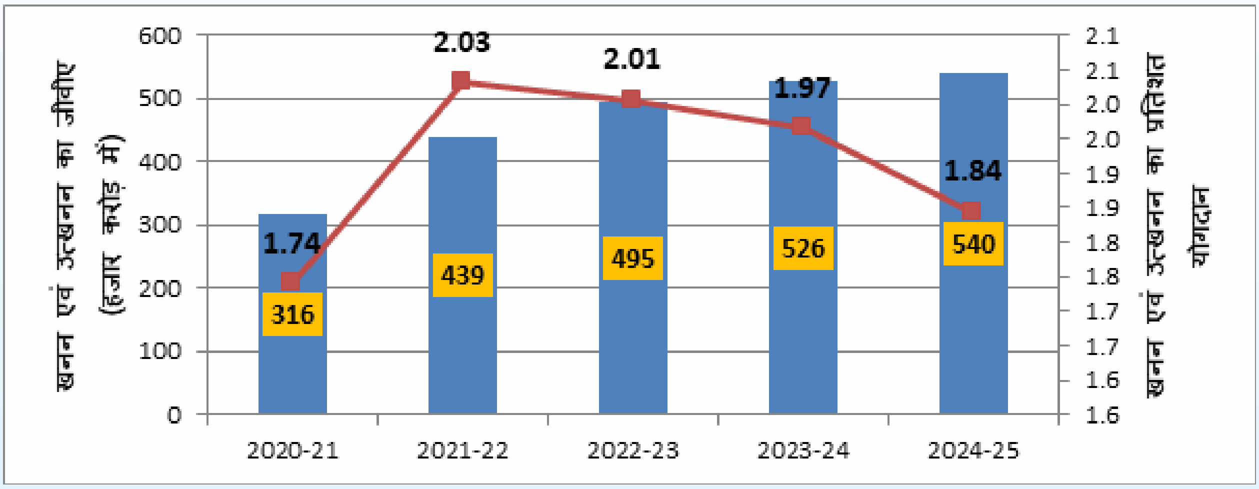

खनिज (कोयला, भंडारण के लिए रेत, परमाणु खनिज और लघु खनिजों के अलावा) उत्पादन

वित्त वर्ष 2024-25 के लिए खनिज उत्पादन (परमाणु, ईंधन और लघु खनिजों को छोड़कर) का कुल अनुमानित मूल्य ₹1,47,723 करोड़ है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 5.2% की वृद्धि को दर्शाता है। इस कुल मूल्य में धात्विक खनिजों का प्रमुख योगदान रहा, जिनका अनुमानित मूल्य ₹1,34,462 करोड़ है, जो कुल उत्पादन का 91.02% है। इसके विपरीत, गैर-धात्विक खनिजों का मूल्य ₹13,261 करोड़ या 8.98% आंका गया है, जो धातु खनिजों की तुलना में उनका सीमित योगदान दर्शाता है।

राज्यवार आंकड़ों के अनुसार, ओडिशा ₹64,785 करोड़ के उत्पादन मूल्य के साथ देश का सबसे बड़ा खनिज उत्पादक राज्य रहा, जो राष्ट्रीय कुल का 43.9% है। राजस्थान ने ₹23,399 करोड़ (15.8%), छत्तीसगढ़ ने ₹20,724 करोड़ (14%), और कर्नाटक ने ₹18,248 करोड़ (12.4%) का योगदान देकर महत्वपूर्ण स्थान हासिल किया। महाराष्ट्र और झारखंड ने क्रमशः ₹6,395 करोड़ (4.3%) और ₹5,105 करोड़ (3.5%) के साथ उल्लेखनीय योगदान दिया। ये आंकड़े भारत के खनिज उत्पादन में विभिन्न राज्यों की हिस्सेदारी को दर्शाते हैं। राज्यों के खनिज उत्पादन के आंकड़े दर्शाने वाला ग्राफ नीचे प्रस्तुत है।

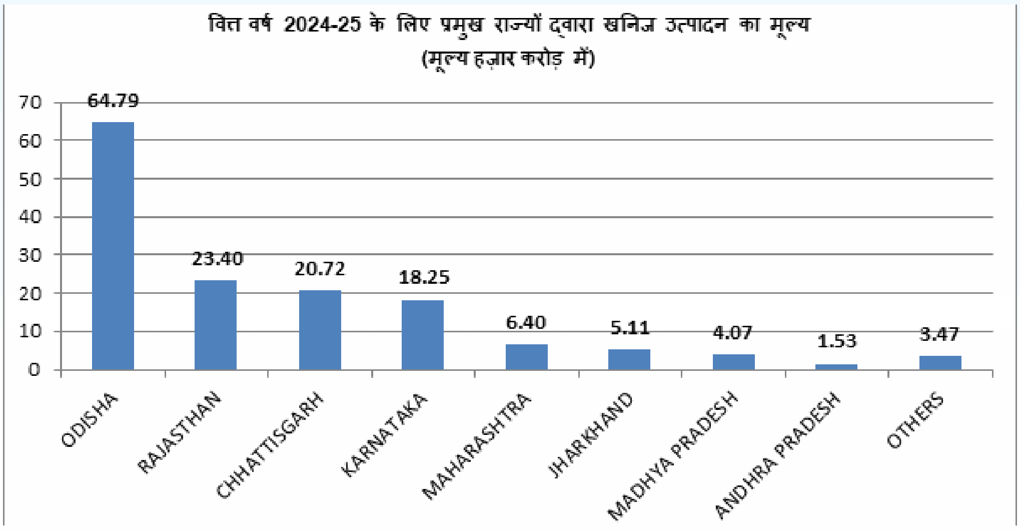

उत्पादन धातु अयस्क

वित्तीय वर्ष 2024-25 में धात्विक खनिजों का कुल मूल्य ₹1,34,462 करोड़ आँका गया, जो पिछले वर्ष की तुलना में 5.6% की वृद्धि को दर्शाता है। इसमें सबसे बड़ा योगदान लोहा अयस्क का रहा, जिसकी कुल हिस्सेदारी ₹ 1,03,316 करोड़ या 76.8% रही। इसके बाद जस्ता सांद्र ₹10,009 करोड़ (7.4%), चांदी ₹5,478 करोड़ (4.1%), और क्रोमाइट ₹4,556 करोड़ (3.4%) के साथ प्रमुख स्थान पर रहे।

उत्पादन के आंकड़ों में भी विविध रुझान देखने को मिले। बॉक्साइट का उत्पादन 24.71 मिलियन टन तक पहुंचा, जो 3.1% की वृद्धि को दर्शाता है। क्रोमाइट का उत्पादन 3.03 मिलियन टन रहा, जो 3.9% की गिरावट है। तांबा सांद्र के उत्पादन में 16% की तेज़ गिरावट दर्ज की गई और यह घटकर 1.05 लाख टन रह गया। दूसरी ओर, प्राथमिक सोने का उत्पादन 2.8% बढ़कर 1,627 किलोग्राम हो गया।

लोह अयस्क का उत्पादन 289.4 मिलियन टन तक पहुंचा, जो 4.6% की वृद्धि है। सीसा सांद्र का उत्पादन 3.1% बढ़कर 3.93 लाख टन और जस्ता सांद्र का उत्पादन 0.7% बढ़कर 17.22 लाख टन हो गया। मैंगनीज अयस्क उत्पादन में भी 12.4% की उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई, जिससे उत्पादन 3.8 मिलियन टन पर पहुँच गया। वित्तीय वर्ष 2024-25 में खनिज उत्पादन के मूल्य का ग्राफ नीचे दिया गया है।

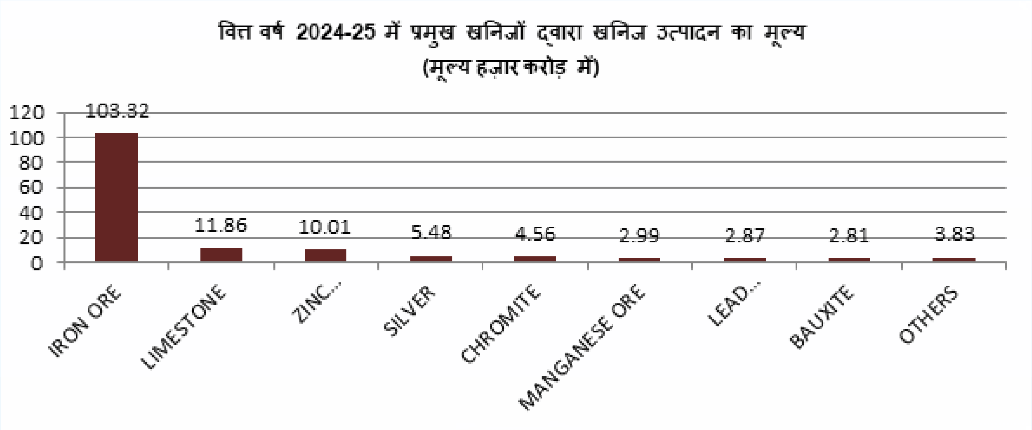

गैर-धात्विक अयस्क उत्पादन

वित्त वर्ष 2024-25 में गैर-धात्विक खनिजों का कुल उत्पादन मूल्य ₹13,261 करोड़ रहा, जो पिछले वर्ष की तुलना में केवल 0.7% की मामूली वृद्धि को दर्शाता है। इस वर्ग में चूना पत्थर प्रमुख योगदानकर्ता रहा, जिसकी हिस्सेदारी कुल अनुमानित मूल्य का 89.5% थी। इसके बाद फॉस्फोराइट का स्थान रहा, जिसका योगदान 9.2% रहा।

उत्पादन की दृष्टि से, चूना पत्थर का उत्पादन 449.6 मिलियन टन दर्ज किया गया, जो 0.5% की हल्की गिरावट को दर्शाता है। वहीं, फॉस्फोराइट उत्पादन में 15.9% की उल्लेखनीय वृद्धि हुई और यह 1,806 हजार टन तक पहुँच गया। हीरे के उत्पादन में भी कई गुना वृद्धि दर्ज की गई, जो बढ़कर 4,846 कैरेट तक पहुँच गया।

विश्व खनिज उत्पादन में भारत की स्थिति

भारत कई प्रमुख खनिजों के उत्पादन में वैश्विक स्तर पर अग्रणी देशों में शामिल है। इसका विवरण नीचे प्रस्तुत है:-

क्र.सं.	खनिज का नाम	उत्पादन 2023-24 (मिलियन टन में)	भारत की वैश्विक रैंकिंग #
1	लोह अयस्क	276.75	तीसरा
2	क्रोमाइट	3.15	तीसरा
3	जस्ता	1.71*	चौथा
4	बॉक्साइट	23.97	छठा
5	मैंगनीज	3.38	पांचवां

टिप्पणी

**: जस्ता सांद्रण का उत्पादन (बीजीएस द्वारा विश्व खनिज उत्पादन 2019-2023 के अनुसार, धातु सामग्री के संदर्भ में जिंक का खदान उत्पादन 2023 के दौरान 0.85 मिलियन टन था)*

 # रैंक वर्ष 2023 के उत्पादन पर आधारित है, जैसा कि बीजीएस द्वारा विश्व खनिज उत्पादन, 2019-23 में प्रदान किया गया है।

खनिजों में आत्मनिर्भरता

भारत कई खनिजों (हाइड्रोकार्बन ऊर्जा, परमाणु और गौण खनिजों को छोड़कर) के मामले में पूर्ण या बड़े पैमाने पर आत्मनिर्भर है। इनमें प्रमुख रूप से लोहा और इस्पात, एल्यूमीनियम, सीमेंट, रिफ्रैक्टरीज़, सिरेमिक और कांच जैसे उद्योगों के लिए आवश्यक खनिज शामिल हैं। देश बॉक्साइट, क्रोमाइट, लोह अयस्क और चूना पत्थर जैसे खनिजों में भी आत्मनिर्भर है या आत्मनिर्भरता के करीब है।

हालांकि, कुछ खनिज जैसे कायनाइट, मैग्नेसाइट, रॉक फॉस्फेट और मैंगनीज अयस्क की घरेलू उपलब्धता सीमित है, जिससे इनकी आपूर्ति मुख्य रूप से आयात के माध्यम से पूरी की जाती है। कुछ मामलों में, विशेष गुणवत्ता की आवश्यकताओं को पूरा करने या स्थानीय खनिजों के साथ मिश्रण के लिए भी आयात किया जाता है, भले ही घरेलू उत्पादन पर्याप्त हो। हीरा, पन्ना और अन्य कीमती व अर्ध-कीमती रत्नों की बढ़ती घरेलू मांग—विशेष रूप से कटिंग और पॉलिशिंग उद्योग के लिए—भारत को इनका कच्चा रूप आयात करने के लिए प्रेरित करती है, ताकि उनका मूल्यवर्धित निर्यात किया जा सके।

वर्ष 2023-24 के दौरान प्रमुख खनिजों (ऊर्जा, परमाणु और गौण खनिजों को छोड़कर) के संदर्भ में भारत की आत्मनिर्भरता की स्थिति नीचे दी गई है:-

क्र.सं.	अयस्क/खनिज	प्रत्यक्ष मांग* ('000 टन)	उत्पादन/घरेलू आपूर्ति ('000 टन)	आत्मनिर्भरता की स्थिति (%)
1	बॉक्साइट	28296	23968	85%
2	क्रोमाइट	3318	3148	95%
3	लोह अयस्क	235336	276752	100%
4	कायनाइट	4.82	3.32	69%
5	चूना पत्थर	484156	452009	93%
6	मैग्नेसाइट	608	132	22%
7	मैंगनीज अयस्क	8974	3381	38%
8	रॉक फॉस्फेट (एपेटाइट सहित)	10368	1558	15%

नोट:

आंकड़े पूर्णांकित

स्रोत: उत्पादन आंकड़ों के लिए एमसीडीआर रिटर्न तथा निर्यात एवं आयात आंकड़ों के लिए डी.जी.सी.आई.एंड.एस।

**: प्रत्यक्ष मांग (उत्पादन+आयात-निर्यात)*

निष्कर्ष:

भारतीय अर्थव्यवस्था में खनन क्षेत्र की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह न केवल प्रमुख उद्योगों को कच्चा माल उपलब्ध कराता है, बल्कि रोजगार सृजन और क्षेत्रीय विकास, विशेष रूप से ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में, भी योगदान देता है। हालांकि सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में इसकी प्रत्यक्ष हिस्सेदारी सीमित है, फिर भी विनिर्माण, बुनियादी ढांचे और ऊर्जा क्षेत्रों से इसके गहरे जुड़ाव के कारण इसका परोक्ष प्रभाव व्यापक और महत्वपूर्ण है।

भारत के समृद्ध खनिज संसाधन और खनिजों की बढ़ती मांग इस क्षेत्र को सतत आर्थिक विकास का प्रेरक बना सकते हैं। विशेष रूप से ग्रामीण और अविकसित क्षेत्रों में इसका विकास समावेशी वृद्धि को गति दे सकता है। हालांकि, इस संभावनाओं को पूरी तरह साकार करने के लिए नीतिगत सुधार, तकनीकी उन्नयन, पर्यावरणीय संरक्षण और बेहतर शासन व्यवस्था आवश्यक हैं।

अंततः, भारत को खनन क्षेत्र की आर्थिक क्षमताओं का दोहन करते हुए इसके पारिस्थितिक प्रभाव को संतुलित करने वाला एक समावेशी और टिकाऊ दृष्टिकोण अपनाना होगा, जिससे दीर्घकालिक और न्यायसंगत विकास सुनिश्चित किया जा सके।

भारतीय खनन उद्योग: आज की स्थिति, खनिज प्रसंस्करण का महत्व और उन्नत तकनीकों का उपयोग

अचिंत गोयल
प्रभारी अधिकारी एवं उप अयस्क प्रसाधन अधिकारी
भारतीय खान ब्यूरो, अजमेर

1. प्रस्तावना: भारतीय खनन उद्योग की वर्तमान स्थिति

भारतीय खनन उद्योग देश की अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह उद्योग लौह अयस्क, कोयला, बॉक्साइट और कई अन्य धात्विक और अधात्विक खनिजों के उत्पादन के लिए जाना जाता है। खनन उद्योग में रोजगार के लाखों अवसर हैं, और यह निर्माण, ऊर्जा, और उद्योगों को कच्चा माल प्रदान करता है। लेकिन आज यह उद्योग कई चुनौतियों का सामना कर रहा है। खनिज संसाधनों की घटती उपलब्धता, पर्यावरणीय चिंताओं, और प्रौद्योगिकी की कमी के कारण भारतीय खनन उद्योग को अपने तरीकों में बदलाव की आवश्यकता है।

सरकार द्वारा किए गए सुधारों और नीतिगत हस्तक्षेपों के बावजूद, भारतीय खनन क्षेत्र को वैश्विक प्रतिस्पर्धा में बने रहने के लिए नई प्रौद्योगिकियों और कुशल प्रक्रियाओं को अपनाने की आवश्यकता है। इस संदर्भ में, खनिज प्रसंस्करण की दक्षता और उसके संचालन में सुधार भारतीय खनन उद्योग को एक नया मोड़ दे सकता है।

2. भारतीय खनिज संसाधनों का गवेषण

भारतीय खनिज उद्योग में आज उन क्षेत्रों में खनिजों की खोज और गवेषण पर जोर दिया जा रहा है जहां संसाधनों का अभी तक पूरा दोहन नहीं हुआ है। सरकार और निजी क्षेत्र के संयुक्त प्रयासों से, नए खनिज संसाधनों की खोज में तेजी लाई जा रही है। खनिज संसाधनों की बेहतर पहचान और निष्कर्षण के लिए अत्याधुनिक भू-भौतिकी और भू-रासायनिक तकनीकों का उपयोग बढ़ रहा है। भारत में खनिज संसाधनों की खोज और पुनः गवेषण के लिए सरकारी और निजी क्षेत्र द्वारा मिलकर प्रयास किए जा रहे हैं। भू-भौतिकी और भू-रासायनिक तकनीकों का उपयोग खनिज संसाधनों की पहचान को बेहतर बनाने में किया जा रहा है। इसके तहत ओडिशा में PGM (Platinum Group Metals) और बॉक्साइट संसाधनों की खोज की जा रही है, जो भविष्य के लिए महत्वपूर्ण हो सकते है।साल 2024 तक, भारतीय सरकार ने खनिज ब्लॉकों की नीलामी प्रक्रिया को तेज कर दिया है। माइंस एंड मिनरल्स (डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन) एक्ट (MMDR अधिनियम) के तहत 170 से अधिक ब्लॉक नीलाम किए गए हैं। विशेष रूप से लिथियम और दुर्लभ पृथ्वी तत्वों जैसे महत्वपूर्ण खनिजों पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है, जो भारत की ऊर्जा संक्रमण और इलेक्ट्रिक वाहनों के निर्माण के लिए महत्वपूर्ण हैं। भारत ने लिथियम गवेषण में बड़ी प्रगति की है, विशेष रूप से जम्मू और कश्मीर में, जहां 2024 की शुरुआत में 5.9 मिलियन मीट्रिक टन का भंडार खोजा गया है। यह खोज महत्वपूर्ण है क्योंकि लिथियम बैटरी उत्पादन के लिए प्रमुख तत्व है, जो भारत के इलेक्ट्रिक मोबिलिटी और नवीकरणीय ऊर्जा भंडारण की ओर बढ़ने में सहायक है। भारतीय सरकार अपनी नई राष्ट्रीय खनिज गवेषण नीति (NMEP) के माध्यम से दुर्लभ पृथ्वी खनिजों की खोज को प्रोत्साहित कर रही है, जो तकनीकी और रक्षा उद्योगों के लिए महत्वपूर्ण हैं। भारत का दुर्लभ पृथ्वी उत्पादन 2025 तक 30% बढ़ने की उम्मीद है, जो वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में देश की प्रमुख भूमिका को मजबूत करेगा। अगले 25 वर्षों में दुनिया अब तक के मुकाबले अधिक तांबा खपत करेगी। इसे चुनौती के रूप में देखा जा सकता है, लेकिन भारत के लिए यह एक बड़ा अवसर है। तांबा एक महत्वपूर्ण खनिज है जिसका उपयोग उभरती तकनीकों में व्यापक रूप से होता है।

भारत में तांबे के विशाल भंडार हैं। हमारी कंपनियां, जैसे हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, अपनी उत्पादन क्षमता 5 से 10 गुना तक बढ़ा सकती हैं। इसके साथ ही, हमें जमीन के भीतर नए भंडार तलाशने और अपशिष्ट से तांबा पुनर्चक्रित करने पर ध्यान देना चाहिए। इससे भारत वैश्विक तांबा अर्थव्यवस्था में एक प्रमुख भूमिका निभा सकता है।

हालांकि, तांबे के नए भंडार अब 1,000 मीटर से अधिक गहराई पर पाए जा रहे हैं, जबकि एक सदी पहले यह 300 मीटर पर आसानी से उपलब्ध था। इसके अलावा, अब तांबे का अयस्क (ore) भी कम गुणवत्ता वाला है, जिससे इसे निकालने के लिए दोगुना सामग्री और अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। गहराई पर चट्टानें अधिक कठोर और सघन हो जाती हैं, जिससे खनन और ऊर्जा लागत बढ़ जाती है।

इन चुनौतियों से निपटने के लिए गहरी खदानों में चट्टानों की कठोरता को समझना और उत्पादन तकनीकों को उन्नत करना जरूरी है। इससे लागत कम होगी, देरी से बचा जा सकेगा, और भारत बढ़ती मांग को पूरा करने में सक्षम बनेगा।

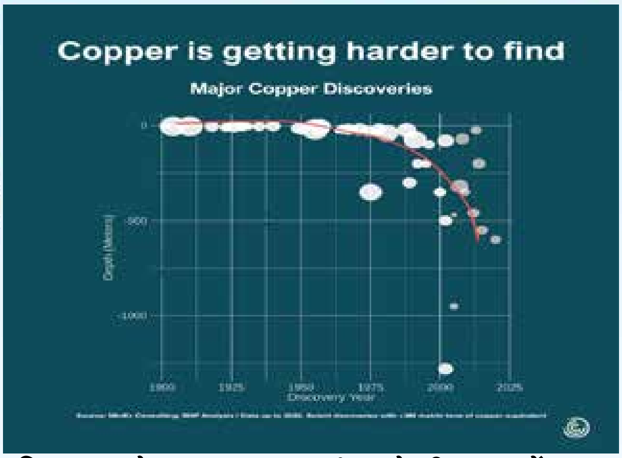

चित्र: 1 तांबे का भंडार एक सदी पहले की तुलना में 1,280 मीटर अधिक गहरा पाया जा रहा है।

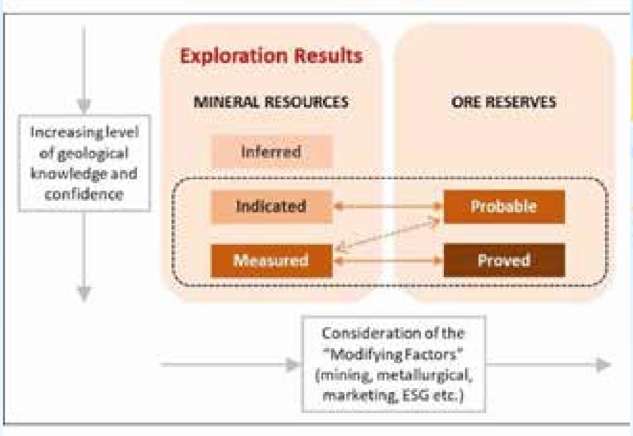

चित्र: 2 गवेषण परिणामों, खनिज संसाधनों और अयस्क भंडार के बीच संबंध को दर्शाता है

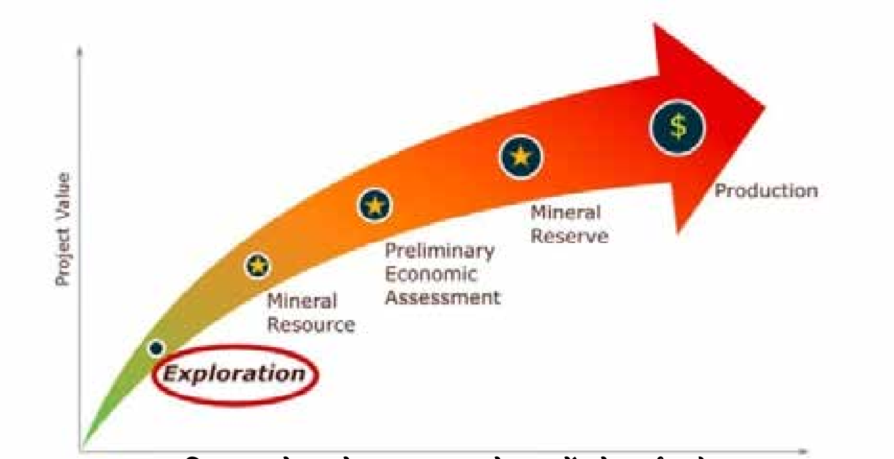

चित्र:3 गवेषण से उत्पादन तक के चरणों को दर्शाता है

3. ब्रेक्स कांड (1997) से मिली सीख: गहन गवेषण का महत्व:

वर्ष 1997 में हुए ब्रेक्स घोटाले ने खनन उद्योग के लिए एक बड़ी चेतावनी दी। ब्रेक्स कंपनी ने इंडोनेशिया में सोने का विशाल भंडार खोजने का दावा किया, जिससे इसके शेयरों की कीमतें आसमान छू गई। लेकिन बाद की जांच में पता चला कि जो सैंपल्स पेश किए गए थे, उन्हें छेड़ा गया था, और उस क्षेत्र में कोई महत्वपूर्ण सोने का भंडार नहीं था। इस खुलासे ने ब्रेक्स कंपनी को धराशायी कर दिया और अनगिनत निवेशकों को बर्बाद कर दिया।

इस घोटाले के बाद, नियामकों और निवेशकों को खनन उद्योग में सख्त मानकों और नियमों की आवश्यकता महसूस हुई। इसके परिणामस्वरूप ऑस्ट्रेलिया में "ज्वाइंट ओरे रिजर्व्स कमेटी (JORC)" और कनाडा में "नेशनल इंस्ट्रूमेंट 43-101 (NI 43-101)" जैसे मानक विकसित किए गए। इन कोडों ने निवेशकों की सुरक्षा के लिए परियोजनाओं की पारदर्शी और विश्वसनीय रिपोर्टिंग सुनिश्चित की। इस घोटाले से यह स्पष्ट हो गया कि किसी भी खनन परियोजना में प्रारंभिक निष्कर्ष निकालने से पहले गहन गवेषण और सटीक डाटा कितना महत्वपूर्ण है। ये कोड खनन कंपनियों को विश्वसनीय जानकारी प्रदान करने, निवेशकों में विश्वास जगाने और उद्योग में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने के लिए प्रेरित करते हैं।

इसलिए, किसी भी खनन परियोजना की सफलता सुनिश्चित करने के लिए विस्तृत और गहन गवेषण अत्यंत आवश्यक है, ताकि निवेश जोखिम से बचा जा सके और परियोजना की सफलता सुनिश्चित की जा सके।

चित्र:4 ब्रेक्स कांड (1997) से मिली सीख: गहन गवेषण का महत्व।

4. खनिज प्रसंस्करण का महत्व

खनिज प्रसंस्करण वह प्रक्रिया है जिसमें अयस्कों से मूल्यवान धातुओं को निकाला जाता है। यह खनन उद्योग का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है क्योंकि इसका उद्देश्य अयस्क से अवांछनीय सामग्री को हटाकर उपयोगी धातुओं को प्राप्त करना होता है। खनिज प्रसंस्करण में कई चरण शामिल होते हैं जैसे अयस्क की Crushing, Grinding, Sorting और सांद्रण (कंसेंट्रेशन)।

आज के समय में, खनिज संसाधनों का सही और कुशल उपयोग करना बहुत महत्वपूर्ण हो गया है, खासकर जब खनिज भंडार कम होते जा रहे हैं। खनिज प्रसंस्करण की दक्षता में सुधार करके न केवल उत्पादन की गुणवत्ता को बढ़ाया जा सकता है, बल्कि ऊर्जा और पानी जैसे संसाधनों की खपत को भी कम किया जा सकता है।

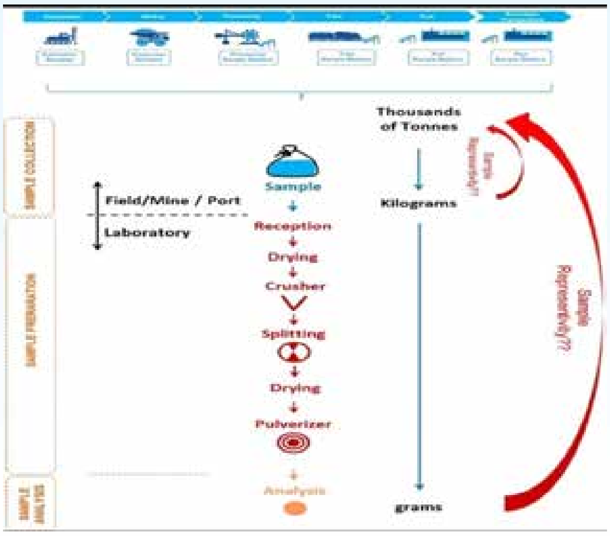

चित्र:5 रासायनिक विश्लेषण के लिए नमूना एकत्र करने के चरणों को दर्शाता है।

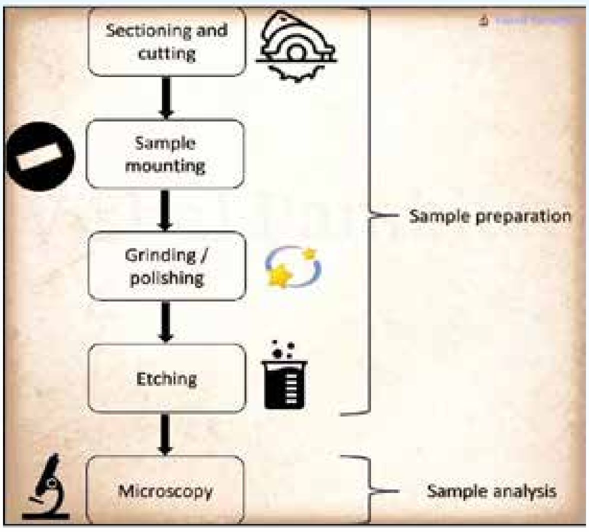

चित्र:6 खनिज विश्लेषण के लिए माइक्रोस्कोपी अध्ययन के लिए नमूना तैयार करने के चरणों को दर्शाता है

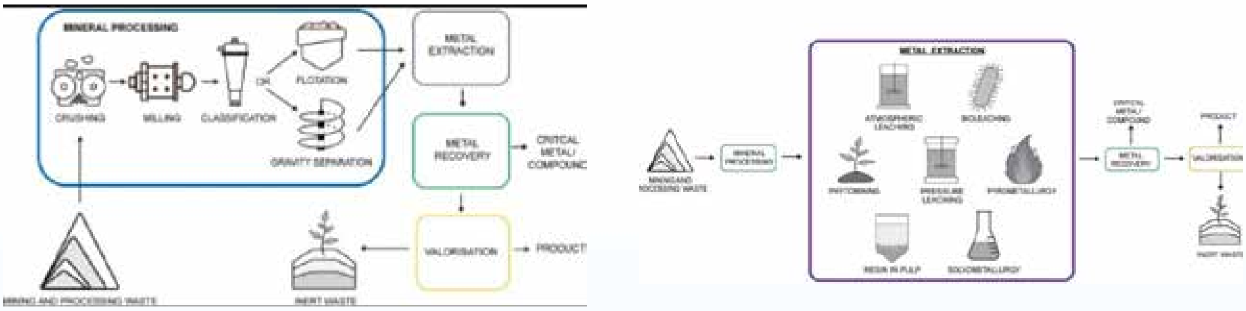

चित्र:7: खनिज प्रसंस्करण संयंत्र और विभिन्न धातुओं और खनिजों की धातु निष्कर्षण प्रक्रिया के लिए विभिन्न डाउनस्ट्रीम प्रक्रिया का स्व-व्याख्यात्मक ब्लॉक आरेख।

चित्र:7:: खनिज प्रसंस्करण संयंत्र का चित्र

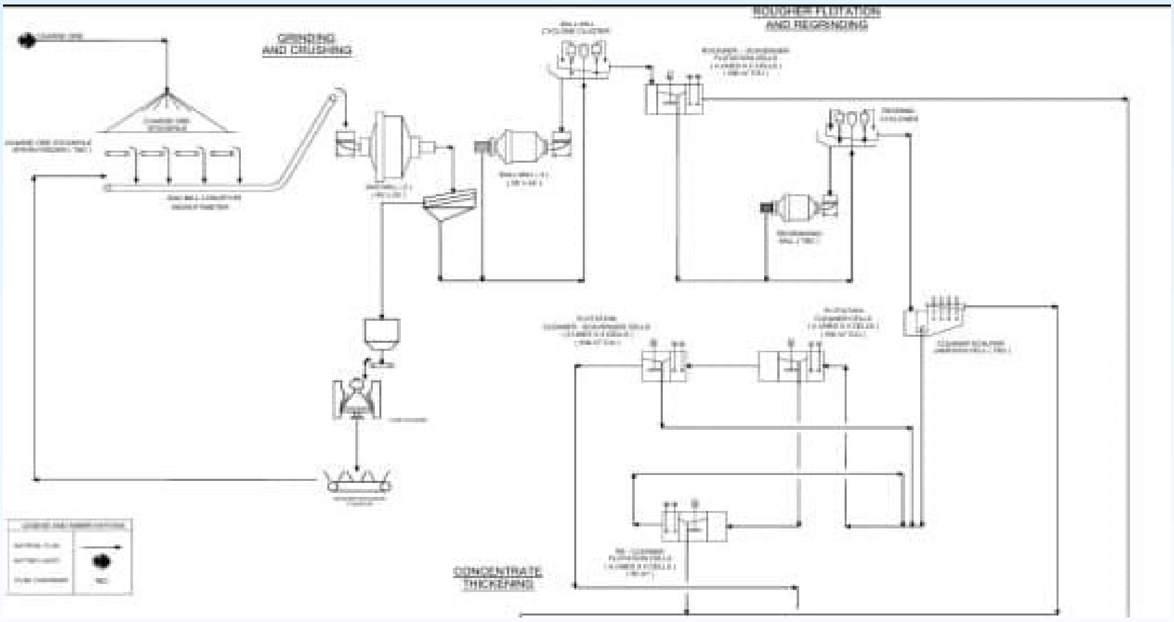

चित्र:9: खनिज प्रसंस्करण संयंत्र की प्रक्रिया प्रवाह आरेख।

5. खनिज प्रसंस्करण संयंत्र की दक्षता में सुधार

खनिज प्रसंस्करण संयंत्र की दक्षता में सुधार के लिए कुछ प्रमुख पहलुओं पर ध्यान देना आवश्यक है:

उन्नत उपकरणों और तकनीकों का उपयोग: High-Pressure Grinding Rolls और Semi-Autogenous Grinding जैसी नई तकनीकों का उपयोग करके ऊर्जा की बचत और उत्पादन क्षमता को बढ़ाया जा सकता है।

संयंत्र संचालन का स्वचालन: संयंत्र के प्रमुख मापदंडों की ऑनलाइन निगरानी और नियंत्रण से संसाधनों का अधिकतम उपयोग संभव है। डिजिटल ट्विन तकनीक के माध्यम से पूरे संयंत्र की स्थितियों का सटीक आकलन किया जा सकता है, जिससे किसी भी प्रकार की समस्या का त्वरित समाधान किया जा सके।

जल और ऊर्जा प्रबंधन: खनिज प्रसंस्करण में बड़ी मात्रा में पानी और ऊर्जा का उपयोग होता है। इसलिए, जल प्रबंधन के लिए डिजिटल ट्विन और AI का उपयोग करके जल और ऊर्जा की खपत को कम किया जा सकता है। संयंत्र के संचालन को स्वचालित कर ऊर्जा की खपत को भी नियंत्रित किया जा सकता है।

खनिज प्रसंस्करण अयस्कों से धातु निष्कर्षण की एक प्रमुख प्रक्रिया है। भारतीय खनन उद्योग में ऊर्जा और पानी की अत्यधिक खपत होती है, जो पर्यावरणीय स्थिरता के लिए एक चुनौती बन गई है। नए अनुसंधान दर्शाते हैं कि निम्न-श्रेणी के खनिजों से धातु निष्कर्षण के लिए कुशल प्रक्रियाओं को अपनाने से अपशिष्ट कम हो सकता है और उत्पादन में वृद्धि हो सकती है।

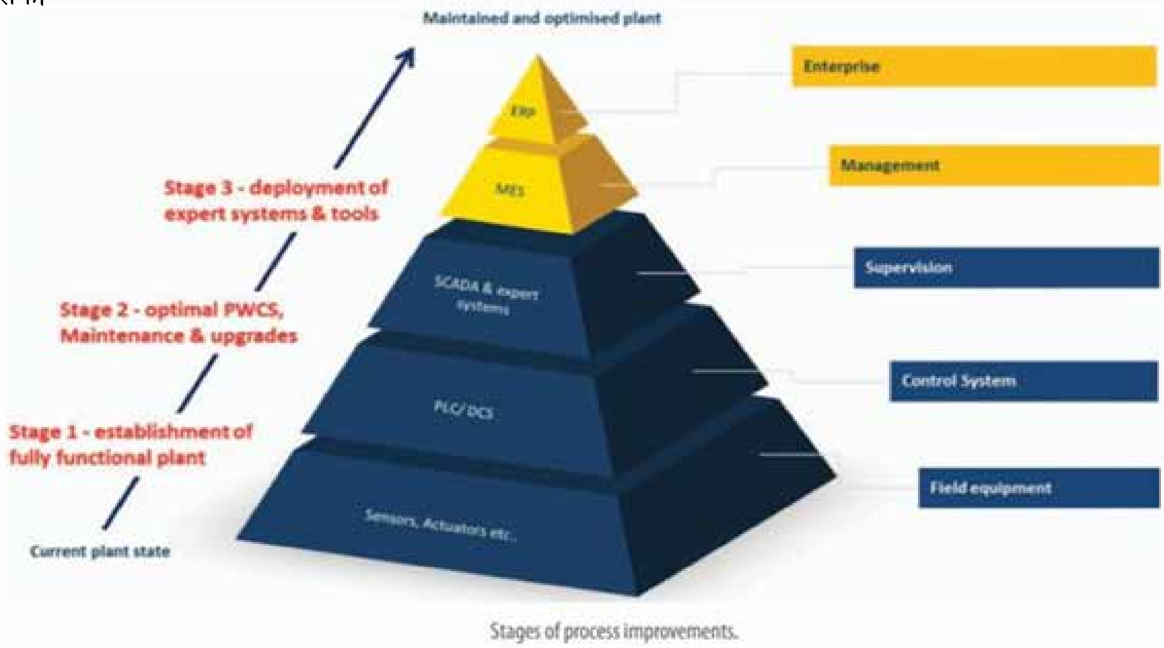

चित्र:7: चरणबद्ध सुधारों के माध्यम से संयंत्र के प्रदर्शन को अनुकूलित करना

6. उन्नत प्रौद्योगिकियों का उपयोग: डिजिटल ट्विन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस

आज के समय में उन्नत तकनीकों जैसे डिजिटल ट्विन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का उपयोग खनिज प्रसंस्करण संयंत्रों की दक्षता को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। ये प्रौद्योगिकियां संयंत्र संचालन को स्वचालित और अधिक कुशल बना रही हैं, जिससे उत्पादन लागत में कमी और संसाधनों का बेहतर उपयोग हो रहा है।

उदाहरण: भारत में बॉक्साइट संसाधनों से गैलियम निष्कर्षण पर नाल्को द्वारा तकनीकी विकास कार्य चल रहे हैं, जो अपशिष्ट को घटाने और पुन:प्रयोग को प्रोत्साहित करने के लिए महत्वपूर्ण है।

डिजिटल ट्विन एक वर्चुअल मॉडल होता है जो वास्तविक संयंत्र के संचालन की एक डिजिटल प्रतिलिपि है। यह तकनीक वास्तविक समय में संयंत्र की जानकारी जैसे तापमान, दबाव, और संचालन की अन्य गतिविधियों को ट्रैक करती है। डिजिटल ट्विन के माध्यम से, संयंत्र के प्रदर्शन का आकलन किया जा सकता है और किसी भी समस्या का तुरंत समाधान किया जा सकता है।

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) तकनीक का उपयोग खनिज प्रसंस्करण में स्वचालित निर्णय लेने और प्रक्रियाओं के अनुकूलन में किया जाता है। AI डेटा एनालिटिक्स के माध्यम से संयंत्र के प्रदर्शन में सुधार करता है, जिससे भविष्य में संभावित गड़बड़ियों का अनुमान लगाया जा सकता है और संयंत्र के संचालन को अधिक सटीक तरीके से नियंत्रित किया जा सकता है।

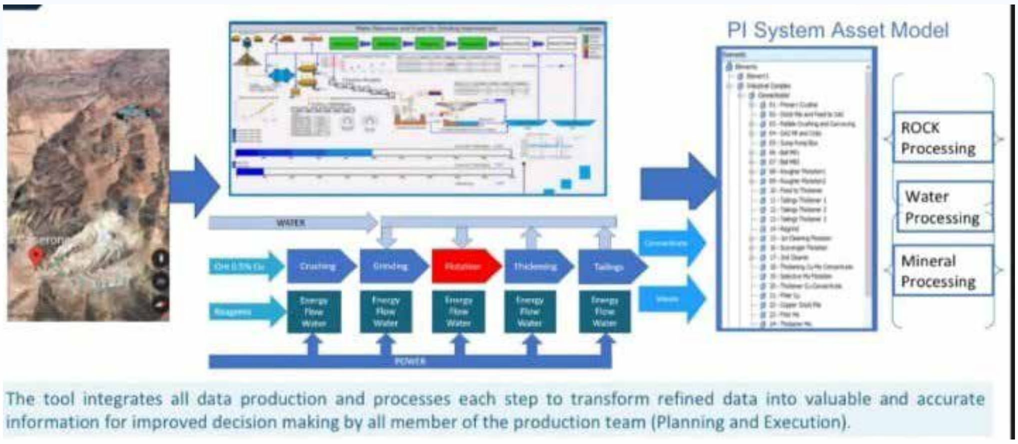

***चित्र:** 11:डिजिटल ट्विन तकनीक का उपयोग करके खनिज प्रसंस्करण संयंत्र की समस्याओं की निगरानी, नियंत्रण और समाधान कैसे करें, यह प्रदर्शित करने के लिए स्व-व्याख्यात्मक आरेख।*

7. भविष्य की दिशा:

भविष्य में खनिज प्रसंस्करण संयंत्रों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल ट्विन जैसी प्रौद्योगिकियों का उपयोग बढ़ता जाएगा। इन तकनीकों के उपयोग से न केवल उत्पादन में सुधार होगा, बल्कि परिचालन लागत को भी नियंत्रित किया जा सकेगा। AI आधारित स्वचालित प्रक्रियाओं के माध्यम से, संयंत्र के संचालन को तेजी से और कुशलता से प्रबंधित किया जा सकेगा, जिससे मानव त्रुटियों की संभावना कम होगी। खनिज प्रसंस्करण की प्रक्रिया में बड़ी मात्रा में ऊर्जा और पानी की खपत होती है। इसलिए, पर्यावरणीय स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए संयंत्रों में पानी की पुन: उपयोग तकनीक और ऊर्जा-कुशल प्रक्रियाओं का विकास आवश्यक है। इसके लिए डिजिटल ट्विन तकनीक की सहायता से संयंत्र संचालन के हर पहलू का विश्लेषण और सुधार किया जा सकता है। संयंत्र के संचालन को स्वचालित कर संसाधनों की खपत को कम किया जा सकता है। AI तकनीक का उपयोग केवल संयंत्र संचालन के अनुकूलन तक सीमित नहीं है, बल्कि यह भविष्य में उत्पादन क्षमता को बेहतर बनाने, परिचालन जोखिमों को कम करने और आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन को अधिक कुशल बनाने में भी मदद करेगा। उन्नत प्रौद्योगिकियों के साथ, भारत न केवल अपनी खनिज जरूरतों को पूरा कर सकेगा, बल्कि आयात पर निर्भरता भी कम करेगा, जिससे आत्मनिर्भर भारत का सपना साकार हो सकेगा।

कई भारतीय खनन कंपनियों ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI को भविष्यवाणी रख - रखाव, सुरक्षा प्रोटोकॉल में सुधार और परिचालन दक्षता बढ़ाने के लिए अपनाना शुरू कर दिया है। वेदांता और हिंदुस्तान जिंक जैसी कंपनियों ने खनिजों के निष्कर्षण और प्रसंस्करण को अनुकूलित करने के लिए वास्तविक समय में डेटा विश्लेषण के लिए AI सिस्टम लागू किए हैं।वैश्विक प्रवृत्तियों के अनुरूप, भारत निकेल, कोबाल्ट और लिथियम जैसे महत्वपूर्ण खनिजों के रणनीतिक भंडार स्थापित कर रहा है, ताकि आयात पर निर्भरता कम हो और आपूर्ति श्रृंखला की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। खान मंत्रालय ने इन महत्वपूर्ण संसाधनों के लिए विदेशी खानों के गवेषण और अधिग्रहण के लिए $1 बिलियन आवंटित किए हैं।साल 2024 तक, खनन क्षेत्र भारत के सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 2.5% का योगदान देता है। हालांकि, चल रहे सुधारों और तकनीकी उन्नयन के साथ, सरकार का लक्ष्य 2030 तक इस हिस्से को 5% तक बढ़ाना है, विशेष रूप से उन्नत खनिज गवेषण और स्थायी खनन प्रथाओं के माध्यम से।

8. संदर्भ

Fuerstenau, D.W. 2001. Processing challenges facing the mineral industry. In Proceedings of

VI Southern Hemisphere Symposium on Mineral Technology, Rio de Janeiro, May 2001.

Fuerstenau, D.W. 2005. The Froth Flotation Century. Littleton, CO: SME. p. 19.

Goldratt, E.M. 2014. The Goal: A Process of Ongoing Improvement, 30th anniversary ed.

Great Barrington, MA: North River Press.

Hemming, C.E., and Boyes, J.M. 1977. An on-line viscometer technique for improved operations and controls of wet grinding circuits. In IMPC XXII, Sao Pablo.

Herbst, J.A., and Bascur, O.A. 1984. Mineral processing control: Realities and dreams. In

Control '84: Mineral Metallurgical Processing. Edited by J.A. Herbst, D.B. George,

and K.V.S. Sastry. Littleton, CO: SME. pp. 197–215.

Herbst, J.A., and Pate, W. 1999. Developments in fotation control: One part evolution, two

parts revolution. In Advances in Flotation Technology. Edited by B.K. Parekh and J.D.

Miller. Littleton, CO: SME. pp. 399–412.

518 The Engineering Science of Mineral Processing

Herbst, J.A., and Pate, W.T. 1998. Dynamic simulation of size reduction operations from

mine to mill. Australasian Institute of Mining and Metallurgy Publication Series

43(4):243–248.

Karageorgos, J., Davies, S., Broers, E., and Goh, J. 2009. Current trends in countercurrent

decantation and thickener circuit operability and control. Presented at the 10th AusIMM

Mill Operators' Conference, Adelaide.

Knoster, T., Villa, R., and Thousand, L. 2000. A framework for thinking about systems change.

In Restructuring for Caring Effective Education. Edited by R. Villa and J. Thousand.

Baltimore, MD: Paul H. Brookes. pp. 93–128.

Kynch, G.J. 1952. A theory of sedimentation. Transactions of the Faraday Society 48:166–182.

Lynch, A.J. 1977. Mineral crushing and grinding circuits, their simulation, optimization,

design and control. In Developments on Mineral Processing, vol. 1. New York: Elsevier

Scientifc.

Mular, A. 2003. Size separation. In Principles of Mineral Processing. Edited by M.C.

Fuerstenau and K.H. Han. Littleton, CO: SME. pp. 119–172.

Mular, A., and Jull, N.A. 1980. The selection of cyclone classifers, pumps and pump boxes

for grinding circuits. In Mineral Process Plant Design, 2nd ed. New York: AIME.

pp. 376–403.

Napier-Munn, T.J., Morrell, S., Morrison, R.D., and Kojovic, T. 1996. Mineral Comminution

Circuits: Their Operation and Optimization. Queensland, Australia: Julius Kruttschnitt

Mineral Research Centre, University of Queensland.

Paredes, R., and Riquelme, C. 2013. Endesa CMD: Aplicaciones Centro Monitoreo y

Diagnostico. PI System Seminar, Santiago.

भारत में महत्वपूर्ण खनिजों का रणनीतिक भंडारण: आवश्यकता, नीति और आगे की राह

निपम जोशी
सहायक खनिज अर्थशास्त्री (आसूचना)
भारतीय खान ब्यूरो, नागपुर

भारत इस समय आर्थिक और तकनीकी विकास के एक महत्वपूर्ण मोड़ पर खड़ा है। जैसे-जैसे देश में विद्युत वाहनों, नवीकरणीय ऊर्जा प्रणालियों, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों और रक्षा क्षेत्र की मांग बढ़ रही है, वैसे-वैसे लिथियम, कोबाल्ट, निकेल, रेयर अर्थ एलिमेंट्स, ग्रेफाइट और टाइटेनियम जैसे महत्वपूर्ण खनिजों की आवश्यकता भी अत्यंत महत्वपूर्ण होती जा रही है। वर्तमान में भारत इन खनिजों के आयात पर अत्यधिक निर्भर है, ऐसे में अब समय आ गया है कि देश एक नई रणनीति अपनाए — महत्वपूर्ण खनिजों का राष्ट्रीय भंडारण।

रणनीतिक भंडारण क्यों आवश्यक है

रणनीतिक खनिज भंडारण किसी भी आपात स्थिति, जैसे अंतरराष्ट्रीय व्यापार में बाधा, आपूर्ति में रुकावट या भू-राजनीतिक तनाव के समय देश के लिए सुरक्षा कवच का कार्य करता है। जिस प्रकार तेल भंडारण से ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित की जाती है, उसी प्रकार अब खनिजों को भी उतना ही महत्वपूर्ण माना जाना चाहिए। वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाएं पहले की तुलना में अधिक अस्थिर हो गई हैं और कुछ देशों के नियंत्रण में हैं। ऐसे में खनिज भंडारण न केवल देश की आपूर्ति सुरक्षा सुनिश्चित करता है, बल्कि आपदा प्रबंधन और नीति-निर्माण में भी सहायक होता है।

वैश्विक उदाहरण और सीख

अमेरिका, चीन और जापान जैसे देश लंबे समय से दुर्लभ खनिजों और अन्य आवश्यक तत्वों का रणनीतिक भंडारण कर रहे हैं। अमेरिका अपने रक्षा लॉजिस्टिक्स एजेंसी के माध्यम से राष्ट्रीय रणनीतिक खनिज भंडार संचालित करता है। चीन, जो विश्व में रेयर अर्थ एलिमेंट्स की आपूर्ति पर नियंत्रण रखता है, राज्य, वाणिज्यिक और कॉर्पोरेट स्तर पर बहुस्तरीय भंडारण करता है। जापान ने 2010 में चीन के साथ खनिज विवाद के बाद अपनी रणनीति को सुदृढ़ किया और जापान धातु और ऊर्जा सुरक्षा संगठन नामक संस्था के माध्यम से खनिज भंडारण को औपचारिक रूप दिया।

भारत की बढ़ती खनिज आवश्यकता

भारत में 2030 तक महत्वपूर्ण खनिजों की मांग में तीव्र वृद्धि की संभावना है। 'विकसित भारत 2047' की परिकल्पना के अनुसार, ऊर्जा भंडारण प्रणाली, बैटरियाँ, सौर उपकरण, अर्धचालक और उच्च क्षमता वाले चुम्बकों के लिए बड़े पैमाने पर इन खनिजों की आवश्यकता होगी। वर्तमान में भारत 85 प्रतिशत से अधिक रेयर अर्थ एलिमेंट्स और 90 प्रतिशत से अधिक लिथियम का आयात करता है, मुख्यतः चीन, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अमेरिका से। यह स्थिति देश की रणनीतिक आत्मनिर्भरता के लिए चुनौती बनती जा रही है।

वर्तमान प्रयास और आगे की संभावनाएं

भारत सरकार ने नेशनल मिनरल एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट, खनिज बिदेश इंडिया लिमिटेड और मिनरल सेक्टर रिफॉर्म्स जैसे महत्वपूर्ण कदमों के माध्यम से रणनीतिक खनिजों की खोज और आपूर्ति श्रृंखला को सुदृढ़ करने की दिशा में ठोस प्रयास किए हैं। अब आवश्यकता इस बात की है कि इन पहलों के साथ-साथ एक समग्र और सुव्यवस्थित रणनीतिक भंडारण प्रणाली की दिशा में भी आगे बढ़ा जाए। इसके लिए एक केंद्रीय समन्वय तंत्र की स्थापना, सुरक्षित भंडारण के लिए अधोसंरचना का विकास, मंत्रालयों के बीच अधिक समन्वय तथा खनिजों की प्राथमिकता तय करने हेतु एक पारदर्शी रूपरेखा विकसित की जा सकती है। यह नीतिगत दिशा भारत को खनिज आत्मनिर्भरता की ओर और अधिक सशक्त रूप से आगे बढ़ने में सहायक होगी।

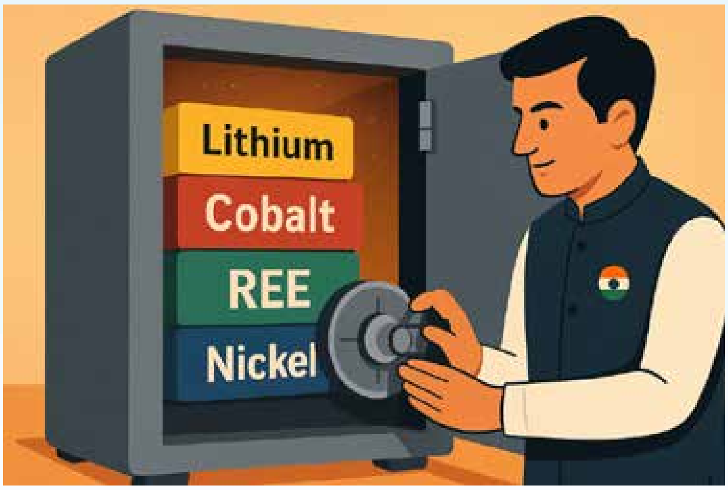

भारत के लिए नेतृत्व का अवसर

यह भारत के लिए एक अवसर है कि वह रणनीतिक खनिज भंडारण का एक सुदृढ़ और दूरदर्शी मॉडल विकसित करे। इस दिशा में समन्वित नीति, योजना और क्रियान्वयन से भारत वैश्विक खनिज सुरक्षा में अग्रणी भूमिका निभा सकता है।

भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण और भारतीय खान ब्यूरो खनिज अन्वेषण और भंडारण के आंकलन में सहायता कर सकते हैं। भारत की वैश्विक साझेदारियों, जैसे भारत-ऑस्ट्रेलिया महत्वपूर्ण खनिज निवेश साझेदारी, भारत-अमेरिका व्यापार समझौता और ट्रस्ट पहल और 'मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप' के माध्यम से भारत विदेशों में दीर्घकालिक आपूर्ति अनुबंधों और साझा भंडारण की दिशा में कदम उठा सकता है।

पर्यावरणीय और आर्थिक पहलु

रणनीतिक खनिज भंडारण का क्रियान्वयन पर्यावरण सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए किया जाना चाहिए। खनन, परिवहन और भंडारण की सभी प्रक्रियाएं पर्यावरणीय मानकों और सुरक्षा दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए होनी चाहिए। भारत को कोयला राख, अनुपयोगी बैटरियाँ और बेकार हो चुके इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों जैसे वैकल्पिक स्रोतों के उपयोग की नई संभावनाएं भी तलाशनी चाहिए, ताकि प्राकृतिक संसाधनों पर अत्यधिक दबाव न पड़े।

आर्थिक रूप से, खनिज भंडारण से कीमतों में उतार-चढ़ाव का प्रभाव कम किया जा सकता है और यह अंतर्राष्ट्रीय समझौतों में भारत की स्थिति को मजबूत करता है। यह घरेलू उद्योगों को भी संकट की स्थिति में आवश्यक खनिज उपलब्ध कराने में सहायक हो सकता है।

आगे की राह

भारत में ज़रूरी खनिजों के बेहतर प्रबंधन की दिशा में लगातार काम हो रहा है। अलग-अलग मंत्रालयों और संस्थाओं के बीच समन्वय बढ़ाने और भविष्य की ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए योजनाएं बनाई जा रही हैं। अगर एक ऐसा ढांचा तैयार हो जो इन कामों को मिलाकर आगे बढ़ाए, तो खनिजों की उपलब्धता और उनका रख-रखाव और भी बेहतर तरीके से किया जा सकता है।

इस तरह की पहलें देश की खनिज नीति को ज़मीनी स्तर पर और मजबूत बना सकती हैं। आज ग्रीन एनर्जी, डिजिटल विकास और औद्योगिक विकास जैसे क्षेत्रों में इन खनिजों की अहम भूमिका है। इनकी सही समय पर उपलब्धता भारत की प्रगति और आत्मनिर्भरता से सीधे जुड़ी है। भारत अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी खनिजों की आपूर्ति को स्थिर बनाए रखने के लिए अपने सहयोग और संकल्प को लगातार आगे बढ़ा रहा है।

भारत के नए खनन सुधार- खनिज क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत की ओर एक सुदृढ़ कदम

मीनाक्षी कुमावत
कनिष्ठ सांख्यिकी अधिकारी
भारतीय खान ब्यूरो, अजमेर

खनिज सीमित और गैर-नवीकरणीय होने के कारण मूल्यवान प्राकृतिक संसाधन हैं। वे कई बुनियादी उद्योगों के लिए महत्वपूर्ण कच्चे माल का निर्माण करते हैं और विकास के लिए एक प्रमुख संसाधन हैं। भारत में खनिज निष्कर्षण का इतिहास हड़प्पा सभ्यता के दिनों से शुरू होता है, लेकिन इसका व्यवस्थित विकास ब्रिटिश शासन के दौरान शुरू हुआ।1774 में, ईस्ट इंडिया कंपनी ने दामोदर नदी के पश्चिमी तट पर रानीगंज कोयला क्षेत्र में वाणिज्यिक कोयला खनन शुरू किया। 19वीं सदी में, वाष्पचालित रेलगाड़ी के आने से कोयला खनन को बढ़ावा मिलाऔर उत्पादन में वृद्धि हुई। प्रचुर मात्रा में समृद्ध भंडार के रूप में खनिजों की व्यापक उपलब्धता ने इसे भारत में खनन क्षेत्र के विकास और वृद्धि के लिए बहुत अनुकूल बना दिया। आजादी के बाद से, मात्रा और मूल्य दोनों के संदर्भ में खनिज उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। भारत 95 खनिजों का उत्पादन करता है, जिसमें ईंधन, धातु, गैर-धातु, परमाणु और लघु खनिज (भवन और अन्य सामग्री सहित) शामिल हैं।

> "सुदृढ़ खनन और खनिज क्षेत्र के बिना आत्मनिर्भरता संभव नहीं है क्योंकि ये दोनों हमारी अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण स्तंभ"
>
> –श्री नरेन्द्र मोदी, भारत के माननीय प्रधानमंत्री

भारतीय संसद ने खनन क्षेत्र को विनियमित करने के लिए 28.12.1957 को खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम लागू किया, जो भारत में खनन विनियमन और विकास का मूल ढांचा बनाता है। केंद्र सरकार ने देश में खनिज उत्पादन को बढ़ावा देने और देश को खनिज क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए समय-समय पर कई नीतिगत सुधार किए हैं। इस संबंध में खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) (एमएमडीआर) अधिनियम, 1957 में कई बार संशोधन किया गया है। सरकार द्वारा 1993 में राष्ट्रीय खनिज नीति भी लागू की गई, जिससे खनन क्षेत्र के उदारीकरण का मार्ग प्रशस्त हुआ और खनिज उद्योग में निजी एवं विदेशी भागीदारी को प्रोत्साहन मिला तथा अन्वेषण एवं खनन में अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी की शुरुआत हुई। अन्वेषण एवं खनन में निजी क्षेत्र के निवेश को प्रोत्साहित करने तथा खनन क्षेत्रों में स्थानीय आबादी के हितों की रक्षा के लिए सतत विकास ढांचे के भीतर रियायतें देने और वैज्ञानिक खनन को बढ़ावा देने में समान अवसर एवं पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार एवं राज्य सरकारों की भूमिका में बदलाव लाने के लिए राष्ट्रीय खनिज नीति, 1993 को 13 मार्च 2008 को नई राष्ट्रीय खनिज नीति से प्रतिस्थापित किया गया।

खनिज क्षेत्र में कई व्यापक सुधार लाने के उद्देश्य से एम.एम.डी.आर. अधिनियम, 1957 में 2015 में व्यापक रूप से संशोधन किया गया था, विशेष रूप से, खनिज रियायतों के अनुदान के लिए नीलामी की विधि को अनिवार्य करना जिससे खनिज संसाधनों के आवंटन में विवेकाधिकार को खत्म करके पारदर्शिता लाना, प्रशासन संबंधी कार्यों में देरी को समाप्त करना, ताकि देश के खनिज संसाधनों का शीघ्र और इष्टतम विकास हो सके। खनन से प्रभावित लोगों और क्षेत्रों के कल्याण के लिए जिला खनिज फाउंडेशन (डीएमएफ) की स्थापना और खनिज अन्वेषण पर जोर देने और अवैध खनन के लिए कठोर दंड सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण ट्रस्ट (एनएमईटी) की स्थापना की गई।

विशिष्ट आकस्मिक मुद्दों को संबोधित करने के लिए उक्त अधिनियम में वर्ष 2016 और 2020 में मामूली संशोधन किया गया। खनिज क्षेत्र की क्षमता का पूरी तरह व्यवस्थित विकासके साथ दोहन करनेके उद्देश्य के साथ कोयले सहित खनन क्षेत्र में रोजगार और निवेश बढ़ाने, राज्यों को राजस्व बढ़ाने के लिए पुनः एम.एम.डी.आर.संशोधन अधिनियम, 2021 लाया गया। इस संशोधन से सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन था-कैप्टिव और मर्चेंट खदानों के बीच के अंतर को समाप्त करना है, जो खनिज खनन अधिकारों की भविष्य की नीलामी के लिए अंतिम उपयोग के प्रतिबंधों को हटाने और मौजूदा कैप्टिव खदानों के संचालकों को एक वर्ष में निकाले गए खनिजों

का 50% तक बेचने की अनुमति देने का प्रस्ताव करता है, एम.एम.डी.आर.संशोधन अधिनियम, 2015 में आरक्षित गैर-नीलामी रियायत धारकों (जिन पर खनन पट्टों में हस्ताक्षर नहीं हुए हैं) के अधिकारों की समाप्ती की। यह सुनिश्चित किया जा सके कि निजी क्षेत्र को रियायतें केवल नीलामी आदि के माध्यम से ही दी जाएं।एम.एम.डी.आर.संशोधन अधिनियम, 2021 ने खनिज रियायतों के हस्तांतरण पर प्रतिबंध को हटा दिया एवं हस्तांतरित वैधानिक मंजूरी नये पट्टेदार की संपूर्ण पट्टा अवधि के दौरान वैध रहेगी। खनन पट्टे की समाप्ति या समाप्ति/समाप्ति के बाद भी वैधानिक मंजूरी वैध होगी और पट्टेदार के परिवर्तन के बाद खनन कार्यों में निरंतरता बनाए रखने के लिए नीलामी में सफल बोली लगाने वाले को दो वर्ष के लिए हस्तांतरित की जाएगी।सरकारी कंपनियों को दिए जाने वाले खनन पट्टों की अवधि केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित की जाएगी और विधेयक में निर्धारित अतिरिक्त राशि का भुगतान करने पर इसे बढ़ाया जासकेगा।

एम.एम.डी.आर. अधिनियम को हाल ही में एमएमडीआर संशोधन अधिनियम, 2023 के माध्यम से पुनः संशोधित किया गया है, जो 17.08.2023 से प्रभावी हुआ। इसमें लिथियम युक्त खनिजों सहित छह खनिजों को अधिनियम की प्रथम अनुसूची के भाग-बी में निर्दिष्ट परमाणु खनिजों की सूची से हटा दिया गया है और उक्त अधिनियम की प्रथम अनुसूची के नए भाग-डी में सूची-बद्ध 24 दुर्लभ खनिजों को शामिल किया गया है, जिसमें कोबाल्ट, ग्रेफाइट, लिथियम, निकल, टैंटालम, टाइटेनियम आदि जैसे खनिज शामिल हैं और इन खनिजों की नीलामी करने की शक्ति केंद्र सरकार के पास निहित है। केंद्र सरकार द्वारा दुर्लभ खनिजों की नीलामी के अलावा, दुर्लभ और गहरे खनिजों की खोज को और बढ़ावा देने के लिए, 29 दुर्लभ और गहरे खनिजों जैसे सोना, चांदी, तांबा, जस्ता, सीसा, निकल, कोबाल्ट, प्लैटिनम समूह के खनिज, हीरे आदि के लिए अन्वेषण लाइसेंस (EL) नामक एक नई खनिज रियायत शुरू की गई है, जो ऐसे खनिजों के लिए टोही और पूर्वेक्षण कार्यों को करने के लिए एमएमडीआर अधिनियम की 7वीं अनुसूची में उल्लिखित हैं। यह कदम दुर्लभ और गहरे खनिजों के लिए खनिज अन्वेषण के सभी क्षेत्रों में निजी क्षेत्र की भागीदारी को सुविधाजनक, प्रोत्साहित और प्रोत्साहित करेगा।

केंद्र सरकार ने 29.11.2023 को दुर्लभ और रणनीतिक खनिजों के समग्र लाइसेंस/खनन पट्टे के लिए 20 खनिज ब्लॉकों की ई-नीलामी की पहली किस्त शुरू की थी, जिसमें लिथियम, दुर्लभ पृथ्वी तत्व, प्लेटिनम समूह के खनिज, निकल, पोटाश आदि के ब्लॉक शामिल हैं। मई 2025 तक नीलामी के लिए रखे गए 55 दुर्लभ खनिज ब्लॉकों में से कुल 34 ब्लॉकों की 5 चरणों में सफलतापूर्वक नीलामी की जा चुकी है।इन ब्लॉकों की नीलामी का उद्देश्य सामान्य अन्वेषण (जी2 स्तर) में तेजी लाना, खदानों का संचालन शुरू करना और इन खनिजों की स्थिर आपूर्ति बनाना है, जिससे आयात पर हमारी निर्भरता कम होगी और अधिक सुरक्षित और लचीली आपूर्ति श्रृंखला सुनिश्चित होगी। इन खनिजों के अंतरिक्ष, इलेक्ट्रॉनिक्स, संचार, ऊर्जा, इलेक्ट्रिक बैटरी जैसे क्षेत्रों में विभिन्न अनुप्रयोग हैं और ये भारत की शुद्ध-शून्य उत्सर्जन प्रतिबद्धता में महत्वपूर्ण हैं। कोबाल्ट, लिथियम, निकल, सोना, चांदी, तांबा जैसे महत्वपूर्ण और गहरे खनिजों की खोज और खनन सतही या थोक खनिजों की तुलना में मुश्किल है। देश इन खनिजों के लिए ज्यादातर आयात पर निर्भर है। नीलामी के माध्यम से प्रदान किया गया अन्वेषण लाइसेंस लाइसेंसधारी को अधिनियम की नई सम्मिलित सातवीं अनुसूची में उल्लिखित दुर्लभ और गहरे खनिजों के लिए टोही (reconnaissance) और पूर्वेक्षण कार्य करने की अनुमति देगा।

उक्त संशोधन का उद्देश्य दुर्लभ खनिजों की खोज और खनन को बढ़ाने के साथ दुर्लभ खनिजों की आपूर्ति में आत्मनिर्भरता सुनिश्चित करना है, जो उच्च तकनीक वाले इलेक्ट्रॉनिक्स, दूरसंचार, परिवहन और रक्षा सहित कई क्षेत्रों की उन्नति के लिए आवश्यक हैं। ये खनिज कम उत्सर्जन वाली अर्थव्यवस्था और नवीकरणीय प्रौद्योगिकियों में परिवर्तन को शक्ति प्रदान करने के लिए भी महत्वपूर्ण हैं, जो 2070 तक भारत की "शुद्ध-शून्य उत्सर्जन-नेट जीरो एमिशन"प्रतिबद्धता को पूरा करने के लिए आवश्यक होंगे।

दुर्लभ खनिज ब्लॉकों की नियमित नीलामी देश में महत्वपूर्ण खनिजों में आत्मनिर्भरता बनाने की दिशा में खान मंत्रालय द्वारा अपनाई गई रणनीति का एक महत्वपूर्ण तत्व है।इन दुर्लभ और रणनीतिक खनिजों की नीलामी से कई प्रमुख लाभ होंगे, जिनमें घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देना, आयात निर्भरता को कम करना, स्थायी संसाधन प्रबंधन को बढ़ावा देना, खनन क्षेत्र में निवेश आकर्षित करना और भारत की औद्योगिक और तकनीकी उन्नति के लिए महत्वपूर्ण प्रमुख उद्योगों का विकास शामिल है। यह इन खनिजों की एक विश्वसनीय आपूर्ति श्रृंखला बनाने और **"आत्मनिर्भरभारत-The self-reliant India"** बनाने और आर्थिक विकास में वृद्धि में योगदान करने की दिशा में एक कदम है।

अंतरिक्ष खनन
भविष्य में खनन क्षेत्र की एक ऊंची उड़ान

विनय कुमार सक्सेना
वरिष्ठ पुस्तकालय एवं सूचना सहायक
भारतीय खान ब्यूरो, नागपुर

पृथ्वी पर खनिज संपदा सीमित संसाधनों के अंतर्गत आती है, इसीलिए इसका विवेकपूर्ण दोहन एवं उपयोग करने पर सदैव बल दिया जाता है, किन्तु वर्तमान में विभिन्न प्रौद्योगिकियों में खनिज अपने धात्वीय स्वरूप में प्रचुरता से उपयोग में लाए जा रहे हैं तथा उनकी मांग दिन-प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। खनिजों की बढ़ती मांग को दृष्टिगत रखते हुए वैज्ञानिकों ने खनिज संपदा के खनन के लिए अन्य विकल्पों पर विचार करना प्रारंभ कर दिया है और इसी विचार के चलते खनिज संपदा की असीमित संभावनाओं के रूप में अंतरिक्ष खनन आज चर्चा में है।

अंतरिक्ष खनन क्या है?

अंतरिक्ष खनन, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि अंतरिक्ष में खनिजों और अन्य संसाधनों की खोज और निष्कर्षण की प्रक्रिया है, जिसके अंतर्गत चन्द्रमा, क्षुद्र ग्रहों या अन्य खगोलीय पिण्डों से कीमती धातुएं, पानी और अन्य खनिज संसाधन निकालने की संभावित गतिविधियां शामिल हैं। इसे बाह्य अंतरिक्ष खनन भी कहा जाता है।

अंतरिक्ष खनन की अवधारणा

अंतरिक्ष खनन अभी अपने प्रारंभिक चरण में है, लेकिन इसमें पृथ्वी पर खनिज संसाधनों की कमी को पूर्ण करने और अंतरिक्ष में अन्वेषण के लिए व्यापक संभावनाएं हैं। अंतरिक्ष खनन की अवधारणा के अंतर्गत अंतरिक्ष में मौजूद खनिजों, धातुओं और अन्य मूल्यवान सामग्रियों के विशाल भण्डार का उपयोग करना शामिल है ताकि भविष्य में मानव जाति अपनी खनिजों की आवश्यकताओं को पूर्ण कर सके तथा साथ ही भविष्य के अंतरिक्ष उद्योगों, अंतरिक्ष अन्वेषणों एवं अंतरिक्ष उपनिवेशीकरण के प्रयासों को सफलतापूर्वक प्राप्त कर सके। अंतरिक्ष खनन प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से विभिन्न उद्योगों में क्रांति लाने और नए आर्थिक अवसरों के द्वार खोलने की परम संभावना प्रदान करता है।

अंतरिक्ष खनन: एक ऐतिहासिक दृष्टि

अंतरिक्ष खनन का विषय आधुनिक विज्ञान कथाओं का दशकों से प्रिय विषय रहा है, लेकिन वास्तविक धरातल पर इसकी आहट प्रथम बार उन्नीसवीं सदी के अंत में सुनाई देती है, जब रूसी वैज्ञानिक कोंस्टेंटिन त्सियोलकोवस्की ने अंतरिक्ष अन्वेषण द्वारा नए खनिज संसाधनों को प्राप्त करने और इस क्षेत्र में अपनी क्षमताओं का विस्तार करने का विचार प्रस्तावित किया था। वर्ष 1967 में संयुक्त राष्ट्र संघ के तहत बाहरी अंतरिक्ष संधि की नींव रखी गई, यह संधि एक बहुपक्षीय समझौता है, जो अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष कानून की तरह काम करता है, जो अंतरिक्ष को मानवता के लिए एक साझा संसाधन के रूप में महत्व देती है। 1970 के दशक में नासा ने अंतरिक्ष संसाधनों के खनन की व्यवहार्यता का अध्ययन शुरू किया। 1990 के दशक में निजी कंपनियों ने क्षुद्र ग्रहों से मूल्यवान धातुओं को निकालने के लिए रोबोटिक अंतरिक्ष यान का उपयोग करने की संभावना का पता लगाना शुरू किया और वर्ष 1997 में पहली वाणिज्यिक कंपनी 'प्लेनेटरी रिसोर्सेस' की स्थापना क्षुद्र ग्रह खनन प्रौद्योगिकी विकसित करने के लक्ष्य के साथ की गई थी इस कंपनी ने वर्ष 2012 में क्षुद्र ग्रह खनन की विस्तारित योजना की घोषणा की। वर्ष 2016 में अंतरिक्ष खनन को बढ़ावा देने के लिए स्पेस रिसोर्सेस कार्यक्रम लक्ज़मबर्ग में प्रारंभ किया गया। वर्ष 2020 अंतरिक्ष खनन के लिए एक मील का पत्थर साबित हुआ जब अमेरिकी विदेश विभाग और नासा द्वारा सात अन्य संस्थापक सदस्यों – ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इटली, जापान, लक्ज़मबर्ग, संयुक्त अरब अमीरात और यूनाइटेड किंगडम ने मिलकर गैर-बाध्यकारी आर्टेमिस समझौते की स्थापना की, जिसका उद्देश्य शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए बाह्य अंतरिक्ष, चन्द्रमा, मंगल, क्षुद्र ग्रह और धूमकेतुओं के अन्वेषण और उपयोग को नियंत्रित करने के लिए सामान्य सिद्धांत निर्धारित करना था। वर्तमान में आर्टेमिस समझौते में 55 देश शामिल हैं। भारत ने आर्टेमिस समझौते पर

21 जून 2023 को हस्ताक्षर किए, और वह इस समझौते में शामिल होने वाला विश्व का 27वां देश है।

अंतरिक्ष खनन के लाभ

अंतरिक्ष खनन के कई संभावित लाभ हैं, जो इस प्रकार हैं:-

- पृथ्वी पर खनिज संसाधनों की कमी को पूरा किया जा सकता है।
- अंतरिक्ष खनन से नई प्रौद्योगिकियों और उद्योगों के विकास में गति आएगी।
- भविष्य में अंतरिक्ष में मानव बस्ती और अन्वेषण के लिए मार्ग प्रशस्त होगा।
- अंतरिक्ष खनन से नए उद्योगों और व्यवसायों का विकास होने से नए रोजगार की संभावनाएं बनेंगी।
- दुर्लभ पृथ्वी तत्व जैसे: प्लेटिनम, इरीडियम, ऑस्मियम और पैलेडियम आदि, क्षुद्र ग्रह पर प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, जो सभी उद्योगों के लिए अति महत्वपूर्ण हैं, इनकी आपूर्ति सुचारू रूप से बढ़ाई जा सकती है।
- अंतरिक्ष खनन की प्रक्रिया से अंतरिक्ष यान के प्रक्षेपणों की दक्षता खगोलीय पिंडों के द्वारा प्राप्त ईंधन से बढ़ा कर अंतरिक्ष अन्वेषण में गति लायी जा सकती है।
- अंतरिक्ष खनन से खगोलीय पिण्डों के बारे में हमारी जानकारी में वृद्धि होगी तथा पृथ्वी से बाहर नये तत्व खोजने में सहायता मिलेगी।
- धात्विक क्षुद्र ग्रह से प्रचुर मात्रा में धातु प्राप्त की जा सकती है। उदाहरण के लिए धात्विक क्षुद्र ग्रह साइकी (लगभग 200 कि.मी.चौड़ा) में लगभग पचास प्रतिशत धातु है, जो कि हमारे वार्षिक वैश्विक लोह और निकल उत्पादन के लाखों वर्षों के बराबर है।

अंतरिक्ष खनन में प्रमुख सक्रिय कंपनियां

अंतरिक्ष खनन खनिज संसाधन प्रबंधन में स्थिरता और उसके देखने के तरीके में एक आदर्श बदलाव का प्रतिनिधित्व करता है। खगोलीय पिण्डों की अप्रयुक्त संपदा की खोज करके खनिज संसाधनों की कमी को हल करने और पृथ्वी पर उद्योगों में क्रांति लाने के लिए कई प्रमुख कंपनियां सक्रिय रूप से अग्रसर हैं। इन कंपनियों को अंतरिक्ष खनन के अग्रदूतों की संज्ञा दी जा सकती है। इनमें प्रमुख हैं:

1. **एस्टेरॉइड माइनिंग कॉर्पोरेशन:-** यह कंपनी अंतरिक्ष संसाधनों तक पहुंचने के लिए आवश्यक प्रमुख तकनीकों को विकसित करके अंतरिक्ष खनन क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए समर्पित है।
2. **स्पेस पॉवर:-** यह कंपनी अपने यूनीवर्सल इन-ऑर्बिट पॉवरग्रिड के माध्यम से अंतरिक्ष में संचालन के लिए ऊर्जा संसाधनों में क्रांतिकारी बदलाव लाने का कार्य कर रही है।
3. **यूरोपीय स्पेस एजेंसी:-** यह एक बहुराष्ट्रीय संगठन है जो अंतरिक्ष अन्वेषण, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विकास के लिए समर्पित है।
4. **एस्ट्रोफोर्ज:-** यह अंतरिक्ष खनन कंपनी क्षुद्र ग्रह से मूल्यवान खनिजों, विशेष रूप से प्लेटिनम समूह धातुओं को ढूँढने पर कार्य कर रही है।
5. **ओरिजिन स्पेस**:- यह अंतरिक्ष कंपनी अंतरिक्ष संसाधनों के उपयोग के लिए प्रौद्योगिकी को विकसित करने के लिए समर्पित है। इसका कार्य क्षुद्र ग्रह खनन, खगोलीय अवलोकन और अंतरिक्ष मलबे को हटाने पर केन्द्रित है।

इसके अतिरिक्त ट्रांसएस्ट्रा, मेराकी स्पेस सिस्टम, वर्जिन गैलेक्टिक, मून एक्सप्रेस एवं फ्लाईपिक्स एआई भी सक्रिय रूप से कार्यरत हैं।

अंतरिक्ष खनन: चुनौतियां

अंतरिक्ष खनन अभी एक उभरता हुआ क्षेत्र है, जिसमें असीम संभावनाओं के साथ कई चुनौतियां भी हैं, जो इस प्रकार हैं:

1. **तकनीकी चुनौतियां:** अंतरिक्ष खनन में अयस्क के निष्कर्षण और प्रसंस्करण के लिए विशेष उपकरण एवं तकनीक की आवश्यकता होगी, जो शून्य गुरुत्वाकर्षण में अयस्क को परिष्कृत कर पृथ्वी या अन्य स्थान पर पहुंचाने के लिए सहायक हो।

2. **आर्थिक चुनौतियां:** अंतरिक्ष खनन एक अत्यधिक पूंजी प्रधान उद्योग है और प्रारंभिक निवेश की भरपाई में ही वर्षों या दशकों का समय लग सकता है। अंतरिक्ष खनिज संसाधनों का बाजार अनिश्चित है और यह भी स्पष्ट नहीं है कि भविष्य में उनकी कितनी मांग होगी।

3. **नियामक चुनौतियां:** अंतरिक्ष खनिज संसाधनों के स्वामित्व और उपयोग के लिए अंतरराष्ट्रीय कानूनी ढांचे का अभी अभाव है, जिसके कारण संभावित निवेशकों और संचालकों के लिए अनिश्चितता और अस्पष्टता की स्थिति पैदा हो रही है, जो अंतरिक्ष खनन उद्योग के विकास को सीमित कर सकती है।

4. **पर्यावरणीय चुनौतियां:** अंतरिक्ष खनन के संभावित पर्यावरणीय प्रभावों पर विचार किया जाना अभी शेष है। अंतरिक्ष में खनन गतिविधियों से उत्पन्न मलबा अंतरिक्ष पर्यावरणीय खतरे को बढ़ा सकता है, जो अंतरिक्ष यान और अंतरिक्ष स्टेशनों के लिए बड़ा खतरा बन सकते हैं।

5. **सामाजिक और नैतिक चुनौतियां:** अंतरिक्ष सभी का साझा है। अंतरिक्ष खनन से नैतिक प्रश्न उठते हैं कि अंतरिक्ष में खनिज संसाधनों का दोहन करने का अधिकार किसको है तथा अंतरिक्ष खनन के लाभों को विभिन्न देशों और समुदायों के बीच किस प्रकार वितरित किया जाएगा।

निष्कर्ष

पृथ्वी पर खनिज संपदा की सीमितता को ध्यान में रखते हुए आने वाली पीढ़ी के लिए अंतरिक्ष खनन का महत्व अत्यंत बढ़ जाता है। अंतरिक्ष खनन से संबंधित कंपनियां इस ओर नवीन प्रौद्योगिकी एवं तकनीकों के साथ संभावनाएं तलाश रही हैं। अभी कई चुनौतियों के साथ अंतरिक्ष खनन वास्तविकता के धरातल पर आने के लिए आतुर है। वर्तमान में खनन की बेहतर तकनीकों के आगमन, अंतरिक्ष यात्रा की घटती लागत और इस क्षेत्र में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के वातावरण में स्थितियां बहुत तेजी से बदल रही हैं फलस्वरूप भविष्य में खगोलीय पिंडों पर खनन प्रक्रिया एक दुरूह कार्य नहीं रहेगा। सदियों पूर्व पृथ्वी पर भी खनन कार्य एक जटिल प्रक्रिया के रूप में देखा जाता था, किन्तु आज वह खनन की उत्कृष्ट तकनीक के साथ एक सहज प्रक्रिया बन गया है। आज आवश्यकता है कि अंतरिक्ष खनन एव अन्वेषण से संबंधित सभी एजेंसियां एकजुट होकर इस ओर सकारात्मक प्रयास करें और आने वाली पीढ़ी के लिए अंतरिक्ष खनन के क्षेत्र में संतोषजनक विकास को सुनिश्चित करें।

मानव सभ्यता के उज्ज्वल भविष्य के लिए आइए अंतरिक्ष खनन की ऊंची उड़ान का इन पंक्तियों के साथ स्वागत करें —

"खनन की अभी वास्तविक उड़ान शेष है,
खनन के अभी जाने कितने इम्तिहान शेष हैं
अभी तो खनन किया है हमने सिर्फ धरती पर
खनन के लिए अभी तो सारा आसमान शेष है।"

कोबाल्ट खनन:
तकनीक का त्याग या शोषण?

आशुतोष
आशुलिपिक
टी.एम.पी. प्रभाग, नागपुर

प्रस्तावना :

आज हम स्मार्टफ़ोन, विद्युत चालित वाहन (इलेक्ट्रिक वाहन) और अत्याधुनिक यंत्रों की दुनिया में जी रहे हैं। इन सभी के पीछे जो 'अनदेखा खनिज' है वह है कोबाल्ट कोबाल्ट, विशेष रूप से अफ्रीका के कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य (डी.आर.सी.) में खनन किया जाता है, जहां से विश्व का लगभग 70 प्रतिशत कोबाल्ट प्राप्त होता है। लेकिन यह कोबाल्ट किसी सुनहरे भविष्य की कहानी नहीं कहता बल्कि यह बाल श्रम, शोषण और पर्यावरणीय विनाश की दुखद गाथा है। क्या हम तकनीक की दौड़ में मानवता को पीछे छोड़ रहे हैं?

कोबाल्ट का महत्व :

कोबाल्ट का उपयोग आधुनिक जीवन में अनिवार्य हो गया है। नीचे दी गई तालिका से इसका स्पष्ट चित्र मिलता है:-

कोबाल्ट का उपयोग	प्रयोग क्षेत्र
लिथियम-आयन बैटरियाँ	स्मार्टफ़ोन, लैपटॉप, विद्युत वाहन
उच्च-गुणवत्ता मिश्र धातु	विमान इंजन, रक्षा उपकरण
रासायनिक उत्प्रेरक	पेट्रोलियम शोध प्रक्रिया

"कोबाल्ट भविष्य का तेल है, लेकिन इसकी कीमत इंसान चुका रहा है।"

विद्युत वाहनों में बैटरियों को टिकाऊ और सुरक्षित बनाने के लिए कोबाल्ट का उपयोग अत्यंत आवश्यक है। बिना कोबाल्ट के हम "हरित ऊर्जा" (ग्रीन एनर्जी) का सपना अधूरा मान सकते हैं। अफ्रीका में कोबाल्ट खनन की भयावह हकीकत आज की तेज़ी से बढ़ती तकनीकी दुनिया स्मार्टफोन, लैपटॉप, और इलेक्ट्रिक वाहनों की चमक जिस धातु पर टिकी है, उसका नाम है कोबाल्ट। लेकिन इस चमकती धातु की असलियत उतनी ही अंधेरी, क्रूर और मानवता को झकझोरने वाली है। इस कोबाल्ट का सबसे बड़ा स्रोत है कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य (डी. आर.सी.), अफ्रीका का वह इलाका जो प्राकृतिक संसाधनों से तो भरपूर है, लेकिन जहां के लोग आज भी शोषण, गरीबी और अमानवीय स्थितियों में जीने को मजबूर हैं।

छोटे पैमाने का अवैध और असंगठित खनन आज कांगो में कोबाल्ट उत्पादन की रीढ़ बन चुका है। पर इस रीढ़ पर टिका हुआ है बदहाली, बाल श्रम और मौत का बोझ यह केवल कोबाल्ट की कहानी नहीं यह उस चुप्पी की कहानी है जो वैश्विक टेक्नोलॉजी की तेज़ रफ्तार के नीचे दब गई है।

यदि आप चाहें, तो इसी शैली में पूरा लेख या निबंध तैयार किया जा सकता है एक ऐसी रचना जो जानकारीपूर्ण होने के साथ-साथ भावनात्मक भी हो।

क्या है 'आर्टिसनल माइनिंग'?

वह प्रक्रिया जहाँ खनन होता है, लेकिन मानवाधिकार खो जाते हैं। आर्टिसनल माइनिंग एक ऐसा शब्द है जो सुनने में भले ही साधारण लगे, लेकिन इसकी ज़मीन पर हकीकत बेहद कठोर और क्रूर होती है।

- छोटे पैमाने पर खनन, जिसे स्थानीय समुदाय या व्यक्तिगत श्रमिक बिना किसी औपचारिक प्रशिक्षण या आधुनिक मशीनरी के करते हैं।
- ये खदानें अक्सर गैरकानूनी, बिना अनुमति और सरकारी निगरानी से बाहर होती हैं।
- कोई सुरक्षा मानक नहीं: श्रमिक बिना हेलमेट, दस्ताने या मास्क के विषैली धूल और गैसों के बीच काम करते हैं।
- अनियमित ढांचे: सुरंगें हाथ से खोदी जाती हैं, जिनके ढहने का खतरा हर वक्त बना रहता है।
- श्रमिकों का शोषण: उन्हें बेहद कम मजदूरी पर लंबे समय तक काम कराया जाता है, बिना किसी सुविधा या बीमा के।

यह खनन नहीं, बल्कि ज़िंदगी को रोज़ दांव पर लगाने की मजबूरी है। आर्टिसनल माइनिंग कांगो में कोबाल्ट उत्पादन का एक बड़ा हिस्सा बन चुका है लेकिन इसमें काम करने वाले लाखों लोगों के पास न तो कोई अधिकार है, न पहचान, और न ही सुरक्षा। बिलकुल, इस अनुभाग को और ज़्यादा प्रभावशाली, भावनात्मक और स्पष्ट तरीके से लिखा जा सकता है ताकि यह न सिर्फ जानकारी दे, बल्कि पाठक को भीतर तक झकझोर दे:

श्रमिक या शिकार?

कांगो की कोबाल्ट खदानों में काम करने वाले लाखों श्रमिक मजदूर कम, शिकार ज़्यादा लगते हैं। ये वे लोग हैं जो भूख, लाचारी और मजबूरी के चलते ऐसी जगहों पर काम करने को मजबूर हैं, जहाँ हर सांस ज़िंदगी से एक क़दम और दूर ले जाती है।

- न हेलमेट, न दस्ताने, न जूते, न मास्क। ज़हरीली धूल, रसायन और गैसों के बीच उनका शरीर ही उनकी एकमात्र 'ढाल' है जो धीरे-धीरे टूटता रहता है।
- सूर्य उगने से पहले खदान में उतरना और सूर्य डूबने तक बिना रुके, बिना सुरक्षा, विषैले वातावरण में काम करते रहना यह रोज़मर्रा की 'नरक जैसी' दिनचर्या है।
- खदानें किसी भी वक्त ढह सकती हैं। और जब वे ढहती हैं, तो कई ज़िंदगियाँ उसमें दब जाती हैं, लेकिन कोई आँकड़ा नहीं बनता, कोई रिपोर्ट नहीं छपती। मौत भी यहाँ गुमनाम होती है। यह इंसान की मेहनत नहीं उसकी ज़िंदगी की कीमत पर खींचा जा रहा मुनाफ़ा है।

इन श्रमिकों की स्थिति एक ऐसे यंत्र की तरह है जो चलता तो है, लेकिन उसकी मरम्मत, देखभाल या सम्मान की किसी को परवाह नहीं। और जब वो टूट जाता है तो चुपचाप बदल दिया जाता है।

"इन खदानों में कोई हेलमेट नहीं, सिर्फ भूख होती है।"

यह कथन केवल एक वाक्य नहीं, बल्कि हज़ारों खनिकों की दर्दभरी ज़िंदगी का सच है। भूख, गरीबी और लाचारी इन मजदूरों को ज़हर जैसी खदानों में धकेल देती है जहां जीवन की कोई कीमत नहीं।

संयुक्त राष्ट्र और एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्टों का खुलासा

इन अंतरराष्ट्रीय संगठनों ने अपनी रिपोर्टों में इस क्रूर व्यवस्था की पोल खोल दी है।

- बाल श्रमिकों तक को खदानों में उतारा जाता है।
- अस्थायी सुरंगें बिना किसी मज़बूत ढांचे के बनाई जाती हैं जो कभी भी ढह सकती हैं।
- दुर्घटनाओं के आंकड़े दर्ज नहीं किए जाते, क्योंकि ये श्रमिक सरकार के रडार पर ही नहीं होते।फिर... यही कोबाल्ट बनता है टेक्नोलॉजी का आधार जिस मोबाइल से हम दुनिया से जुड़े हैं, उसमें लगे कोबाल्ट के पीछे किसी ने अपनी ज़िंदगी दांव पर लगाई होती है ये सवाल उठाना ज़रूरी है।

"क्या आधुनिकता की कीमत किसी की ज़िंदगी होनी चाहिए?"

बाल श्रम और मानवाधिकारों का क्रूर हनन:

कोबाल्ट की चमक के नीचे दबा मासूम बचपन कोबाल्ट खनन की त्रासदी का सबसे काला और पीड़ादायक पहलू है बाल श्रम। ये केवल एक सामाजिक अपराध नहीं, बल्कि एक पीढ़ी का सुनियोजित विनाश है। कांगो की खदानों में आज भी हज़ारों बच्चे, जिनकी उम्र मात्र 6 से 16 वर्ष के बीच है, हर दिन ज़िंदगी और ज़हर के बीच झूलते हैं।

"मैंने स्कूल कभी नहीं देखा, सिर्फ कोबाल्ट की खदान देखी है।"

-जोसेफ, 13 वर्षीय बाल श्रमिक, कांगो

यह बयान किसी फिल्म की पटकथा नहीं, बल्कि उस कटु सच्चाई का आईना है जो इन बच्चों की हड्डियों में समा चुकी है।

इन बच्चों की दुनिया कैसी होती है?

न किताबें, न खेल सिर्फ पत्थर और फावड़ा ,नर्म हाथों से खुदवायी जाती हैं खदानें, जिनमें कोई सुरक्षा नहीं होती हर सांस के साथ फेफड़ों में भरती है विषैली धूल भविष्य छीन लिया जाता है, ताकि वर्तमान में भूख से लड़ा जा सके। शिक्षा का अधिकार? नहीं सिर्फ श्रम का बोझ, ये बच्चे स्कूलों की बजाय खदानों की अंधेरी सुरंगों में उतरते हैं। उनका बचपन, जो रंगों और सपनों से भरा होना चाहिए, कोबाल्ट की कालिख में खो जाता है।

वो न हँसते हैं, न खेलते हैं बस ज़मीन खोदते हैं। एक खामोश चीख, जो पूरी दुनिया को सुननी चाहिए जब हम तकनीक की नई ऊंचाइयों पर गर्व करते हैं, तब हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि उस तरक्की की नींव में शायद किसी बच्चे के सपनों की लाश दबी हो। क्या हमें ऐसी तरक्की मंज़ूर है, जो बचपन की कब्र पर खड़ी हो?

तकनीक की चमक बनाम इंसान की पीड़ा

जब हम एक नया मोबाइल खरीदते हैं, तो शायद ही हम सोचते हैं कि उसकी बैटरी के पीछे किसी बच्चे की हथेली है। "हमारे हाथों में चमकता फ़ोन, किसी के आंसुओं से निकला है।"

टेस्ला, एप्पल और अन्य वैश्विक तकनीकी कंपनियां कोबाल्ट का उपयोग करती हैं, परंतु उनके आपूर्ति तंत्र (सप्लाई चेन) में कितना शोषण छिपा है, यह अक्सर ज्ञात नहीं होता।

यहां एक बड़ा सवाल खड़ा होता है: क्या हम 'स्मार्ट' तकनीक के नाम पर इंसानियत को कुचल रहे हैं?

कई बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने अपने कोबाल्ट आपूर्ति तंत्र को "नैतिक" बताने का दावा किया है, लेकिन ज़मीनी सच्चाई अलग है।

कंपनियों द्वारा किए गए प्रयास :-

- एप्पल ने वर्ष 2020 में कहा कि वे "नैतिक स्रोत" से कोबाल्ट प्राप्त करते हैं।
- टेस्ला ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता (ए.आई.) के माध्यम से खनिजों की निगरानी प्रारंभ की है।
- "फेयर कोबाल्ट एलायंस" जैसे संगठन बनाए गए हैं।

फिर भी कांगो के ज़मीनी हालात में बहुत कम बदलाव आया है।

कारण :-

- स्थानीय प्रशासन में भ्रष्टाचार।
- श्रमिकों की आवाज़ को अनसुना करना।
- वैश्विक बाज़ार में सस्ते कोबाल्ट की ज़बरदस्त माँग।

संभावित समाधान और उनका प्रभाव:

पुनर्चक्रण (रीसायक्लिंग) पुराने मोबाइल, लैपटॉप, बैटरियों और अन्य इलेक्ट्रॉनिक कचरे से कोबाल्ट को दोबारा निकाला जाए इससे नई खदानों की ज़रूरत कम होगी और बच्चों की ज़िंदगियाँ बच सकेंगी। वैकल्पिक तकनीक बैटरियों में कोबाल्ट का विकल्प खोजने पर विश्वभर में शोध हो रहा है। कोबाल्ट-मुक्त या न्यून-कोबाल्ट तकनीक को बढ़ावा देना एक स्थायी हल हो सकता है। सख़्त अंतरराष्ट्रीय कानून वैश्विक स्तर पर ऐसे क़ानून बनाए जाएं जो खनन श्रमिकों की सुरक्षा, पारदर्शिता और श्रम शोषण पर रोक सुनिश्चित करें। कंपनियों को अपने आपूर्ति श्रृंखला (supply chain) की पूरी जवाबदेही लेनी होगी।

उपभोक्ता की जागरूकता जब उपभोक्ता "नैतिक उत्पाद" (Ethical Products) की माँग करेंगे यानी ऐसे उपकरण जो शोषण-मुक्त हों तो कंपनियाँ मजबूरन पारदर्शिता और सुधार की दिशा में कदम उठाएँगी। हमारी भूमिका सबसे अहम है,हम सब केवल ग्राहक नहीं हैं बदलाव के वाहक भी हैं। जब हम यह पूछना शुरू करेंगे कि "क्या यह उत्पाद नैतिक रूप से निर्मित है?" तब कंपनियों को जवाब देना पड़ेगा।

छोटे-छोटे कदम, जैसे पुराने उपकरणों को रीसायक्ल करना या जिम्मेदार ब्रांड को चुनना एक बड़े बदलाव की शुरुआत बन सकते हैं। तकनीक का भविष्य उज्जवल तभी होगा, जब वह मानवता की नींव पर टिका हो न कि शोषण, बाल श्रम और अंधेरे खदानों पर। अब समय है निर्णय लेने का कि हम केवल उपभोक्ता बने रहेंगे, या जागरूक नागरिक बनकर बदलाव की लहर खड़ी करेंगे।

निष्कर्ष :

सिर्फ एक खनिज नहीं, बल्कि इंसानियत की परीक्षा कोबाल्ट की कहानी सिर्फ एक धातु की नहीं है यह उन हज़ारों चेहरों की कहानी है जो धूल, अंधेरे और भूख के बीच दब गए। यह उस वैश्विक व्यवस्था का प्रतिबिंब है, जो तकनीकी विकास के पीछे दौड़ते हुए मानवता को पीछे छोड़ चुकी है।

"यदि हमें सचमुच 'स्मार्ट' बनना है, तो हमें पहले 'संवेदनशील' बनना होगा।"

यह लेख केवल कोबाल्ट खनन की सच्चाई उजागर करने के लिए नहीं है बल्कि यह एक जागृति है, एक प्रश्न है, और एक आह्वान है।

इसका उद्देश्य है यह याद दिलाना कि तकनीकी प्रगति अनिवार्य है, लेकिन उसके साथ हमारी नैतिक ज़िम्मेदारी और सामाजिक चेतना भी उतनी ही अनिवार्य है। हर बार जब हम कोई नया स्मार्टफोन खरीदें, इलेक्ट्रिक वाहन चलाएँ या लैपटॉप ऑन करें उस पल एक छोटा-सा सवाल ज़रूर पूछें: "क्या इस चमकती तकनीक के पीछे किसी का बचपन अंधेरे में तो नहीं खो गया?"

दुर्लभ मृदा धातुएँ:
आधुनिक विश्व के महत्वपूर्ण संसाधन

अक्षय गुप्ता
लेखाकार
वेतन एवं लेखा कार्यालय, नागपुर

दुर्लभ मृदा धातुएँ (जिन्हें दुर्लभ मृदा तत्व या REE (rare earth elements) भी कहा जाता है) रासायनिक रूप से समान 17 तत्वों का एक समूह है जो कई उच्च तकनीक और हरित प्रौद्योगिकियों के निर्माण में महत्वपूर्ण हैं। अपने नाम के विपरीत, वे पृथ्वी की सतह में अपेक्षाकृत प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं, लेकिन ये शायद ही कभी केंद्रित और आर्थिक रूप से दोहन योग्य रूपों में पायी जाती हैं, जो उन्हें व्यावहारिक अर्थों में "दुर्लभ" बनाती है।

इन 17 दुर्लभ मृदा तत्वों को आमतौर पर दो समूहों में विभाजित किया जाता है:-

हल्के दुर्लभ मृदा तत्व (LREEs):

लैंथेनम (lanthanum)(La), सेरियम (cerium)(Ce), प्रेजोडियम (praseodymium)(Pr), नियोडिमियम (neodymium)(Nd), प्रोमेथियम (promethium) (Pm) (रेडियोधर्मी और बहुत दुर्लभ), समैरियम (samarium) (Sm), यूरोपियम (europium) (Eu)

भारी दुर्लभ मृदा तत्व (HREEs):

गैडोलिनियम(gadolinium)(Gd),टेरबियम(terbium) (Tb), डिस्प्रोसियम (dysprosium)(Dy), होल्मियम(holmium)(Ho), एर्बियम (erbium)(Er), थुलियम (thulium)(Tm), यटरबियम(ytterbium)(Yb), ल्यूटेटियम (lutetium)(Lu) इनमे दो अन्य तत्व स्कैंडियम (scandium)(Sc) तथा यट्रियम(yttrium)(Y) भी अक्सर शामिल किए जाते हैं हालाँकि ये लैंथेनाइड श्रृंखला का हिस्सा नहीं हैं, लेकिन ये समान गुण के होते हैं और अक्सर एक ही अयस्क में पाए जाते हैं।

मुख्य उपयोग:

दुर्लभ मृदा तत्व निम्न कार्यों के लिए अत्यंत आवश्यक हैं:

इलेक्ट्रॉनिक्स: स्मार्टफोन, कंप्यूटर और टीवी, एलईडी लाइट और डिस्प्ले के लिए।

चुंबक: इलेक्ट्रिक मोटर और पवन टर्बाइन में उपयोग किए जाने वाले मजबूत स्थायी चुंबक (NdFeB)।

बैटरी: विशेष रूप से हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए।

उत्प्रेरक: पेट्रोलियम रिफाइनिंग और ऑटोमोटिव उत्प्रेरक कन्वर्टर्स में।

रक्षा: लेजर, रडार और अन्य सैन्य तकनीक।

दुर्लभ मृदा धातुएँ (आरईएम) भारत के लिए रणनीतिक और आर्थिक महत्व रखती हैं, खासकर तब जब देश औद्योगिक विकास, स्वच्छ ऊर्जा लक्ष्यों और राष्ट्रीय सुरक्षा वृद्धि का लक्ष्य रखता है। भारतीय अर्थव्यवस्था में उनके महत्व का विवरण निम्न प्रकार है

1. उच्च तकनीक विनिर्माण जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स, अर्धचालक और नवीकरणीय ऊर्जा प्रणाली बनाने के लिए दुर्लभ मृदा धातुएँ महत्वपूर्ण हैं। जैसा कि भारत "मेक इन इंडिया" और "आत्मनिर्भर भारत" (आत्मनिर्भरता) को आगे बढ़ा रहा है, उच्च तकनीक घटकों पर आयात निर्भरता को कम करने के लिए REM संसाधनों को विकसित करना बहुत महत्वपूर्ण है।
2. **औद्योगिक अनुप्रयोग:** भारतीय उद्योग में मोटर, ग्लास पॉलिशिंग, धातु विज्ञान और उत्प्रेरक में उपयोग किया जाता है। इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी), पवन टर्बाइन, सौर पैनल और ऊर्जा भंडारण प्रणालियों के घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने हेतु आवश्यक है
3. **ऊर्जा संक्रमण और हरित विकास** जैसे इलेक्ट्रिक वाहन और नवीकरणीय ऊर्जा, ईवी और पवन टर्बाइनों में उपयोग किए जाने वाले उच्च-प्रदर्शन वाले स्थायी चुम्बकों के लिए नियोडिमियम और डिस्प्रोसियम आवश्यक हैं।
4. **तेल आयात व्यय को कम करना:** दुर्लभ मृदा धातुएँ -सक्षम हरित तकनीक जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता को कम करने में मदद करती है, जिससे ₹12-14 लाख करोड़ तेल

आयात व्यय मे कमी आ सकती है।

5. **राष्ट्रीय सुरक्षा और रक्षा:** लेजर, रडार, जेट इंजन, मिसाइल सिस्टम और उपग्रहों में उपयोग किया जाता है। भारत की रणनीतिक स्वायत्तता और रक्षा तैयारियों के लिए सुरक्षित, स्थानीय REM आपूर्ति सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है।
6. **रोजगार और औद्योगिक विकास:** REM के खनन, शोधन और डाउनस्ट्रीम प्रसंस्करण से हजारों नौकरियां पैदा हो सकती हैं, खासकर आंध्र प्रदेश, ओडिशा, केरल और तमिलनाडु जैसे खनिज समृद्ध राज्यों में। REM के खनन, शोधन से मैग्नेट और उन्नत सिरेमिक जैसे विशेष विनिर्माण क्लस्टर विकसित करने में मदद मिल सकती है।
7. **वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला प्रभाव:** भारत चीन के एक विश्वसनीय विकल्प के रूप में उभर सकता है, जो वर्तमान में वैश्विक REM आपूर्ति के 60% से अधिक को नियंत्रित करता है।

भारत में उपलब्धता

भारत में लगभग 6.9 मिलियन मीट्रिक टन दुर्लभ मृदा भंडार है - जो वैश्विक ज्ञात भंडार का लगभग 5-6% है - अधिकांश भंडार आंध्र प्रदेश, ओडिशा, केरल और तमिलनाडु में मोनाजाइट-समृद्ध तटीय रेत में पाए जाते हैं बड़े भंडार के बावजूद, भारत वैश्विक REE उत्पादन में 1% से भी कम योगदान देता है। इनमे विशेष रूप से हल्के दुर्लभ मृदा तत्वों (एलआरईई) जैसे कि सेरियम, लैंटानम, नियोडिमियम और प्रेजोडियम के महत्वपूर्ण भंडार हैं, लेकिन विनियामक, तकनीकी और बुनियादी ढांचे की चुनौतियों के कारण इनका निष्कर्षण सीमित है।

दुर्लभ मृदा धातुओं की आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु उठाये गए कदम

1. 2023-24 में, भारत ने REE को महत्वपूर्ण खनिजों के रूप में वर्गीकृत किया और अन्वेषण, खनन और प्रसंस्करण को बढ़ावा देने के लिए ₹16,300 करोड़ के साथ राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन शुरू किया।
2. एक तरफ जहाँ सरकार घरेलू मैग्नेट और मिडस्ट्रीम क्षमताओं के लिए प्रोत्साहन दे रही है, वही दूसरी तरफ राज्य समर्थन और निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ावा दे रही है।
3. सरकारी IREL का विस्तार हो रहा है: वित्त वर्ष 2026 तक 450 मीट्रिक टन नियोडिमियम का लक्ष्य और 2030 तक इसे दोगुना करने का लक्ष्य, साथ ही मैग्नेट उत्पादन के लिए साझेदारी आदि।

निष्कर्षण में चुनौतियाँ

1. मोनाज़ाइट थोरियम की उपलब्धता के कारण रेडियोधर्मी है जिस कारण इसे परमाणु ऊर्जा विभाग (DAE) द्वारा विनियमित किया जाता है।
2. केवल सरकारी स्वामित्व वाली इंडियन रेयर अर्थ्स लिमिटेड (IREL) को मोनाज़ाइट का खनन और प्रसंस्करण करने की अनुमति है। IREL डाउनस्ट्रीम REE उत्पादों के बजाय इल्मेनाइट और ज़िरकोन जैसे खनिजों पर अधिक ध्यान केंद्रित करती है
3. चीन की तुलना में कम शोधन और पृथक्करण क्षमता।
4. भारी दुर्लभ मृदाएँ भारत में प्राकृतिक रूप से कम उपलब्ध हैं अतः इनके आयात या भागीदारी की आवश्यकता है।

तात्कालिक भू-राजनीतिक महत्व:

अप्रैल-जून 2025 में चीन द्वारा REE/मैग्नेट पर निर्यात प्रतिबंध लगाने से वैश्विक आपूर्ति बाधित हुई, जिसके कारण भारत को जापान को REE निर्यात रोकना पड़ा तथा EV और रक्षा उद्योगों के लिए घरेलू भंडार को समेकित करना पड़ा। चीन दुर्लभ मृदा आपूर्ति श्रृंखला पर हावी है, जो वैश्विक उत्पादन का 60% से अधिक उत्पादन करता है तथा दुर्लभ मृदा शोधन और प्रसंस्करण क्षमता के 85-90% से अधिक को नियंत्रित करता है। चीन दुनिया के अधिकांश दुर्लभ मृदा स्थायी चुम्बकों (एनडीएफईबी) की आपूर्ति करता है, जो ईवी, पवन टर्बाइन, इलेक्ट्रॉनिक्स और रक्षा में महत्वपूर्ण हैं। चीन के पास बेहतर शोधन अवसंरचना और रासायनिक विशेषज्ञता है। अन्य देश (जैसे यूएसए, ऑस्ट्रेलिया) दुर्लभ मृदा का खनन करते हैं लेकिन प्रसंस्करण के लिए कच्चे अयस्कों को चीन भेजते हैं, जिससे चीन की केंद्रीय भूमिका मजबूत होती है। (हाल के वर्षों में), जिसने अन्य देशों में आपूर्ति सुरक्षा के बारे में चिंताएँ बढ़ा दी हैं। यह प्रभुत्व खनन, प्रसंस्करण, शोधन और विनिर्माण तक फैला हुआ है, जो स्वच्छ ऊर्जा, रक्षा और प्रौद्योगिकी के लिए दुर्लभ मृदा तत्वों पर निर्भर देशों के लिए एक रणनीतिक चोकपॉइंट बनाता है। यह दबाव भारत की डाउनस्ट्रीम मूल्य श्रृंखला को विकसित करने की तात्कालिकता को रेखांकित करता है।

दुर्लभ मृदा धातुओं की आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु उठाये जा सकने वाले कदम

1. भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (GSI) और निजी क्षेत्र के माध्यम से अन्वेषण में तेजी लाना।
2. खनन को निजी/सार्वजनिक-निजी भागीदारी (IREL से परे) के लिए खोलना।
3. आंध्र प्रदेश, ओडिशा, तमिलनाडु, केरल में REM-समृद्ध क्षेत्रों का मानचित्रण और दोहन करना।
4. प्रसंस्करण और शोधन अवसंरचना में निवेश:
5. बड़े पैमाने पर दुर्लभ मृदा ऑक्साइड (REO) और धातु उत्पादन सुविधाएँ विकसित करना।
6. भारत वर्तमान में अपने स्थायी चुम्बकों (NdFeB,SmCo) का 100% आयात करता है। चुम्बक आयत पर निर्भरता कम करने के लिए FDI और तकनीक हस्तांतरण (जैसे,

जापान या ऑस्ट्रेलिया के साथ) के माध्यम से घरेलू चुंबक बनाने वाले उद्योग स्थापित करना।

7. REM-आधारित मूल्य श्रृंखलाएँ-मोटर, EV पार्ट्स, पवन टरबाइन घटक स्थापित करने के लिए PLI और कर प्रोत्साहन प्रदान करना, REM-आधारित उन्नत सिरेमिक, लेजर, बैटरी आदि विकसित करना।

8. दुर्लभ मृदा रसायन विज्ञान, धातु विज्ञान और इंजीनियरिंग में उत्कृष्टता के केंद्र स्थापित करना। हरित और कुशल पृथक्करण प्रौद्योगिकियों (जैसे विलायक निष्कर्षण, आयन विनिमय) में अनुसंधान निधि प्रदान करना।

निष्कर्ष:

दुर्लभ मृदा धातुएँ भारत के आर्थिक भविष्य के लिए एक महत्वपूर्ण स्तंभ हैं - स्वच्छ ऊर्जा, विनिर्माण, डिजिटल बुनियादी ढाँचे, रक्षा और वैश्विक व्यापार प्रतिस्पर्धा में इसकी महत्वाकांक्षाओं को रेखांकित करती हैं। आरईएम विकास में तेजी लाने से भारत को उच्च तकनीक, आत्मनिर्भर और टिकाऊ अर्थव्यवस्था में बदलने में प्रत्यक्ष रूप से मदद मिलेगी। भारत में अपने पर्याप्त भंडार और रणनीतिक भौगोलिक स्थिति के कारण दुर्लभ मृदा धातुओं (REM) में आत्मनिर्भर बनने की क्षमता है। हालाँकि, इस क्षमता को साकार करने के लिए खनन, प्रसंस्करण, डाउनस्ट्रीम विनिर्माण और वैश्विक सहयोग में एक बहुआयामी, दीर्घकालिक रणनीति की आवश्यकता है। भारत पर्याप्त निवेश, नीति सुधार और निजी क्षेत्र की भागीदारी के साथ वैश्विक REM मांग का 8-10% उत्पादन कर सकता है। और इसमें प्रमुख वैश्विक आपूर्तिकर्ता बनने की क्षमता है, विशेष रूप से LREEs की। हालाँकि, इस क्षमता को अनलॉक करने के लिए विनियामक, तकनीकी और निवेश बाधाओं को दूर करने और खनन से लेकर उच्च तकनीक विनिर्माण तक एक पूर्ण घरेलू मूल्य श्रृंखला बनाने की आवश्यकता है, जिसके द्वारा भारत की खनिज सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।

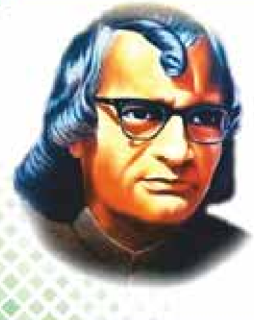

हिन्दी हमारे राष्ट्र की अभिव्यक्ति का एक बहुत सरल स्त्रोत है।

- सुमित्रानंदन पंत

खनन क्षेत्र: अर्थव्यवस्था की मजबूत नींव

कपिल पाण्डेय
आशुलिपिक
भारतीय खान ब्यूरो, नागपुर

भारत की अर्थव्यवस्था में खनन क्षेत्र का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह न केवल खनिज स्रोतों के रूप में आर्थिक विकास के लिए आधार प्रदान करता है, बल्कि ऊर्जा, इस्पात, रसायन, निर्माण, इलेक्ट्रॉनिक्स और रक्षा जैसे विविध सेक्टरों में आधारभूत कच्चा माल उपलब्ध कराकर कई उद्योगों की रीढ़ बना हुआ है। इससे रोज़गार के अवसर पैदा होते हैं, स्थानीय और राष्ट्रीय राजस्व में वृद्धि होती है तथा आत्मनिर्भरता के स्वरूप में आयात की निर्भरता कम होती है। उदाहरण के लिए, कोयला, लौह अयस्क, तांबा आदि खनिजों के उत्पादन से लाखों लोग प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए हैं, वहीं इनके निर्यात और रॉयल्टी से सरकार को बड़ी राशि मिलती है।

हालिया वर्षों में जब इलेक्ट्रिक वाहन (EV), पवन-सौर ऊर्जा एवं रक्षा-प्रौद्योगिकी की तेज़ी से वृद्धि हुई है, तब इन क्षेत्रों के लिए क्रिटिकल मिनरल्स जैसे लिथियम, कोबाल्ट, तांबा, दुर्लभ पृथ्वी तत्त्व (Rare Earth Elements) की जरूरत अहम हो गई है। ये खनिज आधुनिक तकनीकों, बैटरियों, मोटरों, माइक्रोचिप्स और उच्च गति की रेल प्रणालियों के लिए जीवनधार हैं। इनके बिना ऊर्जा संक्रमण और तकनीकी आत्मनिर्भरता संभव नहीं।

क्रिटिकल मिनरल्स की महत्ता और चुनौतियाँ

भारत वर्तमान में लिथियम और कोबाल्ट जैसे महत्वपूर्ण खनिजों का लगभग 100 प्रतिशत आयात करता है। यही हाल तांबे का भी है; तांबा की जरूरतों में 90–97% तक की बढ़ती निर्भरता चिंता का विषय है। यह आयात निर्भरता हमारी अर्थव्यवस्था और राष्ट्रीय सुरक्षा दोनों के लिए जोखिम है। इन खनिजों का वैश्विक संकट—जैसे चीन द्वारा दुर्लभ पृथ्वी तत्त्व निर्यात रोकना—भारत की आपूर्ति शृंखला को अस्थिर कर सकता है। इसलिए, भारत ने जुलाई 2023 में 24 ऐसे क्रिटिकल मिनरल्स की सूची जारी की। इनमें लिथियम, कोबाल्ट, तांबा, नियोडिमियम, टाइटेनियम, टंगस्टन और वैनाडियम जैसे खनिज शामिल हैं, जो आधुनिक उद्योगों में अहम भूमिका रखते हैं।

राष्ट्रीय क्रिटिकल मिनरल मिशन (NCMM): रणनीति और योजनाएँ

जनवरी 2025 में सरकार ने राष्ट्रीय क्रिटिकल मिनरल मिशन (NCMM) की घोषणा की। इस योजना का उद्देश्य सात वर्षों (2024–25 से 2030–31) में ₹16,300 करोड़ का निवेश और PSU व निजी उद्योगों से ₹18,000 करोड़ का अतिरिक्त निवेश जुटाना है, जिससे कुल ₹34,300 करोड़ का निवेश होगा। इस मिशन के तहत कई महत्वपूर्ण कार्य किए जाएंगे

1. **बड़ी मात्रा में एक्सप्लोरेशन:** भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण विभाग (GSI) और राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण ट्रस्ट (NMET) की मदद से भारत के स्थल और समुद्री क्षेत्रों में लगभग 1,200 एक्सप्लोरेशन प्रोजेक्ट शुरू होंगे। मौजूदा समय में पिछले तीन वर्षों में 368 प्रोजेक्ट किए जा चुके हैं और वित्तीय वर्ष 2024–25 में 195 नई परियोजनाएँ चल रही हैं।
2. **नीलामियों के ज़रिए ब्लॉक्स आवंटन:** क्रिटिकल खनिजों के लिए 100 से अधिक ब्लॉक्स नीलामी के लिए रखे जाएंगे। यह प्रक्रिया पारदर्शिता और प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देकर ब्लॉक आवंटन को समयबद्ध बनाएगी।
3. **ऑफ़शोर नीलामी और अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी:** पहली बार समुद्री ब्लॉक्स (offshore blocks) की नीलामी का प्रस्ताव रखा जा रहा है। साथ ही, भारत विदेशों में क्रिटिकल मिनरल ब्लॉक्स में हिस्सेदारी लेने की रणनीति पर काम कर रहा है—जैसे KABIL द्वारा अर्जेंटीना के लिथियम ब्लॉक्स की खरीद, SQM (ऑस्ट्रेलिया) में हिस्सेदारी के लिए ₹4,800 करोड़ निवेश की पहल, तथा NMDC द्वारा ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका एवं दक्षिण अमेरिका में ऐसे संसाधनों पर पकड़ मजबूत करने का प्रयास।
4. **प्रोसेसिंग पार्क और रिसाइक्लिंग:** मिशन के तहत चार प्रोसेसिंग पार्क स्थापित किए जाएँगे और खनिज कचरे से

पुनर्प्राप्ति को प्रोत्साहन मिलेगा। साथ ही, ₹1,500 करोड़ की सहायता राशि रिसाइक्लिंग उद्देश्यों के लिए निर्देशित की जाएगी।

5. **स्टॉकपाइल निर्माण और रणनीतिक भंडारण:** भंडारण नीति के तहत कम से कम पांच क्रिटिकल मिनरल्स का राष्ट्रीय भंडार तैयार किया जाएगा, जिसके लिए ₹500 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।

6. **आर एंड डी और विशेषज्ञता केंद्र:** इसका लक्ष्य कम से कम 1,000 पेटेंट विकसित करना, तीन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना एवं उपयोग प्रौद्योगिकी में आत्मनिर्भरता हासिल करना है।

7. **कार्पोरेट और वित्तीय प्रोत्साहन:** सरकार वित्तीय प्रोत्साहन, नियामक त्वरक प्रक्रियाएँ, कस्टम छूट और गैर-अनुपालन के लिए कठोर पेनल्टी बनाए रखने की योजना बना रही है।

नीलामी नीति: पारदर्शिता और समयबद्धता

क्रिटिकल मिनरल के ब्लॉक्स के लिए नीलामी की प्रक्रिया पारदर्शी और समयबद्ध रखने के लिए कई सुधार किए गए हैं। अब राज्य स्तर की बजाय केंद्र सरकार इसके संचालन में अग्रणी है, ताकि एकीकृत और संयोजित प्रक्रिया हो सके। नीलामी नियमों में यह भी तय है कि यदि किसी ब्लॉक पर एक्सप्लोरेशन योजना निर्धारित समय (4 महीने) के अंदर शुरू नहीं तो 5-6% मासिक पेनल्टी लगाई जाएगी। पर्यावरण मंजूरी और भूमि स्वीकृति में विलंब पर भी जुर्माना लगाने का प्रावधान है, जिससे समयबद्धता बनी रहे।

आर्थिक एवं सामाजिक प्रभाव

यह मिशन और नीतिगत सुधार कई तरह से भारत की अर्थव्यवस्था को लाभ पहुँचाते हैं:

- **स्थानीय और राष्ट्रीय विकास:** खनन और जुड़ी गतिविधियों (निर्माण, परिवहन, बिजली सप्लाई) से स्थानीय स्तर पर रोजगार, सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा जैसी सुविधा मिलती है। CSR की मदद से स्थानीय समुदायों के साथ विकास योजनाओं का समावेश होता है।
- **विदेशी पूंजी और FDI:** पारदर्शी नीलामी, कस्टम छूट और फास्टट्रैक प्रक्रिया विदेशी निवेशकों को आकर्षित करती है। साथ ही केंद्र सरकार इन्वेस्टर फ्रेंडली माहौल बनाने की दिशा में कार्यरत है।
- **आयात बचत और आत्मनिर्भरता:** लिथियम, तांबा, कोबाल्ट आदि का घरेलू उत्पादन आयात बिल कम करता है तथा ऊर्जा सुरक्षा में वृद्धि करता है।
- **स्वच्छ तथा ग्रीन टेक्नोलॉजी को बल:** EV, सोलर, वायु ऊर्जा जैसे क्षेत्र क्रिटिकल मिनरल्स पर आधारित हैं। घरेलू उपलब्धता स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण के लक्ष्य को साकार करती है।
- **जैव-विविधता संरक्षण:** IBM की पर्यावरण देखरेख से खनन गतिविधियाँ स्थायी और जिम्मेदार होती हैं, जिससे वनस्पति, जल स्रोत और स्थानीय जीवन प्रभावित नहीं होता।

खनन क्षेत्र में चुनौतियाँ

हालांकि, खनन क्षेत्र में कुछ महत्वपूर्ण चुनौतियाँ हैं:

1. भूमि अधिग्रहण और पर्यावरण मंजूरी में देर।
2. अवैध खनन।
3. तकनीकी क्षमता कम होना।
4. नियामक बाधाएं।
5. ग्लोबल सप्लाई जोखिम

निष्कर्ष

खनन क्षेत्र केवल धातुएँ निकालने का काम नहीं करता, अपितु यह देश को आर्थिक, तकनीकी और पर्यावरणीय आत्मनिर्भरता की दिशा में अग्रसर करता है। "क्रिटिकल मिनरल्स" जैसे लिथियम, कोबाल्ट और तांबा की उपलब्धता स्वच्छ ऊर्जा, रक्षा, इलेक्ट्रॉनिक्स और वाहन उद्योगों के लिए जीवनरेखा है। राष्ट्रीय क्रिटिकल मिनरल मिशन और पारदर्शी नीलामी प्रक्रिया इसे वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी और सुरक्षित बनाती है। भारतीय खान ब्यूरो के तकनीकी मार्गदर्शन व पर्यावरणीय निगरानी से यह क्षेत्र सुरक्षित, संरक्षित और कानूनी रूप से मजबूत बनता जा रहा है। भविष्य में डिजिटल प्रौद्योगिकी, ग्रीन खनन, अंतरराष्ट्रीय सहयोग और रिसाइक्लिंग कार्यक्रम इसे और आत्मनिर्भर बनाएंगे।

खनन क्षेत्र में तकनीकी प्रगति: पारंपरिक प्रथाओं में बदलाव

आर.एस.धोपटे
प्रेसमेन
भारतीय खान ब्यूरो, नागपुर

जैसे की आप सभी को ज्ञात है कि आज के समय में खनन क्षेत्र में नई- नई तकनीकी संसाधानो का उपयोग अत्यंत महत्वपूर्ण हो गया वही आज के दौर में खनन औद्योगिक विकास का एक मूलभूत स्तंभ रहा है, जो ऊर्जा, विनिर्माण और निर्माण के लिए आवश्यक कच्चे माल की आपूर्ति करता है। परंपरागत रूप से, खनन मैन्युअल श्रम, अल्पविकसित उपकरणों और बुनियादी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षणों पर बहुत अधिक निर्भर करता है। हालाँकि, हाल के दशकों में, इस क्षेत्र में एक परिवर्तनकारी बदलाव आया है, जो दक्षता, सुरक्षा और पर्यावरणीय स्थिरता में सुधार के उद्देश्य से तकनीकी विचारों द्वारा संचालित है। खनन उद्योग में प्रमुख तकनीकी प्रगति और उत्पादकता, श्रमिक सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण के लिए उनके निहितार्थो का पता लगाता है।

खनिजों की ज़रूरतों को पूरा करने में उद्योग की निस्संदेह आवश्यकता और आर्थिक और सामाजिक विकास में इसके महत्वपूर्ण योगदान के बावजूद, इसके प्रदर्शन के पहलुओं को लेकर चिंताएँ बनी हुई हैं। खनन, शोधन और खनिजों के उपयोग और निपटान से कुछ मामलों में स्थानीय पर्यावरण और सामाजिक रूप से काफ़ी नुकसान हुआ है। इसके अलावा पृथ्वी शिखर सम्मेलन की दसवीं वर्ष गांठ को ध्यान में रखते हुए, 1998 के अंत में नौ सबसे बड़ी खनन कम्पनियों ने एक नई पहल शुरू करने का निर्णय लिया जिसका उद्देश्य उद्योग द्वारा आज की समस्याओं के प्रति दृष्टिकोण में एक गंभीर परिवर्तन लाना था। उन्होंने इसे ग्लोबल माइनिंग इनिशिएटिव नाम दिया। इसमें आंतरिक सुधार का कार्यक्रम, उनके विभिन्न संगठनों की समीक्षा और उनके सामने आनेवाले सामाजिक मुद्दों का गहन अध्ययन शामिल था।

खनन प्रौद्योगिकी का इतिहास

खनन उपकरणों का इतिहास हाथ से खोदने और पत्थर के औजारों जैसे सरल औजारों से शुरू हुआ, जो धीमे और अक्षम थे। बाद में शुरू की गई, जहाँ चट्टानों को तोड़ने के लिए लकड़ियों के बड़े ढेर जलाए जाते थे और खनिकों को अधिक तेज़ी से गहरी खुदाई करने की अनुमति मिलती थी। हालाँकि, खनन प्रौद्योगिकी की में एक बड़ी छलांग मध्ययुग के दौरान विस्फोटकों को पेश करने के साथ आई। काले पाउडर का इस्तेमाल चट्टानों को तोड़ने के लिए किया जाता था, लेकिन असली बदलाव 19 वीं सदी में डायनामाइट के आविष्कार के साथ हुआ, जिसने खनन क्षेत्र में एक नई क्रांति लाई। इस अवधि में ड्रिल और भाप से चलनेवाले पंप जैसे मोटर चालित खनन उपकरणों का विकास भी देखा गया। औद्योगिक क्रांति ने खनन प्रगति के शिखर को चिह्नित किया, जिसमें संपीड़ित वायु ड्रिल, माइन कार और भाप से चलनेवाले पंप आदि शामिल थे।

खनन प्रौद्योगिकी के इतिहास को निम्नलिखित चरणों में विभाजित किया जा सकता है।

प्राचीनकाल

- **हाथ से खुदाई:-** शुरुआती खनन, विशेष रूप से पत्थर के औजारों का उपयोग करके किया जाता था।
- आग का उपयोग:- चट्टानों को तोड़ने के लिए आग का उपयोग किया जाता था।
- **विस्फोटकों का उपयोग:-** मध्ययुग में, विस्फोटकों का उपयोग चट्टानों को तोड़ने के लिए किया जाने लगा।

औद्योगिक क्रांति

- **यांत्रिक ड्रिल:-** पिस्टन और संपीड़ित हवा से चलनेवाली ड्रिल का विकास।
- **भाप चालित पंप:-** खदानों से पानी निकालने के लिए भाप चालित पंपों का उपयोग।

- **विद्युत चालित उपकरण:-** विद्युत चालित कन्वेयर, माइनकार और अन्य उपकरणों का उपयोग।
- **सुरक्षा लैंप:-** खनिकों के लिए सुरक्षा लैंप का विकास।
- *आधुनिक युग:-* स्वचालित मशीनें, स्वायत्त वाहनों और अन्यस्वचालित मशीनों का उपयोग।
- **जी आ ई एस और रिमोट सेंसिंग:-** भू-स्थानिक डेटा और रिमोट सेंसिंग तकनीकों का उपयोग।
- **डिजिटल खदानें या डिजिटल माइन:-** खनन कार्यों को अनुकूलित करने के लिए डिजिटल तकनीकों का उपयोग। खनन उद्योग में नवीनतम तकनीक का उपयोग करके कार्य सरल करना। इसमें स्वचालन, डेटा एनालिटिक्स, और रिमोट मॉनिटरिंग जैसी तकनीकों का उपयोग करके परिचालन को अधिक सुरक्षित, कुशल और लागत प्रभावी बनाना शामिल है। जिसके फलस्वरूप डिजिटल खदानें खनन उद्योग में क्रांति ला रही हैं, जिससे कंपनियों को अधिक कुशलता से काम करने, लागत कम करने और सुरक्षा में सुधार करने में मदत मिलती है।

खनन में ई एस जी में ड्रोन प्रौद्योगिकी में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है।

चित्र:-1 ई एस जी में ड्रोन

खनन उद्योग में, ESG (Environmental, Social, and Governance), पर्यावरण, सामाजिक और शासन एक ऐसे ढांचे को संदर्भित करता है जो किसी कंपनी की स्थिरता और नैतिक प्रभाव का आकलन करता है। इसमें पर्यावरणीय जिम्मेदारी, सामाजिक प्रभाव और मजबूत शासन पद्धतियां शामिल हैं। हाल के वर्षों में, पर्यावरण, सामाजिक और शासन (ESG) आंदोलन ने दुनियाभर में गति पकड़ी है। खनन उद्योग में, सफलता को पारंपरिक रूप से महत्वपूर्ण खोजों या उत्पादन संख्याओं के संदर्भ में रिपोर्ट किया गया है। अब, जिन लोगों का किसी भी खनन ऑपरेशन में निहित स्वार्थ है, वे ESG चिंताओं को उच्च प्राथमिकता दे रहे हैं।

ड्रोन सर्वेक्षण

ड्रोन सर्वेक्षण खदान संचालन को ESG दिशा-निर्देशोंका पालन करने में सहायता करता है ड्रोन तकनीकी का उपयोग करके खनन पर्यावरण, सामाजिक और शासन संबंधी चिंताओं को सुधारने का एक आश्चर्यजनक अवसर प्रदान करते हैं। अधिकांश खननस्थलों के दूरस्थ स्थान सर्वेक्षण के लिए ड्रोन के उपयोग के लिए बिल्कुल उपयुक्त हैं। चूँकि आम खदान निर्मित क्षेत्रों से दूर स्थित होती है, इसलिए सर्वेक्षण कर्ताओं के लिए उड़ान योजनाएँ बनाना आसान होता है जो विमानन नियमों के अनुसार होती हैं। साइट मैनेजर जो ड्रोन सर्वेक्षण का उपयोग करते हैं, उन्हें निम्नलिखित ESG लाभ मिलते हैं।

- सामाजिक:- ड्रोन सर्वेक्षण का एक मुख्य उपयोग यह है कि यह पारंपरिक जमीनी सर्वेक्षण की आवश्यकता को समाप्त कर देता है।खुले गड्ढे वाली खदानों जैसी खतरनाक जगहों पर, ड्रोन द्वारा सर्वेक्षण करना अधिक सुरक्षित समाधान है। संचालन के दौरान, ड्रोन डेटा द्वारा बनाए गए 3D मॉडल टीमों को ब्लास्ट दीवारों और टेरेसिंग का पल-पल निरीक्षण करने देते हैं, जिससे काम करने वाले सुरक्षित रहते हैं।
- **शासन:-** स्थानीय नियमों का पालन करना किसी भी खनन संचालन के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता है। नियमित ड्रोनसर्वेक्षण से टीमों को नियामक अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए जमीन पर संवेदनशील क्षेत्रों का नक्शा बनाने की अनुमति मिलती है, जिससे कंपनियों को भारी जुर्माना से बचने में मदत मिलती है। डेटा संग्रह के लिए मानव रहित हवाई वाहनों (यू ए वी) का उपयोग करते हुए ड्रोन सर्वेक्षण, पारंपरिक सर्वेक्षण विधियों के लिए एक तेज़, सुरक्षित और अधिक लागत प्रभावी विकल्प प्रदान करता है। ये अनुप्रयोग भूमि सर्वेक्षण, खनन, निर्माण और बुनियादी ढाँचा प्रबंधन सहित विभिन्न उद्योगों में फैले हुए हैं, जो मानचित्रण, वॉल्यूमेट्रिक विश्लेषण और निरीक्षण के लिए उच्च-रिज़ॉल्यूशन इमेजरी और डेटा प्रदान करते हैं।

चित्र:-1 ई एस जी में ड्रोन

लोकप्रिय ड्रोन सर्वेक्षण अनुप्रयोग सॉफ़्टवेयर

लोकप्रिय ड्रोन सर्वेक्षण अनुप्रयोग सॉफ़्टवेयर जिनमें UgCS के साथ ड्रोन LiDAR क्षेत्र मानचित्रण, प्रोपेलर प्लेटफ़ॉर्म 3D ड्रोन मैपिंग, पिक्स 4D मैटिक, डी जे आई टेरा, ड्रोन डिप्लॉय, एगिसॉफ्ट मेटाशेप और सिम एक्टिव कोरेलेटर 3D शामिल हैं। ये उपकरण मानचित्रण, सर्वेक्षण और निरीक्षण जैसे विभिन्न अनुप्रयोगों के लिए फोटो ग्रामेट्री, 3D मॉडलिंग और डेटा विश्लेषण जैसी सुविधाएँ प्रदान करते हैं।

चित्र:-3 प्रोपेलर प्लेटफ़ॉर्म 3 डी ड्रोन मैपिंग

खनन में स्वायत्त प्रौद्योगिकी

सेंसिंग और इमेजिंग तकनीक: स्वायत्त वाहनों पर पाए जाने वाले मुख्य सेंसर में लिडार सिस्टम, रेडियो डिटेक्शन और रेंजिंग (रडार) सिस्टम और विज़ुअल कैमरे शामिल हैं। प्रत्येक सेंसर अलग-अलग तरह की जानकारी प्रदान करता है।

- **लिडार सिस्टम:-** स्वायत्त वाहनों पर सबसे प्रमुख रूप से प्रदर्शित सेंसर हैं और एक बिंदु की ओर लेजर लाइट उत्सर्जित करके और परावर्तित प्रकाश का विश्लेषण करके दूरी मापते हैं। जब तेजी से घूमने वाले दर्पणों के साथ संयुक्त किया जाता है, तो वे अपने वातावरण के 3 डी मॉडल बना सकते हैं।
- **सिस्टम प्रक्रिया:-** सिस्टम प्रक्रिया ट्रक का मस्तिष्क है और वाहन, सर्वर और कमांड सेंटर से जानकारी रिले करती है। प्रत्येक उपकरण पर स्थापित शक्तिशाली CPU कंप्यूटिंग शक्ति वास्तविक समय में निर्णय लेने में मदद करती है।
- **नेविगेशन तकनीक:-** GPS परिक्रमा करने वाले उपग्रहों से संकेत प्राप्त करके वाहन के स्थान को ट्रैक करता है। GPS एक स्वायत्त वाहन को एक स्थान से दूसरे स्थान तक सबसे छोटा मार्ग चुनने में सक्षम बना सकता है।
- **जड़त्वीय नेविगेशन सिस्टम:-** INS-जिसमें ऑन-बोर्ड सेंसर शामिल हैं- GPS सिग्नल खो जाने पर वाहन की स्थिति त्रुटि को कम करते हैं। एक्सेलेरोमीटर और जाइरोस्कोप जैसे सेंसर, बिना किसी बाहरी जानकारी के वाहन की स्थिति की निरंतर गणना और अद्यतन करते रहते हैं।

चित्र:-4 स्वायत्त प्रौद्योगिकी में प्रगति

खनन क्षेत्र में तकनीकी प्रगति से परिचालन में क्रांति

1. **स्वचालन:-** खनन में स्वचालन एक प्रमुख प्रवृत्ति है। स्वचालित ट्रक, ड्रिलिंग मशीन और अन्य उपकरण, रिमोट से संचालित किए जा सकते हैं, जिससे मानव श्रम और जोखिम कम होता है। इससे 24/7 काम करना संभव होता है, जिससे उत्पादकता बढ़ती है।
2. **डिजिटलीकरण:-** डिजिटल उपकरण और प्रक्रियाएं, खनन कार्यों को अधिक कुशल बनाने में मदद करती हैं। खनन कंपनियां, वास्तविक समय में अपने उपकरणों की निगरानी और नियंत्रण के लिए GPS और MMD (मूविंग मैप डिस्प्ले) जैसी तकनीकों का उपयोग करती हैं। डिजिटल संचार और परियोजना प्रबंधन उपकरण, खनन परियोजनाओं को अधिक प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने में मदद करते हैं।
3. **IoT और AI:-** IoT (इंटरनेट ऑफ थिंग्स) और AI (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) का उपयोग, खनन कार्यों में क्रांति ला रहा है। IoT सेंसर, खदानों में उपकरणों और प्रक्रियाओं की निगरानी करते हैं, जिससे डेटा एकत्र होता है जिसका उपयोग दक्षता और सुरक्षा में सुधार के लिए किया जाता है। AI, डेटा का विश्लेषण करके, भविष्यवाणी करता है और खनन कार्यों में सुधार के लिए सिफारिशें देता है।
4. **सुरक्षा:-** तकनीकी प्रगति, खनन सुरक्षा को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। स्वचालित उपकरण और रिमोट-नियंत्रित तकनीक, मानव श्रमिकों को खतरनाक वातावरण से दूर रखने में मदत करती है। ड्रोन और स्मार्ट सेंसर, खदानों में खतरों का पता लगाने और सुरक्षा जोखिमों को कम करने में मदत करते हैं।
5. **स्थिरता:-** तकनीकी प्रगति, खनन उद्योग को अधिक टिकाऊ बनाने में मदत करती है। स्वचालन और डिजिटलीकरण से ऊर्जा की खपत और पर्यावरणीय प्रभाव को कम किया जा सकता है। नई तकनीकों का उपयोग, कचरे को कम करने और पुनर्चक्रण को बढ़ावा देने में मदत करता है।
6. **भविष्य:-** खनन में तकनीकी प्रगति, भविष्य में और अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। खनन उद्योग, स्वायत्त प्रणालियों और अधिक उन्नत AI तकनीकों की ओर बढ़ रहा है।

चित्र:-5 हाउल ट्रक स्वचालन

खनिज हमारी प्रगति के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं

खनन स्थिरता हरित ऊर्जा के भविष्य के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह अक्षय ऊर्जा प्रौद्योगिकियों और संधारणीय बुनियादी ढांचे के लिए आवश्यक सामग्री प्रदान करता है। लिथियम, कोबाल्ट और दुर्लभ पृथ्वीतत्व जैसे खनिज बैटरी, पवन टर्बाइन और सौर पैनल बनाने के लिए महत्वपूर्ण हैं, जो कम कार्बन उत्सर्जन करते हैं।

खनन क्षेत्र में पारंपरिक प्रथाओं में बदलाव

खनन में पारंपरिक प्रथाओं में बदलाव लाने के लिए, कई तकनीकी और नियामक परिवर्तन हुए हैं। इन परिवर्तनों में भूमिपुनर्ग्रहण, पर्यावरणसंरक्षण, और सुरक्षा उपायों में सुधार शामिल हैं। इसके अलावा, आभासी वास्तविकता (VR) जैसी नई तकनीकों का उपयोग प्रशिक्षण और सुरक्षा को बेहतर बनाने के लिए किया जा रहा है।

- **पारंपरिक प्रथाओं में बदलाव के मुख्य क्षेत्र:-** भूमिपुनर्ग्रहण: खनन के बाद, भूमि को उस के मू लस्वरूप में वापसलाने के लिए पुनर्ग्रहण किया जाता है। इसमें मिट्टी को फिर से भरना, आकार देना, और कापेड़-पौधे लगाना शामिल है।
- **पर्यावरण संरक्षण:-** खनन से होनेवाले पर्यावरणीय प्रभावों को कम करने के लिए, भूमिक्षरण, जलप्रदूषण, और वनों की कटाई जैसी समस्याओं से निपटने के लिए उपाय किए जा रहे हैं।
- **सुरक्षा में सुधार:-** खनिकों की सुरक्षा के लिए, खतरनाक स्थितियों से बचने के लिए प्रशिक्षण, उपकरण, और प्रक्रियाओं में सुधार किया जा रहा है।
- **प्रौद्योगिकी का उपयोग:-** आभासी वास्तविकता (VR) का उपयोग खनिकों को प्रशिक्षण देने और खतरनाक स्थितियों का अनुकरण करने के लिए किया जा रहा है।
- **नियमों में बदलाव:-** खनन क्षेत्र में पारदर्शिता और दक्षता बढ़ाने के लिए, नियमों में भी बदलाव किए गए हैं, जैसे कि खनिज नीलामी में उचित मूल्यनिर्धारण सुनिश्चित करना।
- **भारत में कोयला खनन:-** भारत में, कोयला, अभ्रक, और बॉक्साइट जैसे खनिजों के खनन के कारण आदिवासी समुदायों का विस्थापन हुआ है।
- **खनन से होनेवाले पर्यावरणीय प्रभाव:-** भारत में, खनन गतिविधियों के कारण भूमिक्षरण, वनों की कटाई, मृदा अपरदन, और जल प्रदूषण जैसी समस्याएं हो सकती हैं। इन परिवर्तनों का उद्देश्य खनन क्षेत्र को अधिक टिकाऊ और सुरक्षित बनाना है।

इससे यह निष्कर्ष निकलाता हे की खनन क्षेत्र में तकनीकी प्रगति, जैसे कि स्वचालन, डिजिटलीकरण, और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का उपयोग, पारंपरिक प्रथाओं में महत्वपूर्ण बदलाव ला रहा है। ये बदलाव दक्षता, सुरक्षा, और स्थिरता में सुधार कर रहे हैं, जिस से खनन कार्यों को अधिक पर्यावरण के अनुकूल और आर्थिक रूप से मजबूत बनाती है। जिससे खनन कार्यों को अधिक कुशल, सुरक्षित, और टिकाऊ बनाया जा रहा है। यह परिवर्तन न केवल खनन उद्योग के लिए फायदे मंद है, बल्कि पर्यावरण और समाज के लिए भी फायदे मंद है।

संदर्भ सूची:-

1. पी डब्ल्यू सी.
2. आए एम माइनिंग.
3. सी ब्लॉग.
4. प्रोपेलेरेरो.
5. गरुड़ सर्वे.
6. सी एस एम टेक.
7. एओलॉजिक.

हरे-भरे हैं खेत सुहाने, फल-फूलों से युक्त वन-उपवन,
तेरे अंदर भरा हुआ है खनिजों का कितना व्यापक धन।
मुक्त-हस्त तू बाँट रही है सुख-संपत्ति, धन-धाम,
मातृ-भू, शत-शत बार प्रणाम।

मैथिलीशरण गुप्त

भूमिगत खनन कर्मियों पर मानसिक प्रभाव

सत्यम विश्वकर्मा
आशुलिपिक
भारतीय खान ब्यूरो, नागपुर

"जब किसी की पूरी जिंदगी अंधेरे में बीतती है। तो आत्मा भी रोशनी से डरने लगती है।"

हमारे घरों में जलती बत्तियां, चलती फैक्ट्रियां और उद्योगों की दौड़ जिस ऊर्जा पर आधारित है, वह कहीं गहराई में, जमीन के नीचे मौजूद हैं- कोयला, लोहा, बॉक्साइट और अन्य खनिज, लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि इन खनिजों को निकालने वाले वे श्रमिक, जिनका जीवन अंधेरे में गुम है, उसके मन और मस्तिष्क पर कैसा प्रभाव पड़ता है?

भूमिगत खनन कर्मी न सिर्फ शारीरिक रूप से खतरनाक परिस्थितियों में काम करते हैं, बल्कि मानसिक रूप से भी एक गहन दबाव में जीते हैं। यह लेख उन्हीं अंधेरे में काम करने वाले इंसानों की मनःस्थिति पर केंद्रित है, जिनकी आवाज अक्सर खामोशी में दबा दी जाती है।

भूमिगत खनन का परिचय

भूमिगत खनन वह प्रक्रिया है जिसमें श्रमिक सुरंगों या खदानों के भीतर जाकर खनिजों को निकालते हैं। भारत दक्षिण अफ्रीका, चीन और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में यह एक बड़ा उद्योग है।

पर यह कार्य केवल खनिजों तक ही सीमित नहीं होता, इसमें शामिल होता है-

- संकरी सुरंगों में 10-12 घंटे काम करना
- अंधकार, गर्मी, नमी और गैसों के बीच रहना
- हमेशा जान का खतरा बने रहना

और सबसे बड़ी बात यह सब कुछ मानसिक शांति की कीमत पर रहता है।

मानसिक प्रभावों का विश्लेषण

भूमिगत खनन कर्मियों पर पड़ने वाले मानसिक प्रभाव बहुआयामी होते हैं-

अवसाद- अधिकांश खनिकों को सूरज की रोशनी महीनों तक ठीक से नहीं मिलती, इससे उनके शरीर में सेरोटोनिन नामक हॉर्मोन की कमी हो जाती है, जो खुशी और सकारात्मकता से जुड़ा होता है।

"हर दिन एक ही अंधेरे में आंखें खोलना, धीरे-धीरे मन को तोड़ देता है।"

दुर्घटनाओं जैसे विस्फोट, छत गिरने या सांस न ले पाने की आशंका हर समय बनी रहती है। यह तनाव अक्सर जनरलाइज्ड एंग्जाइटी डिसार्डर का कारण बनती है।

कई खनिकों ने अपने साथियों की मौत या चोटें अपनी आंखों के सामने देखीं। इसके बाद आने वाले सालों तक उन्हें दौरे, बुरे सपने, बेचैनी सताती रहती है।

खनिक आमतौर पर अपने घरों से दूर रहते हैं। वे परिवार और समाज से कट जाते हैं, जिससे भावात्मक समर्थन की कमी हो जाती है। यह सामाजिक अलगाव मानसिक रोगों को जन्म देता है।

वैश्विक और भारतीय परिप्रेक्ष्य

दक्षिण अफ्रीका- 2018 में 60 प्रतिशत से अधिक खनिक किसी न किसी मानसिक स्वास्थ्य समस्या से पीड़ित पाए गए।

आस्ट्रेलिया- खनिकों में पी.डी.एस.टी. दर सामान्य नागरिकों से 5 गुना अधिक पाई गई।

चिली- 2010 में 69 खनिक 69 दिनों तक फंसे रहे, उनमें से 85 प्रतिशत को बाद में पी.डी.एस.टी. डिप्रेशन हुआ।

भारत में स्थिति

भारत में कोयला, बॉक्साइट, लोहा और यूरेनियम खनन प्रमुख रूप से झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा और मध्य प्रदेश में होता है। झारखंड के धनबाद में किये गए एक सर्वे में 70 प्रतिशत खनिकों ने नींद की कमी और लगातार बेचैनी की शिकायत की। भारत में खनिकों के लिए मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी सरकारी नीतियां लगभग न के बराबर हैं।

खनन की कार्यस्थितियां

मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक- प्रतिदिन 8-10 घंटे तक भारी मशीनों और औजारों के साथ काम करना पड़ता है। यह थकावट मानसिक स्वास्थ्य को भी प्रभावित करती है। प्राकृतिक रोशनी का न होना मेलोटोनिन और सेरोटोनिन जैसे हार्मोन के उत्पादन को बाधित करता है, जिससे नींद और मूड पर विपरीत प्रभाव पड़ता है।

कुछ क्षेत्रों में घना अंधेरा और सन्नाटा होता है, तो कहीं मशीनों का तेज शोर, यह द्वंद्व सुनने और सोचने की क्षमता को प्रभावित करता है। बहुत से खनिक अनुबंध पर होते हैं जिनके पास स्थायी नौकरी नहीं होती, यह अनिश्चितता और चिंता का एक बड़ा कारण है।

नशा मानसिक कष्ट का अस्थायी सहारा- तनाव से राहत पाने के लिए बहुत से खनिक शराब, तंबाकू एवं नशीली दवाओं की ओर मुड़ते हैं। इससे उनकी मानसिक स्थिति और अधिक बिगड़ती है।

"शराब से 2 घंटे का सुकून तो मिल जाता है, लेकिन फिर और ज्यादा डर लगने लगता है" - कोरबा का एक कोयला खनिक

परिवार पर असर

भावात्मक दूरी- खनिकों की दिनचर्या इतनी कठिन होती है कि वे परिवार को समय नहीं दे पाते।

घरेलू तनाव- खनिकों के अवसाद और गुस्से का असर घर के माहौल पर पड़ता है।

बच्चों पर प्रभाव- पिता की अनुपस्थिति या चिड़चिड़ेपन का असर बच्चों के मानसिक विकास पर भी देखा गया है।

समाधान और सुधार के उपाय

हर खनन क्षेत्र में मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों की नियुक्ति की जानी चाहिए। समय पर छुट्टियां और शिफ्ट का संतुलन मानसिक स्वास्थ्य में सुधार ला सकता है। सामाजिक संवाद मंच और मनोरंजन केंद्र खनिकों को तनाव कम करने में सहायता कर सकते हैं।

सरकार और कंपनियों की भूमिका

कंपनियों को कॉर्पोरेट सोशल रेसपॉन्सिब्लिटी के तहत मानसिक स्वास्थ्य अभियान चलाने चाहिए। सरकार को ऑक्युपेशनल मेंटल हेल्थ पॉलिसी लानी चाहिए, जो खनिकों की मनःस्थिति के अनुसार बनी हो। सामाजिक संस्थाओं को इस मुद्दे पर जागरुकता फैलाने का काम करना चाहिए। इसके लिए मजबूत सामाजिक सुरक्षा योजनाएं और मानसिक बीमा कवरेज आवश्यक है।

एक करुण चित्र- खनिक की आत्मा का अंधकार

कल्पना कीजिए, एक व्यक्ति जो हर दिन सूरज से पहले उठता है, जमीन के अंदर उतरता है, धूल और गैसों के बीच सांस लेता है और जब बाहर निकलता है तो दिन ढल चुका होता है। उसकी जिंदगी में कोई रविवार नहीं, कोई त्योहार नहीं और न ही कोई ऐसा जिससे वह अपने अंदर के डर को बांट सके।

जमीन के नीचे दबे मन

हम चांद पर खनन की बात करते हैं,लेकिन जमीन के भीतर खनिकों के मन में उठते तूफानों को अनदेखा करते हैं।

जब तक हम खनिकों की मानसिक पीड़ा को समझेंगे नहीं, तब तक उनके लिए नीति बनाना केवल एक औपचारिकता होगी। यह आवश्यक है कि हम उसको केवल काम उत्पादकता से न जोड़ें, बल्कि उसको एक मानव कर्मचारी मानें- जिसके पास भी भावनाएं, डर और संवेदनाएं होती हैं।

एक खनिक सिर्फ खनिज नहीं निकालता, वह हर दिन अपने भीतर से थोड़ा-थोड़ा जीवन निकालता है।

शोध आधारित बिंदु

दक्षिण अफ्रीका का शोध (विटवाटर्सलैंड विश्वविद्यालय, 2018)- एक अध्ययन में यह सामने आया कि लगभग 60 प्रतिशत खनिक मध्यम से लेकर गंभीर अवसाद से पीड़ित हैं। जिन खनिकों ने दुर्घटनाएं या सुरंग ढहने जैसी घटनाएं देखी थीं, उनमें आघात पश्चात तनाव विकार (पी.टी.एस.डी.) और घबराहट (चिंता विकार) अधिक पाया गया।

आस्ट्रेलिया की रिपोर्ट (बियॉन्ड ब्लू, 2014)- रिपोर्ट के अनुसार खनन और निर्माण क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों में मानसिक रोगों की दर सामान्य लोगों से ढाई गुना अधिक पाई गई। विशेष रूप से वे खनिक जो परिवार से दूर, बार-बार दूर-दराज इलाकों में भेजे जाते हैं, उनमें आत्महत्या की प्रवृत्ति अधिक देखी गई।

भारत के धनबाद स्थित शोध संस्थानों की केस स्टडीज- झारखंड और छत्तीसगढ़ के कोयला खनन क्षेत्रों में किये गए अध्ययन में पाया गया है कि लगभग 93 प्रतिशत खनिक मानसिक थकावट से ग्रसित हैं। सामाजिक अलगाव, पारिवारिक तनाव और काम का अत्यधिक दबाव उनके मानसिक स्वास्थ्य को और खराब करता है। चिकित्सा और

मानसिक परामर्श की कमी, साथ ही समाज में मानसिक रोगों को लेकर हिचकिचाहट और शर्मिंदगी की भावना स्थिति को और भी गंभीर बनाती है।

अमेरिका का एक राष्ट्रीय संस्थान (राष्ट्रीय व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य संस्थान, 2012)- शोध में यह निष्कर्ष निकला कि भूमिगत खनिकों में नींद न आना, नशे की तल और मानसिक थकावट जैसी समस्याएं सामान्य हैं। जो खनिक वर्षों तक भूमिगत काम करते हैं, उनमें निर्णय लेने की क्षमता और याद्दाश्त पर भी बुरा असर पड़ता है।

नॉर्वे का मनोवैज्ञानिक अध्ययन (व्यावसायिक स्वास्थ्य मनोविज्ञान पत्रिका, 2020)- अध्ययन में बताया गया है कि भूमिगत खनिकों का मस्तिष्क लगातार जीवित रहने की स्थिति में काम करता है। इसका असर यह होता है कि उनकी तंत्रिका प्रणाली लगातार तनाव की स्थिति में रहती है, जिससे वे हमेशा सतर्क, भावात्मक रूप से थके हुए और लंबे समय तक मानसिक दबाव में रहते हैं।

सरकारी प्रयास

खनिकों के मानसिक स्वास्थ्य की सुरक्षा की दिशा में उठते कदम- भूमिगत खनन कर्मियों के मानसिक स्वास्थ्य की उपेक्षा दशकों होती रही। लंबे समय तक अंधेरे, खतरनाक परिस्थितियों और सामाजिक अलगाव में काम करने वाले इन श्रमिकों की मानसिक स्थिति पर अब सरकार ने धीरे-धीरे ध्यान देना शुरु किया है। हाल के वर्षों में भारत सरकार द्वारा कई योजनाएं और कार्यक्रम चलाए गए हैं जो न केवल खनिकों के मानसिक उपचार की सुविधा बढ़ाते हैं, बल्कि उन्हें सामाजिक और भावात्मक सहयोग भी प्रदान करते हैं।

इन पहलों का उद्देश्य खनिकों के जीवन में सुधार लाना, उन्हें मानसिक रोगों से उबारना और एक स्थाई सहयोग प्रणाली स्थापित करना है।

निष्कर्ष-

भूमगित खनिकों का जीवन जितना कठिन और चुनौतीपूर्ण है उतना ही वह हमारी सभ्यता और उन्नति के लिए अनमोल है। यह जरूरी है कि अब हम केवल उनके श्रम का ही नहीं, बल्कि उनके मानसिक स्वास्थ्य का भी सम्मान करें। सरकार, कंपनियों और समाज को मिलकर कदम उठाने होंगे- जैसे कि- खनिकों के लिए नियमित मानसिक स्वास्थ्य जांच की व्यवस्था, काम के घंटे सीमित कर पर्याप्त आराम और नींद का समय, परामर्शदाताओं और मनोवैज्ञानिकों की नियुक्ति खनन क्षेत्रों में और सबसे महत्वपूर्ण- समाज में मानसिक स्वास्थ्य के प्रति संवेदनशीलता और स्वीकृति का माहौल बनाना। अगर हम उनकी परेशानियों को समझें, उनके मानसिक स्वास्थ्य की देखभाल करें उन्हें इंसान की तरह सम्मान दें तो यह न केवल उनके जीवन को बेहतर बनाएगा, बल्कि एक सशक्त, खुशहाल सुरक्षित भारत की नींव भी रखेगा। हर खनिक के चेहरे पर मुस्कान लौटाना सिर्फ एक जिम्मेदारी नहीं, बल्कि हमारे मानवता की परीक्षा भी है।

राजभाषा संबंधी आलेख

ई-ऑफिस में हिंदी में पत्राचार एवं नोटिंग करने सम्बन्धी सुझाव

अभिनय कुमार शर्मा
संपादक
हिंदी अनुभाग,
भारतीय खान ब्यूरो, नागपुर

सर्वप्रथम फाइल खोलने के पश्चात फाइल का विषय (शीर्षक) द्विभाषी किया जाये। तत्पश्चात भाषा चयन करते समय हिंदी का चयन किया जाये।

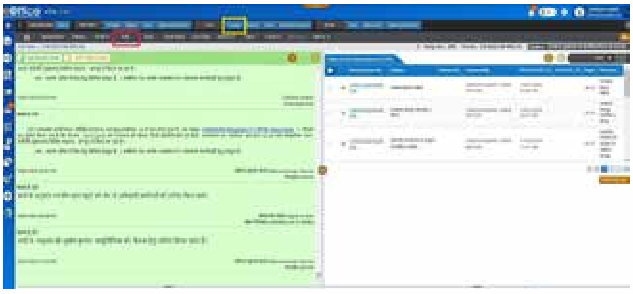

हिंदी का DFA (ड्राफ्ट) बनाते समय विषय, भाषा चयन एवं अन्य जानकारी (जहाँ कहीं उपयुक्त हो) हिंदी में भरें।

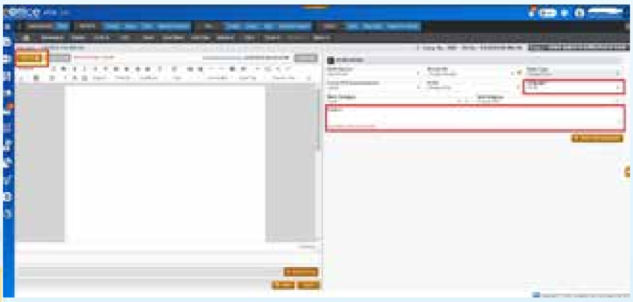

पत्राचार हेतु मसौदा (DFA) हिंदी में बनाये जाये।यदि हिंदी में मसौदा बनाने में कठिनाई हो तो DFA पृष्ठ पर इंग्लिश टंकण करने के बाद पृष्ठ के ऊपर दाई ओर translate टैब पर क्लिक कर इंग्लिश मसौदा सेलेक्ट करके हिंदी में अनुवाद किया जा सकता है।

तत्पश्चात अनुदित मसौदा को copy to e-file टैब पर क्लिक कर वापस मूल मसौदा पर आ कर इंग्लिश मसौदा को डिलीट करें एवं आवश्यकता अनुसार अनुदित हिंदी मसौदा को संशोधित किया जा सकता है।

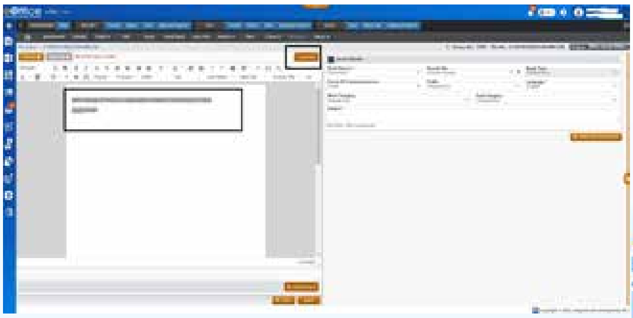

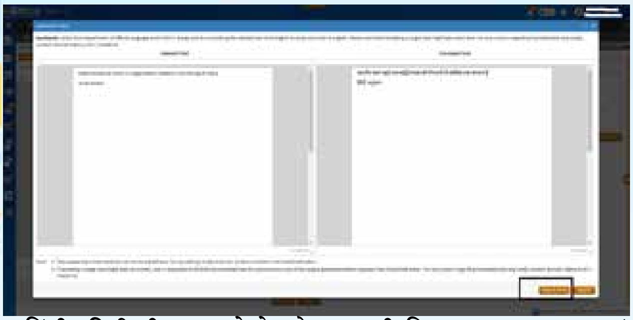

हिंदी की रिसीप्ट बनाने के दौरान सभी विषय, भाषा चयन एवं अन्य जानकारी (जहाँ कहीं उपयुक्त हो) हिंदी में ही भरा जाय।

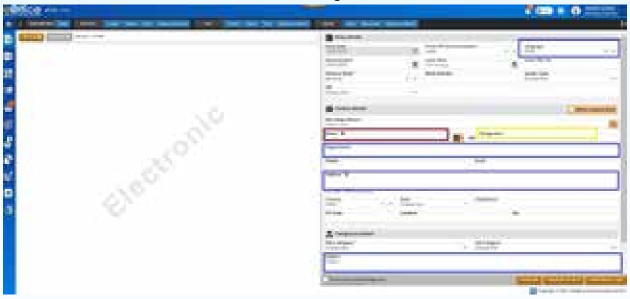

विभाग से बाहर पत्र डिस्पैच करने के दौरान add recipients पर क्लिक करने के बाद पेज पर बाई ओर दिख रहे पब्लिक टैब (user section) पर क्लिक करके प्रविष्टि हिंदी में करें एवं पूरा पता भरें ताकि क्षेत्रवार पत्रों की गिनती में आसानी हो।

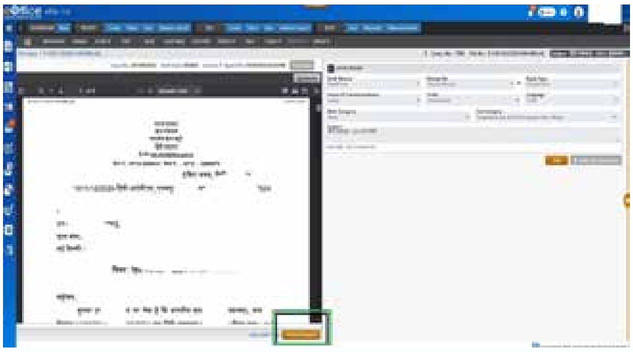

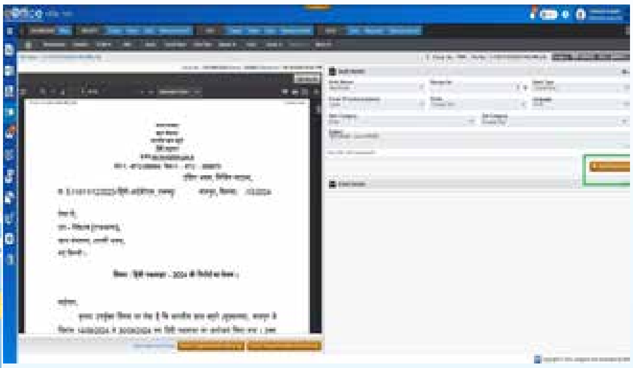

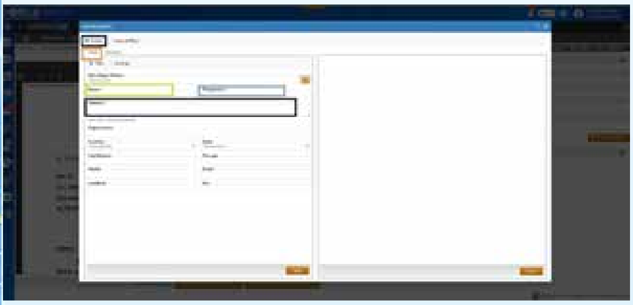

टिप्पणी हिंदी में अधिक से अधिक लिखी जाये। इस हेतु ग्रीन नोट पर इंग्लिश टिप्पणी लिखने के बाद टिप्पणी पृष्ठ के ऊपर दाई ओर translate टैब पर क्लिक कर इंग्लिश टिप्पणी सेलेक्ट करके हिंदी में अनुवाद किया जा सकता है।

तत्पश्चात अनुवादित टिप्पणी को copy to e-file टैब पर क्लिक कर वापस मूल टिप्पण पर आ कर इंग्लिश टिप्पण को डिलीट करें एवं आवश्यकता अनुसार अनुदित हिंदी टिप्पण को संशोधित किया जा सकता है।

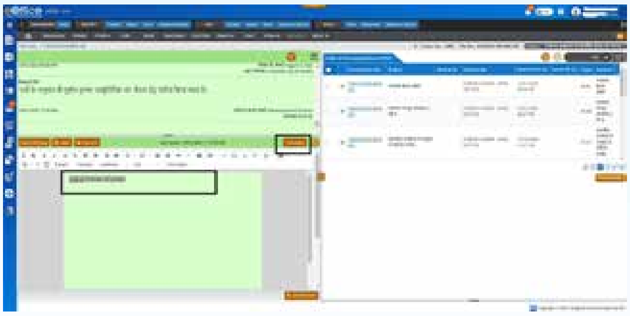

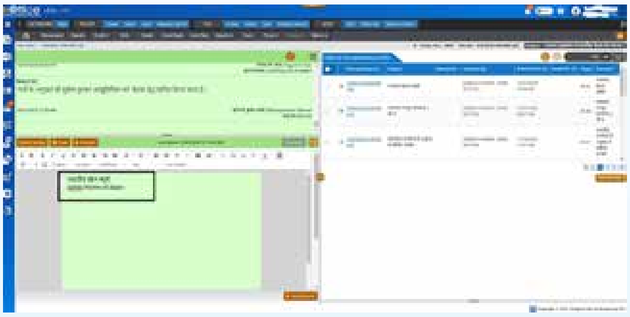

शब्दों के शिल्पकार

प्रज्ञा देव
सहायक संपादक
भारतीय खान ब्यूरो, नागपुर

> **भावनाओं का स्पंदन है कविता,**
> **पूजा की आरती है कविता,**
> **भजन जो दुःख हरले वो है कविता**
> **चाहे हो गायत्री मंत्र या हो देश भक्ति गीत सब है कविता,**
> **कविता खोले हृदय के द्वार,**
> **कविता करें प्रबल वार**
> **जहां पड़ जाए कम शब्दों के बाण**
> **वहां है असरदार कविता,**

काव्य, कविता या पद्य, साहित्य की वह विधा है जिसमें किसी कहानी या मनोभाव को कलात्मक रूप से किसी भाषा के द्वारा अभिव्यक्त किया जाता है। ... कविता का शाब्दिक अर्थ है काव्यात्मक रचना या कवि की कृति, जो छन्दों की शृंखलाओं में विधिवत बांधी जाती है।

हिंदी साहित्य में कविताओं का अपना एक अलग महत्व है। यह न केवल मनोरंजन का साधन है बल्कि ज्ञान और भावनाओं को व्यक्त करने का एक शक्तिशाली माध्यम भी है। कविताएं हमें जीवन के सत्य और अनुभवों से परिचित कराती हैं, साथ ही अच्छे संस्कार और श्रेष्ठ आदर्श भी प्रदान करती हैं। हिंदी साहित्य का महत्वपूर्ण अंग है कविता, और कवियों ने हिंदी भाषा को समृद्ध करने में विशेष योगदान दिया है। हिंदी के कवियों ने न केवल साहित्यिक सौंदर्य को रचा, बल्कि सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक चेतना को भी स्वर दिया। हर युग में हिंदी कवियों ने अपने लेखन से समाज को दिशा दी है। हिंदी साहित्य में कई महान कवि हुए हैं। कुछ प्रमुख नामों में कबीरदास, तुलसीदास, सूरदास, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा, रामधारी सिंह दिनकर, और मैथिलीशरण गुप्त शामिल हैं।

कबीरदास -

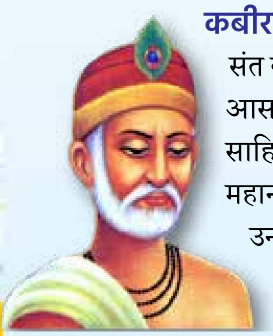

संत कबिरदास का जन्म लगभग 1398 के आसपास का माना जाता है। भारतीय साहित्य और भक्ति आंदोलन के एक महान संत, कवि और समाज सुधारक थे। उनका जीवन, विचार और काव्य हिंदू-मुस्लिम एकता, सामाजिक समरसता और आध्यात्मिक ज्ञान का प्रतीक हैं। कबीर की रचनाओं में सधुक्कड़ी भाषा, खड़ी बोली, ब्रज और अवधी का प्रयोग मिलता है। उन्होंने सहज, सरल और प्रभावशाली भाषा का प्रयोग किया। 'बीजक' कबीर की रचनाओं का सबसे प्रसिद्ध और प्रामाणिक संकलन माना जाता है। यह तीन भागों में बटा है साखी (दोहे), सबद (पद या भजन) तथा रमैनी (दर्शन संबंधी गद्यात्मक रचनाएं). कबीर के दोहे अत्यंत प्रसिद्ध है। वे छोटे, लेकिन गहरी अर्थवत्ता से परिपूर्ण होते हैं।

तुलसीदास -

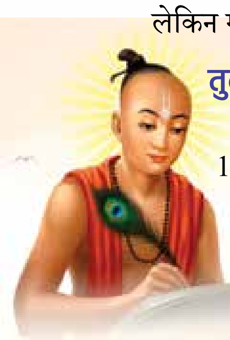

गोस्वामी तुलसीदास का जन्म 1532 ई. (संवत् 1589), राजापुर, जिला चित्रकूट, उत्तर प्रदेश में हुआ। वे रामभक्ति शाखा के प्रमुख स्तंभ माने जाते है। रामचरितमानस (रामायण का अवधी में सरल व लोकप्रिय संस्करण) है। इसके अलावा हनुमान चालीसा, विनय पत्रिका, दोहावली, कवितावली, जानकीमंगल आदि उनकी प्रमुख रचनाए है। तुलसीदास ने भगवान राम के चरित्र को जन-जन तक पहुँचाया। उनकी भाषा सरल, भावपूर्ण और भक्तिपूर्ण होती थी। उन्होंने समाज में नैतिकता, धर्म, भक्ति और प्रेम के संदेश का प्रचार किया।

सूर्यकांत त्रिपाठी -

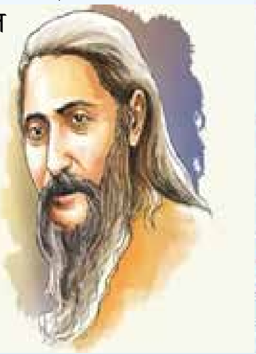

सूर्यकांत त्रिपाठी - सूर्यकांत त्रिपाठी 'निराला' हिंदी कविता के प्रमुख स्तंभों में से एक हैं। उनका जन्म 21

फरवरी 1896 को बंगाल के मेदिनीपुर जिले में हुआ था। वे छायावाद के प्रमुख कवियों में गिने जाते हैं, लेकिन उनका लेखन परंपरा को तोड़ते हुए नवचेतना की ओर भी बढ़ा। उन्होंने कविता को नयी दिशा दी। वे छंदमुक्त कविता के प्रारंभिक प्रवर्तकों में से थे। उनकी रचनाओं में आत्मवेदना, सामाजिक पीड़ा, प्रकृति-सौंदर्य और मानवतावादी दृष्टिकोण स्पष्ट रूप से झलकता है।

उनकी प्रमुख रचनाओं में सरोज-स्मृति, राम की शक्तिपूजा तथा 'वह तोड़ती पत्थर' का समावेश है। निराला जैसे कवियों ने समाज को जागरूक किया। उन्होंने जनमानस की पीड़ा को शब्द दिया और साहित्य को केवल मनोरंजन नहीं, बल्कि सामाजिक क्रांति का माध्यम बनाया। 1970 में भारत सरकार द्वारा निराला के जन्मशताब्दी (71वीं जयंती) के अवसर पर उनके सम्मान में एक डाक टिकट जारी किया गया।

सुमित्रानंदन पंत -

छायावादी हिंदी के प्रमुख कवियों में से एक थे सुमित्रानंदन पंत, जिन्हें "प्रकृति के सुकुमार कवि" कहा जाता है। सुमित्रानंदन पंत हिंदी साहित्य के ऐसे कवि थे जिन्होंने प्रकृति प्रेम, सामाजिक चेतना और आध्यात्मिक गहराई को अपनी रचनाओं में खूबसूरती से पिरोया। छायावादी से लेकर प्रगतिवादी और

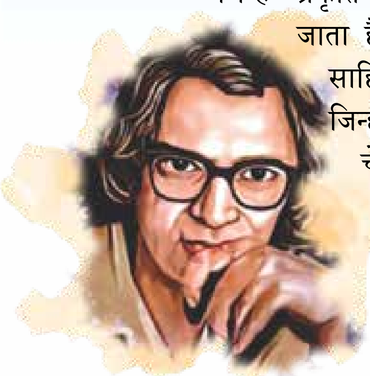

अंततः आध्यात्मिक युग की यात्रा ने उन्हें एक सर्वगुण सम्पन्न कवि बना दिया। उनकी प्रसिद्ध रचनाओं में प्रकृति-केंद्रित काव्य-संग्रह: वीणा, पल्लव, ग्रंथि, गुंजन, ज्योत्स्ना,ग्राम्या, स्वर्ण किरन आदी. उनकी रचना चिदंबरा को 1958 में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ।

महादेवी वर्मा -

महादेवी वर्मा हिन्दी साहित्य की प्रमुख कवयित्रियों में से एक थीं। उन्हें "छायावाद" युग की चार प्रमुख स्तंभों में से एक माना जाता है। उनका लेखन संवेदनशीलता, करुणा और गहराई के लिए प्रसिद्ध है। महादेवी वर्मा का जन्म 26 मार्च 1907 में फ़र्रुख़ाबाद, उत्तर प्रदेश में हुआ। उनकी प्रमुख कृतियों में नीहार, रश्मि, संध्यागीत, दीपशिखा, यामा (ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित) का समावेश है। पद्म भूषण (1956), पद्म विभूषण (1988, मरणोपरांत), साहित्य अकादमी पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार जैसे कई पुरस्कारों से उन्हें नवाजा गया।

हिंदी कवियों का साहित्य में स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है। चाहे वह निराला हों, महादेवी वर्मा, या तुलसीदास सभी ने समाज, संस्कृति और भाषा को नई दिशा दी है। आज भी उनकी कविताएँ प्रेरणा स्रोत हैं। हिंदी कवि न केवल शब्दों का जादूगर होता है, बल्कि वह समाज का दर्पण भी होता है।

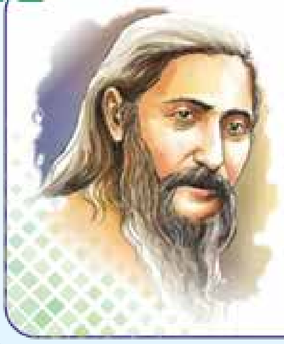

> "संसार में जितने प्रकार की प्राप्तियां हैं,
> शिक्षा सब से बढ़कर है।"
>
> सूर्यकांत त्रिपाठी 'निराला'

राजभाषा प्रबंधन के विभिन्न आयाम

असीम कुमार
वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी
भारतीय खान ब्यूरो, नागपुर

राजभाषा से तात्पर्य उस भाषा से है जो राज-काज की भाषा,शासन -तंत्र की भाषा हो और जिसके माध्यम से शासन -प्रशासन के समस्त कार्य किए जाते हैं। राजभाषा हिंदी भारत के सार्वदेशिक भाषायी संचार माध्यम का संपूरक है। जब हम भारत संघ के शासकीय और प्रशासकीय नियंत्रण के अधीन होने वाले विविध और व्यापक कार्य -कलापों पर विचार करते हैं, तो पाते हैं कि राजभाषा हिंदी का क्षेत्र मात्र सामान्य संघीय प्रशासन में पत्राचार और फाइलों तक सीमित नहीं है। अपितु, आज यह शिक्षा, ज्ञान- विज्ञान,कला, संस्कृति, व्यवसाय, तकनीक तथा शोध के व्यापक परिवेश में मुख्य भाषिक माध्यम के रूप में विकसित हो रही है। भारत की सामासिक संस्कृति की अभिव्यक्ति के माध्यम की भूमिका निभाने के साथ ही, इसे राष्ट्र की समग्र छवि को विश्व के समक्ष प्रतिष्ठापित करने के गुरुत्तर दायित्व का निर्वाह भी करना पड़ रहा है।

यह जगजाहिर है कि बगैर प्रबंधन के न तो कोई व्यक्तिगत कार्य संभव है और न ही सामाजिक अथवा राजकीय कार्य। फिर, यदि राजभाषा जैसे अहम् विषय की बात हो तो उसकी प्रबंध व्यवस्था पर गंभीर रूप से विचार करना आवश्यक हो जाता है। राजभाषा के प्रयोग, प्रगति और परिणाम को ध्यान में रखते हुए संविधान में हिंदी को संघ की राजभाषा के रूप में उचित स्थान दिलाने के लिए आवश्यक उपबंध किए गए। संसदीय राजभाषा समिति का गठन हुआ और गृह मंत्रालय के अधीन राजभाषा विभाग बनाया गया। सरकारी कार्यालयों, उपक्रमों, बैंकों आदि में हिंदी अधिकारी, अनुवादक, आशुलिपिक और टंकक की भर्ती की गई। कार्मिकों के प्रशिक्षण हेतु हिंदी शिक्षण योजना और केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो का गठन हुआ। केंद्रीय हिंदी समिति, हिंदी सलाहकार समिति और राजभाषा कार्यान्वयन समिति बनाई गई। ये सभी राजभाषा हिंदी की समुचित प्रगति के लिए अनवरत प्रयत्नशील हैं और इस दिशा में काफी हद तक सफलता भी मिली है। तथापि कुछ चुनौतियाँ अभी भी बरक़रार हैं जिनका समाधान एक सक्षम प्रबंधकीय भूमिका के द्वारा किया जा सकता है तथा राजभाषा हिंदी के कार्यान्वयन और राजभाषा संबंधी वैधानिक प्रावधानों के अनुपालन में समुचित सफलता प्राप्त की जा सकती है।

राजभाषा प्रबंधन से तात्पर्य राजभाषा कार्य-कलापों के कुशल निष्पादन के उद्देश्य से राजभाषा कर्मियों के चयन से लेकर विभागीय प्रशासन, राजभाषा प्रशिक्षण, राजभाषा प्रकाशन, हिंदी अनुवाद, कार्यालयीन मूल लेखन, राजभाषा बैठकों की व्यवस्था, राजभाषा रिपोर्ट,राजभाषा निरीक्षण, राजभाषा संबंधी मंत्रालय, राजभाषा विभाग एवं अन्य संगठनों की बैठकों /आयोजनों में सहयोग / प्रतिनिधित्व आदि समस्त राजभाषा कार्यों के प्रवर्तन, समन्वयन, समीक्षा एवं पुनर्निरूपण के कार्य से है।राजभाषा प्रबंधन का क्षेत्र उन समस्त विभागों के कार्य -व्यापारों का क्षेत्र है जहाँ राजभाषा हिंदी का प्रयोग अपेक्षित है।ऐसे व्यापक क्षेत्रों में फैले कार्य -व्यापारों के भाषिक माध्यम के रूप में हिंदी को प्रतिष्ठापित और संवर्धित करने के कार्य की व्यवस्था राजभाषा प्रबंधन का उद्देश्य है। इसके अंतर्गत विभिन्न क्षेत्रों के भाषिक प्रबंध पर विचार किया जा सकता है।

1 .कार्मिक एवं प्रशासनिक क्षेत्र:

राजभाषा कार्मिक प्रबंधन वह प्रक्रिया है जो संगठन के राजभाषा विभाग के लिए योग्य और कुशल कार्मिकों का चयन सुनिश्चित कर सके तथा उनके सहयोग से राजभाषा प्रावधानों के समुचित अनुपालन को प्रोत्साहित कर सके। इसी तरह राजभाषा प्रशासनिक प्रबंध से तात्पर्य राजभाषा प्रबंधपरक अनुशासन, प्रशासन, सुविधा और नियमन से संबंधित कार्यों की योजना,कार्यान्वयन और मूल्यांकन से है। इसके अंतर्गत सामान्य कार्मिक एवं प्रशासनिक मामलों, प्रशिक्षण,अनुवाद आदि से संबंधित, विभागों के भाषिक माध्यम के रूप में राजभाषा हिंदी के प्रयोग को बढ़ाना है।इसके लिए समुचित आदेश,परिपत्र आदि जारी करने, तिमाही प्रगति रिपोर्ट की

समीक्षा करने तथा अपेक्षित परामर्श और उनका अनुपालन, पुनरीक्षण आदि कार्यों का निष्पादन राजभाषा प्रबंधन का उद्देश्य हो जाता है।

2 .व्यावसायिक क्षेत्र:

व्यावसायिक क्षेत्रों के भाषिक माध्यम के रूप में राजभाषा हिंदी के प्रतिसस्थापन के प्रबंध के अंतर्गत तकनीकी, गैर -तकनीकी अनगिनत कार्य - व्यापार हैं जिनकी व्यवहत भाषा अंग्रेजी की जगह हिंदी को प्रतिस्थापित करने की व्यवस्था अपेक्षित है।

3 . तकनीकी क्षेत्र:

इस क्षेत्र में राजभाषा हिंदी के प्रयोग के सम्बन्ध में जहाँ तक तकनीकी शब्दावली की बात है, हिंदी में इनका निर्माण और मानकीकरण के कार्य पूर्ण हो चुके हैं। परन्तु इन क्षेत्रों में काम करने वाले कार्मिकों में राजभाषा हिंदी की तद-विषयक शब्दावली के प्रयोग हेतु गहन प्रशिक्षण का अभाव है। अतः राजभाषा प्रबंधन का प्रमुख उद्देश्य तकनीकी क्षेत्र में कार्य करने वाले कार्मिकों के लिए गहन प्रशिक्षण का प्रबंध करना होना चहिए।

4 . विधि और न्याय के क्षेत्र:

विधि और न्याय के क्षेत्र की शब्दावली बहुत कुछ संस्कृत मूल की है और क्षेत्रीय भाषाओँ में भी आमतौर पर समरूप ही है। जहाँ - कहीं अंतर पाया जाए, भारत सरकार द्वारा अनुमोदित शब्दावली को अपनाने के आदेश के साथ ऐसी संस्थाओं में राजभाषा हिंदी का प्रयोग किया जा सकता है।

5 . अंतर्राष्ट्रीय संपर्क के क्षेत्र:

अंतर्राष्ट्रीय व्यवहार एवं संपर्क के लिए राजभाषा हिंदी का अनन्य रूप से प्रयोग का प्रबंध हमारा राष्ट्रिय दायित्व है। इस क्षेत्र में विश्व की प्रमुख भाषाओं से हिंदी में तत्काल रूपांतरण तथा हिंदी से विश्व की अन्य प्रमुख भाषाओं में तत्काल रूपांतरण की व्यवस्था को और अधिक सक्षम बनाए जाने की आवश्यकता है।

6 . राजभाषा ललित साहित्य के क्षेत्र:

राजभाषा ललित साहित्य का क्षेत्र भी आज छोटा नहीं है। आज सरकारी कार्यालयों, सरकारी उपक्रमों तथा बैंकों आदि से अनेक राजभाषा पत्रिकाएं प्रकाशित होती हैं।ऐसी पत्रिकाओं में ललित साहित्य तो होता ही है, संगठन के कर्मचारियों को राजभाषा हिंदी की ओर उन्मुख करने की अद्भुत शक्ति भी होती है। कुशल प्रबंधन के द्वारा इन्हे और अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है।

7 . राजभाषा सहायक साहित्य एवं राजभाषा प्रबंध साहित्य के क्षेत्र:

राजभाषा कार्यान्वयन के कार्य में लगे राजभाषा अधिकारियों, राजभाषा सहायकों, अनुवाद अधिकारियों, हिंदी आशुलिपिकों एवं टंककों आदि को अपने दायित्वों के कुशल निर्वाह के योग्य बनाने के लिए उन्हें राजभाषा प्रबंध साहित्य उपलब्ध कराना और राजभाषा प्रबंधन का प्रशिक्षण देना भी आवश्यक है। यह एक विडंबना है कि राजभाषा प्रबंधन में लगे कार्मिकों को प्रशिक्षित करने के लिए राजभाषा प्रबंध विषयक पुस्तक की उपलब्धता नहीं है।

8 . राजभाषा वित्त एवं प्रोत्साहन प्रबंधन के क्षेत्र:

राजभाषा हिंदी के प्रावधानों के अनुपालन और इसके सफल कार्यान्वयन हेतु राजभाषा वित्त एवं प्रोत्साहन प्रबंध की अहम् भूमिका से इंकार नहीं किया जा सकता। राजभाषा कार्यान्वयन के कार्य से जुड़े अधिकारियों को वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त कार्मिकों के लिए वित्तीय प्रोत्साहन प्रबंधन को और अधिक सक्षम एवं व्यापक बनाए जाने की आवश्यकता है ताकि हिंदी के प्रयोग के प्रति उन्हें और अधिक प्रोत्साहित किया जा सके।

9 . हिंदी पुस्तकालय तथा जन -संपर्क के क्षेत्र:

राजभाषा प्रबंधन को गति देने और उसकी कार्यक्षमता को बनाए रखने में तदनुकूल हिंदी पुस्तकालय का प्रबंध अत्यावश्यक है।पुस्तकालय को एक सार्वविषयिक सूचना केंद्र तथा शैक्षणिक एवं प्रशासनिक शोध संस्थान के रूप में विकसित किया जाना चाहिए। साथ ही, हिंदी के प्रयोग को गति देने के लिए जन -संपर्क अभियान और राजभाषा परामर्श -सेवा प्रारम्भ करने पर भी विचार किया जा सकता है।

अतः आवश्यकता आज इस बात की है कि राजभाषा हिंदी को संविधान की भाषा मात्र से उठाकर व्यवहार की भाषा के रूप में प्रतिस्थापित किया जाए ताकि हिंदी को अपना उचित स्थान प्राप्त हो सके। राजभाषा से संबंधित समस्त सूत्रों के कार्य - व्यापार का अनुकूल दिशा में एवं समग्र प्रयास के रूप में क्रियाशील होना आवश्यक है। इसके लिए राजभाषा कार्य -कलापों के सभी अवयवों की क्रियाओं में लगातार समन्वय की आवश्यकता है। राजभाषा कार्मिक, राजभाषा प्रशासनिक, राजभाषा वित्त एवं राजभाषा प्रोत्साहन कार्यक्रमों में आपसी सूत्रबद्धता होनी चाहिए। यह तभी हो सकता है जब राजभाषा कार्य से जुड़े अधिकारी एवं कार्मिक इन सबों से प्रत्यक्ष जुड़े हों और राजभाषा संबंधी इन प्रबंध व्यवस्थाओं में उनकी प्रत्यक्ष भूमिका हो।

शक्ति, भक्ति और क्रांति की भाषा – हिन्दी

किशोर डी. पारधी
कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी
भारतीय खान ब्यूरो, नागपुर

भाषा क्या है, सबसे पहले इसे समझना जरूरी है। भाषा जितनी सुबोध, सहजगम्य और सरल होगी, भाव सम्प्रेषण उतना ही सफल और सशक्त होगा। कंठ द्वारा निकलने वाली सार्थक वाणी का नाम ही बोली अथवा भाषा है। अनर्गल अथवा असम्बद्ध शब्दों का उच्चारण भाषा नही हो सकती। भारतीय भाषा की परम्परा में हिन्दी का वही स्थान है, जो प्राचीन काल में संस्कृत का था।

जो भाषा मां की गोद से सीखी जाती है, वह मातृभाषा है, और जो कार्यालय के कामकाज के दौरान सीखी जाती है, वह राजभाषा है। कार्यालयीन हिन्दी में सामान्य भाषा का प्रयोग करना अत्यधिक आवश्यक है, क्योंकि कार्यालयीन हिन्दी में सुझावात्मक अभिव्यक्ति की प्रधानता होती है।

कार्यालय में कामकाज की भाषा कैसी हो अथवा कौन- सी हो? उत्तर साफ-साफ है कि किसी भी कार्यालय में उसी भाषा का प्रयोग किया जाना चाहिए जिसमें विचार अटके या रूके नही, जो चुस्त तथा प्रवाहमयी हो। सरकारी कामकाज में सामान्य हिन्दी ही लिखी जानी चाहिए जिसके लिए किसी शब्दकोश की आवश्यकता न हो। शब्दकोश या शब्दावलियां तभी देखनी पडे, जहां विशेष कठिनाई या समस्या हो। भाषा के संबंध में स्थिति स्पष्ट करते हुए 17 मार्च 1976 को राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्देश दिए गए कि सरकारी कार्यालय में बोलचाल की भाषा का प्रयोग किया जाए, और यदि अंग्रेजी के सही पर्याय नही मिल पा रहे हों तो अंग्रेजी शब्दों को देवनागरी में लिख दिया जाए। प्रत्येक भाषा की अपनी अलग-अलग शैली एवं भंगिमा होती है। हिन्दी शैली एवं भंगिमा के मुताबिक कामकाज करने में उन्ही को कठिनाई होती है जो अभ्यास एवं प्रयास करने से हिचकते है। अभ्यास, प्रयास और उत्साह से तो कठिन से कठिन कार्य भी सरल हो जाता है।

इस भाषा की गरिष्ठता पर गौर करें तो यह पता चलता है कि इस भाषा में संतो की वह बौद्धिक क्रांति हुई जिसका लक्ष्य था – वर्ग और जातियों की दिवारों को तोड़कर, अंधविश्वासों को छीनकर समतापूर्ण समाज का निर्माण। इस क्रांति से वर्ण-अवर्ण, हिन्दु, मुसलमान का भेदभाव मिट गया। तभी तो कबीर ब्राम्हणी के घर जन्मा और जुलाहे के घर पला। रैदास के शिष्य ब्राम्हण एवं क्षत्रीय थे। उत्तर-दक्षिण में संतो सूफियों की एक ही भाषा थी। हैदरअली, टीपू सुल्तान ने इसी भाषा को राजभाषा पद दिया। जायसी और तुलसी की चौपाइयां रहीम-बिहारी के दोहे इसी भाषा में लिखे गए हैं।

इस देश में एक लंबी द्विभाषिक स्थिति चल रही है जिसमें केंद्रीय सरकार का कर्मचारी अपना काम हिन्दी या अंग्रेजी में कर सकता है। सामान्य आदेश, अधिसूचना, रिपोर्ट, संविदा करार आदि कागज पत्रों पर दोनो भाषा का प्रयोग आवश्यक है। जब हम देहातो मे बैंक खोलते है, वहां अंग्रेजी नही चल सकेगी,इसी प्रकार चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को अनुशासन संबंधी सूचनाएं देना कहां तक उचित है ? हम सड़को पर यातायात संबंधी सूचनाएं लगाते है, वे भी अंग्रेजी में। क्या इसे देहाती, रिक्शा वाला या तांगेवाला समझ पायेगा। बड़े कंपनी के विज्ञापन अंगरेजी मे होते है। क्या इसे सामान्य जनता समझ पायेगी। इसी प्रकार दुकानों के साइनबोर्ड निमंत्रण पत्र तक अंगरेजी में छापे जाते है। कार्यालयों को स्पष्ट निर्देश है कि हिन्दी में प्राप्त सभी पत्रों के उत्तर अनिवार्य रूप से हिन्दी मे ही दिए जाए।

हिन्दी जन-जन की भाषा है, हिन्दी दिलों को जोड़ती है तोड़ती नही। भारत की दार्शनिक दृष्टि उदारतावादी है, भारत बहुभाषिक देश है, देश के कई प्रांतो में विभिन्न बोलियां प्रचलित है, भारत में विभिन्न धर्म, रीति, रिवाज परम्पराओं से संबंधित जनता विभिन्न रंगो के पुष्प के समान है, इन्हे भाषाई धागे से राष्ट्रभाषा हिन्दी ने बांधे रखा है।

हम इस प्रश्न का हल ढूंढने की कोशिश करें कि हिन्दी ही क्यों? तो इसका उत्तर आसानी से मिल जाएगा कि भाषा एक दिन की उपज नही होती, बल्कि सदियों से उसके पीछे अनेक सामाजिक, सांकृतिक, आर्थिक, राजनीतिक तत्व काम कर रहे होते है। हिन्दी इन्ही तत्वो से विकसित हुई भाषा है। अपनी इस स्वाभाविक स्थिति के कारण ही वह जन-जन की भाषा बनने का गौरव पा सकी तथा प्रशासकीय कामकाज में सम्पर्क भाषा बनकर करोड़ों लोगों की भाषा हिन्दी बनी।

राजभाषा हिंदी
कल, आज और कल

सुबोध कुमार
आशुलिपिक
भारतीय खान ब्यूरो, नागपुर

राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने 27 दिसम्बर 1917 को कोलकाता में कहा था, 'यदि हम अंग्रेजी के आदि नहीं हो गये होतें, तो यह समझने में हमें देर नहीं लगती कि अंग्रेजी के शिक्षा का माध्यम होने से हमारी बौद्धिक चेतना जीवन से कट कर दूर हो गयी है, हम अपनी जनता से अलग हो गये हैं, जाति के सर्वश्रेष्ठ विभागों का विकास रुक गया है और जो विचार हमें अंग्रेजी के माध्यम से मिले, उन्हें हम जनता में फैलाने में नाकामयाब रहे हैं। पिछले 60 वर्षों से हमने विचित्र-विचित्र शब्दों को केवल रटना सीखा है, तथ्यपूर्ण ज्ञान पचाने के बदले हमने शब्दों का उच्चारण सीखा है। इस दुर्गति की मिसाल सारी दुनिया के इतिहास में नहीं है।' राष्ट्रपिता के इन शब्दों में छिपी उनकी मन की व्यथा को समझने पर हमारे लिये अपनी राजभाषा हिन्दी के कल, आज और कल को समझना आसान होगा।

विभिन्न राजनैतिक और धार्मिक कारणों से खड़ी बोली (वर्तमान हिन्दी) सत्रहवीं शताब्दी तक भारत में व्याप्त हो चुकी थी। यही कारण है कि जब पिछली सदी में भारतीय पुनर्जागरण आरंभ हुआ, तो पूरे देश को जोड़नेवाली भाषा के रूप में खड़ी बोली के महत्व की ओर राजाराम मोहन राय, केशव चन्द्र सेन और महर्षि दयानंद जैसे महान नेताओं का ध्यान गया। ब्रह्म समाज के प्रवर्त्तक राजा राममोहन राय ने अपने विचारों के प्रचार के लिये 'उदंतमार्चण्ड' नामक हिन्दी पत्र प्रकाशित किया। आर्य समाज के जन्मदाता महर्षि दयानंद ने इसमें अपने विख्यात 'सत्यार्थप्रकाश' तथा अन्य कई पुस्तकों की रचना की और इसे अखिल भारतीय भाषा के रूप में प्रतिष्ठित करने का सबसे पहला सुव्यवस्थित प्रयत्न किया। राजा राम मोहन राय के जीवनकाल में ही कलकत्ता में फोर्ट विलियम कालेज की स्थापना हुई, जहां विदेशियों को हिन्दी सिखलाने के उद्देश्य से गद्य की कई महत्त्वपूर्ण पुस्तकें लिखी गयी। विदेशी ईसाई धर्म प्रचारकों ने अपने मत के प्रचार के लिये हिन्दी में जो पुस्तकें तैयार की या कराई, हिन्दी के प्रसार में उनकी भूमिका कम महत्वपूर्ण नहीं है। उल्लेखनीय है कि अखिल भारतीय भाषा के रूप में हिन्दी के प्रसार और प्रतिष्ठा की प्रस्तावना सबसे पहले उन महापुरुषों ने की, जो हिन्दीतर प्रदेशों के थे।

हिन्दी के लिये पिछली सदी कई दृष्टियों से महत्वपूर्ण है। इस सदी में हिन्दी गद्य का न केवल विकास हुआ, वरन् भारतेंदु हरिश्चंद्र ने उसे मानक रूप प्रदान किया। इसी सदी में ऐसे महापुरुष उत्पन्न हुये जिन्होंने हिन्दी की पहचान अखिल भारतीय संपर्क सूत्र के रूप में इतिहास द्वारा प्रदन भाषा के रूप में की और इसके लिये प्रयत्न आरंभ किया। वह अकारण नहीं है कि महात्मा गांधी ने हिन्दी के प्रश्न को स्वराज्य का पश्न माना, कांग्रेस को इसके प्रचार का एक शक्तिशाली माध्यम बनाया ओर हिन्दी प्रचार सभाओं की स्थापना की। पिछले छह सौ वर्षों से भारतीय इतिहास ने जिस भाषा को अखिल भारतीय भाषा बनाने की साधना की, उसे सिद्धि तक ले जाने का सबसे बड़ा श्रेय महात्मा गांधी को ही है।

देश की स्वाधीनता के पश्चात् संविधान सभा ने 14 सितम्बर, 1949 को हिन्दी को संघ की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया था। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 (1) के अनुसार संघ की राजभाषा हिन्दी व उसकी लिपि देवनागरी है। अनुच्छेद ३५१ के अन्तर्गत संघ को यह निर्देश दिया गया है कि वह हिन्दी भाषा के प्रसार और विकास के लिये आवश्यक कदम उठाये ताकि वह भारत की सामासिक संस्कृति के सभी तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके। संघ की राजभाषा से सम्बंधित विभिन्न संवैधानिक उपबंधों को कार्यरूप देने के उद्देश्य से भारत सरकार ने सन् 1963 में राजभाषा अधिनियम एवं इसकी धारा 8 के अधीन संघ के सरकारी प्रयोजनों के लिये राजभाषा नियम, 1976 बनाये। वस्तुतः ये नियम सरकार की राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के लिये व्यापक मार्गदर्शक सिद्धांतों की भूमिका निभाते हैं। तात्पर्य यह निकला कि भारत सरकार की राजभाषा नीति के अन्तर्गत सरकारी कामकाज में हिन्दी के प्रयोग को उत्तरोत्तर बढ़ाया जाना है। पिछले कई दशकों से हमने देखा है कि प्रशासनिक प्रयोजनों से लेकर व्यावसायिक सम्प्रेषण तक, संचार माध्यमों से लेकर शैक्षणिक पटल तक, विज्ञापन से लेकर तकनीक। प्रौद्योगिकी की प्रत्येक नई विद्या तक हिन्दी ने दस्तक दी है। आज हर नया विज्ञापन हिन्दी की आकर्षण शक्ति और प्रभावात्मकता का परिचायक है। कम्प्यूटर, फैबस, दूरसंचार, इंटरनेट जैसे नये संचार माध्यमों में भाषा प्रयुक्ति के सर्वथा नवीन आयाम उपस्थित हुये हैं। विशेषतः कम्प्यूटर ने तो सारे संसार में अभिव्यक्ति और कार्यशैली को ही बदल डाला है। आज सूचना प्रौद्योगिकी की वृहत्तर भूमिका को देखते हुये वैश्विक स्तर पर हिन्दी भौगोलिक सीमाओं को पारकर सूचना प्रौद्योगिकी के परिवर्तित परिदृश्य में रेदृश्य में विभिन्न जनसंचार माध्यमों में घुलने लगी है। इस प्रकार हिन्दी नये साफ्टवेयर, इंटरनेट, कंप्यूटर प्रौद्योगिकी, बाजारवादी वर्चस्व आदि सभी की चुनौती को स्वीकार कर अन्तराष्ट्रीय स्तर पर विश्व भाषा की अपनी नई भूमिका के लिये संघर्षरत है।

साहित्यिक भाषा का पुनर्जन्मः तकनीक की कलम से

नेहा नरवल
कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी
भारतीय खान ब्यूरो, अजमेर

पुनर्जन्म, वास्तव में एक गाथा है रूप परिवर्तन की। तथैव, साहित्यिक भाषा का पुनर्जन्म भी इसके रूप परिवर्तन की ही गाथा है । विलियम समरसेट मामोम के शब्दों में, साहित्य मानव सभ्यता की आत्मा है। सभ्यता में अब तक आये विभिन्न परिवर्तनों ने साहित्य को भी प्रभावित किया है। परिवर्तनों की श्रंखलाओं में तकनीकी का विकास मानव सभ्यता का सबसे बडा परिवर्तन रहा है जिससे जीवन जीने के तरीकों मे आमूलचूल परिवर्तन आ गया, और इसी परिवर्तन ने मानवीय अभिव्यक्ति में भी परिवर्तन कर साहित्य के पुनर्जन्म की गाथा लिख दी। तकनीक व साहित्य का संगम, दो जलधाराओं के संगम के समान है, जो कि सह-अस्तिव की एक नई परिभाषा लिखते है । इन दोनो के संगम ने साहित्य के उपकरणों, विविध रूपों, इसके प्रकारों व साहित्यिक भाषा मे वैविध्यता को ला दिया है।

पारंपरिक साहित्य से वर्तमान तक साहित्य की यात्रा को एक नजर से यदि देखा जाए तो इसने कलम से टाईपिंग की खट – खट तक, कागज की खुशबू से स्क्रीन के विजुवल्स तक, विजुवल्स से ऑडियों तक अपना एक दौर पूरा किया है । कही ना कही श्रुतिलेख से आरंभ हुआ साहित्य का इतिहास पुन:ऑडियोबुक और पॉडकास्ट के रूप में सुनने पर ही लौट आया है, अंतर इतना है कि इसे याद रख कर अगली पीढी तक पहुंचाने जैसी बडी जिम्मेदारी अब नही रही, डिजिटल मीडिया इस भूमिका को बखूबी निभा रहा है । यह सब परिवर्तनों का दौर सिर्फ साहित्य के रूप, प्रकारों तक ही नही रहा अपितु इसका प्रभाव साहित्यिक भाषा तक भी विस्तरित हुआ।

साहित्यिक भाषा मानवीय भावनाओं, विचारों और कल्पनाओं की गहराईयों को व्यक्त करती है। यह भाषा केवल संवाद का माध्यम नही अपितु संस्कृति और सभ्यता की पहचान है। पारंपरिक साहित्यिक भाषा एक बिंदु पर असीम गहराई तक ले जा कर उसे विभिन्न बिंदुओं मे विस्तरित कर विविध अनुभवों तक पहुचा देने के लिए शब्दों के चयन, वाक्य संरचना, शैली और अलंकारों को महत्व देने वाली रही है। अभिव्यक्ति को विस्तार देने वाली इस पारंपरिक साहित्यिक भाषा तक सामान्य जन की सीमित पहुंच इसकी एक सीमा के रूप में रही।

तकनीकी विस्तार के दौर ने व्यक्ति, विचार, भावनाओं के स्थान व समय की बाध्यता को समाप्त कर दिया। इसका असर साहित्य पर भी हुआ। साहित्य ने समय, स्थान के बंधनों को तोड़कर अपने आपको सर्वव्यापी बना लिया। अब साहित्य केवल शिक्षा संस्थानों, कवि सम्मेलनों, समाचार पत्रों व पत्रिकाओं, बुद्धिजीवी संगोष्ठियों का ही हिस्सा नही रहा अपितु डिजिटल प्लेटफार्मों पर अपनी उपस्थिति दर्ज कर क्लिक मात्र की दूरी पर सर्वमान्य का हिस्सा बन गया । क्षेत्रीय लेखन ने अब वैश्विक पहुंच प्राप्त कर ली । तकनीक से आए परिवर्तनों ने ना केवल साधनों मे बदलाव किया है बल्कि इसने साहित्य के स्वरूप को भी नये आयाम दिया है। नये युग के साथ साहित्य ने नई दृष्टि, नए रूप, नई शैलियां, नई अभिव्यक्तियां व नए भाषागत स्वरूप प्राप्त कर लिए । वास्तव में साहित्यिक भाषा के लिए तो यह परिवर्तन पुनर्जन्म के समान ही रहा ।

तकनीकी प्रगति ने मानव जीवन को सुविधाजनक तो बनाया ही, साथ ही इसे तीव्रता भी प्रदान की । भागती – दौड़ती इस दुनिया में साहित्य ने भी एक सुगमता का रूप प्राप्त कर लिया। साहित्य की इस सुगमता को सहज बनाने का कार्य किया साहित्यिक भाषा में आये नए बदलावों ने। ब्लॉग, सोशल मीडिया और ई – बुक्स के माध्यम से अब साहित्यिक अभिव्यक्ति की जन-जन तक पहुंच ने साहित्यिक भाषा को अधिक समावेशी और विविधतापूर्ण बना दिया। उदाहरणतः 'हिंदी कविता डॉट कॉम' और 'प्रतिलिपि' जैसे प्लेटफॉर्म पर लेखक अपनी रचनाएँ प्रकशित कर रहे है। इसी दौर ने इंस्टाग्राम

कविता (इंस्टा-पोएट्री), माइक्रोफिक्शन, ट्विटर लघुकथाएँ और डिजिटल उपन्यास जैसी विधाओं ने साहित्यिक भाषा में नवाचार को प्रोत्साहन दिया है। यह पारंपरिक लेखन की सीमाओं को चुनौती देता है और नए पाठकों को आकर्षित करता है। संचार की तेज गति व समय की कमी ने साहित्यिक लेखन में सरल और संक्षिप्त भाषा के उपयोग को बढा दिया। एक ओर, पारंपरिक शब्दावली और शैलियों का संरक्षण व दूसरी ओर, तकनीकी शब्दावली और आधुनिक संदर्भों का समावेश बढ रहा है। अनुवाद उपकरणों के कारण, साहित्यिक रचनाओं का अनुवाद अब तेजी से हो रहा है। स्थानीय अनुदित रचनाओं को अंतर्राष्ट्रीय पहुंच प्राप्त हो रही है। दो अनुदित भारतीय पुस्तकों ने हालिया वर्षों में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता है: 'गीतांजली श्री' की 'टॉम्ब ऑफ सैंड' (हिंदी से अनुवादित) 2022 में, और 'बानु मुश्ताक' की 'हार्ट लैम्प' (कन्नड़ से अनुवादित) 2025 में। इससे भाषाओं के बीच आदान – प्रदान बढा है और साहित्यिक भाषा अधिक वैश्विक हो गई है। 'रेख्ता' जैसी वेबसाईट हिंदी व उर्दू साहित्य को सब तक पहुंचाने का माध्यम बनी। अमेजन किंडल पर इ-बुक्स के माध्यम से कई क्षेत्रीय भाषाओं मे साहित्य सुलभ हो गया है। यह न केवल साहित्य को सांस्कृतिक रूप से समृद्ध करता है, बल्कि इसे बहुभाषी दृष्टिकोण भी प्रदान करता है। ए आई टूल्स का उपयोग लेखन की गति देने, व्याकरण सुधारने और पाठकों के व्यवहार को समझने के लिए किया जा रहा है। हालांकि, इसका एक नकारात्मक पहलू यह है कि यह मानवीय रचनात्मक्ता को चुनौती दे सकता है। तकनीकी युग ने साहित्य में सामाजिक मुद्दों की प्रस्तुति को भी प्रभावित किया है। डिजिटल माध्यमों के जरिए साहित्यिक भाषा में तात्कालिकता और जागरुकता आई है। उदाहरण के लिए, जलवायु परिवर्तन, लैंगिक समानता और तकनीकी दुष्प्रभाव जैसे विषयों पर अधिक ध्यान दिया जा रहा है। तकनीकी और साइंस-फिक्शन आधारित साहित्य का चलन भी बढ़ा है। ऑनलाईन मंचों और सोशल मीडिया ने साहित्यिक संवाद को विस्तृत कर दिया है। लेखक और पाठक के बीच की दूरी कम हो गई है, जिससे साहित्यिक भाषा को नई ऊर्जा और दिशा मिली है।

तकनीकी युग में साहित्यिक भाषा ने जहाँ नए आयाम हासिल किए है, वहीं इसे कई चुनौतियों का सामना भी करना पडा है। इन चुनौतियों को समझना और उनके समाधान तलाशना साहित्यिक संस्कृति को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। डिजिटल प्लेट्फॉर्म पर सामग्री की भरमार और तेज उपभोग के चलन ने साहित्यिक गहराई को प्रभावित किया है। छोटे और सरल फॉर्मेट्स (जैसे-ट्वीट्स और इंस्टा - पोएट्री) में गहराई और व्याख्या की कमी देखी जा रही है। उचित तो यह होगा कि साहित्य में गुणवत्ता को प्राथमिकता दें और गहन लेखन को प्रोत्साहित करें। सोशल मीडिया पर तेजी से लिखने और संचार करने के कारण व्याकरण और भाषा की शुद्धता में गिरावट आई है। ए आई व तकनीकी उपकरणों का लेखन मे प्रयोग ने रचनात्मकता को तकनीकी पर निर्भर बना दिया है, इससे मानव लेखन और अभिव्यक्ति के मूल तत्व कमजोर हो सकते है। तकनीकी युग मे अंग्रेजी व अन्य वैश्विक भाषाओं का दबदबा बढ़ा है जिससे स्थानीय भाषाएँ और उनकी साहित्यिक अभिव्यक्ति पीछे छूट रही है। इसके अतिरिक्त डिजिटल युग में साहित्य अधिक उपभोक्तावादी हो गया है। लोकप्रियता और व्यवसायिकता के चलते साहित्य का स्तर कभी-कभी गिर जाता है। पाठकों की तात्कालिक संतोष की मांग के कारण साहित्यिक लेखन पर भी तेज उत्पादन का दबाव है जिसने लेखन की गहराई और गुणवत्ता प्रभावित होती है। तकनीकी युग में साहित्यिक चोरी आसान हो गई। तकनीकी शब्दावली के बढते उपयोग से साहित्यिक भाषा में पारंपरिक सौंदर्य और लय कमजोर हुए है।

इन सभी चुनौतियों के समक्ष आवश्यकता है कि तकनीकी प्रगति और साहित्यिक संवेदनाओं के बीच संतुलन बनाया जाए ताकि साहित्यिक भाषा का यह नवयुग समाज को नई दिशा और दृष्टि प्रदान कर सके। तकनीकी युग में साहित्यिक भाषा का स्वरूप बदल रहा है, लेकिन इसके मूल सिद्धांत और संवेदनाएँ आज भी प्रासंगिक है। यह बदलाव साहित्य को अधिक सुलभ और बहुआयामी बना रहा है, लेकिन इसकी गुणवत्ता, गहराई और विविधता को बनाए रखना अनिवार्य है। साहित्य और तकनीकी के बीच एक रचनात्मक और समन्वयपूर्ण संबंध स्थपित करना समय की माँग है।

तकनीकी युग में साहित्य और भाषा ने अपने विकास में तेजी देखी है, और भविष्य में इसकी सम्भावनाएँ और भी व्यापक होंगी। तकनीक और साहित्य के सामंजस्य से लेखन और अभिव्यक्ति के नए आयाम खुलेंगे। मशीन जनरेटेड साहित्य पाठक की व्यक्तिगत रूचि और भावनाओं के अनुसार साहित्यिक अनुकूलन से तैयार होगा। अंतर्राष्ट्रीय पाठक वर्ग का निर्माण होगा। वर्चुअल रियलिटी साहित्य विकसित होगा, जिसे पाठक पढने के साथ साथ अनुभव कर सकेंगे। डिजिटल पुस्तकालयों का निर्माण होगा। टेक्स्ट, ग्राफिक्स, ऑडियों और विडियो के सम्मिश्रण से हाइब्रिड साहित्य तैयार होगा। भाषा की शुद्दता मे तकनीकी का प्रयोग प्रभावी रहेगा।

भविष्य मे तकनीकी युग और साहित्य का संगम न केवल लेखन प्रक्रिया को बदल देगा, बल्कि अभिव्यक्ति और संवाद के नए तरीकों को जन्म देगा। साहित्य अधिक संवादात्मक, सुलभ और वैश्विक बनेगा। हालांकि, रचनात्मकता, गहराई और मानवता के मूल तत्वों को बनाए रखना साहित्य का प्रमुख लक्ष्य रहेगा। हर नई तकनीक इंसान के जीवन को बदलती है, लेकिन साहित्य उसकी आत्मा को जीवित रखता है। तकनीक हमें तेज दौडना सिखाती है, लेकिन साहित्य हमें ठहरकर सोचने का वक़्त देता है।

हिंदी पत्रकारिता दिवसः

इतिहास, संकट और पुनरावलोकन की आवश्यकता

आयुष सेंगर
तकनीकी सहायक (प्रकाशन)
भारतीय खान ब्यूरो, नागपुर

हर वर्ष 30 मई को हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है। यह दिन हमें उस ऐतिहासिक क्षण की याद दिलाता है जब 1826 में कानपुर निवासी पंडित युगल किशोर शुक्ल ने भारत का पहला हिंदी अखबार 'उदन्त मार्तण्ड', जिसका मतलब है 'उगता हुआ सूरज', कोलकाता से प्रकाशित किया था। ब्रिटिश शासन के दौरान हिंदी भाषा में समाचार पत्र प्रकाशित करना एक साहसी प्रयास था, जिसने भारतीय जनमानस को एक नई आवाज़ दी। यह वह समय था जब अधिकांश अखबार अंग्रेजी, फारसी या बंगाली में छपते थे। लेकिन पंडित युगल किशोर ने अंग्रेजो के नाक के नीचे से उदंत मार्तंड का प्रकाशन कर भारत में हिंदी पत्रकारिता की आधारशिला रखी।

हर मंगलवार को छपने वाले इस साप्ताहिक अखबार से अंग्रेज इस कदर तंग आ गये थे कि इसका प्रकाशन डेढ़ वर्ष तक ही चल सका और इसका 79वां और आखिरी अंक दिसंबर 1827 में प्रकाशित हुआ।

हिंदी पत्रकारिता दिवस एक चेतावनी है, अगर हम अब भी नहीं जागे, तो वह पत्रकारिता जिसे कभी जनक्रांति की मशाल कहा जाता था, वह इतिहास की किताबों तक सिमट कर रह जाएगी।

भारतीय खान ब्यूरो में नियुक्ति मिलने से पहले मैं दीन दयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के हिंदी, आधुनिक भारतीय भाषा एवं पत्रकारिता विभाग में स्नातक और स्नातकोत्तर के विद्यार्थियों को पत्रकारिता पढ़ाता था। छात्रों को पढ़ाते समय मेरा उनसे पहला सवाल यह होता था कि "आपकी नजर में पत्रकारिता मिशन है या प्रोफेशन?" तब बच्चे तुरंत जवाब देते, 'प्रोफेशन'। भुमंडलीकरण का दौर और बाजार के दबाव ने पत्रकारिता को प्रोफेशन बना जरूर दिया है, लेकिन हिंदी पत्रकारिता ने आज़ादी की लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। राजा राममोहन राय के बंगदूत, श्री गोविंद रघुनाथ तथागत का साप्ताहिक "बनारस अखबार", बाबूराव विष्णु पराड़कर का 'आज', माखनलाल चतुर्वेदी का 'कर्मवीर', गणेश शंकर विद्यार्थी का 'प्रताप', आदि जैसे पत्रों ने सामाजिक चेतना को जगाया और स्वतंत्रता आंदोलन को जन-जन तक पहुँचाया। उस समय पत्रकारिता को एक मिशन माना जाता था—जिसका उद्देश्य अंग्रेजी हुकुमत को उखाड़ फेंकना, सामाजिक सुधार, जनजागरण और राष्ट्र निर्माण था।

आज के परिप्रेक्ष्य में हिंदी पत्रकारिता की स्थिति चिंताजनक है। तेजी से बदलते मीडिया परिदृश्य और डिजिटल युग में मीडिया संस्थानों का लाइक, शेयर और रीच बढ़ाने पर ज्यादा जोर रहता है। जिसके चक्कर में वे पत्रकारिता के मूल सिद्धांतों और संहिता को ताक पर रख देते हैं। खबरों से ज्यादा वायरल कंटेंट तैयार करने वाली परम्परा ने पत्रकारिता को एक मिशन से अधिक व्यवसाय बना दिया है। तथ्यों और शोधपरक रिपोर्टिंग की जगह अब सनसनीखेज सुर्खियाँ और भड़काऊ न्यूज शो ने ले ली है। 'देश द्रोही कौन?', 'आर-पार', 'डंके की चोट', 'बड़ी साजिश का खुलासा', 'धमाका आज रात 9 बजे!', 'हल्ला बोल' जैसी हेडलाइंस ने पत्रकारिता की विश्वसनीयता को गहरा आघात पहुँचाया है। मानों यह जानकारी प्रदान करने की बजाए जनता से जंग लड़वाना चाहतें हो। अखबारों की ज्वाला उगलती सुर्खियां, भ्रामक खबरें (फेक न्यूज), चैनलों पर चिल्लाते एंकरों ने जनता के बीच सनसनी और निराशा जैसी स्थिति पैदा कर दी है। खबरों को जल्दी पहुंचाने की होड़ और टीआरपी की प्रतिस्पर्धा के चलते मीडिया संस्थान हर खबर को सनसनीखेज बना दे रहें है, जिसका लोगों के मानसिक स्थिति पर भी काफी बुरा प्रभाव पड़ा है।

इस संदर्भ में हिंदी पत्रकारिता दिवस केवल एक औपचारिकता न होकर आत्ममंथन का अवसर बनना चाहिए। क्या हम फिर से उस पत्रकारिता की ओर लौट सकते हैं जो जनता जागरूक, शिक्षित और सशक्त बनाने का काम करती थी? खबर पहुंचाने के साथ-साथ मीडिया का दायित्व जनता के बीच आपसी सौहार्द बनाना भी है। एक सभ्य समाज के निर्माण के लिए और देश की एकता बरकारार रखने के लिए मीडिया को आक्रमक की बजाए शांत और सरल रवैया अपनाने की जरूरत है।

हिंदी पत्रकारिता को पुनः सत्य, निष्पक्षता और जनहित के मूल सिद्धांतों पर लौटना होगा। इसके लिए नए पत्रकारों को शिक्षित, संवेदनशील और जवाबदेह बनना होगा। पत्रकार साथियों को यह याद रखने की जरूरत है कि पत्रकारिता प्रोफेशन के साथ-साथ मिशन भी है। साथ ही, पाठकों और दर्शकों को भी जिम्मेदारी से मीडिया का उपभोग करना होगा।

हिंदी पत्रकारिता दिवस एक चेतावनी है, अगर हम अब भी नहीं जागे, तो वह पत्रकारिता जिसे कभी जनक्रांति की मशाल कहा जाता था, वह इतिहास की किताबों तक सिमट कर रह जाएगी।

हिंदी लोकोक्तियों में स्वस्थ जीवन के मन्त्र

कृति गुप्ता
आशुलिपिक
भारतीय खान ब्यूरो, नागपुर

> किसी भी समाज में अनुभवों का निचोड़ ही लोकोक्ति है
> –जयशंकर प्रसाद
>
> शिक्षाप्रद जनश्रुतियां ही लोकोक्तियाँ हैं
> –आचार्य चतुरसेन शास्त्री

भाषा मानव सभ्यता के सर्वश्रेष्ठ आविष्कारों में से एक है, जो मानव जाति के विचार-विनिमय का प्रमुख माध्यम है। कोई भी भाषा मात्र एक भाषा ही नहीं, अपितु संस्कृति, ज्ञान एवं भावों की संवाहक भी होती है। भाषा जब सदियों के ज्ञान एवं अनुभव को लोकधारा से जोड़ कर चलती है तो वह लोकोक्ति का रूप धारण कर लेती है। लोकोक्तियों का सम्बन्ध किसी व्यक्ति विशेष (विद्वान, महापुरुष आदि) के ज्ञान अथवा विचार से न होकर लोक-अनुभव पर आधारित होता है। लोक-जीवन में दीर्घ काल के अनुभव अथवा ज्ञान से जो बातें अर्थपूर्ण कथन का आकार ग्रहण कर लेती हैं, लोकोक्ति कहलाती हैं। हर लोकोक्ति लोक मानस के धरातल पर विविध कसौटी पर परखे जाने के बाद ही अपना पूर्ण स्वरूप ग्रहण करती है,

फिर वह उस स्थान विशेष, समाज विशेष की एक सांस्कृतिक धरोहर बन जाती है। यूं तो लोकोक्तियां मानव जीवन के विभिन्न पहलुओं पर गढ़ी गई हैं, किन्तु जब ये स्वास्थ्य से संबंधित पहलुओं को अपने भीतर समेट कर एक स्वस्थ जीवन की राह दिखलाती हैं, तो ये स्वास्थ्य संबंधी लोकोक्तियां कहलाती हैं।

लोकोक्ति की परिभाषा

हिन्दी के मूर्धन्य विद्वान महावीर प्रसाद द्विवेदी के अनुसार, ''लोकोक्तियां आम जन-मानस द्वारा स्थानीय बोलियों में हर दिन की परिस्थितियों एवं संदर्भों से उपजे ऐसे पद अथवा वाक्य होते हैं, जो किसी खास समूह, उम्र, वर्ग या क्षेत्रीय दायरे में प्रयोग किए जाते हैं। इनमें स्थान विशेष के भूगोल, संस्कृति, भाषाओं का मिश्रण इत्यादि की झलक मिलती है।''

स्वास्थ्य- विषयक लोकोक्तियां

लोकोक्ति की अवधारणा एवं परिभाषा से यह तो स्पष्ट है कि लोकोक्तियां एक दीर्घकालिक प्रक्रिया से गुजरकर ही एक परंपरा का निर्माण करती हैं। इसी प्रकार स्वास्थ्य चिंतन भी एक परंपरा है, जो सदियों के अनुभवों पर आधारित है। ऐसे में भाषा के लोकोक्ति स्वरूप में स्वास्थ्य चिंतन की धारा का निरंतर प्रवाहमान होना हमारे लिए हमारे पूर्वजों के ज्ञान की अमूल्य धरोहर है। ये लोकोक्तियां स्वास्थ्य के महत्व, स्वस्थ जीवनशैली और अच्छे खान-पान के बारे में बतलाती हैं। आयुर्वेद के अनुसार, हर मानव का स्व-स्वास्थ्य की रक्षा करना उसका परम कर्तव्य होना चाहिए और उसके लिए स्वस्थवृत्त का पालन करना अपरिहार्य बताया गया है। स्वस्थवृत्त के मुख्य घटकों में आदर्श दिनचर्या, रात्रिचर्या, ऋतुचर्या, आहारचर्या के अतिरिक्त योग, प्राकृतिक उपचार एवं रोगोपचार आदि शामिल हैं। स्वस्थवृत्त को ध्यान में रखते हुए स्वास्थ्य संबंधी चिंतन, ज्ञान तथा अनुभूत प्रयोगों को स्वास्थ्य संबंधी लोकोक्तियों में समेटकर हमें सदियों से स्वस्थ जीवन के लिए प्रेरित किया जाता रहा है। ये लोकोक्तियां हमारे पूर्वजों की समृद्ध बुद्धि एवं स्वास्थ्य कौशल की साक्षी हैं। ये लोकोक्तियां वास्तव में हमारे लिए स्वस्थ जीवन-मंत्र की तरह हैं, जो आज भी प्रासंगिक हैं। स्वस्थ जीवन के मंत्र लिए हिन्दी लोकोक्तियां विशेषकर हिन्दी भाषी क्षेत्र, जैसे उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश आदि में सदियों से प्रचलित हैं।

स्वास्थ्य- विषयक प्रचलित लोकोक्तियां

स्वस्थवृत्त के आधार पर स्वास्थ्य-विषयक प्रचलित लोकोक्तियां असंख्य हैं, जिनमें से मुख्य लोकोक्तियां इस प्रकार है:-

"तीन बजे जागे सो योगी,
चार बजे जागे सो संत,
पांच बजे जागे सो महात्मा,
छह बजे जागे सो भगत,
बाकी सब ठगत।"

(**भावार्थ:** योगी पुरुष तीन बजे जागते हैं, संत पुरुष चार बजे, महात्मा लोग पांच बजे और भक्तजन छह बजे अपनी शैया का त्याग कर देते हैं। शेष लोग को छह बजे के बाद जागते हैं, वे स्वयं को ठग रहे होते हैं, अर्थात अपने स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रहे होते हैं।)

"प्रातः काल खाट से उठकर पिए तुरतहि पानी,
उस घर वैद्य कबहुं नहीं आए, बात सभी ने जानी।"

(**भावार्थ:** प्रातःकाल बिस्तर त्यागते ही जो व्यक्ति तत्काल पानी पीता है, वह वैद्यों से दूर रहते हुए पूर्ण स्वस्थ जीवन जीता है।)

"मोटी दतुअन जो करे, नित उठ हिर्रा खाय,
बासी पानी जो पिए, ता घर वैद्य न आय।"

(**भावार्थ:** प्रतिदिन दातुन करने वाला, नित्य सबेरे हरड़ का सेवन तथा रात्रि का रखा पानी पीने वाला व्यक्ति कभी अस्वस्थ नहीं होता और उसे चिकित्सक के पास नहीं जाना पड़ता है।)

"प्यास लगे तो जल पिए, भूखे भोजन खाये,
भ्रमण करे नित भोर में, ता घर वैद्य न जाय।"

(**भावार्थ:** सदैव प्यास लगने पर पानी पीना, भूख लगने पर भोजन करना और नियमित प्रातःकाल भ्रमण करने वाले को चिकित्सक के पास नहीं जाना पड़ता है।)

"दोनों बेर जो चले-फिरे, तीन काल जो खाय,
सदा स्वस्थ सुन्दर रहे, जो प्रातहि उठ नहाय।"

(**भावार्थ:** जो व्यक्ति सुबह-शाम टहलता हो, तीन बार आहार ग्रहण करता हो और प्रातःकाल उठकर स्नान कर लेता हो, वह व्यक्ति सदा स्वस्थ एवं सुन्दर बना रहता है।)

"प्रातःकाल नित जो करै योग, दूर रहें फिर सारे रोग।"

(**भावार्थ:** प्रतिदिन सुबह योग करने वाला सदा रोग रहित जीवन जीता है।)

"दाहिने स्वर भोजन करै, बाएं पीवै नीर
ऐसा संयम जब करै, सुखी रहै शरीर।"

(**भावार्थ:** दायीं नासिका से सांस चलने पर भोजन तथा बायीं और सांस चलने पर जल ग्रहण करना चाहिए, इस प्रकार संयम करने वाले का शरीर सदा सुखी रहता है।)

"पहले पीवै जोगी,
बीच में पीवै भोगी
पीछे पीवै रोगी।"

(**भावार्थ:** भोजन से पूर्व पानी का सेवन करने वाला व्यक्ति योगी के सामान है, मध्य में पीने वाला भोगी तथा भोजन के अंत में जल ग्रहण करने वाला व्यक्ति शीघ्र ही रोगी बन जाता है।)

"ब्यारू कर सौ पग चले, द्वै इक पान चबाय
बायीं करवट नींद लै, ता घर वैद्य न जाय।"

(**भावार्थ:** भोजन पश्चात् सौ कदम चलना, दो-एक पान चबाना तथा बायीं करवट सोने वाला व्यक्ति सदा स्वस्थ रहता है।)

"रोज सबेरे जल पियें, भोजन के संग छाछ,
दूध पिए फिरि रात को, रोग न आवे पास।"

(**भावार्थ:** प्रातःकाल उठते ही पानी का सेवन, भोजन के संग छाछ का सेवन और रात्रि में सोते समय दूध का सेवन करने वाला कभी रोगी नहीं होता है।)

"जो रोज पपीता खाय,
ता घर वैद्य न आय।"

(**भावार्थ:** पपीता फल स्वास्थ्य के लिए हितकारी है, जिसके सेवन से व्यक्ति स्वस्थ रहता है।)

"खाय चना, रहे बना।"

(**भावार्थ:** चने का सेवन करने वाला सदा स्वस्थ बना रहता है।)"वाम करवट सोवे,
काल बैठ कर रोवे।"

(**भावार्थ:** बायीं करवट सोना स्वास्थ्य के लिए नितांत लाभप्रद है, ऐसा व्यक्ति अकाल मृत्यु से सुरक्षित रहता है।)

"सावन में गुड़ खावै,
चाहे मुहर बराबर आवै।"

(भावार्थ: श्रावण के महीने में गुड़ का सेवन अवश्य करना

चाहिए, चाहे उसका मूल्य सोने की मोहर के बराबर ही क्यों न हो, अर्थात् श्रावण के महीने में गुड़ सेवन स्वास्थ्यवर्धक है।)

''चैत्र चना, वैशाखे बेल,
जेठ शयन अषाढ़े खेल।
जो इस तरह जीवन
जिए, रहे स्वास्थ्य से
मेल।''

(**भावार्थः** चैत्र में चने एवं वैशाख में बेल फल का सेवन, जेठ की दोपहरी में सोना एवं आषाढ़ में खेलकूद करने से शरीर स्वस्थ और निरोगी रहता है।)

''हरड़-बहेड़ा-आंवला,
घी-शक्कर में खाय,
हाथी दाबै कांख में, साठ
कोस ले जाय।''

(**भावार्थः** घी और शक्कर के साथ जो त्रिफला (हरड़-बहेड़ा-आंवला) का सेवन करता है, उसे असीम बल की प्राप्ति होती है।)

''अर्द्ध रोग हरे नद्रिा,
पूरण रोग हरे कुषुधा।''

(**भावार्थः** सुखपूर्वक गहरी नींद रोग को आधा ठीक कर देती है तथा सच्ची भूख सम्पूर्ण रोग को हरने की क्षमता रखती है।)

''काली मिर्च पीस कर, घी बूरा संग खाय।
नेत्र रोग सब दूर हों, गिद्ध-दृष्टि हो जाय।''

(**भावार्थः** पिसी काली मिर्च के संग घी तथा बूरा (शक्कर) खाने से नेत्र रोग दूर हो जाता है तथा दृष्टि तीक्ष्ण हो जाती है।)

''छोटी पीपल शहद संग, रोज सुबह जो खाय,
कुछ दिन तक जो नियम करे, दमा खांसी मिट जाय।''

(**भावार्थः** जो व्यक्ति छोटी पीपल के साथ शहद का सेवन प्रातःकाल नियमपूर्वक करता है, उसके दमा और खांसी के रोग मिट जाते हैं।)

''नींबू आधा काटिए, सेंधा नमक मिलाय,
भोजन प्रथमहिं चूसिये, सो अजीर्ण मिट जाय।''

(**भावार्थः** आधे नींबू में सेंधा नमक बुरक कर भोजन से पहले चूस लेने से अजीर्ण रोग में लाभ होता है।)

''मानो मोरी सीख, पीलिया में ईख।''

(**भावार्थः** पीलिया में गन्ने का सेवन रोगमुक्त करता है।)

''चरौ तो फरौ, न फरौ तो मरौ। ''

(**भावार्थः** यदि आप भोजन करते हैं तो आपको पर्याप्त मात्रा में घूमना (श्रम) करना चाहिए। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो शीघ्र ही काल-कवलित हो जाएंगे।)

वर्तमान में स्वस्थ जीवन एक दिवास्वप्न बनकर रह गया है। वर्तमान चिकित्सा पद्धति में एक रोग की चिकित्सा के लिए प्रयुक्त औषधि से दूसरे नए रोग की उत्पत्ति होना आम बात हो गई है, जो कि चिंता का विषय है। ऐसे भीषण दौर में आधारभूत स्वस्थ जीवन के मंत्र लिए ये लोकोक्तियां स्वस्थ जीवन का मार्ग प्रशस्त करते हुए मानव के स्वास्थ्य-संरक्षण एवं संवर्धन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं, क्योंकि इन स्वास्थ्य-विषयक लोकोक्तियों को सदियों से बारम्बार परखा गया है और उन्हें हर कसौटी पर कसकर उनकी विश्वसनीयता को परखा गया है। ये लोकोक्तियां स्वास्थ्य के महत्व को दर्शाती हैं और हमें स्वस्थ जीवनशैली अपनाने के लिए प्रेरित करती हैं। हिन्दी लोकोक्ति में वर्णित स्वस्थ जीवन के इन मंत्रों का दैनिक जीवन में प्रयोग कर हर व्यक्ति स्वस्थ जीवन का आनंद ले सकता है।

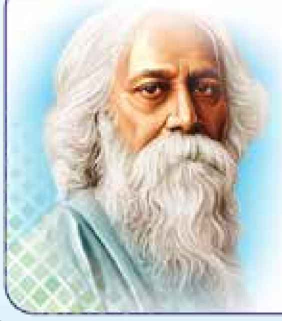

> सीढ़ियां उन्हें मुबारक हो, जिन्हें छत तक जाना है,
> मेरी मंजिल तो आसमान है, रास्ता मुझे खुद बनाना है
>
> रबीन्द्रनाथ टैगोर

हिंदी हमारी शान है, हिंदी हमारी पहचान है

निलेश प्रमोदराव महात्मे
उच्च श्रेणी लिपिक
भारतीय खान ब्यूरो, नागपुर

भारत के संविधान में किसी भी भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिया गया है। भारत में "राजभाषा" और "राष्ट्रभाषा" दो अलग-अलग अवधारणाएं हैं। राजभाषा वह भाषा है जिसका उपयोग सरकार और आधिकारिक कामकाज में किया जाता है। राष्ट्रभाषा वह भाषा है जो किसी देश की संस्कृतिए पहचान और एकता का प्रतीक मानी जाती है। संविधान में हिंदी को संघ की राजभाषा के रूप में मान्यता दी गई है, और इसे देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। भारत में 22 आधिकारिक भाषाएँ हैं, जिन्हें संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल किया गया है।

हिंदी भाषा का पुराना नाम हिंदवी, हिंदी या पुरानी हिंदी है। इसे खड़ीबोली भी कहा जाता था, और यह हिंदुस्तानी भाषा का प्रारंभिक रूप था। हिंदी भाषा का विकास शौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। यह दिल्ली सल्तनत के समय (10वीं-13वीं शताब्दी) दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्रों में बोली जाती थी। पुरानी हिंदी, हिंदुस्तानी भाषा का प्रारंभिक रूप होने के कारण, आधुनिक हिंदी और उर्दू दोनों की पूर्वज मानी जाती है। कुछ विद्वानों के अनुसार, अपभ्रंश की अंतिम अवस्था 'अवहट्ट' से भी हिंदी का उद्भव माना जाता है। चंद्रधर शर्मा 'गुलेरी' ने इसी अवहट्ट को 'पुरानी हिंदी' नाम दिया था। हिंदी पट्टी भारत की लगभग एक-तिहाई आबादी का घर है और इसके भौगोलिक क्षेत्र के लगभग एक-चौथाई हिस्से पर कब्ज़ा करती है। यह आबादी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार राज्यों में उपजाऊ गंगा के मैदानों में केंद्रित है। हिंदी विश्व में तीसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है। इसे बोलने वालों की संख्या के अनुसार, अंग्रेजी और चीनी(मंदारिन)के बाद हिंदी का स्थान आता है। एथनोलॉग के अनुसार, हिंदी दुनिया में तीसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है। हिंदी को मातृभाषा या दूसरी भाषा के रूप में बोलने वालों की संख्या काफी बड़ी है। हिंदी न केवल भारत में बोली जाती है, बल्कि फिजी, मॉरीशस, सूरीनाम, त्रिनिदाद और टोबैगो जैसे देशों में भी इसका महत्वपूर्ण स्थान है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि हिंदी एक गतिशील भाषा है जिसमें लगातार नए शब्द जुड़ते रहते हैं। हालांकि, एक मोटे अनुमान के अनुसार, हिंदी में लगभग 150,000 से 183,175 शब्द हैं। और विश्व स्तर पर इसके बोलने वालों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है।

हिंदी भाषा का विकास एक लंबी प्रक्रिया है जो संस्कृत से होते हुए प्राकृत, अपभ्रंश और फिर आधुनिक हिंदी तक पहुंची है। इस विकास में कई बोलियों और साहित्य का योगदान रहा है। हिंदी भाषा की जननी संस्कृत है, जो प्राचीन भारतीय आर्य भाषा है। संस्कृत से विकसित होकर पाली, बौद्ध धर्म के प्रचार-प्रसार की भाषा बनी। पाली के बाद प्राकृत भाषा का विकास हु आ, जिसमें जैन साहित्य लिखा गया। प्राकृत से विकसित होकर अपभ्रंश भाषा आई, जिससे हिंदी का उद्भव माना जाता है। अपभ्रंश के विभिन्न क्षेत्रीय रूपों से आधुनिक हिंदी का विकास हुआ, जिसे 1000 ईस्वी के आसपास माना जाता है। यह विकास क्रम 1000 वर्षों से भी अधिक का है, जिसे आदिकाल, मध्यकाल और आधुनिक काल में विभाजित किया जा सकता है। जानकारों के अनुसार हिंदी के विकास के क्रमशः तीन कालखंड माने गए है जो निम्नानुसार है:-

1. **आदिकाल:** ई. से 1500 ई. तक, इस काल में हिंदी के विभिन्न रूप जैसे डिंगल, पिंगल विकसित हुए।
2. **मध्यकाल**: इस काल में ब्रज, अवधी जैसी बोलियों का वकिास हुआ और खड़ी बोली का गद्य रूप भी सामने आने लगा।
3. **आधुनिक काल:** 19वीं सदी से शुरू होकर, इस काल में खड़ी बोली का विकास हुआ और गद्य की विभिन्न विधाओं का विकास हुआ।

आधुनिक हिंदी के विकास में आधुनिक काल में खड़ी बोली गद्य का विकास हुआ, जिसमें लल्लू लाल, सदासुख लाल, सदल मिश्र और इंशा अल्ला खां का महत्वपूर्ण योगदान रहा। भारतेंदु और महावीर प्रसाद द्विवेदी इन दो साहित्यकारों के योगदान से खड़ी बोली को एक व्यवस्थित मानक रूप मिला। 1947 के बाद देश की आजादी के बाद हिंदी साहित्य में कई परिवर्तन हुए, और 1965 में हिंदी को राजभाषा का दर्जा मिला।

हिंदी को 14 सितंबर, 1949 को भारत की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया था। इसके बाद, संविधान में अनुच्छेद 343 से 351 तक राजभाषा के संबंध में प्रावधान किए गए। 14 सितंबर को प्रतिवर्ष "हिंदी दिवस" के रूप में मनाया जाता है। संविधान

सभा ने 14 सितंबर, 1949 को हिंदी को संघ की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया। यह निर्णय 14 सितंबर की शाम को संविधान सभा में हुई बहस के समापन के बाद लिया गया था। उस समय, संविधान का भाषा संबंधी भाग 14क था।

हालांकि, 1965 में, यह निर्णय लिया गया कि हिंदी के साथ-साथ अंग्रेजी का भी आधिकारिक उद्देश्यों के लिए उपयोग किया जाएगा। इसके बाद, राजभाषा अधिनियम, 1963 पारित किया गया, जिसने 1965 के बाद भी हिंदी के साथ-साथ अंग्रेजी के निरंतर उपयोग का प्रावधान किया। इसलिए, हिंदी को राजभाषा का दर्जा 14 सितंबर, 1949 को मिला, लेकिन आधिकारिक उद्देश्यों के लिए अंग्रेजी का उपयोग भी जारी रहा, और बाद में इसे आधिकारिक तौर पर अधिनियमित किया गया।

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 351 केंद्र सरकार को हिंदी भाषा के प्रसार और विकास को बढ़ावा देने का अधिकार देता है । यह अन्य भारतीय भाषाओं और लिपियों के तत्वों को आत्मसात करके हिंदी को समृद्ध बनाने के कर्तव्य को रेखांकित करता है। संविधान के अनुच्छेद 351 में यह प्रावधान है कि संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा का प्रसार बढ़ाए, उसका विकास करे ताकि वह भारत की सामासिक संस्कृति के सभी तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके और उसकी प्रतिभा में हस्तक्षेप किए बिना उसे आत्मसात करके उसकी समृद्धि सुनिश्चित करे। संविधान के अनुच्छेद 343(1) में कहा गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। इसका मतलब है कि हिंदी का उपयोग केंद्र सरकार के आधिकारिक कार्यों में किया जाता है, विशेष रूप से हिंदी भाषी राज्यों के साथ संचार में। अंग्रेजी को भी एक आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता प्राप्त है, और इसका उपयोग केंद्र सरकार द्वारा अन्य राज्यों के साथ संचार में किया जाता है।

महात्मा गांधी की प्रेरणा से ही वर्धा और मद्रास में राष्ट्रभाषा प्रचार सभाएँ स्थापित हुई। दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा की स्थापना 1918 में महात्मा गांधी द्वारा की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य दक्षिण भारत के गैर-हिंदी भाषी लोगों के बीच हिंदी भाषा का प्रचार करना और हिंदी साक्षरता को बढ़ावा देना था। महात्मा गांधी ने महसूस किया कि उत्तर और दक्षिण भारत के बीच एकता स्थापित करने के लिए हिंदी भाषा का प्रचार-प्रसार आवश्यक है। इस सभा की स्थापना के बाद से, यह दक्षिण भारत में हिंदी भाषा के अध्ययन और प्रचार के लिए एक प्रमुख संस्था बन गई है। 1964 में, इसे भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय महत्व के संस्थान के रूप में मान्यता दी गई।

देवदास गांधी, महात्मा गांधी के सबसे छोटे बेटे थे और उन्होंने हिंदी भाषा और पत्रकारिता के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। देवदास गांधी हिंदी के प्रचारक थे। वे दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा के पहले प्रचारक थे। वे एक प्रसिद्ध पत्रकार थे और "हिन्दुस्तान टाइम्स" के संपादक के रूप में काम किया, जहाँ उन्होंने हिंदी भाषा के प्रसार और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके अलावा, उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में भी सक्रिय रूप से भाग लिया और कई बार जेल भी गए।

दुनिया भर में, हिंदी मुख्य रूप से भारत में बोली जाती है, लेकिन यह कई अन्य देशों में भी पाई जाती है। भारत के बाहर, हिंदी नेपाल, मॉरीशस, फिजी, सूरीनाम, त्रिनिदाद और टोबैगो, और दक्षिण अफ्रीका जैसे देशों में बोली जाती है। इसके अतिरिक्त, हिंदी को कई अन्य देशों में भी समझा जाता है और इसका उपयोग किया जाता है, जैसे कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, और संयुक्त अरब अमीरात। नेपाल में भी हिंदी बोली जाती है। भारत के बाद सबसे ज्यादा हिंदी नेपाल में बोली जाती है। वर्ल्ड एटलस के मुताबिक, नेपाल में 8 मिलियन लोग हिंदी बोलते हैं। बड़ी आबादी द्वारा बोली जाने के बावजूद, नेपाल में हिंदी को आधिकारिक भाषा के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है।

भारत सरकार हिंदी भाषा के प्रचार-प्रसार में सक्रिय रूप से योगदान दे रही है। सरकार ने हिंदी को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं और पहलें शुरू की हैं, जिनमें आधिकारिक भाषा के रूप में हिंदी का उपयोग, हिंदी शिक्षण योजना, और विभिन्न हिंदी-आधारित कार्यक्रमों का आयोजन शामिल है। सरकार हिंदी को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न कार्यक्रमों, सम्मेलनों और प्रतियोगिताओं का आयोजन करती है।

राजभाषा विभाग द्वारा अपनी वेबसाइट rajbhasha.gov.in पर बनाए गए ई-पत्रिका पुस्तकालय के माध्यम से हिंदी के पाठक विभिन्न सरकारी संस्थानों द्वारा प्रकाशित होने वाली ई-पत्रिकाओं से लाभान्वित हो सकेंगे। राजभाषा हिंदी के प्रसार में दूरदर्शन, आकाशवाणी की महत्वपूर्ण भूमिका है। मीडिया ने हिंदी के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। दुनियाभर में भारतीय फिल्में टेलीविजन कार्यक्रम देखे जाते हैं। इससे भी दुनिया में हिंदी का प्रचार-प्रसार हुआ है। सोशल मीडिया, इंटरनेट मोबाईल के कारण युवा पीढ़ी इस भाषा का सबसे अधिक प्रयोग कर रही है।

आम आदमी हिंदी के प्रचार-प्रसार में कई तरह से योगदान दे सकता है। सबसे पहले, अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में हिंदी का उपयोग करें, जैसे कि अपने दोस्तों और परिवार के साथ हिंदी में बात करना, हिंदी फिल्में देखना, हिंदी किताबें पढ़ना और हिंदी समाचार सुनना। इसके अलावा, आप सोशल मीडिया पर हिंदी का उपयोग कर सकते हैं, हिंदी में ब्लॉग लिख सकते हैं, या हिंदी में अपनी राय व्यक्त कर सकते हैं। आप हिंदी साहित्य को बढ़ावा देने के लिए भी काम कर सकते हैं, जैसे कि हिंदी पुस्तकों को पढ़ना और दूसरों को भी ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित करना। अंततः, हिंदी को बढ़ावा देने के लिए आप जो भी कर सकते हैं, वह सब हिंदी के प्रचार-प्रसार में योगदान देगा।

हिंदी भाषा में शोध और अनुवाद कार्य को प्रोत्साहित करना आवश्यक है। विभिन्न विज्ञान, तकनीकी और सामाजिक विज्ञान के विषयों पर हिंदी में शोध पत्र और पुस्तकें लिखी जानी चाहिए। इसके अलावा, विदेशी साहित्य और शोध कार्यों का हिंदी में अनुवाद किया जाना चाहिए। हिंदी भाषा के प्रचार-प्रसार के लिए उपरोक्त उपायों को अपनाना आवश्यक है।

**हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है
यह भारत की शान है
भावों की अभिव्यक्ति है
हम सबका अभिमान है।**

विश्व की सहज और समृद्ध भाषाओं में एक है हिंदी

प्रदीप कुमार सिन्हा
उच्च श्रेणी लिपिक
भारतीय खान ब्यूरो, नागपुर

हिन्दी विश्व की समृद्ध भाषाओं में महत्वपूर्ण स्थान रखती है। यह भारत जैसे विशाल देश की करोड़ों जनता द्वारा बोली और समझी जाती है। यह विश्व की सबसे सहज और वैज्ञानिक भाषा है। हिन्दी में जैसा लिखा जाता है, वैसा ही ही उच्चारण भी होता है। हिन्दी अपनी गरिमा के कारण भारत में ही नहीं, विश्व के अनेक देशों के महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में स्थान प्राप्त कर चुकी है। विदेशी विद्वानों ने भी इसे अध्यापन एवं शोध का विषय बनाकर इसके गौरव में चार चांद लगाया है। वस्तुतः हिन्दी भाषा के अध्ययन-विश्लेषण की परंपरा का आरंभ इन्हो ने ही किया। ज्ञातव्य है कि हिन्दी भाषा भाषा का प्रथम व्याकरण उनके द्वारा ही लिखा गया था, तत्पश्चात उसका लैटिन में अनुवाद हुआ था।

भाषा की उत्प्रेरक शक्ति राष्ट्र निर्माण में महती भूमिका निभा सकती है। जब तक देश के प्रत्येक भाग में हिन्दी की प्रतिभा का विकास नहीं होगा, तब तक भारतवासी आधुनिक संसार को अपना वास्तविक वर्चस्व दिखाने में सामर्थ्यवान नहीं हो सकेगा। हिन्दी को अपनाना हर एक देशभक्त का परम कर्तव्य और पुनीत दायित्व है। जापान, चीन, रूस, चेक, जर्मनी, फ्रांस इत्यादि देशों ने दूर तक उन्नति कर ली है, इनमें किसी की भाषा अंग्रेजी नहीं, परन्तु ये अंग्रेजी बोलने वालों से ज्यादा उन्नत, समृद्ध और गर्वित हैं। भारत में मात्र दो-तीन प्रतिशत जनसंख्या अंग्रेजों का प्रयोग करती है, परन्तु व्यापकता, व्यवहार बहार में लगता है कि नब्बे करोड़ लोग अंग्रेजी का प्रयोग करते हैं। क्या ऐसा है। कभी देश में अंग्रेजी ना जानने के कारण कोई परेशानी आधी है। कभी अंग्रेजी ना जानने के हिन्दी दिवस (14 सितंबर) के अवसर पर पीछे ही सरकती आ रही है। हिन्दी को अपने हाल पर छोड़ दीजिये। हिन्दी को शोभा की वस्तु नहीं बनाइये। इसे अपने पांव पर खड़ा होने दें, विपरीत परिस्थितियों से लड़ने और जूझने को शक्ति और क्षमता की आवश्यकता है, आग में गलकर कुंदन की चमक-दमक ले, वयं श्रेष्ठता, सशक्तता, सक्षमता उत्पन्न करने दें। क्योंकि हिन्दी जनभाषा, राष्ट्रभाषा और विश्व भाषा के समकक्ष है, अतः इसका एक ऐतिहासिक दायित्व है।

अपनी स्वभाषा के अभाव में देशवासियों को कभी-कभी विदेशों में किस तरह अपमानित होना पड़ता है, इसका अनुभव कूलभूषण के शब्दों में "एक बार एक जर्मन व्यक्ति ने कहा कि 'तुम भारतीय नहीं हो।' मैंने पूछा क्यों ? बोला, 'तुम्हारी अपनी भाषा कहां है।' मैंने कहा- 'हमारी भाषा तो हिन्दी है।' इस पर उसने मेरा पासपोर्ट मांगा। और उसे दिखाचर कहा- 'देखो तुम अंग्रेज हो, अंग्रेज के बच्चे। अंग्रेजी के बच्चे। तुम्हारा पासपोर्ट अंग्रेजी में है। तुम बोलते भी अंग्रेजी में हो। फिर तुम भारतीय कैसे हुए?" ऐसी स्थिति का सामना हमें तब तक करना होगा, जब तक अंग्रेजी की कारण अपनी बात के संप्रेषण का अभाव खटका है। कन्याकुमारी से कश्मीर तक, आसाम से गोवा तक आप कहीं भी चले जायें। आसानी से हिन्दी में सारा काम होता है। आपकी बात वे समझ जाते है, आप उनको। जनसाधारण हिन्दी ही बोलती है, दैनिक कार्यों में धड़ल्ले से हिन्दी का प्रयोग होता है। हिन्दी फिल्में धाड़ल्ले से हाउस फुल चलती है, गीत गाये जाते हैं। फिर समस्या कहां आ जाती है? मूलतः कोई समस्या है ही नहीं, जो है वह अपना वोट बैंक की राजनीति का चक्कर है। जब कोई दक्षिण भारतीय रोजगार की तलाश में उत्तर आता है तो स्वतः हिन्दी सीखा जाता है और कोई उत्तर भारतीय अब दक्षिण आता है तो वहां की भाषा सीख लेता लेता है। जिसे भी भारतीय संपूर्णता में शामिल होना है, उन्हें हिन्दी जानना ही होगा।

वैसे भी भारत में विचार कौंधकर आते हैं, वे चमकते हैं, चकाचौंध करते हैं, फिर अंधकार में विलीन हो जाते हैं फोटो फ्लैश-सा। इसलिए विचार वृद्धि, विचार विनिमय के पूर्व ही विचार सार्थकता, प्रासंगिकता नष्ट हो जाती है। हिन्दी के साथ ही सदा से ऐसा होता आया है। सैकड़ों विचारों, प्रस्तावना के बोझ तले हिन्दी की कमर ही टूट गयी है और यह खुद मुंह छिपाती है। अतः व्यर्थ के गौरवगान अपेक्षा का यथार्थ की पहचान करनी होगी और नियमित व्यवहार में इन तथ्यों का ध्यान रखना होगा। सर्वप्रथम तथ्य यह कि किसी भाषा को मारकर दूसरे को सांस नहीं दी जा सकती है। सभी भाषा एक समान है। अधिक से अधिक भाषा सीखनी चाहिए, पर संपर्क के लिए एक भाषा, हिन्दी हिन्दी का प्रयोग करें। हिन्दी का किसी और भाषा से कोई

वैरभाव नहीं है। हिन्दी में व्यवहुत दूसरी भाषाओं के शब्दों का प्रयोग होना चाहिए न कि क्लिष्ट अनुवाद द्वारा इसे कठोपनिषद बनाया जाये। जो जैसा है, उसे वैसा ही स्वीकार करें, अपने दैनिक कार्यों में हिन्दी का प्रयोग करें। अगर कोई अंग्रेजी में बातचीत करे तो उसकी हर बात का जवाब हिंदी में दें। संभव है उसे भारतीय होने की याद आ जाये। सार्वजनिक कार्यों, उत्सवों में हिन्दी एकमात्र हिन्दी का उपयोग करें। सरकारी कार्यों में एकमात्र हिन्दी का प्रयोग होना चाहिए। इसके इतर देश की कोई भी भाषा हो, अंग्रेजी कदापि नहीं। संसद, विधान मंडलों में हिन्दी बोलना चाहिए अथवा अपनी मातृभाषा बोलना चाहिए, पर अंग्रेजी एकदम नहीं। पठन-पाठन में अंग्रेजी शब्दों को देवनागरी लिपि में लिखना चाहिए। जहां तक संभव हो हिन्दी शब्दों का व्यवहार करना चाहिए।

भाषाएं सभी सीखनी चाहिए, पढ़नी चाहिए, परन्तु मानसिक दासता का परित्याग करना ही हमारा दायित्व बोध होता है। समस्त हिन्दी प्रेमियों को भारत में हिन्दी को समुचित स्थान के लिए भगीरथ प्रयत्न करना होगा। तभी हिन्दी अन्तर्राष्ट्रीय मंचों पर प्रयुक्त होगी, और विश्व-भाषा के रूप में प्रतिष्ठित होगी। प्रसिद्ध हिन्दी प्रेमी डा. आदोले स्मेकल की वह उक्ति- 'हम हिन्दी के विरोधियों से प्रारंभ करें, जो अधिकतर ययापि स्वयं हिन्दी बोलने में असमर्थ और अक्षम हैं, हिन्दी पर अक्षमता का आरोप लगाते हैं। अक्षमता से उनका अभिप्राय यह है कि हिन्दी अविकसित, विपन्न, दुरूह, बोझिल और अधिकारिक, शासनिक, आर्थिक, वैज्ञानिक, प्राविधिक आदि विशिष्ट विषयों की कार्रवाई के लिए अनुपयुक्त, अयोग्य है। इन आरोपों का प्रत्युत्तर हिन्दी देर का पिछले तीन दशकों का इतिहास दे सकता है। इस तीस वर्ष की अवधि में जबकि उसके विरोधियों को औपनिवेशिक नींद भी नहीं टूट सकी कि हिन्दी कितनी समृद्ध हो गयी, यह इतना आगे बढ़ी है कि वे अनुमान भी नहीं कर सकते, क्योंकि हिन्दी के विकास की प्रवृतियों की पहचान उनको नहीं है। यह तो हम भाषाविदों तथा हिन्दी के अध्येताओं को भली-भांति ज्ञात है कि हिन्दी की कितनी प्रगति हुई है।' यह सूत्र-वाक्य प्रत्येक भारतीय को कंठस्थ कर लेना चाहिए।

समसामायिक संबंधी आलेख

चॉकलेट

एन. रोशनी कुमार सिंह
सहायक लेखा अधिकारी
भारतीय खान ब्यूरो, नागपुर

एक बम का ज़ोरदार धमाका हुआ... कुछ देर तक कानों में कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था... बस एक आवाज़ कान मे गुन्ज रहा था — " निंगगगगग.."। ऐसा लग रहा था जैसे वो पल थम सा गया हो।

जैसे ही मैं एयरपोर्ट से बाहर निकला, सामने एक ड्राइवर मेरे नाम की तख्ती लेकर खड़ा था। मुझे देखकर वह अपने हाथ से इशारा कर रहा था। जैसे ही गाड़ी में बैठा उसका सवाल था।

"साहब, कहां आ गए हैं आप! यहाँ तो कभी भी बम गिर सकता है। दो दिन पहले भी एक बम गिरा था, रास्ते में आपको दिखाता चलता हूँ।"

मैं एक पत्रकार हूँ। कुछ दिन पहले एक लेख को लेकर बॉस से बहस हो गई थी। और आप तो जानते ही हैं, बॉस से बहस का अंजाम क्या होता है। बॉस ने मुस्कुराते हुए कहा,

"अच्छा, चलो तुम्हें विदेश घूमने भेजता हूँ। घूमो और साथ में हमारा काम भी कर आना।"

मैंने मन में सोचा — आज इतना प्यार कहां से ? ज़रूर दाल में कुछ काला है। बॉस ने ज्यादा कुछ बताया नहीं, बस इतना कहा कि "त्रिपाठी से मिल लेना, वह सब समझा देंगे।"

त्रिपाठी ने मुझे देखा और अपनी वही चालाक मुस्कान दी।

"लो भैया, तुम्हारा टिकट कट गया है। जहां युद्ध चल रहा है, वहीं जाना है तुम्हें... वॉर स्टोरी कवर करनी है। नहीं जाना है तो अभी मना कर दो..."

मन तो कर रहा था कि सबकुछ उसी को सुना दूं, लेकिन क्या करें — वो भी मेरी ही तरह नौकरी कर रहा है। अगर घर की इएमआई न भरनी होती, कार की किस्तें न देनी होतीं, बच्चों की ट्यूशन फीस न देनी होती... तो सीधे बॉस के मुँह पर इस्तीफा फेंक देता.. और कहते — "ये लो तुम्हारी नौकरी।"

ड्राइवर ने अचानक गाड़ी रोकी और इशारा करते हुए बोला,"साहब, वहाँ देखिए — परसों बम गिरा था। देखना चाहेंगे?" मैंने हाँ में सिर हिलाया। उसने गाड़ी एक तरफ पार्क की। वहाँ पुलिस और आर्मी की कई टीमें मौजूद थीं, लेकिन मेरे प्रेस आई-कार्ड को देखकर मुझे अंदर जाने दिया। मैंने वहाँ की कुछ तस्वीरें लीं। अब भी कई जगहों पर जेसीबी से मलबा हटाया जा रहा था। खून के धब्बे अब भी साफ दिख रहे थे।

कुछ लोगों से बात की तो पता चला कि एक बच्ची समेत 10 लोग मारे गए थे। उनमें से एक ही परिवार के 5 लोग थे। मैं चुपचाप वापस गाड़ी में आ गया और ड्राइवर से कहा — "चलिए, अब गेस्ट हाउस चलते हैं।"मन भारी हो गया था। सोच रहा था — एक हँसता-खेलता परिवार... एक पल में उजड़ गया। वो लोग अब इस दुःख को कैसे सहेंगे? कैसे जी पाएंगे? ड्राइवर ने मेरी उदासी को समझते हुए कहा, "साहब, ज़्यादा मत सोचिए... यहाँ तो ये सब चलता ही रहता है। हमें तो नहीं पता, कल क्या

होगा... बस ऊ त है। ज़िंदगी यहीं है जहाँ पर ...”

मेरा ठहरने का इंतज़ाम वहाँ की एक सिविल अफसर के गेस्ट हाउस में किया गया था। वे बहुत अच्छे लोग थे। उनकी पत्नी भारतीय थीं। उन्होंने मुझे खाने पर आमंत्रित किया। मैं डिनर पर गया, लेकिन सबसे ज़्यादा खुशी तो उनकी एक छह साल की बच्ची से मिलकर हुई — बिल्कुल मेरे बच्चे की उम्र की। वो बहुत बातूनी थी। उसकी मासूमियत और आँखों की चमक दिल छू गई।जब उनकी पत्नी ने देखा कि मैं बच्ची को एकटक देख रहा हूँ, तो मुस्कुराकर बोलीं,

“देखिए संभालिए... ये जल्दी ही किसी को अपना बना लेती है, और फिर छोड़ती नहीं है! कहीं आपको भी इसकी बीमारी न लग जाए...” मैंने हँसते हुए जवाब दिया, “मैडम, बच्ची है ही इतनी प्यारी... मैं भी चाहूँगा कि मैं भी उसकी चाहने वालों की लिस्ट में शामिल हो जाऊँ।”

अगले दिन से मैं अपने काम में लग गया। जहाँ-जहाँ युद्ध से ज़्यादा नुकसान हुआ था, वहाँ जा-जाकर रिपोर्टिंग कर रहा था। मन में एक सवाल बार-बार उठता था — हम ये लड़ाइयाँ क्यों लड़ते हैं? किसके लिए? और क्यों? कहते हैं कि अपने देश, अपनी मिट्टी के लिए... लेकिन जब मासूम जानें चली जाती हैं, जब किसी परिवार का चिराग बुझ जाता है — पर उनके लिए ये सवाल के जवाब कितने हट तक सही हैं, इसका कोई जवाब नहीं है और ना तो उनके लिए सवाल भी मायने नहीं रखते है। उन परिवार के चेहरे में कितना दर्द है, ना तो मैं उसकी कल्पना कर सकता हूं ना मैं बयां कर सकता हूं। मैंने सिर्फ उनके चेहरे देखे हैं — जो रो रहे थे, मगर उनकी आँखों में आँसू नहीं थे। जो मुस्कुरा रहे थे, मगर वो मुस्कान नकली थी। खोए-खोए से उनकी नजर, पता नहीं कहीं दिन से, कहीं महीनों से, हो सकता है कहीं सालों से अपना किसिका इंतजार कर रहे हों, अपना किसिको खोज रहे हों। उन आंखों में लिपटा हुआ अंशू बस एक पल का इंतजार कर रहा हो, जो कि नदियों की तारा बहने के लिए बेचैन है, बस वो पल, कोई उनको गले लगा के काहे “सब ठीक है......ये दिन भी गुजर जाएंगे..सब ठीक है....” उन आँसू और दुःख की नदी में, मैं भी यूँ ही बहता चला गया।

करीब एक हफ्ता हो गया था। मैं हर दिन सुबह तस्वीरें खींचता, वीडियो बनाता, शाम को रिपोर्ट भेजता। बहुत लोगों की सराहना भी मिली — यहाँ तक कि बॉस ने भी तारीफ़ की। तारीफ़ दिल से थी या मजबूरी में — कौन जाने। हर शाम मैं उस बच्ची से मिलने चला जाता। हर बार उसके लिए कुछ न कुछ ले जाता। वो भी मुझे देखकर बहुत खुश हो जाती थी। हम थोड़ी देर खेलते, हँसते... और अगर देर हो जाती, तो मैडम मुझे ज़बरदस्ती खाना खिला देती थीं।

एक दिन शामको में कहीं जरा था तब, एक मैसेज आया —“हमें तुरंत दूसरी जगह शिफ्ट होना पड़ेगा। कभी भी हमला हो सकता है।” मैं जल्दी-जल्दी वापस आया। रास्ते में मैंने उस बच्ची के लिए एक बड़ी सी चॉकलेट खरीदी।जब घर पहुँचा, तो देखा — सब लोग जल्दी-जल्दी सामान समेट रहे थे। मैडम भी काफी घबराई हुई थीं। मैंने भी अपना सामान पैक किया और उनकी मदद करने लगा। बच्ची वहीं पास में खेल रही थी। मैंने उसे चॉकलेट दी — वो मुस्कराई और उसे लेकर बाहर खेलने चली गई।हम सामान गाड़ी में चढ़ाने ही वाले थे कि अचानक सायरन बजने लगे। सब लोग चिल्ला रहे थे, "बंकर में भागो!"

और तभी — बूम!!

एक बम का ज़ोरदार धमाका हुआ... कुछ देर तक कानों में कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था... बस एक आवाज़ कान मे गुन्ज रहा था — " निंगगगगग ..."। ऐसा लग रहा था जैसे वो पल थम सा गया हो। जब होश आया, तो देखा — सब ज़मीन पर गिरे हुए थे। धीरे-धीरे सबको होश आने लगा। मैडम भी होश में आईं और घबराकर रोने लगीं। साहब भी दौड़ते हुए आए। किसी को चोट तो नहीं लगी, एक दूसरे को देखने लगे। सब ठीक थे। लेकिन तभी किसी को याद आया — बच्ची कहाँ है? हम सब एक साथ बाहर दौड़े... पुकारते रहे...और फिर वो मंजर देखा...पास की इमारत पर बम गिरा था। वहाँ का मलबा चारों तरफ बिखरा हुआ था। हम बच्ची को पुकारते हुए ढूँढने लगे... सच कहूँ — मैं देख नहीं पाया। काश ये सपना होता...मैं ज़ोर-ज़ोर से रोने लगा। वो बच्ची... मलबे के नीचे दबी हुई थी...और उसके हाथ में अब भी... वही चॉकलेट थी।

घुघवा राष्ट्रीय जीवाश्म उद्यान

अभिषेक रंजन गौतम
सहायक खनन अभियंता
भारतीय खान ब्यूरो,जबलपुर

मध्य भारत के डिंडोरी जिला में मैकल पर्वत श्रृंखला स्थित है। यह जिला मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग में है और छत्तीसगढ़ राज्य की सीमा से सटा हुआ है। मैकल पर्वत श्रृंखला, सतपुड़ा पर्वतमाला का ही एक हिस्सा है। डिंडोरी जिले में ही माँ नर्मदा से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है "घुघवा राष्ट्रीय जीवाश्म उद्यान"।

दिनांक 28/04/2025 दिन रविवार को मैं और मेरे कुछ कार्यालय के साथी, श्री आकाश मित्तरवर, शिवम् गुप्ता, अंकित पटेल, गौरव गुप्ता एवं श्री भोलेनाथ उर्फ़ शिवशंकर ने जबलपुर से एक यात्रा प्रारंभ की वो यात्रा थी जबलपुर से मात्र 105 किलोमीटर दूर घुघवा राष्ट्रीय जीवाश्म उद्यान की जिसका विवरण निम्न लिखित है।

घुघवा/घुघुआ राष्ट्रीय जीवाश्म उद्यान यहां 6.5 करोड़ वर्ष पुराने जीवाश्म पाये गये हैं ये उसी समय के जीवाश्म हैं जब धरती पर डायनोसोर पाये जाते थे। घुघवा के जीवाश्म पेड़ ,पौधों , पत्ती ,फल, फूल एवं बीजों से संबंधित है। घुघवा राष्ट्रीय जीवाश्म उद्यान का कुल क्षेत्रफल 0.27 वर्ग किलेमीटर है। घुघवा/घुघुआ

के जीवाश्मो की खोज 1970 में की गई थी और 05 मई 1983 को घुघवा को राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। 1998 में मंडला से डिन्डोरी जिला प्रथक होने के पूर्व घुघवा मंडला जिले में आता था। घुघवा में अभी तक 31 जेनेरा और 18 फैमिली के जीवाश्म खोजे जा चुके हैं।

घुघवा के जीवाश्मो की खोज डॉक्टर धर्मेन्द्र प्रसाद ने की थी। डॉक्टर धर्मेन्द्र प्रसाद उस समय मंडला जिले के जिला सांख्यिकीय अधिकारी एवं पुरातत्व संघ के पदेन सचिव भी थे। डॉक्टर धर्मेन्द्र प्रसाद द्वारा जीवाश्मों की खोज ग्राम सिलठार , ग्राम-घुघवा और आस-पास के क्षेत्रों में की गई। बाद में डॉक्टर एम. बी. बांधे जो

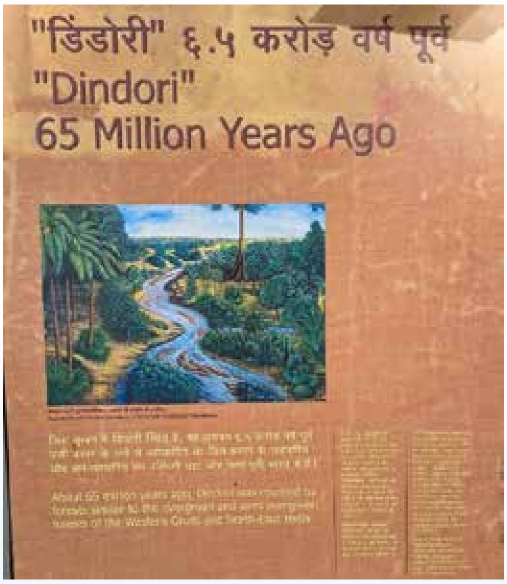

बीरवल साहनी इंस्टिट्यूट ऑफ़ पोलियो

बॉटनी और डॉक्टर एस. आर. इंगले जो साइंस कॉलेज जबलपुर से जुड़े थे द्वारा इन जीवाश्मों का विधिवत अध्ययन किया।

घुघवा राष्ट्रीय जीवाश्म उद्यान –

घुघवा में जीवाश्म संग्राहलय में और खुले में (मुख्य उद्यान) में सहेजकर रखे गये हैं। पार्क दो हिस्सों में बना है (1) संग्रहालय (2) मुख्य पार्क -

घुघवा जीवाश्म संग्रहालय:-

घुघवा/घुघुआ के संग्रहालय में दुर्लभ जीवाश्मों को सहेजकर रखा गया है। संग्रहालय के मुख्य गेट पर एक विशाल यूकेलिप्टस का जीवाश्म रखा है जो बीच से कुछ हिस्सों में टूट चूका है।

संग्रहालय के अन्दर डायनोसोर के अंडे का जीवाश्म भी सुरक्षित रखा गया है। संग्रहालय में पेड़ों के तनो , पत्ती ,फल, फूल एवं बीजों के जीवाश्मों को कांच के शोकेस में रखा गया है और इन सभी के बारे में जानकारी दी गई है। पेड़ों के जीवाश्मों के अतिरिक्त यहां खारे पानी के निकट पाए जाने वाले जीव जैसे सीप,घोंघे के जीवाश्म भी बहुतयात में मिले हैं जिन्हें संग्रहालय में बहुत अच्छी तरह से संभालकर रखा गया है।

घुघवा मुख्य पार्क

संग्रहालय से कुछ ही दूरी पर मुख्य पार्क है जिसमें जीवाश्म खुले

स्थानों पर, जमीन पर रखे हुये और मिट्टी में दबे मिल जाते हैं।यहां अधिकतर जीवाश्म पेड़-पौधों के तनो के हैं। घुघवा में अभी तक 31 जेनेरा और 18 फैमिली के जीवाश्म खोजे जा चुके हैं। यंहा ज्यादातर जीवाश्म ताड़ ,जामुन ,केला, रुद्राक्ष , यूकेलिप्टस के हैं जो समुद्र के किनारे मिलते थे , जो इस क्षेत्र में नहीं पाये जाते थे । यहां पाये जाने अधिकतर जीवाश्म नारियल प्रजाती के हैं जो समुद्र

के किनारे या किसी बड़े जलाशय के किनारे रहे होंगे । इसके अतिरिक्त यूकेलिप्टस प्रजाति के जीवाश्म भी बहुतायत में मिलते हैं जो उस समय ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में पाये जाते थे। 6.5 करोड़ वर्ष पहले इस स्थान पर धूप और बारिस का बोलबाला था। इन जीवाश्मों का मिलना महाद्वीपीय विस्थापन के सिद्धांत के पुष्टि करता है।

महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत ।Continental Drift Theory -

महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत सर्वप्रथम फांसीसी वैज्ञानिक एन्टोनियो स्नाइडर ने में दिया। इसके पश्चात कई वैज्ञानिकों ने अपने अनुसार मत दिये। बाद में अल्फ्रेड वेगनर महाद्वीपीय

विस्थापन का सिद्धांत की विस्तृत वुवेचना की। वेगनर के मतानुसार पहले संसार के सभी महादेश एक स्थलखंड के रूप में विद्यमान थे इसे वेगनर ने पैंजिया नाम दिया। पैंजिया का विखंडन गुरुत्वाकर्षण शक्तियों के असामानता, भूकंप और ज्वालामुखी विस्फोटों के कारण दो भागों में हुआ जिसका उत्तरी भाग लारेंसिया या अंगारालैंड तथा दक्षिणी भाग गोंडवाना कहलाया। बीच का भाग टेथिस सागर में बदल गया।

भारत , ऑस्ट्रेलिया ,मेडागास्कर और अंतर्कटिका ये गोंडवाना के भाग थे। गोंडवाना धीरे –धीरे टूटने लगा और इसके तुकडे एक दुसरे से दूर खिसकते हुये आज के महाद्वीप बने। लगभग 6.5 करोड़ वर्ष पूर्व भारतीय महाद्वीप भूमध्य रेखा के पास था। जहां लगातार धूप और वारिस का बोलबाला था। स्थानांतरण के कारण भारत भूमध्य क्षेत्र से बाहर आ गया और समुद्र से दूर हट

गया और हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ।

घुघवा/घुघुआ में जीवाश्म कैसे बने

उस समय घुघवा समुद्र के किनारे रहा होगा अथवा समुद्र की कोई साखा यहां तक फैली रही होगी। ये परिवर्तन रह रह कर आने वाले भूकंप , लावा के सैलाव और ज्वालामुखी विस्फोटों द्वारा विस्फोटों द्वारा परिचालित हुये। लावा और राख ने बड़े भू-

पूर्व में डिंडोरी जिला कुछ इस तरह का रहा होगा

भाग को ढंक लिया और जो जीव-जंतु , पेड़-पौधे इसके नीचे आये वे जीवाश्म बन गये। और आज घुघवा और आस-पास के क्षेत्रों में मिल रहे हैं।

घुघवा/घुघुआ पार्क पहुँच मार्ग -

घुघवा राष्ट्रीय जीवाश्म उद्यान (Ghughwa Fossil National Park) जबलपुर अमरकंटक हाईवे पर स्थित शाहपुरा शहर से 14 किलोमीटर दूर शाहपुरा-निवास मुख्य मार्ग पर स्थित है। यह मार्ग कान्हा राष्ट्रीय उद्यान और बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान को जोड़ता है। घुघवा राष्ट्रीय जीवाश्म उद्यान पहुँचने के लिए निकटतम एयरपोर्ट जबलपुर 105 कि.मी. है। जबकि निकटतम रेल्वे स्टेशन उमरिया -70 कि.मी है। यंहा से सड़क मार्ग द्वारा मंडला,जबलपुर, शहडोल,अमरकंटक, के लिए अच्छी कनेक्टिविटी है।

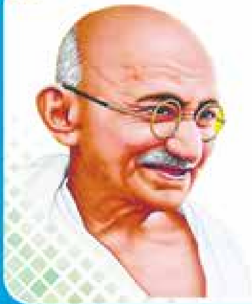

"राष्ट्रभाषा के बिना राष्ट्र गूंगा है।

महात्मा गांधी"

कैंसर: एक मूक घातक रोग

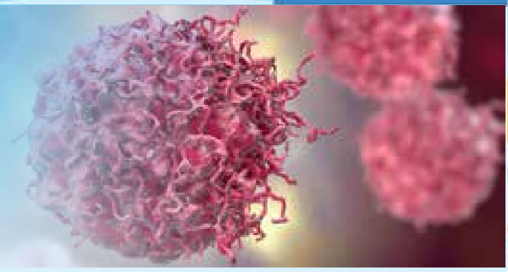

अज़मतउल्लाह शरीफ
निजी सचिव
भारतीय खान ब्यूरो, विजयवाड़ा

मानव जीवन अनमोल है और स्वस्थ शरीर ही सुखमय जीवन की नींव है। लेकिन आज के आधुनिक युग में अनेक प्रकार की बीमारियाँ मानव जीवन को चुनौती दे रही हैं, जिनमें से एक सबसे भयंकर और जानलेवा बीमारी है – कैंसर। यह एक ऐसी बीमारी है जो धीरे-धीरे शरीर को अंदर से खोखला कर देती है और यदि समय पर इसका उपचार न हो तो यह मृत्यु का कारण भी बन सकती है।

कैंसर क्या है?

कैंसर एक ऐसी स्थिति है जिसमें शरीर की कोशिकाएँ अनियंत्रित रूप से विभाजित होने लगती हैं और एक असामान्य वृद्धि का रूप ले लेती हैं। सामान्य स्थिति में शरीर की कोशिकाएँ एक निश्चित समय के बाद मर जाती हैं और नई कोशिकाएँ उनके स्थान पर आ जाती हैं, लेकिन कैंसर में यह प्रक्रिया बिगड़ जाती है। कैंसर कोशिकाएँ मरने की बजाय लगातार विभाजित होती जाती हैं और ट्यूमर का निर्माण करती हैं। यह ट्यूमर आसपास के ऊतकों और अंगों को भी प्रभावित कर सकता है और रक्त अथवा लसीका के माध्यम से शरीर के अन्य हिस्सों में भी फैल सकता है।

कैंसर के कई प्रकार होते हैं, जो शरीर के विभिन्न अंगों में उत्पन्न हो सकते हैं। कुछ प्रमुख प्रकार इस प्रकार हैं :-

- **स्तन कैंसर** – यह महिलाओं में सर्वाधिक पाया जाने वाला कैंसर है।
- **फेफड़ों का कैंसर**– अधिकतर धूम्रपान करने वालों में पाया जाता है।
- **गर्भाशय कैंसर**– यह महिलाओं में गर्भाशय ग्रीवा में होता है।
- **मुँह का कैंसर** – तंबाकू, गुटखा, बीड़ी-सिगरेट सेवन करने वालों में यह आम है।
- **त्वचा कैंसर**– अधिकतर सूर्य की पराबैंगनी किरणों के प्रभाव से होता है।

कैंसर होने के अनेक कारण हो सकते हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं :-

- **धूम्रपान और तंबाकू का सेवन** – यह सबसे बड़ा कारण है विशेषकर मुँह, गले और फेफड़ों के कैंसर का।
- **अस्वस्थ आहार और जीवनशैली** – अधिक जंक फूड, मांसाहार, मद्यपान, कम व्यायाम आदि।
- **वातावरणीय कारक** – वायु प्रदूषण, रेडिएशन, कीटनाशकों और रसायनों का प्रभाव।
- **वायरल संक्रमण** – जैसे ह्यूमन पैपिलोमा वायरस (HPV) से गर्भाशय कैंसर हो सकता है।
- **आनुवंशिक कारण** – परिवार में किसी को कैंसर रहा हो तो जोखिम बढ़ जाता है।
- **मानसिक तनाव** – दीर्घकालिक तनाव शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को कमजोर कर सकता है।

लक्षण

कैंसर के लक्षण उसकी अवस्था और प्रकार पर निर्भर करते हैं, लेकिन कुछ सामान्य लक्षण इस प्रकार हैं :-

- शरीर के किसी भाग में बिना दर्द के गांठ बनना।
- लगातार वजन कम होना।
- बिना कारण बुखार, थकावट या कमजोरी।
- खांसी या आवाज में बदलाव, खून आना।
- मल या मूत्र में परिवर्तन।
- घाव जो लंबे समय तक न भरे।

निदान

कैंसर का शीघ्र निदान अत्यंत आवश्यक होता है। कुछ प्रमुख जांचें निम्नलिखित हैं :-

- **बायोप्सी (Biopsy)** – गांठया कोशिकाओं की जांच।
- **सीटी स्कैन, एमआरआई और एक्स-रे** – शरीर के अंदर कैंसर की स्थिति देखने के लिए।
- **ब्लड टेस्ट और ट्यूमर मार्कर टेस्ट।**
- **पैप स्मीयर टेस्ट (महिलाओं के लिए)।**
- **मैमोग्राफी (स्तन कैंसर के लिए)।**

उपचार

कैंसर का उपचार उसके प्रकार, स्थान और अवस्था पर निर्भर करता है। मुख्य उपचार विधियाँ हैं :-

- **सर्जरी** – ट्यूमर को शारीरिक रूप से निकालना।
- **कीमोथेरपी** – दवाओं द्वारा कैंसर कोशिकाओं को नष्ट करना।
- **रेडियोथेरपी** – रेडिएशन से ट्यूमर पर प्रभाव डालना।
- **इम्यूनोथेरपी** – शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत बनाना।
- **टारगेटेड थेरपी और होर्मोन थेरपी** – विशेष प्रकार के कैंसर में प्रभावी।

रोकथाम के उपाय

कैंसर से बचाव संभव है यदि हम स्वस्थ जीवनशैली अपनाएँ और सतर्क रहें :-

- तंबाकू और शराब से दूरी बनाएँ।
- संतुलित और पोषक आहार लें।
- नियमित व्यायाम करें और तनाव से बचें।
- नियमित स्वास्थ्य जांच कराते रहें, विशेषकर यदि परिवार में कैंसर का इतिहास हो।
- महिलाओं को नियमित पैप स्मीयर और मैमोग्राफी करानी चाहिए।
- सूर्य की तेज़ किरणों से बचाव करें और सनस्क्रीन का प्रयोग करें।
- HPV और हेपेटाइटिस B जैसे वायरस के लिए टीकाकरण उपलब्ध है, उसका लाभ लें।

भारत में कैंसर की स्थिति

भारत में कैंसर तेजी से फैल रही एक गंभीर समस्या है। अनुमानतः हर साल लाखों नए कैंसर मरीज सामने आते हैं। विशेष रूप से स्तन कैंसर, फेफड़ों का कैंसर और मुँह का कैंसर सबसे अधिक पाए जाते हैं। जागरूकता की कमी, संसाधनों की कमी और महंगे इलाज के कारण ग्रामीण और गरीब वर्ग सबसे अधिक प्रभावित होता है।

सरकारी प्रयास

भारत सरकार ने कैंसर के इलाज और जागरूकता के लिए कई योजनाएँ चलाई हैं, जैसे -

- राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम (NCCP)
- आयुष्मान भारत योजना – जिसके तहत गरीब परिवारों को कैंसर उपचार के लिए आर्थिक सहायता मिलती है।
- सरकारी अस्पतालों में कैंसर स्क्रीनिंग केंद्रों की स्थापना।
- निःशुल्क टीकाकरण और जागरूकता अभियान।

उपसंहार

कैंसर एक गंभीर लेकिन जागरूकता, समय पर जांच और सही उपचार से काबू में लाई जा सकने वाली बीमारी है। यह न केवल रोगी के शरीर को प्रभावित करती है, बल्कि उसके परिवार और समाज पर भी मानसिक, सामाजिक और आर्थिक प्रभाव डालती है। यदि हम स्वस्थ जीवनशैली अपनाएँ, तंबाकू और शराब से दूर रहें, समय-समय पर जांच कराते रहें और समाज में जागरूकता फैलाएँ, तो हम कैंसर के खतरे को काफी हद तक कम कर सकते हैं।

कहावत है – *"रोकथाम इलाज से बेहतर है।"* यह कैंसर जैसे रोगों के लिए विशेष रूप से सत्य है। आइए हम सब मिलकर इस जानलेवा बीमारी से लड़ने का संकल्प लें।

मन से बात

एकता गिरि
वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी
भारतीय खान ब्यूरो, कोलकाता

क्या आपने कभी, अपने मन से बात की है ?

क्या आप, अपने मन की बात रोज सुनते हैं ?

क्या आपका मन, आपका कहना मानता है ?

क्या आप जब जो चाहें, अपने मन से करवा सकते हैं ?

शायद नहीं।

क्या आपने कभी सोचा है, कि आपका जीवन दूसरों की चिन्ता में खत्म हो रहा है। आपके पास अपने लिये इतना भी समय नहीं रह गया है कि आप अपने मन से बातचीत कर सकें। और सबसे मजे की बात है कि जिनकी चिन्ता में आप का जीवन खत्म हो रहा है, उनके साथ आपके संबंध भी कोई बहुत अच्छे नहीं हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है, व्यक्ति जीवन भर जिनके लिये सब कुछ करने का दम भरता है, वो रिश्ते ही अंत में निराश करते हैं। क्यों ? कभी सोचा है ?

क्या आपको लगता है कि एक टूटा हुआ, दु:खी इंसान दूसरे किसी इंसान को खुश रख सकता है ?

कभी नहीं। जो व्यक्ति स्वयं दु:खी है वह दूसरों को दु:ख ही देगा। खुशी वही व्यक्ति दे सकता है, जिसके पास खुशी हो। बहुत ही स्पष्ट और सरल सिद्धांत है कि मनुष्य वही देता है, जो उसके पास होता है। दु:ख है तो दु:ख ही देगा, सुख है तो वह सुख ही बांटेगा।

अब प्रश्न यह उठता है कि मनुष्य आखिर दु:खी क्यों है ?

महात्मा बुद्ध ने कहा था कि इस संसार में दु:ख है और दु:ख का कारण तृष्णा अर्थात् इच्छा है।

मतलब...., इच्छायें खत्म तो दु:ख भी खत्म।

लेकिन, क्या इन इच्छाओं को खत्म करना इतना आसान है ! मैं कहूँगी, इतना मुश्किल भी नहीं है।

अगर व्यक्ति का उसके मन पर नियंत्रण है तो इच्छायें भी नियंत्रित हो जाती हैं।

मन पर नियंत्रण करने के लिये पहले, अपने मन को समझना जरूरी है और मन को समझने के लिये मन से बातचीत जरूरी है जो आज का मनुष्य नहीं करता है। आज व्यक्ति को अपने मन से बातचीत किये शायद एक अरसा बीत गया हो, क्योंकि जब से मोबाइल हमारी ज़िंदगी में आया है, तब से यह छोटा-सा उपकरण हमारे हाथ से चिपक कर रह गया है। बल्कि, अब तो ऐसा लगता है जैसे व्यक्ति खुद इसके हाथों की कठपुतली बन गया है।

आज इंसान सुबह आँख खोलते ही सबसे पहले मोबाइल उठाता है और रात को सोने से पहले तक उसे देखता रहता है। यह उपकरण हर समय साथ रहता है — चाहे इसकी ज़रूरत हो या न हो। जी हाँ, हम में से बहुत से लोग ऐसे हैं जो शौचालय में भी मोबाईल लेकर जाते हैं और न केवल लेकर जाते हैं बल्कि शौचालय में मोबाईल का इस्तेमाल भी करते हैं। शौचालय में मोबाईल पर किसी से जरूरी बात की जाये तो गनीमत है। कुछ लोग शौचालय में भी वीडियो और सोशल साईट्स पर उपलब्ध रहने के लिये इसे साथ ले जाते हैं।

आज मनुष्य की समस्या हमेशा मोबाइल के साथ रहने की नहीं है बल्कि, ***समस्या यह है कि मोबाइल ने इंसान को उसके खुद के मन से दूर कर दिया है।***

आज इंसान के पास सबके लिए समय है — दुनिया के लिए, काम के लिए, नाम के लिए पर, खुद के लिए नहीं। वह हर रोज़ अखबार और टी.वी. से दुनिया भर की खबरें जानता है, लेकिन वह यह नहीं जानता कि उसके अंदर क्या चल रहा है। वह अकेला होने से घबराता है। उसे हर समय किसी न किसी का साथ चाहिये। क्यों ? क्योंकि उसकी अपने मन से जान – पहचान ही नहीं है। और अगर जान – पहचान है भी तो जाने, कितना समय बीत गया है उसे अपने मन से खुलकर बात किये हुये, उसे सुने हुये!

हमारे कवियों और संगीतकारों ने मन को बच्चा, पागल,

दीवाना और न जाने क्या - क्या उपमाएँ दी हैं। लेकिन, उन्होंने नहीं बताया कि मन से बेहतर कोई साथी नहीं हो सकता — ***अगर वह हमारे नियंत्रण में हो तो।***

अब आप कहेंगे, "मन तो नियंत्रण में होता ही नहीं !"

तो मैं कहूँगी, "आपने कोशिश ही कब की?"

मन को सहजता से नियंत्रित किया जा सकता है, बस आवश्यकता है — ***इसके साथ समय बिताने की।***

सुबह टहलते समय, सफर करते हुए, या जब भी आप अकेले हों, मोबाइल की स्क्रीन से ध्यान हटाइए और अपने मन की ओर देखिए। आपका मन बहुत कुछ कहना चाहता है। कब उसे खुशी हुई, कब वह दुःखी हुआ, किससे उसे शिकायत है, किससे प्रेम है, हर बात वह आपसे कहेगा, बस उसके लिये समय निकाल कर उसे ध्यान से सुनिये।

उसके हर सवाल का जवाब दीजिए। और जिन सवालों के जवाब नहीं पता, उन्हें खोजिए, ताकि आपका मन भी उत्तर पाकर शांत हो सके। जब भी वह किसी चीज को पाने के लिये मचले तो उससे बात कर उसे समझाइये कि वह चीज उसे क्यों चाहिये। जीवन की अस्थिरता उसे बताईये। उसे बताईये कि इस संसार में आप का जन्म जीवन भर दौड़ने के लिये नहीं हुआ है। उसे दिन भर की कचरा खबरें, जिनसे आपका कोई ताल्लुक नहीं है, उनसे दूर रहना सिखाईये। अपने मन को सिखाईये कि किसी दूसरे व्यक्ति के बुरे बर्ताव पर दुःखी नहीं होना चाहिये, क्योंकि यह उस व्यक्ति का व्यवहार है, जिसे आप परिवर्तित नहीं कर सकते। अपने मन की उड़ान पर नजर रखिये। उसे हमेशा सकारात्मक रहना सिखाईये।

जब आप अपने मन से बातचीत शुरू कर देंगे तो आप देखेंगे कि धीरे – धीरे, आपका मन शान्त हो रहा है। अब वह विपरीत परिस्थितियों में व्याकुल नहीं होगा। आप जो कहेंगे वह सुनेगा। आप अपने मन के अधीन नहीं बल्कि, आपके मन पर आपका नियंत्रण होगा और जिस दिन यह होगा उस दिन से आपका जीवन इतना खुशनुमा होगा जैसा पहले कभी नहीं था। अब आप केवल और केवल खुशियां बाटेंगे। आप के पास कुछ हो या न हो, आपसे ज्यादा संतुष्ट आदमी दूसरा न होगा। अब आप दूसरों के लिये जो भी करेंगे वह सही मायने में उस तक पहुँचेगा और अब आपके रिश्ते गहरे और आत्मीय होंगे क्योंकि अब आप को किसी से भी कोई आशा न होगी।

इसलिये, अपने मन से बात कीजिये।

जब आप खुद से जुड़ेंगे, तभी वास्तव में दुनिया से जुड़ पाएंगे।

समय का महत्व

एस. एन. होरे
उच्च श्रेणी लिपिक
भारतीय खान ब्यूरो, हिंगणा

हमारी जिंदगी छोटे-छोटे समय के भागों में बटीं हुई है, हमारी जिंदगी में कई दिन, कई घंटे, कई मिनट और कई सेकेंड होते हैं। परंतु कुछ लोग इसी समय में उस मुकाम को हासिल कर जाते हैं, जिसकी उन्हें चाह होती है। वे समय का सदुपयोग करते हैं और अपने जीवन में सफल हो जाते हैं।

एक गांव में एक गरीब आदमी रहता था, उसके घर में उसकी पत्नी और उसकी एक बेटी और एक छोटा बेटा था। उसकी पत्नी दूसरों के घर में काम करके अपने परिवार का खर्च चलाती थी, उसका पति जिसका नाम रामू था। रामू दिन भर नशे में डूबा रहता था और दूसरों के साथ अपना समय बर्बाद किया करता था। कहीं इधर ताश के पत्ते खेलता दिखता था तो कहीं उधर लोगों के दरवाजे बैठकर गपशप मारा करता था। अपने परिवार का ख्याल उसे बिल्कुल नहीं था।

उसके माता-पिता ने उसकी शादी करा कर गलती कर दी थी। बेचारी उसकी पत्नी दिन रात काम कर-कर अपने बच्चों का पेट पालती थी। यदि उसकी पत्नी एक भी दिन काम पर न जाए तो उसके बच्चे भूखे रह जाते थे। इसीलिए उसकी पत्नी प्रत्येक दिन दूसरों के वहां काम करती थी, लेकिन रामू को इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसे बस अपना समय बर्बाद करके हंसी मजाक और पत्ते खेलने में बहुत मजा आता था। शाम को शराब पीकर घर आकर जोर-जोर से अपनी पत्नी को चिल्लाता था। कई बार उसने अपनी पत्नी को मारा भी लेकिन अब उसकी पत्नी करें भी तो क्या, वह तो अपने बच्चों को छोड़कर नहीं जा सकती थी।

रामू को जो कोई भी समझाता था कि रामू कुछ कार्य करा करो, पैसे कमाया करो, अपने परिवार का खर्च तो उठाओ, तुम्हारे दो बच्चे हैं, तुम्हारी पत्नी है, उनकी देखभाल करो, ऐसे अपना समय क्यों बर्बाद करते हो। रामू उसके ऊपर बिगड़ जाता था और कहता तुम्हें इससे लेना देना क्या। मैं कुछ भी करूं यह मेरा जीवन है। मैं तुम्हारे घर में खाता हूं क्या?

इसके कारण कोई भी गांव का सदस्य इससे इस विषय में बात ही नहीं करता था। वह सुबह खाकर निकल जाता था और रात में शराब पीकर आता और अपनी बीवी के ऊपर गुस्सा करता था, ऐसा ही कुछ दिनों तक चलता रहा। कुछ दिनों बाद संसार में एक ऐसी बीमारी ने जन्म लिया, जो मानव जाति के लिए अत्यधिक खतरनाक थी। चारों तरफ उस बीमारी का कहर था। आप सब जानते होंगे मैं कोरोना वायरस की बात कर रहा हूं। जब सरकार द्वारा लॉकडाउन लगा दिया गया था तब चारों तरफ लोगों का एक दूसरे के यहां आना जाना बंद हो गया था। सारे कार्य, सारी फैक्ट्रियां, सारी गाड़ियां इत्यादि बंद हो गए थे।

अब रामू का परिवार भूखा मरने लगा था। क्योंकि उसकी पत्नी जो रोज कमाने जाती थी, वह अब किसी के घर इसी कारण नहीं जा पाती थी कि कहीं इस बीमारी की वजह मैं न हो जाऊं, लोग उसे अब काम पर बुलाना बंद कर दिए थे। उसके परिवार में अनाज का एक दाना भी नहीं था, ना उसके घर में कुछ पैसे थे। अब वह क्या करता, उसका छोटा बेटा भी बीमार हो गया था। उसके बच्चे की तबीयत ज्यादा खराब हो

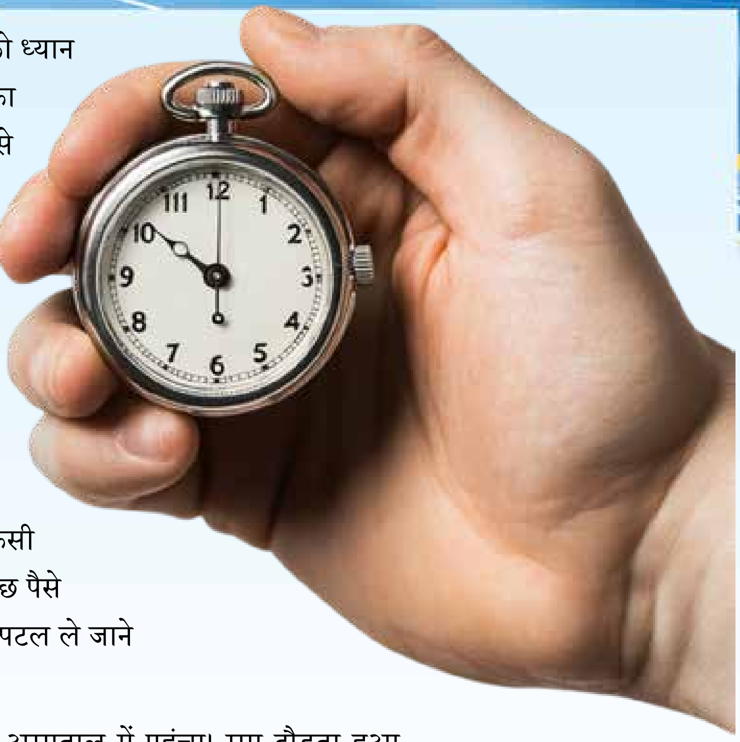

गई थी तब रामू को समझ आया कि अपने परिवार को ध्यान देना चाहिए। उसने बच्चे को अस्पताल ले जाने का सोचा, परंतु उसके पास पैसे नहीं थे। वह गांव वालों से पैसे मांगने गया।

गांव वालों ने कहा पहले समझाने पर तो हम लोगों को ही जली कटी सुना देते थे, अब इस लॉकडाउन में हमारे पास कहां से पैसा आए, यही कहकर वह लौटा देते थे। रामू अत्यधिक परेशान था। अब करें तो भी क्या करें। वह चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता था। एक पूरा दिन बीत गया, उसके बेटे की तबीयत और भी ज्यादा खराब हो गई। तभी किसी तरह उसकी पत्नी ने जहां काम करती थी, वहां से कुछ पैसे जुटा कर लाई और अब रामू ने अपने बच्चे को हॉस्पिटल ले जाने की तैयारी की।

रामू अपने बच्चे को लेकर गांव के बाहर एक अस्पताल में पहुंचा। रामू दौड़ता हुआ डॉक्टर के पास गया, उसने कहा मेरे बच्चे को बचा लीजिए। डॉक्टर साहब ने सारे इंस्ट्रूमेंट लगाकर लगा कर चेक किया तब उसका बेटा मर चुका था। डॉक्टर साहब ने यह बात रामू से कहा यदि तुम अपने बच्चे को 10-15 घंटे पहले ले आते तो मैं तुम्हारे बच्चे को बचा लेता। मुझे बहुत दु:खी होकर कहना पड़ रहा है कि मैं तुम्हारे बच्चे को बचा ना सका। यह सुनकर रामू के पैरों तले के नीचे से जमीन खिसक गई, वह रोने लगा। उससे कहने लगा यह सब मेरी गलती है, मैंने जीवन में कुछ नहीं किया। सिर्फ अपने समय को बर्बाद किया है।

यदि आज मेरे पास पैसे हो जाते तो मैं अपने बेटे को हॉस्पिटल जल्दी ला पाता और मेरा बेटा बच जाता। मैंने अपने जीवन में समय को बहुत बर्बाद किया है। लेकिन आज मुझे समय की अहमियत का पता चल गया है।

तो हमें इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि हमें अपने समय को बर्बाद नहीं करना चाहिए, उसका सदुपयोग करना चाहिए तभी हमें अपने जीवन मे सफलता मिल सकती है। इस कहानी में अगर रामू पहले से काम करता होता तो उसके पास पैसे होते और अपने बेटे का इलाज करा पाता, जिससे उसका बेटा आज जिंदा होता।

मित्रों हमें हमेशा अपने समय का सदुपयोग करना चाहिए।

विनम्रता एक श्रेष्ठ धन

दिलीप पंवार
निजी सचिव
भारतीय खान ब्यूरो, उदयपुर

बाल्यावस्था एवं युवावस्था को पार करते हुए व्यक्ति जब वृद्धावस्था के निकट पहुंच जाता है, तो उसका शरीर क्षीण और दुर्बल होने लगता है, किन्तु उस समय भी उसका मन उल्लासित रहता है। उसका वह उल्लास स्थायी सम्पत्ति के समान जीवन के अन्त तक उसका साथ देता है। उस समय भी उसकी विनम्रता का भण्डार समय के दुष्प्रभाव से बचा रहता है, अर्थात् उसके हृदय का उल्लास व उसकी विनम्रता नष्ट नहीं होते। इन दोनों के संयोग से ही उसे अपने जीवन के अतिरिक्त परलोक में भी उत्कृष्ट फल प्राप्त होता है। उल्लास और विनम्रता कभी नष्ट न होने वाली परमेश्वर की देन हैं, जिनके सम्मुख संसार की अन्य सम्पत्तियाँ नगण्य एवं तुच्छ हैं।

किसी व्यक्ति से जब कोई बलिदान मांगा जाये, तो वह उसकी परीक्षा की घड़ी होती है। उस समय यह देखा जाता है कि वह व्यक्ति अपने आदर्श की प्राप्ति के लिए कितना बलिदान करने को तैयार है। आप कह सकते हैं कि आप अमुक काम करने के लिए तैयार हैं, किन्तु प्रश्न यह है कि आप अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए कितना बलिदान दे सकते हैं? कथनी और करनी में बहुत अन्तर होता है। अनेक लोग कहते हैं कि यदि उन्हें सामाजिक झझंटों से मुक्ति मिल जाये, उनके मार्ग में कोई बाधा न रहे, उन्हें बिमारी एवं दरिद्रता की आशंका न हो, तो वे भी अनेक महान् कार्य कर सकते हैं, परन्तु सच्चाई इसके सर्वथा विपरीत है। संसार में काम करने वालों की बहुत कमी है। महान काम उन्होंने ही सम्पन्न किये हैं, जो प्रतिकूल परिस्थितियों में रहकर अपने जीवनोद्देश्य की प्राप्ति के निरन्तर प्रयास करते रहे। इसके साथ ही वे लोग अनेक कष्टों, संकटों और पीड़ाओं से भी धिरे रहे। अनेक व्यक्ति यह इच्छा करते हैं कि यदि उन्हें कोई अवसर प्राप्त हो, तो वे कोई महान कार्य करके दिखा सकते है, परन्तु जब उन्हें अवसर प्राप्त होता है, तो वे कुछ भी नहीं कर पाते। सभ्यता और संस्कृति के शिखर पर पहुंचने वाले युवक और बुद्धिमान व्यक्तियों ने घोर संघर्ष, जिनके कारण उन्हें अपने जीवन में कभी अवकाश के क्षण भी प्राप्त नहीं हुए।

सामान्यतः यह माना जाता है कि व्यस्त एवं सक्रिय जीवन-संघर्ष के कारण व्यक्ति की प्रवृत्ति नीरस हो जाती है व उसकी सौन्द्रर्यानुभूति नष्ट हो जाती है अथवा कुछ बुद्धिमान! व्यक्ति ही जीवन की मृदुल भावनाओं की तह तक पहुंच सकते हैं, परन्तु वास्तविकता यह है कि लालित्यपूर्ण चमत्कार संकटों और विपत्तियों में फंसे विद्वानों ने ही संसार के सर्वश्रेष्ठ एवं महान ग्रन्थ लिखे हैं। विपरीत परिस्थितयों में पड़ने के बाद भी न तो व्यक्ति की प्यास बुझती है और न उसके आदर्श नष्ट होते हैं। जब तक व्यक्ति स्वयं न चाहे, कुछ नहीं किया जा सकता।

कुछ व्यक्ति जीवन को एक कला मानते हैं, परन्तु अनेक व्यक्ति जीवन के कार्यो को अनिच्छापूर्वक ही पूरा कर सकते हैं। वे अपने बहुमूल्य समय औश्र प्रयत्न को निम्न उद्देश्यों तथा वासना की पूर्ति में ही नष्ट कर डालते हैं। यदि वे अपने प्रयत्नों को उत्साहपूर्वक पवित्र उद्देश्यों की पूर्ति में लगा दें, तो वे भी महान् कार्य कर सकते हैं, जीवन को जीने की कला सीख सकते हैं। जीवित रहने के लिए व्यक्ति अपनी मानसिक और शारीरिक योग्यता को केवल धन कमाने के लिए ही नियोजित कर दे, इसे बुद्धिमानी नहीं कहा जा सकता। परमात्मा ने जो जीवन आपको प्रदान किया है, वह इतना निरर्थक नहीं कि आप अपने मूल्यवान समय को भैतिक पदार्थो के संग्रह में ही नष्ट कर दे, किन्तु व्यक्ति का अधिकांश समय इस प्रकार के क्षणभंगुर पदार्थो के सग्रंह में ही नष्ट हो जाता है। फिर भी उसे इस बात की अभिलाषा होती है कि वह अपने महान् आदर्शो को प्राप्त कर ले।

धन-दौलत और ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए व्यक्ति बड़े से बड़ा बलिदान कर सकता है, लेकिन आत्मा की श्रेष्ठता और व्यापकता के लिए कुछ भी नहीं कर पाता। जीवन-रूपी गाड़ी को चलाने के लिए उद्देश्य और संकल्प एक सीमा तक ही आवश्यक होते हैं, किन्तु जब तक इच्छा-प्राप्ति के लिए प्रयास नहीं किया जायेगा, तब तक रेलगाड़ी नहीं चल सकेगी।

साधारण गरम पानी से इजंन नहीं चल सकता। जब आपकी दृष्टि ही छोटे-छोटे पदार्थों पर टिकी रहेगी, तो आपको अपने आस-पास की चीजें ही दिखाई देंगी, उच्च और महान् उद्देश्य दूर दिखाई देंगे। ये छोटे-छोटे पदार्थ और साधारण उद्देश्य आपके लक्ष्य की प्राप्ति में बाधक बन जाते हैं। अनेक व्यक्ति साधारण जीवन व्यतीत कर रहे हैं, उनमें हेडक्लर्क, वकील अथवा इंजीनियर यदि सफल व्यक्ति भी होते हैं, परन्तु वे भी अपने उच्च आदर्श को प्राप्त नहीं कर पाते और साधारण पदार्थों की प्राप्ति के लिए अपने जीवन का बलिदान कर देते हैं, अपनी स्वाभाविक योग्यता को धन-दौलत आदि की वेदी पर निछावर कर देते हैं, अपने महान् उद्देश्यों को सोने-चांदी के चन्द सिक्कों के बदले बेच डालते हैं। इसीलिए वे मानव के रूप में भी असफल और अभागे ही सिद्ध होते हैं। यह आवश्यक नहीं कि धन को नैतिकता से अधिक महत्व दिया जाये, लेकिन साधारण प्रसिद्धि और सामान्य विचारों के अधिक महत्व दिया जाये, लेकिन साधारण प्रसिद्धि और सामान्य विचारों के कारण व्यक्ति लोक-कल्याण के मार्ग से भटक जाते हैं।

आपका जीवन और उसका वास्तविक उद्देश्य सच्चे मोती के समान है। उसके सम्मुख सांसारिक सुख अत्यन्त तुच्छ है। मानव-जीवन का आदर्श अत्यन्त बहुमूल्य है और उसकी चमक के सम्मुख सोने-चांदी की चमक हेय है। लोक-कल्याण के लिए जिन लोगों के नाम सूर्य के समान दमकते रहे हैं, उनके सम्मुख सदा ही उच्च लक्ष्य और आदर्श स्थिर रहे है। उन्होंने अपने उद्देश्य से कभी मुंह नहीं मोड़ा और अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए स्थिरता और दृढ़ता के साथ अपनी भरपूर शक्ति लगाते रहे। यदि आप भी अपनी आत्मा की उस आवाज को सुनते रहें, जो आपको सफलता के मार्ग की खोज करने के लिए प्रेरित करती है और उसी के अनुसार व्यवहार भी करें, तो आप कभी असफल नहीं हो सकते। जीवन में सर्वोच्च सफलता प्राप्त करने के लिए निष्ठा और सक्रियता महान् आदर्श हैं। अब वह समय दूर नहीं, जब मानव की सेवा और उसके सुधार के लिए सब कुछ बलिदान कर देने वाले व्यक्तियों को अत्यन्त सफल माना जायेगा।

धन का ढेर अथवा बैंक-बैलेंस नहीं, अपितु त्याग और बलिदान आपकी वास्तविक सम्पत्ति हैं। दानशील और परमार्थी व्यक्ति पारसमणि के समान होते है। उनका सम्पर्क होते ही कोई भी वस्तु सोना बन जाती है। ऐसे व्यक्तियों के सम्पर्क में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को यह अनुभव हो जाता है कि उसने कुछ खोया नहीं है, अपितु कुछ पाया है। देखा जाये, तो जो व्यक्ति जीवन को सुखद बनाने एवं मानवता का कल्याण करने के लिए प्रयत्न करते हैं, वे ही कभी नष्ट न होने वाली सम्पत्ति हैं।

आज ऐसे ही अनेक यन्त्रों का आविष्कार हो चुका है, जिनके द्वारा शारीरिक शक्ति के खर्च में कमी आ गयी है, किन्तु सफल जीवन को मापने अथवा गुणों का अनुमान लगाने के लिए अभी तक कोई यन्त्र नहीं बना। यदि कोई ऐसा यन्त्र बन जाता, तो अनेक धनाढय लोग अपनी माप देखकर क्रोधित हो जाते तथा अनेक देशभक्त नेता अपनी प्रतिभा और सेवा का माप देखकर चकित रह जाते। किसी व्यक्ति की महत्ता का अनुमान उसकी आत्मा के मानदण्ड से किया जाना चाहिये। धन-सम्पत्ति, गगनचुम्बी इमारतें या बड़ी-बड़ी जागीरें नहीं, अपितु नैतिक मुल्यों के आधार पर ही किसी व्यक्ति का जीवन लाभदायक बन सकता है। सज्नता, सहृदयता और संस्कृति के बल पर ही आप अपने विरोधियों का मुंह बन्द कर सकते हैं, धन-सम्पत्ति के बल पर नहीं।

फिलिप ब्रुक्स ने लिखा है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी वर्तमान स्थिति में एक बार यह अनुभव अवश्य होता है कि उसे क्या बनना है। उसे अपने सम्पूर्ण जीवन का कल्पित स्रोत अवश्य दिखाई देता है। परमात्मा ने मानव के हृदय में किसी न किसी लक्ष्य की स्थापना की है। इसलिए कम-से-कम एक बार उसके मन में कल्याण, परोपकार एवं दूसरों की भलाई करने की इच्छा अवश्य जागृत होती है।

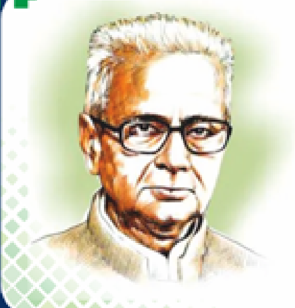

“तुम अपनी बात
अपनी भाषा में सारी ताकत के साथ
कह सकते हो और कहने के बाद भी
इसी शहर में जिंदा रह सकते हो।

केदारनाथ सिंह”

स्टार्टअप भारत: युवाओं के लिए नया अवसर या भ्रम?

गौरव कुमार गुप्ता
प्रवर श्रेणी लिपिक
भारतीय खान ब्यूरो,जबलपुर

भारत एक युवा राष्ट्र है, जहाँ 65% से अधिक जनसंख्या 35 वर्ष से कम आयु की है। इस युवा शक्ति को आर्थिक और सामाजिक विकास में रूपांतरित करने के लिए उद्यमिता (Entrepreneurship) को एक महत्वपूर्ण साधन के रूप में देखा जा रहा है। इसी दिशा में भारत में स्टार्टअप संस्कृति ने एक नई क्रांति को जन्म दिया है। 21वीं सदी में भारत वैश्विक स्टार्टअप हब के रूप में उभर रहा है। युवाओं में बढ़ती उद्यमशीलता की भावना, सरकार द्वारा दी जा रही प्रोत्साहन योजनाएँ, और निवेशकों की बढ़ती रुचि ने भारत में स्टार्टअप संस्कृति को एक नया रूप दिया है। 'स्टार्टअप इंडिया', 'मेक इन इंडिया' और डिजिटल इंडिया जैसी योजनाओं से देश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। इन योजनाओं से भारतीय युवाओं को यह प्रेरणा मिली है कि वे न केवल नौकरी करें, बल्कि दूसरों को रोज़गार देने वाले बनें लेकिन इस सुनहरे दिखाई देने वाले सपने के पीछे कई भ्रम और भ्रमित करने वाले तत्व भी छिपे हैं।

स्टार्टअप: एक विचार, एक जोखिम, एक क्रांति:-

स्टार्टअप का मूल उद्देश्य होता है — किसी समस्या का नवोन्मेषी समाधान। पारंपरिक व्यवसाय जहाँ पहले से तय ढांचे पर चलते हैं, वहीं स्टार्टअप नए विचार, तकनीक और बाजार के प्रयोग पर आधारित होते हैं। स्टार्टअप एक सोचने का तरीका है — तेज़ी से आगे बढ़ने, प्रयोग करने और जोखिम उठाने की भावना। यही भावना भारतीय युवाओं को आकर्षित करती है।

स्टार्टअप और पारंपरिक व्यवसाय में अंतर :-

स्टार्टअप एक नवाचार-आधारित व्यवसायिक पहल होती है, जिसमें नए विचारों को लेकर बाज़ार में प्रवेश किया जाता है। ये पारंपरिक व्यवसायों से भिन्न होते हैं क्योंकि इनका लक्ष्य तकनीकी प्रगति और नवीनता के माध्यम से समस्या का समाधान करना होता है।

पहलु	स्टार्टअप	पारंपरिक व्यवसाय
उद्देश्य	नवाचार, तेज़ वृद्धि	स्थिर लाभ
पूंजी	निवेशकों से	स्वयं या बैंक
जोखिम	अधिक	सीमित
संरचना	लचीली	स्थिर

भारत में स्टार्टअप का इतिहास और इकोसिस्टम :- भारत में उद्यमशीलता का इतिहास बहुत पुराना है। 1990 के दशक में आर्थिक सुधारों के बाद स्टार्टअप का विकास तेज़ हुआ। 2000 के दशक में सूचना प्रौद्योगिकी और इंटरनेट के प्रसार ने नए उद्यमों को गति दी। आज, भारत दुनिया के प्रमुख स्टार्टअप इकोसिस्टम में शामिल हो चुका है।

भारत में Infosys और Wipro जैसे आईटी दिग्गजों को भी एक समय स्टार्टअप ही माना जाता था। लेकिन 2008 के बाद और विशेष रूप से 2014 के बाद, स्टार्टअप का स्वरूप पूरी तरह बदल गया। स्टार्टअप की इस बढ़ती दुनिया के कदमों ने एक नये सूरज का उदय देखा जिसके कुछ महत्वपूर्ण पड़ाव निम्न है:- वर्ष 2010–15 में Flip kart, Meesho, Big Basket जैसे ई-कॉमर्स स्टार्टअप्स का उदय हो या वर्ष 2016 में भारत सरकार की Startup India Initiative की शुरुआत हो। कोरोना महामारी में बहुत लोगों को अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा था। नौकरियों में बढ़ती असुरक्षा के खतरे को देखते हुए युवा पीढ़ी का रूझान स्टार्टअप की तरफ होने लगा। बढते रुझानों ने निवेशकों को महामारी के बावजूद स्टार्टअप फंडिंग में निवेश के लिये आकर्षित किया जिससे स्टार्टअप को फंड मिलना शुरु हो गया। वर्ष 2024 में अकेले भारतवर्ष में 100,000 से अधिक स्टार्टअप्स, और 67 से अधिक यूनिकॉर्न (1 अरब डॉलर से अधिक वैल्यू वाले स्टार्टअप्स) थे जिनकी संख्या वर्ष 2025 में

बढ़कर 1,59,000 तथा यूनिकॉर्न की संख्या 120 हो गई है।

स्टार्टअप की प्रमुख श्रेणियाँ :- भारत में विभिन्न क्षेत्रों में स्टार्टअप्स पनप रहे हैं जिनमें से कुछ प्रमुख क्षेत्र निम्न हैं:-

1. एडटेक (EdTech) :- शिक्षा को डिजिटल बनाने वाले स्टार्टअप्स जैसे - ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म (Physics Wallah, Unacademy, BYJU'S) स्किल डेवलपमेंट और कोडिंग (White Hat Jr., Coding Ninjas) आदि स्टार्टअप्स ने भारत में शिक्षा के क्षेत्र में एक नयी गति ला दी है। आज के युग में घर बैठे छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध करवाई जा रही है।

2. फिनटेक (FinTech) :- फिनटेक स्टार्टअप्स ने भारत सरकार के डिजीटल इंडिया के क्षेत्र में एक क्रांति ला दी है। ***Phone-Pe, BharatPe*** जैसे स्टार्टअप्स ने डिजीटल भुगतान को आसान बना दिया है। आज चाहे एक रुपये का सामान लेना हो या एक लाख का आप डिजीटल भुगतान कर सकते है। भारत के हर कोने तक इन स्टार्टअप्स की पहुँच ने इन स्टार्टअप्स की सफलता की चरम सीमा को सार्थक कर दिया है।

3. हेल्थटेक :- स्वास्थ्य सेवाओं को डिजिटल और सुलभ बनाने वाले स्टार्टअप्स, जैसे : -टेलीमेडिसिन और ऑनलाइन हेल्थ केयर (Practo, 1mg), फिटनेस और वेलनेस ऐप्स (Cure.fit, HealthifyMe), मेडिकल रिसर्च और बायोटेक स्टार्टअप्स

4. ई-कॉमर्स और मार्केटप्लेस (E-Commerce & Marketplace) :- ऑनलाइन खरीदारी और व्यापार को बढ़ावा देने वाले स्टार्टअप्स, जैसे :- B2C ई-कॉमर्स (Amazon, Flipkart), C2C और B2B प्लेटफॉर्म (Meesho, Udaan), सब्सक्रिप्शन-बेस्ड ई-कॉमर्स (Nykaa, Mamaearth)

5. एग्रीटेक :- कृषि और किसानों की मदद करने वाले स्टार्टअप्स, जैसे :- स्मार्ट फार्मिंग और IoT आधारित समाधान, ऑनलाइन कृषि बाजार और सप्लाई चेन, फूड प्रोसेसिंग और ऑर्गेनिक फार्मिंग

6. ग्रीनटेक :- पर्यावरण और स्थायी विकास पर ध्यान देने वाले स्टार्टअप्स, जैसे :-नवीकरणीय ऊर्जा (Solar Energy Startups), वेस्ट मैनेजमेंट और रीसाइक्लिंग, इलेक्ट्रिक व्हीकल और ग्रीन ट्रांसपोर्टेशन, ReNew Power, Ather Energy

7. AI और Machine Learning आधारित स्टार्टअप्स :- Observe.AI, Yellow.ai

8. ट्रैवल और हॉस्पिटैलिटी स्टार्टअप्स :- यात्रा और होटल व्यवसाय से जुड़े स्टार्टअप्स, जैसे : -ऑनलाइन ट्रैवल एजेंसियाँ (MakeMyTrip, Yatra), होटल और होमस्टे बुकिंग (OYO, Airbnb), स्थानीय अनुभव और गाइडिंग सेवाएँ

9. गेमिंग और मनोरंजन स्टार्टअप्स :- वीडियो गेम, स्ट्रीमिंग और मनोरंजन उद्योग में नवाचार करने वाले स्टार्टअप्स, जैसे :- गेमिंग कंपनियाँ और ई-स्पोर्ट्स (Dream11, MPL), वीडियो और संगीत स्ट्रीमिंग (Gaana, Hotstar), VR और AR आधारित कंटेंट क्रिएशन

युवाओं के लिए अवसर :-

स्टार्टअप संस्कृति ने युवाओं को निम्नलिखित अवसर दिए है।

(i) नवाचार और स्वतंत्रता :- युवाओं के लिए स्टार्टअप एक ऐसा मंच प्रदान करता है, जहाँ वे अपने विचारों को लागू कर सकते हैं और स्वतंत्र रूप से कार्य कर सकते हैं।

(ii) रोज़गार निर्माण और आर्थिक योगदान :- भारत में स्टार्टअप्स ने लाखों नौकरियों का सृजन किया है। स्टार्टअप्स न केवल रोजगार देते हैं, बल्कि देश की GDP में महत्वपूर्ण योगदान भी करते हैं।

(iii)डिजिटल क्रांति और तकनीकी विकास :- ई-कॉमर्स, AI, डेटा साइंस, फिनटेक, और हेल्थटेक जैसे क्षेत्र स्टार्टअप्स के लिए बड़े अवसर प्रदान कर रहे हैं। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और स्मार्टफोन तकनीक ने नए व्यापारिक मॉडल को जन्म दिया है।

(iv)तेज़ी से सीखने का मौका :- स्टार्टअप संस्कृति में हर दिन एक नई चुनौती होती है, जिससे व्यावसायिक और व्यक्तिगत विकास दोनों होता है।

(v) आत्मनिर्भरता का मार्ग :- स्वयं का व्यवसाय शुरू करना उन्हें आत्मनिर्भर बनने का अवसर देता है।

(vi)वैश्विक पहुंच :- डिजिटल युग में भारतीय स्टार्टअप वैश्विक बाज़ार में सीधे प्रवेश पा रहे हैं।

स्टार्टअप का भ्रम और धरातल की सच्चाई :- हालांकि स्टार्टअप एक आकर्षक शब्द है, लेकिन इसके पीछे की सच्चाई कठिन और जटिल है।

भ्रम	सत्यता
हर विचार स्टार्टअप बन सकता है।	*हर विचार को व्यावसायिक मॉडल में परिवर्तित करना आसान नहीं है।*
जल्दी अमीर बनने का ज़रिया है।	*स्टार्टअप में लाभ की बजाय शुरू में घाटा ज्यादा होता है। अक्सर break-even तक पहुँचने में 3–5 साल लग जाते हैं।*
निवेशक मिलना आसान है।	*भारत में लाखों स्टार्टअप्स हैं, पर निवेश केवल कुछ प्रतिशत को ही मिलता है।*

स्टार्टअप विफलता के प्रमुख कारण :- भारतीय स्टार्टअप की विफलता दर लगभग 85–90% है। इसके मुख्य कारण हैं - बाज़ार की सही समझ का अभाव, टीम के बीच तालमेल की कमी, उत्पाद में नवाचार की कमी, वित्तीय योजना में चूक, ग्राहकों की ज़रूरतों को न समझना।

(अ) उच्च प्रतिस्पर्धा :- आज स्टार्टअप क्षेत्र में अत्यधिक प्रतिस्पर्धा है। हर दिन नए स्टार्टअप्स आते हैं, लेकिन टिके रहने के लिए मज़बूत रणनीति की आवश्यकता होती है।

(ब) वित्तीय अस्थिरता :- निवेश प्राप्त करना स्टार्टअप्स के लिए बड़ी चुनौती होती है। बहुत से स्टार्टअप्स फंडिंग की कमी के कारण असफल हो जाते हैं।

(स) बाज़ार की अनिश्चितता :- बाज़ार में उपभोक्ता की प्राथमिकताएँ लगातार बदलती रहती हैं। स्टार्टअप्स को

लगातार नए तरीकों से खुद को पुनः स्थापित करना पड़ता है।

(द) दीर्घकालिक स्थिरता का प्रश्न :- कई स्टार्टअप्स शुरू में तेज़ी से बढ़ते हैं, लेकिन कुछ समय बाद उन्हें टिके रहना मुश्किल हो जाता है। सही नेतृत्व और रणनीति के अभाव में स्टार्टअप्स असफल हो सकते हैं।

सफल स्टार्टअप उदाहरण :-

1. फ्लिपकार्ट और ई-कॉमर्स क्रांति :- फ्लिपकार्ट भारत का पहला बड़ा ई-कॉमर्स स्टार्टअप था, जिसने ऑनलाइन खरीदारी को आम जनता तक पहुँचाया। इसकी सफलता ने अन्य ई-कॉमर्स कंपनियों को प्रेरित किया।

2. ज़ोमैटो: फूड डिलीवरी का बदलता रूप :- ज़ोमैटो ने भोजन वितरण और रेस्तरां खोजने के तरीके को पूरी तरह से बदल दिया। यह एक स्टार्टअप का बेहतरीन उदाहरण है जो उपभोक्ता की ज़रूरतों को समझकर विकसित हुआ।

3. ओला: परिवहन में नवाचार :- ओला ने कैब सेवा को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर ला दिया, जिससे लोगों को सुविधा और रोजगार दोनों मिले।

महिलाएं और स्टार्टअप क्रांति :-

भारत में महिला उद्यमियों की संख्या बढ़ रही है, विशेषतः शिक्षा, हेल्थकेयर, फैशन, कुकिंग, और गृह-आधारित व्यवसायों में। नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार, भारत में पंजीकृत स्टार्टअप्स में से लगभग 18% महिला नेतृत्व में हैं। सरकार की महिला उद्यमिता मंच (WEP) इस दिशा में प्रभावशाली काम कर रही है।

ग्रामीण भारत और स्टार्टअप :-

आज स्टार्टअप केवल मेट्रो शहरों तक सीमित नहीं हैं। बिहार, ओडिशा, मध्यप्रदेश, झारखंड, असम जैसे राज्यों से भी अब स्टार्टअप्स उभर रहे हैं। DeHaat, Gramophone, Aavishkaar जैसे एग्रीटेक स्टार्टअप ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बल दे रहे हैं।

शिक्षा और कौशल की भूमिका :-

भारत में IITs, IIMs, NITs, और कई निजी संस्थानों ने स्टार्टअप इनक्यूबेशन सेंटर शुरू किए हैं। स्टार्टअप के लिए जरूरी है कि युवाओं के पास व्यावसायिक समझ, तकनीकी ज्ञान, नेतृत्व क्षमता, समस्या-समाधान कौशल

स्टार्टअप और अंतरराष्ट्रीय तुलना :-

भारत, अमेरिका और चीन के बाद सबसे बड़ा स्टार्टअप हब है। लेकिन अभी भी Ease of Doing Business और Startup Sustainability जैसे पहलुओं में भारत को सुधार की आवश्यकता है। अमेरिका 700+ चीन 300+ भारत120+

सरकारी योजनाएँ और सहयोग :-

सरकार द्वारा चलायी जा रही प्रमुख योजनाएँ निम्नानुसार है-

Startup India Seed Fund Scheme, MUDRA योजना, Stand-up India योजना, Atal Innovation Mission, Startup Accelerator of MeitY (SAMRIDH)

स्टार्टअप और रोजगार :-

एक अनुमान के अनुसार, भारत के स्टार्टअप्स ने अब तक 8 लाख से अधिक प्रत्यक्ष और 25 लाख अप्रत्यक्ष नौकरियाँ उत्पन्न की हैं। इससे युवा केवल नौकरी खोजने वाले नहीं, नौकरी देने वाले बन रहे हैं।

भविष्य की दिशा में सुझाव और समाधान :-

1. **सतत विकास और नवाचार की आवश्यकता :-** स्टार्टअप्स को अपनी सेवाओं में लगातार सुधार करना होगा ताकि वे बाज़ार में टिके रहें।
2. **सरकारी और निजी क्षेत्र की भूमिका :-** सरकार और निजी निवेशकों को मिलकर स्टार्टअप्स को समर्थन देने की आवश्यकता है ताकि वे दीर्घकालिक रूप से सफल हो सकें।
3. **स्टार्टअप संस्कृति को मजबूत करने के उपाय :-**

- नवाचार को बढ़ावा देने के लिए शिक्षा प्रणाली में सुधार
- बेहतर निवेश और वित्तीय सहायता
- स्टार्टअप्स को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाना की सोच

स्टार्टअप की सफलता के लिये समाज में ये निम्नलिखित सुधार भी आवश्यक है -

1. उद्यमिता को स्कूल स्तर से जोडा जाना चाहिए।
2. असफलता को स्वीकारने की संस्कृति विकसित होनी चाहिए।
3. नवाचार और अनुसंधान को प्रोत्साहित करना चाहिए।
4. स्टार्टअप में सामाजिक उत्तरदायित्व जोड़ा जाना चाहिए।
5. महिलाओं और अल्पसंख्यकों की भागीदारी बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए।
6. स्टार्टअप्स के लिए वित्तीय साक्षरता प्रशिक्षण अनिवार्य होना चाहिए।

उद्यमशीलता केवल एक नया चलन नहीं है, बल्कि यह भारत के आर्थिक भविष्य को नया आकार देने की क्षमता रखता है। सही सोच और सही दृष्टिकोण से, स्टार्टअप भारत नवाचार और समृद्धि का प्रतीक बन सकता है। स्टार्टअप भारत के युवाओं के लिए एक नई दिशा है — यदि उसे सही दृष्टिकोण, धैर्य और योजना के साथ अपनाया जाए। यह अवसर भी है, संघर्ष भी, और परिवर्तन का साधन भी। यह न तो पूरी तरह भ्रम है और न ही कोई जादुई सफलता का मार्ग। यह एक विचार है — सोचने, बनाने और बदलने का।

सफल वही होगा जो सीखेगा, गिरेगा, फिर उठेगा और अंततः टिकेगा।

सफलता का वास्तविक अर्थ

राकेश सिरावता
कनिष्ठ अनुवाद आधिकारी
भारतीय खान ब्यूरो, विजयवाड़ा

सफलता – यह शब्द सुनते ही हमारे मन में अनेक चित्र उभर आते हैं। कोई ऊँचे पद पर बैठा है, कोई करोड़ों की संपत्ति का मालिक है, तो कोई अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध है। परंतु क्या यही सफलता के वास्तविक पैमाने हैं? क्या हर व्यक्ति इन्हीं मापदंडों पर सफल माना जा सकता है? वास्तव में, सफलता एक व्यक्तिगत अनुभव है, जिसकी परिभाषा और पैमाना हर व्यक्ति के लिए भिन्न होता है। किसी के लिए शांति ही सफलता है, तो किसी के लिए संघर्षों के बाद जीवन का संतुलन।

सफलता की पारंपरिक अवधारणा:

सदियों से समाज में सफलता को भौतिक उपलब्धियों के आधार पर मापा जाता रहा है। प्राचीन काल में राजा-महाराजाओं की विजय, उनका वैभव और साम्राज्य उनकी सफलता के प्रतीक माने जाते थे। आज के समय में यह रूप बदल चुका है, लेकिन मानसिकता वही है। अब बड़ी डिग्रियाँ, ऊँचे पद, मोटी तनख्वाह, बड़ा घर और लग्ज़री जीवन को सफलता का पैमाना मान लिया गया है।

यह दृष्टिकोण कुछ हद तक ठीक हो सकता है, क्योंकि भौतिक संसाधन जीवन को आसान और सुविधाजनक बनाते हैं। परंतु यह मान लेना कि यही सफलता के एकमात्र संकेत हैं, एक बहुत ही सीमित और भ्रामक दृष्टिकोण है।

सफलता का व्यक्तिगत दृष्टिकोण:

सफलता का वास्तविक पैमाना हर व्यक्ति के लिए अलग होता है, क्योंकि हर व्यक्ति के जीवन के उद्देश्य, मूल्य, परिस्थितियाँ और सपने अलग होते हैं। उदाहरण के लिए :-

- एक विद्यार्थी के लिए सफलता अच्छे अंक लाना हो सकता है, पर किसी दूसरे के लिए केवल स्कूल जाना भी एक बड़ी सफलता हो सकती है यदि वह विषम परिस्थितियों में पढ़ाई कर रहा हो।
- एक गृहिणी के लिए उसका परिवार खुश और संतुलित हो, यह उसकी सफलता हो सकती है। वह भले ही कोई पुरस्कार न पाए, पर घर की नींव वह अपने त्याग से मजबूत करती है।
- एक किसान के लिए अपनी फसल की अच्छी पैदावार सफलता है, जबकि एक लेखक के लिए अपनी पुस्तक का पाठकों के दिलों तक पहुँचना सफलता है।

इन उदाहरणों से स्पष्ट है कि सफलता का कोई एक सार्वभौमिक पैमाना नहीं हो सकता। यह व्यक्ति की सोच, परिस्थिति और लक्ष्य पर निर्भर करता है।

सफलता और आत्मसंतोष:

कई बार व्यक्ति समाज द्वारा निर्धारित सफलता के पैमानों को प्राप्त कर लेता है, लेकिन उसके भीतर संतोष नहीं होता। वह हमेशा और पाने की दौड़ में लगा रहता है। दूसरी ओर, कुछ लोग सीमित संसाधनों में भी प्रसन्न रहते हैं, क्योंकि वे अपने प्रयासों और जीवन की दिशा से संतुष्ट होते हैं।

सच्ची सफलता वही है जो आत्मा को संतुष्टि दे। अगर कोई व्यक्ति दिन के अंत में चैन की नींद सो सके, अपने निर्णयों पर गर्व कर सके, और समाज में कुछ सकारात्मक बदलाव ला सके, तो वह निस्संदेह सफल है।

सफलता और संघर्ष का संबंध:

हर व्यक्ति के जीवन में संघर्ष अलग होते हैं। किसी के लिए शिक्षा प्राप्त करना कठिन होता है, किसी के लिए आर्थिक स्वतंत्रता, तो किसी के लिए मानसिक स्वास्थ्य। सफलता तब और भी मूल्यवान हो जाती है जब वह कठिन परिस्थितियों को पार कर के हासिल की जाती है।

जैसे – कल्पना चावला, जिन्होंने भारतीय सामाजिक परिवेश में रहते हुए नासा की अंतरिक्ष यात्री बनने की राह को पार किया। उनकी सफलता का पैमाना अलग था – सिर्फ व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं, बल्कि मानव जाति के लिए योगदान।

समाज की भूमिका और भ्रम:

समाज अक्सर सफलता को बाहरी उपलब्धियों से जोड़ता है, जिससे बहुत से लोग भ्रमित हो जाते हैं। वे दूसरों की सफलता की परिभाषा अपनाकर स्वयं को कम आंकते हैं। यह तुलना का जाल व्यक्ति को मानसिक रूप से तोड़ सकता है।

हर व्यक्ति को यह समझना चाहिए कि सफलता की कोई 'एक साइज़ फिट्स ऑल' परिभाषा नहीं है। हमें यह पहचानना होगा कि हमारी यात्रा, परिस्थितियाँ, संसाधन और उद्देश्य दूसरों से भिन्न हैं, इसलिए हमारी सफलता का मापदंड भी अलग होना स्वाभाविक है।

महान व्यक्तित्वों से प्रेरणा:

इतिहास और वर्तमान में अनेक ऐसे उदाहरण मिलते हैं जहाँ लोगों ने परंपरागत सफलता की परिभाषा को चुनौती दी:

डॉ. भीमराव अंबेडकर – उन्होंने सामाजिक विषमता, अस्पृश्यता और अन्याय के खिलाफ संघर्ष करते हुए न केवल एक उत्कृष्ट शिक्षाविद् और विधिवेत्ता के रूप में पहचान बनाई, बल्कि भारत के संविधान निर्माता बने। उन्होंने जिस सामाजिक न्याय और समानता की लड़ाई लड़ी, वह किसी भौतिक उपलब्धि से कहीं अधिक मूल्यवान थी। उनके लिए सफलता का पैमाना था – दबे-कुचले वर्गों को आत्मसम्मान दिलाना और एक समावेशी भारत की नींव रखना। उनका जीवन इस बात का प्रतीक है कि सच्ची सफलता समाज के लिए सार्थक परिवर्तन लाने में निहित होती है।

महात्मा गांधी – उन्होंने कभी सत्ता या धन की कामना नहीं की, परंतु उनका जीवन भारत की स्वतंत्रता के लिए समर्पित रहा। उनका नैतिक बल ही उनकी सफलता का पैमाना था।

मदर टेरेसा – उन्होंने निर्धनों की सेवा को ही अपना जीवन बना लिया। उन्होंने जो पाया वह समाज की सेवा के माध्यम से आत्मिक सफलता थी।

डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम – एक छोटे गाँव से निकलकर भारत के राष्ट्रपति बने, परंतु उन्होंने हमेशा बच्चों और युवाओं को प्रेरित करना ही अपनी सबसे बड़ी सफलता माना।

निष्कर्ष:

इस गहन विश्लेषण के पश्चात यह स्पष्ट हो जाता है कि सफलता का वास्तविक पैमाना हर व्यक्ति के लिए अलग होता है। यह न तो केवल धन है, न ही केवल पद, बल्कि एक व्यक्ति की आंतरिक संतुष्टि, उसके प्रयासों की दिशा, उसकी नैतिकता और समाज में उसके योगदान से परिभाषित होता है।

हमें समाज के पूर्वनिर्धारित पैमानों से ऊपर उठकर यह सोचना होगा कि हमारी व्यक्तिगत सफलता क्या है। यह आत्ममंथन ही हमें हमारी असली मंज़िल तक पहुँचाएगा। यदि हम अपने मूल्यों के साथ समझौता किए बिना, अपने उद्देश्य को प्राप्त करते हैं और संतोष का अनुभव करते हैं, तो यही हमारी सबसे बड़ी सफलता है। अतः, हर व्यक्ति को अपनी सफलता की परिभाषा स्वयं तय करनी चाहिए और उसी मार्ग पर आगे बढ़ना चाहिए, न कि दूसरों की सफलता की नकल करके अपनी पहचान खो देनी चाहिए।

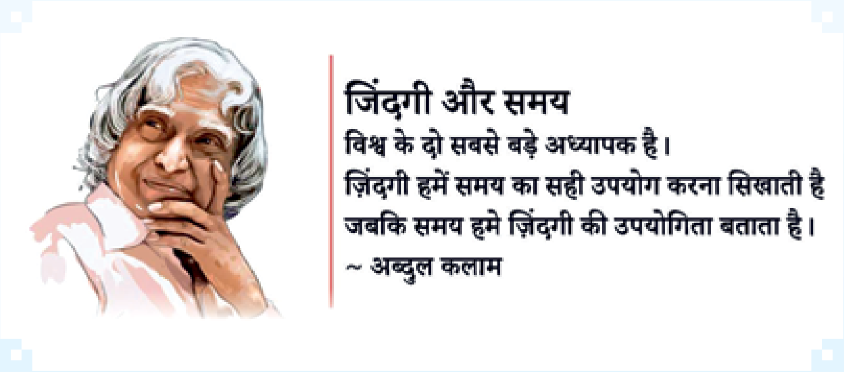

चतुर खिलाड़ी

कमल किशोर वंशकार
आशुलिपिक
भारतीय खान ब्यूरो, गोवा

प्रस्तावना :

कहते हैं कि चेहरे पर मुस्कान और दिल में जहर रखने वाले लोग सबसे खतरनाक होते हैं। ऑफिस चाहे शासकीय हो अथवा प्राइवेट ऐसी जगह है, जहाँ एक तरफ दोस्ती, टीमवर्क और सहयोग तो वहीँ दूसरी ओर इर्ष्या,राजनीति और पीठ पीछे वार करने की घटनाएँ भी आम हैं।

यह कहानी ऐसे कंपनी की है जिसे तीन कार्मिकों ने दीमक बनकर चाट लिया था। सबके सामने वे बड़े ही सजग, ईमानदार एवं सहयोगी स्वभाव के रहते थे लेकिन पीठ पीछे केवल अपना भला और बढ़ते हुए को कैसे गिराना है बस यही षड्यंत्र करते थे। कंपनी के ये तीन दीमक रेखा, चागले और विली थे। ये पुराने और चापलूस कर्मचारी थे इसलिए इन्होने कंपनी की 'की' पोजीशन पकड़ रखी थी इसलिए जो भी नया आदमी कंपनी ज्वाइन करता तो एचआर इनके पास ही भेज देता साथ ही काम शुरू करना पड़ता। बस वहीँ ये लोग उससे सहानुभूति दिखाकर और थोड़ी छोटी-मोटी मदद करके विश्वास जीत लेते थे।

मुख्य कथा:

बात एक प्रतिष्ठित आईटी कंपनी की है — इनोवेशन टेक सॉल्यूशन्स, जो गुडगाँव में स्थित थी। वहाँ काम करने वाले बेहद विनम्र और हंसमुख कार्मिक थे — रेखा, चागले और विली, जो सीनियर सिस्टम एनालिस्ट के पद पर कार्यरत थे। ऑफिस में सभी लोग उन्हें बहुत पसंद करते थे। वह सबके साथ नम्रता से बात करते , सुबह सबसे पहले "गुड मॉर्निंग" और जब भी किसी को ज़रूरत होती, मदद के लिए सबसे आगे रहते

नए कर्मचारियों को जब टीम में शामिल किया जाता, तो एचआर उन्हें इनके पास भेज देते — "ये सोचकर की ये तीनों बहुत अच्छे इंसान हैं, इनसे काम जल्दी सीख जाएगा।"

सबको लगता था कि इनसे कोई नहीं — विनम्र, अनुभवी और बेहद सहयोगी। लेकिन... हर मुस्कान के पीछे एक चेहरा होता है, और हर मदद के पीछे एक मंशा।

उसी कंपनी में नया -नया एक होनहार लड़का — आलोक चौधरी आया। आलोक ने हाल ही में कंपनी जॉइन की थी, लेकिन उसकी मेहनत, तकनीकी ज्ञान और कार्य के प्रति ईमानदारी ने सीनियर्स को प्रभावित कर दिया था। आलोक का काम तेज़ी से नज़र आने लगा और कुछ ही महीनों में उसकी पहचान "राइजिंग स्टार" के रूप में होने लगी।

यहीं से तीनों के अंदर कुछ बदलने लगा।

तीनों हर मीटिंग में आलोक की तारीफ करते, उसे टीम के सामने प्रोत्साहित करते यहां तक कि अपने बॉस के सामने भी –

" आलोक बहुत मेहनती है,हम चाहते हैं इसे अच्छे प्रोजेक्ट्स दिए जाएँ।"

> "दफ्तर में सबके साथ विनम्र रहो,
> लेकिन आँखें और कान खुले रखो।
> जो तुम्हारे सामने तारीफ करें,
> वही पीछे तुम्हारा करियर गिरा सकते हैं।"

आलोक बहुत खुश था कि एक टीम इतनी सपोर्टिव है। उसने भी पूरी ईमानदारी से काम किया और टीम के हर प्रोजेक्ट में साथ लेकर चलता रहा।

लेकिन पर्दे के पीछे कुछ और ही चल रहा था।

धीरे-धीरे टीम के काम में गलतियाँ निकलने लगी — जो गलतियाँ वास्तव में रेखा, चागले और विली ने खुद ही जानबूझकर डाटा में डाल दी थीं। कभी क्लाइंट को ईमेल में आलोक को CC करना भूल जाते, कभी उसे आखिरी मिनट में अपडेट ना देते, ताकि वह मीटिंग में तैयार ना रह सके।

तीनों बॉस के सामने कहते,

"देखिए सर, आलोक अच्छा है लेकिन थोड़ा लापरवाह हो गया है। शायद जल्दी प्रमोशन की उम्मीद में फोकस हट गया है।"

बॉस ने शुरू में बात हल्के में ली, लेकिन जब क्लाइंट की एक शिकायत आई — जिसमें डिलिवरेबल में देरी की बात थी — तो उन्होंने जांच बैठाई।

सारा दोष आलोक पर आया।

आलोक स्तब्ध था। उसने प्रूफ दिए, मेल्स दिखाए, और अपनी मेहनत की मिसालें पेश कीं। लेकिन तीनों ने सारा माहौल पहले ही तैयार कर लिया था।

बॉस ने आलोक को अगले परफॉर्मेंस रिव्यू तक 'वॉच लिस्ट' में डाल दिया।

अब आलोक को एहसास हुआ — "मुंह में राम, पीठ में कसाई का काम" — यही चरित्र था तीनों का।

आलोक ने हार नहीं मानी। उसने सबूत इकट्ठे करने शुरू किए। मेल्स, चैट्स, टाइमस्टैम्प्स, प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट्स — हर चीज़ संभालनी शुरू की।

और एक दिन कंपनी के एक इनहाउस ऑडिट में सारा राज़ खुल गया।

ऑडिट में पता चला कि तीनों ने कई बार आलोक की मेल्स डिलीट की थीं, जानबूझकर फाइलें गलत फोल्डर में सेव की थीं और क्लाइंट के साथ सीधा संवाद रोकने के लिए आलोक को ब्लॉक किया था।

बॉस ने तुरंत एक मीटिंग बुलाई। उसमें तीनों को सारी बातें बताई गईं।

तीनों ने पहले सफाई दी —

"हमने कुछ नहीं किया, ये सब गलतफहमी है।"

लेकिन जब आलोक ने साक्ष्य पेश किए — स्क्रीनशॉट्स, क्लाइंट मेल्स, चैट्स — तो कोई कुछ नहीं बोल सके।

एचआर और मैनेजमेंट ने तीनों को ऑफिस पॉलिसी का उल्लंघन करने के लिए टर्मिनेट कर दिया।

ऑफिस में सनाटा था।

जिन व्यक्तियों को सबने राम समझा था, वह असल में धूर्त निकले — मासूमियत की आड़ में चुपचाप पीठ में छुरा घोंपने वाले।

निष्कर्ष:

आज आलोक कंपनी में सफल मैनेजर है। उसकी एक ही बात सबको याद है:

"दफ्तर में सबके साथ विनम्र रहो, लेकिन आँखें और कान खुले रखो। जो तुम्हारे सामने तारीफ करें, वही पीछे तुम्हारा करियर गिरा सकते हैं।"

सीख: हर मुस्कुराता चेहरा सच्चा नहीं होता। ऑफिस राजनीति में भावनाओं से नहीं, समझदारी से काम लें। सबूत रखना और अपने काम का रिकॉर्ड रखना ज़रूरी है और सबसे बड़ी बात — ***"भरोसा करो, लेकिन आँखें बंद मत करो।"***

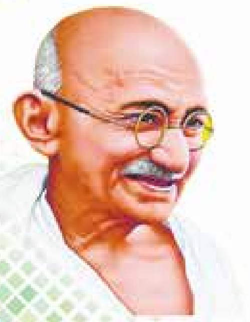

"आजादी का कोई अर्थ नहीं है यदि इसमें गलतियां करने की आजादी शामिल न हों।"

महात्मा गांधी

दफ्तर नहीं बदलाव की प्रयोगशाला

अंकित पटेल
सहायक
भारतीय खान ब्यूरो, जबलपुर

भारत में कार्य संस्कृति पिछले कुछ वर्षों में तेजी से बदल रही है। वैश्वीकरण, तकनीकी विकास और युवाओं की नई सोच ने दफ्तरों के काम करने के तरीके को पूरी तरह बदल दिया है। पहले जहाँ दफ्तरों में कठोर अनुशासन, तय समय और पारंपरिक ढांचे का बोलबाला था, वहीं अब लचीलापन, रचनात्मकता और कर्मचारियों की भलाई पर ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है।

आजकल कई कंपनियाँ वर्क फ्रॉम होम, हाइब्रिड मॉडल और फ्लेक्सी वर्किंग ऑवर्स जैसी सुविधाएँ दे रही हैं। इससे कर्मचारियों को अपने काम और निजी जीवन में संतुलन बनाए रखने में मदद मिल रही है। इसके अलावा, ऑफिस वातावरण अब पहले की तुलना में ज्यादा दोस्ताना और सहयोगी बन गया है। टीमवर्क को बढ़ावा दिया जा रहा है और कर्मचारियों की राय को महत्व मिल रहा है।

तकनीक की भूमिका भी अहम रही है। ईमेल, वीडियो कॉल, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल्स और क्लाउड स्टोरेज ने काम को अधिक तेज, पारदर्शी और संगठित बना दिया है। वहीं दूसरी ओर, कर्मचारियों से यह अपेक्षा भी बढ़ी है कि वे बहु-कार्य (मल्टीटास्किंग) करें और तकनीकी दक्षता दिखाएँ।

हालांकि, इस बदलाव के साथ कुछ चुनौतियाँ भी आई हैं। जैसे – डिजिटल थकान, लगातार ऑनलाइन रहने का दबाव और कार्य-जीवन का सीमांकन मिटना। फिर भी, कंपनियाँ अब मानसिक स्वास्थ्य, योग, और वेलनेस प्रोग्राम के ज़रिए इन समस्याओं को समझने और हल करने की कोशिश कर रही हैं।

निष्कर्षतः

भारतीय दफ्तरों में कार्य संस्कृति पहले से कहीं अधिक आधुनिक, संवेदनशील और मानव-केंद्रित हो गई है। यह बदलाव आने वाले वर्षों में और अधिक सकारात्मक दिशा में विकसित होने की उम्मीद है।

दोपहर के पहाड़ गहरे होते हैं

आयुष्मान गोसाईं
आशुलिपिक
भारतीय खान ब्यूरो, कोलकाता

मैं पहाड़ों के उस तरफ देख रहा हूँ तो मुझे नज़र आ रहा है आसमान, अनंत मगर ठहरा हुआ, मानों किसी की प्रतीक्षा में समय काटता हो। बादल इतनी जल्दी चलते जाते हैं कि मानों उन्हें हटाता हुआ इधर ही झाँकता हो, जैसे हजारों की भीड़ में मुझे ही ढूंढता हो।

मैं सोच रहा हूँ, क्या सभी को ऐसा ही महसूस होता होगा? होता ही होगा। मैं बादलों के इतने करीब हूँ तो सोचता हूँ, 'कुछ बादल इतने ज़्यादा बादल होते हैं कि सच्चे ही नहीं लगते। मानो किसी शर्त के चलते ऊपरवाले ने अपना सब कुछ लगा डाला हो एक बादल बनाने में। शर्त को जीत लिया गया यह आप एक नज़र बस उस बादल को देख कर ही कह सकते हैं। ऐसे बादलों का होना आसमान को असीम प्रतिष्ठा व प्रेम दिलाता है। और कुछ बादल होते हैं जो अपने होने को पूरा करने के लिए, बस होते हैं। इनका होना ऐसा होता है कि मानो आसमान कुछ ज़्यादा ख़ाली दिखने लगा तो केवल जगह भरने के इरादे से इन्हें रख लिया गया हो। क्या ऐसे बादल अपनी इच्छाशक्ति से विशाल एवं सुंदर बन सकते हैं? बादलों की कोई इच्छा होती भी होगी या नहीं?'

पहाड़ पर होना तुम्हें महत्वपूर्ण होने का एहसास करवाता है। आसमान की खोज खुद पर आकर समाप्त होती प्रतीत होती है, बादल कदम चूमते हैं, हवाएँ जो अबतक नज़रें चुराकर बहती जाती थीं, रुककर सहराती है होंठों की नमी को, सूरज भी कुछ ज़्यादा चमकता है सिर्फ तुम्हारे ऊपर। इसी तरह आसमानी प्रकृति को धन्य करते हुए खयाल आया है कि, क्या मेरी खोज भी यहाँ पूरी हो गई है? क्या यहीं तक का था सफर या अभी कोई नया सफर शुरू होने को है?

यही सब, और बहुत कुछ सोचता हुआ मैं पहाड़ के नीचे का गाँव और मैदान देख रहा हूँ। अब मुझे नीचे जाना है। 'कैसे हमारा किसी एक जगह होना हमारा किसी दूसरी जगह होने की इच्छा हमेशा साथ लिए रहता है'।

पहाड़ को आते हुए अपने ही कदमों के निशान में मैदान को जाते हुए अपने कदमों को बारीकी से जमाते हुए मैं नीचे उतर रहा हूँ। इस समय मेरे मन में क्या चल रहा है? पहाड़ पर से देखा हुआ दृश्य? रुक-रुक कर गालों पर गिरती सामान्य से कुछ हल्की बारिश की बूंदें? नीचे मैदान में दूर तक फैले बुरास के

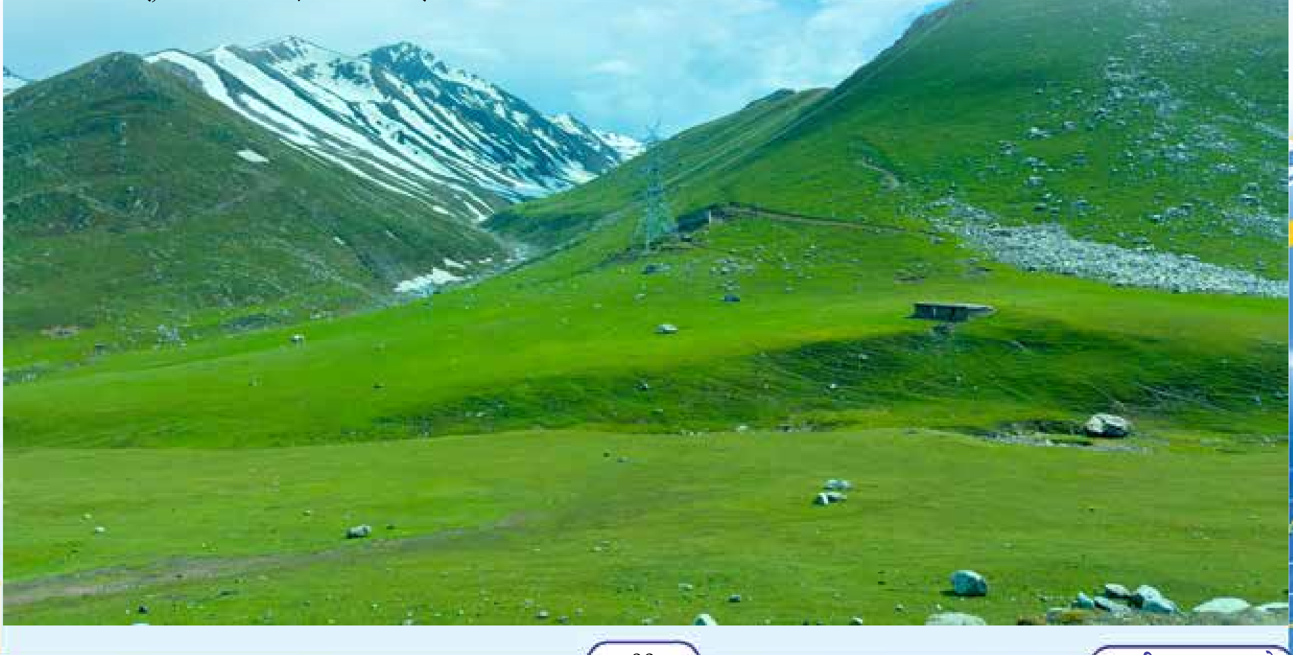

फूल? नहीं। अपने आते हुए कदमों में जाते हुए कदमों को जमाते हुए मैं सोच रहा हूँ कि 'सुना है बिल्लियाँ इस प्रकार से चलती हैं अपने आने-जाने के सबूत मिटाने के लिए ताकि वे अपना सर्वाइवल सुनिश्चित कर सके। इंसान ठीक इसके विपरीत, खुद का सर्वाइवल सुनिश्चित करने के लिए जीवन भर अपने आने-जाने के सबूत बनाने में लगा रहता है। हमें ज़िंदा होते हुए जीना नहीं होता है, हमें मरने के बाद जीने की चिंता लगी रहती है। जीते जी जी लेना व्यर्थ में समय की बरबादी क्यों लगता है? यह कैसी कंडिशनिंग पीढ़ी-दर-पीढ़ी कर दी गई है कि आते हुए कल की तैयारी को छोड़ कर आज के मन की कर लूँ तो लगता है जैसे हिमालय से पिघली मेरे हिस्से की बर्फ, नदी बनकर आई और मुझे अपने साथ बहा ले गई गिल्ट के अनंत महासागर में?'

नीचे उतरते हुए अभी-अभी मुझे एक झोपड़ीनुमा घर और उस ओर जाती हुई एक पगडंडी नज़र आई है। पुराना घर है जिसपे नया आसमानी नीला रंग किया गया है। एक बूढ़ी अम्मा उस घर के बाहर बनी चौकी पर बैठी आलू छीलती दिख रही है। उसके पास आ कर बैठ गया हूँ। उसने एक नज़र मेरी ओर देखा और फिर अपने काम में लग गई। अपनी जगह का कोई गीत गुनगुना रही है। मैं फिर से आसमान को निहार रहा हूँ। अब यह सारा का सारा मेरा नहीं रह गया है। अब इसमें सिर्फ मेरा एक हिस्सा है। मेरे शरीर को घेरे हुए यदि एक वृत का होना मान लिया जाए तो उसकी परिधि जितना आसमान अब मेरे हिस्से का आसमान है जो मात्रा में इतना ही रहेगा मगर मायनों में हर कदम बदलेगा। नीचे का आसमान, सीमित मगर बहता हुआ है। मानों अपने ही शहर की अंजान गलियों में खोया, भटकता फिरता हो। लग रहा है जैसे याद ही रह गई है बाकी, कभी हुए आसमान की और उसी को देखे जा रहा हूँ बार-बार। एक ही कैसेट लूप में चल रही हो । जैसे मैंने अब आँखें बंद कर ली हैं और ध्यान की मुद्रा में बैठ गया हूँ। बूढ़ी अम्मा भी बहुत ध्यान से आलू छील रही है। मुझसे ज़्यादा ध्यान में है। पंद्रह मिनट के बाद आँखें खुली, अम्मा दोनों हाथों में एक-एक कप लिए खड़ी है। चाय लाई है। अम्मा पहले से जवान हो गई है। शायद आलू छीलने के लिए ही थोड़ी देर बूढ़ी हुई होगी। सोचता हूँ पहाड़ चढ़ने के लिए अम्मा किस उम्र की हो जाती होगी? मैं अब जो अम्मा के चेहरे को देख रहा हूँ, यह मेरी माँ का चेहरा है।

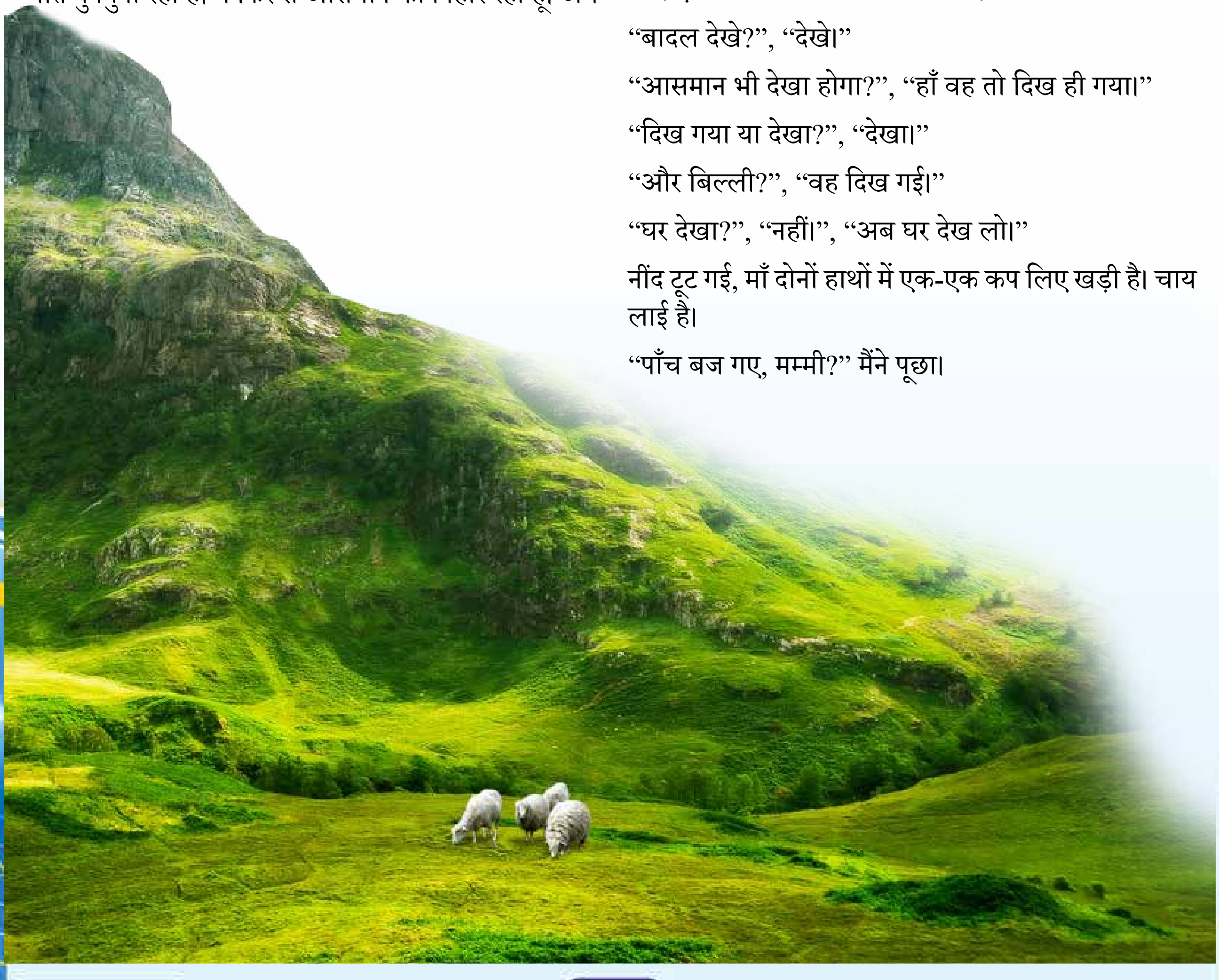

"पाँच बज गए, मम्मी?" मैंने पूछा। क्यों पूछा?

"पहाड़ देख लिया?" अम्मा बोली। "हाँ।"

"बादल देखे?", "देखे।"

"आसमान भी देखा होगा?", "हाँ वह तो दिख ही गया।"

"दिख गया या देखा?", "देखा।"

"और बिल्ली?", "वह दिख गई।"

"घर देखा?", "नहीं।", "अब घर देख लो।"

नींद टूट गई, माँ दोनों हाथों में एक-एक कप लिए खड़ी है। चाय लाई है।

"पाँच बज गए, मम्मी?" मैंने पूछा।

ससि
(सनाया सिंह)

जितेन्द्रिय प्रधान
सहायक खनन अभियंता
भारतीय खान ब्यूरो, विजयवाड़ा

यह कहानी है एक मशहूर चित्रकार की, जो पूरी दुनिया में के.के. (K.K.) के नाम से जाना जाता था । अपनी शानदार चित्रकारी की वजह से चित्रकला की दुनिया में के.के. की तूती बोलने लगी थी । उसकी चित्रकारी में विषयों की विविधता तो होती ही थी भावों की गहनता व समरसता में कभी कोई कमी नहीं आ पाती थी। कभी वह दौड़ते हुए घोड़े से गिरते हुए सवारों का तो या कभी जल में डूबते हुए इनसानों को अपनी तूलिका से कैनवश पर ऐसा रंग बिखेरता मानो चित्र अभी बोल दे। मन को लुभाने वाली चित्रकारी के अलावा मन में खौफ पैदा करने वाली चित्रकारी में भी के.के. को महारत हासिल थी। भारत और विदेशों में उसकी बेजोड़ चित्रकारी का आलम यह था कि करोड़ों युवा युवतियाँ उसके दीवाने होते जा रहे थे। के.के. की अनोखी चित्रकारी की दीवांगी को इस हद तक चाहने वाली SS (Sanaya Singh) तत्कालीन हर पाबंदी को ताक पर रख कर एक दिन अचानक उसकी संस्था (उत्तावले और इच्छुक शिक्षार्थियों के लिए उनकी संस्था – के.के. आर्ट गॅलेरी) में चित्रकारी सीखने के लिए शामिल हो जाती है। उस समय के विश्व में महिलाओं पर पढ़ाई तथा अन्य बाहरी कार्यों को करने पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रतिबंध तो था ही भारत में यह प्रतिबंध पराकाष्ठा पर था । उस समय SS का के.के. की संस्था में खुलेआम शमिल होना समाज की परम्पराओं को खुली चुनौती थी।

के.के. का कला प्रेम कुछ इस कदर उसके सिर पर चढ़ कर बोलने लगता है कि वह कुत्सित चीजों में खुद को संलिप्त कर उसका चित्र उकेरना चाहता है । इसी जुनून का शिकार होकर वह SS को एक सुनसान निर्जन द्वीप पर ले जाता है और वहाँ उसका बलात्कार पे बलात्कार करके उस बीभत्स दृश्य का चित्र बनाता है। SS को उसके हाल पर छोड़ कर अप्रत्याशित ढंग से के.के. पत्थर हृदय बन जाता है और चुप चाप पलायन कर जाता है।

बुरी हाल में पड़ी SS उन दिनों की याद करती है जब वह समाज के प्रतिबंध भरे बाउंडरी से बाहर निकल कर और कुछ बन कर बेटियों के लिए एक मिशाल बनना चाहती थी और परिवार में एक मात्र बूढ़ी दादी से मिली स्वतन्त्रता को भी सम्मानित करना चाहती थी। यह भी चाहती थी कि एक उमदे इंसान समीर (उसे चाहने वाला और बेइंतेहा मोहब्बत करने वाला) की जीवन संगिनी बन कर सारे सांसरिक सुख को अपने आगोश में समेटना ले, पर हाय! अब अपना काला मुंह संसार को कैसे दिखाएगी। काश! वह समीर की बात मान ली होती, तो के.के. के साथ न द्वीप पर आना पड़ता और न ही उसकी यह दुर्दशा होती। सारे सपने निढाल पड़ी SS के आँखों में आँसू बन कर रह गए। इसी आँसू के समंदर में ज्वार और सुनामी पैदा होता है जो SS को प्रतिशोध लेने के लिए प्रेरित करती है।

प्रतिशोध के लिए SS द्वीप से दरिंदे के.के. तक पहुँचने के लिए दिन-रात असह्य कठिनाइयों को झेलते हुए आगे बढ़ती रहती है और एक रात निढाल हो कर गिरती है और चेतना शून्य हो जाती है। सुबह आँख खुलने पर एक नौका को द्वीप की तरफ आते देख उसकी आँखों में आशा की किरण उभरने लगती है, साथ ही उसे यह आशंका भी होती है कि कहीं कोई दरिंदा से पाला न पड़ जाए। हर परिस्थिति के लिए अपने को तैयार करती है और इतमीनान से नौका के किनारे आने का इंतज़ार करती है। नौका से समीर को उतरते देख SS को अपने मकशद को पूरा होने का सजीव चित्र सामने आ जाता है।

SS और समीर दोनों मिलकर के.के. के कुकृत्य को उसी के ढंग से जवाब देने के लिए फुलप्रूफ योजना बना लेते हैं।

दोनों मिलकर केके को कैद कर लेते हैं। SS अपनी तूलिका को ही प्रतिसोध का हथियार बनाती है और के.के. के एक- एक अंग को काटती है और केके के तड़पन के हर क्षण को चित्रित करती है। यह क्रम तब तक जारी रखती है जब तक केके के प्राण पखेरू नहीं उड़ जाते हैं। SS चैन की सांस लेती है और समीर को बताती है कि यह मेरी अंतिम पेंटिंग है, जो मैं इस अपवित्र आत्मा को भेंट करती हूँ जिसने मुझसे पेंटिंग की प्रारम्भ करवाई थी। मेरा यह भेंट दुनिया को यह याद दिलाती रहेगी कि कला को अपवित्र करने वाले और लड़की को अबला मानने वाले का अंजाम क्या होता है। SS को रुआंसी देख समीर कहता है कि SS तुम जो सोच रही हो वह मैं समझता हूँ लेकिन मेरा मानना है अपराधी और अपवित्र वह होता है, जो घिनौना कार्य करता है न कि वह, जो इसका शिकार बनाता है। तुम मेरे लिए वही शुरूआती SS हो, जो एक दूसरे का सतत खयाल रखता था और सहायता करता था। आओ एक बेमिशाल जिंदगी की ओर अपने कदम बढ़ाएँ ! दोनों कहीं दूर चले जाते है एक खुशहाल जिंदगी की शुरुआत करने के लिए।

पिता की जिम्मेदारी

राजेन्द्र कुमार गुप्ता
आशुलिपिक
भारतीय खान ब्यूरो, जबलपुर

जब हम "पिता" शब्द सुनते हैं, तो आँखों के सामने एक ऐसी छवि उभरती है जो तपती धूप में छाया की तरह होती है। वह खुद चाहे कितनी भी तकलीफ में हो, लेकिन अपने बच्चों को हर कठिनाई से बचाने के लिए हमेशा आगे खड़ा रहता है। पिता न सिर्फ एक कमाने वाला सदस्य होता है, बल्कि वह अपने परिवार की रीढ़ होता है — मजबूत, स्थिर और निःस्वार्थ।

पिता की जिम्मेदारी केवल घर चलाना नहीं होता, वह बच्चों के चरित्र, संस्कार और भविष्य का निर्माता भी होता है। वह अपने अनुभवों से बच्चों को जीवन के उतार-चढ़ाव से जूझना सिखाता है। एक पिता बच्चों के लिए सबसे पहला रोल मॉडल होता है। वे उसे देखकर सीखते हैं कि ईमानदारी क्या है, मेहनत कैसी होती है और आत्मबल कैसे विकसित होता है। हर सुबह जब पिता काम पर जाता है, वह अपने सपनों को बच्चों की जरूरतों के आगे रख देता है। उसका यह त्याग अक्सर शब्दों में नहीं, बल्कि उसकी थकी आंखों और शांत मुस्कान में छिपा होता है। वह शायद कभी खुलकर अपने प्यार को नहीं जताता, लेकिन उसके हर कार्य के पीछे सिर्फ एक ही भावना होती है — अपने परिवार की खुशी।

आज के समय में पिता की भूमिका पहले से कहीं अधिक व्यापक हो चुकी है। अब वह सिर्फ अनुशासन देने वाला नहीं, बल्कि सहयोगी, संवेदनशील और दोस्त जैसे बनता जा रहा है। वह अब बच्चों की स्कूली बैठकों में शामिल होता है, घर के कामों में हाथ बँटाता है और बच्चों की भावनाओं को भी समझता है। यह बदलाव समाज के लिए एक सकारात्मक संकेत है। एक आदर्श पिता वही होता है जो बच्चों को न केवल सपने देखने की आज़ादी देता है, बल्कि उन्हें सच करने का साहस भी सिखाता है। वह उन्हें यह समझाता है कि गिरना कोई हार नहीं, बल्कि आगे बढ़ने का पहला कदम है। पिता की सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी यही है — बच्चों को अच्छा इंसान बनाना।

पिता की जिम्मेदारी एक जीवन भर चलने वाला व्रत है। यह न तो किसी तारीख से शुरू होता है, न ही किसी उम्र पर खत्म होता है। समाज को मजबूत बनाने की नींव घर से ही रखी जाती है, और उस घर की नींव को मज़बूत करने का कार्य एक पिता पूरी निष्ठा से करता है। आज के बदलते समाज में पिता की भूमिका और भी व्यापक हो गई है। अब वह न केवल घर के बाहर बल्कि घर के अंदर भी समान रूप से भागीदारी निभा रहे हैं। बच्चों की परवरिश में उनकी संवेदनशीलता और भावनात्मक जुड़ाव भी पहले से बढ़ा है। अब पिता भी स्कूल की मीटिंग्स में जाते हैं, बच्चों के होमवर्क में मदद करते हैं और उन्हें भावनात्मक सहारा भी देते हैं।

निष्कर्षतः पिता की जिम्मेदारी बहुआयामी है — वह मार्गदर्शक भी है, संरक्षक भी; अनुशासन सिखाने वाला भी है, और प्रेम लुटाने वाला भी। समाज को यदि सशक्त बनाना है तो हर पिता को अपने कर्तव्यों को समझते हुए अपने बच्चों को ऐसा नागरिक बनाना होगा जो नैतिक, आत्मनिर्भर और जिम्मेदार हों।

तो आइए, इस निःस्वार्थ प्रेम और समर्पण को सलाम करें और अपने पिता के प्रति आभार व्यक्त करें — क्योंकि वह हमारे जीवन की सबसे मज़बूत परछाई हैं।

संत नामदेव महाराज

प्रविण गजभिये
उच्च श्रेणी लिपिक
भारतीय खान ब्यूरो, नागपुर

संत नामदेवजी का जन्म सन् 1270 में महाराष्ट्र के सातारा जिले में गामनी गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम दामाशेटी और माता का नाम गोणाई देवी था। उनका परिवार भगवान विठठल का परम भक्त था। एक दिन उनके पिता बाहर गांव की यात्रा पर गए थे,तब उनकी माता ने नामदेवजी को दूध दिया और कहा वे इसे भगवान विठोबा को भोग लगाकर वापिस ले आए। तब नामदेवजी सीधे मंदिर में गए और मूर्ति के आगे दूध रखकर मूर्ति से कहने लगे लो इसे पी लो, बालक नामदेवजी यह नही जानते थे कि मूर्ति दूध नही पिती, जब उनके बार-बार कहने पर भी मूर्ति ने दूध नही पिया तो वह मूर्ति से कहने लगे अगर आपने दूध नही पिया तो मुझे मेरी मॉं डाटेगी और वे जोर जोर से रोने लगे अबोध बालक का रोना रूक ही नही रहा था तो अंत में भगवान विठ्ठल स्वयं आना पडा एवम बालक से दूध लेकर पिना पडा। जब बालक नामदेवजी घर आए तो उनके माताजी ने पूछा भगवान को दूध दे आए तो बालक नामदेवजी बोले हॉं लेकीन जब माताजी ने दूध का प्याला खाली देखा तो उन्होने बालक से पूछा इस में का दूध कहॉं पर है क्या तुने तो वह दूध नही पि लीया तब बालक नामदेवजी बोले नही भगवन ने खूद दूध पिया है। परंतु उनके माताजी को इस पर यकिन नही हुआ यह बात उन्होने अपने पति से कही तो उन्हे भी यकिन नही हुआ कि मूर्तिने कैसे दूध पी लिया अगले दिन उनके पिता स्वयम नामदेवजी को अपने साथ लेकर मंदिर गए और उन्होने बालक नामदेवजी को कहा बालक आप यह दूध भगवान को पिला दो मै कुछ काम करके आता हू। ऐसा कहकर वे मंदिर में छिपकर देखने लगे कि बालक हमसे झुठ तो नही बोल रहा है। लेकिन जब उन्होने देखा कि स्वयम भगवान विठठल मूर्ति से निकल कर दूध पिने लगे तो उनकी आखे खूलि कि खूलि रह गयी और उन्हे खुद पर अफसोस होने लगा और उन्होने जाकर बालक नामदेवजी को अपने बाहों में पकड कर रोने लगे। तो नामदेवजी को बचपन से हि आध्यामिकता कि जिग्यासा थी।

उनके गुरू महाराष्ट्र के प्रसिध्द संत ज्ञानेश्वरजी थे। हिंदी भक्ति काव्य कि निर्गुण काव्याधारा के प्रवर्तन का श्रेय कबीर को दिया जाता है, लेकिन कबीर से पहले उनका उन्मेष नामदेवजी की वाणी में हुआ था। संत नामदेवजी के समकालीन संत गोरा कुंभार के साथ का एक किस्सा है जब संत नामदेवजी को गोरा कुंभार के भक्ति के बारे में पता चला तो वह स्वयम उनके निराकार भक्ति को देखने उनके गाव चले गए लेकिन जब उन्होने देखा कि संत गोरा कुंभार इतने भक्ति में लिन है के वे बोले मै तो निराकार भक्ति को देखने आया था पर संत कुंभार तो साक्षात साकार भक्ति के रूप में खडे है। संत नामदेवजी जात-पात कर्मकांड,अधविश्वास,लोकभ्रम आदि के विरोध में थे। उनका मानना था कि हर मनुष्य में एक ही आत्मा का वास होता है इस लिए कोई उच्च और निच नही होते। इसलिए उनके शिष्यों में महार जाती के संत चोखामेला और अन्वर खॉं मुसलमान जैसे संत थे। संत नामदेवजी अपितु महाराष्ट्र के थे लेकिन वे भ्रमन करते करते पंजाब चले गए जो उन्हकी मुलाकात गुरू नानकदेवजी के साथ हुयी तो गुरू नानकजी ने उन्हे पंजाब में हीं रोक लिया एंव उन्हे पंजाबी भाषा में हि भगवान के पद लिखने को कहे संत नामदेवजी ने पंजाबी एवं हिन्दी में भी काफी कुछ लिखा। जिनमें से श्री गुरू ग्रंथ साहिब में उनके 61 पद, 3 श्लोक एवं 18 रागों

को संकलित किया गया है। उनके पद बहोत हि सरल होते थे जैसे वह लिखते है के हमारा चित्त ऐसा होना चहिए कि जैसे एक लडका पतंग उडा रहा है उसकि पतंग तो आकाश में भरारी मार रही है (उड रही है) वह अपने मित्रों के साथ बातचित कर रहा है लेकिन उसका पूरा ध्यान उसके पतंग पर ही है। उसी तरह कुछ महिलाएं नदि से अपने सिर पर एक उपर एक गगरियाँ रखकर पानी लेकर चल रही है वे आपस में बातचित कर रही है हंसी मजाक कर रही है पर उनका पूरा लक्ष उनके घघरीयां पर ही है। वैसे ही एक मॉं अपने बच्चे को अपने गोदि में उठाए हुए है और घर का काम कर रही है परंतु उसका संपूर्ण ध्यान उसके बच्चे पर है। ऐसे ही हमारी आस्ता भगवान में होनी चाहिए हम भला ही किसी भी कार्य में व्यस्त हो पर हमारा चित्त हमेशा हमारे भगवान के भक्ति में ही होना चहिए।

वैसे तो श्री नामदेवजी का विवाह 9 वर्ष कि आयु में ही राजाबाई के साथ हो गया था तथा उनके चार पुत्र एवं एक पुत्री थी किंतु परिवार का मोह उन्हे बांध न सका। जीवन के अंतिम चरण में नामदेव जी की इच्छा हुई कि वे पंढरपुर के विठठल के चरणों में देह त्यागे। वे पंढरपुर लौट आए सन 1350 में विठठल के मंदिर के महाद्वार पर उन्होन समाधी ले ली।

वास्तव में श्री गुरू साहिब में नामदेवजी की वाणी अमृत का वह निरंतर बहता हुआ झरना है, जिसमें संपूर्ण मानवता को पवित्रता प्रदान करने का सामर्थ्य है। मुखबानी नामक ग्रंथ में उनकी कई रचनाएं संग्रहित हैं। उनके जीवन के एक रोचक प्रसंग के अनुसार एक बार जब वे भोजन कर रहे थें,तब एक श्वान आकर रोटी उठाकर ले भागा। तो नामदेवजी उसके पीछे घी का कटोरा लेकर भागने लगे और कहने लगे हे भगवान रूखी मत खाओ साथ में घी लों। विश्व भर में उनकी पहचान संत शिरोमणि के रूप में जानी जाती है। ऐसे महान संत को विनम्र नमन।

प्रकाश प्रदूषण-
कारण, प्रभाव एवं उपचार

भरत कुमार शर्मा
आशुलिपिक
भारतीय खान ब्यूरो, रांची

आज हमारे पर्यावरण में मौजुद विभिन्न प्रकार के प्रदषण तत्वों की बढती मात्रा के कारण हमारा पर्यावरण लगातार प्रदूषित होता जा रहा है। विभिन्न प्रकार के प्रदूषणों में एक प्रदूषण जिसे हमलोग अकसर नजरअंदाज कर देते है वह है प्रकाश प्रदूषण। प्रकाश प्रदूषण जो हमारे सेहत तथा शरीर के अंगों को प्रभावित करता है जिससे हमारे जीवन यापन की गतिविधियों पर सीधा प्रभाव पड़ता है।

जब वातावरण में बहुत अधिक प्रकाश मानवीय रूप से विकसित किया जाता है जिससे मानव अत्यधिक परेशान होने लगता है यह मुख्य रूप से रात के समय होता है यह प्रकाश परेशानी के साथ साथ व्यक्ति के स्वास्थय के लिए भी हानिकारक होता है अत्यधिक प्रकाश के कारण रात के समय वाहनों का दुर्घटना होना, बच्चों के ऑंखे खराब हो जाना, अत्यधिक प्रकाश से नींद नहीं आना, अत्यधिक प्रकाश के कारण जानवरों के व्यवहार में परिवर्तन होना अन्य सभी गतिविधियों का मूल कारण प्रकाश प्रदूषण ही है।

प्रकाश प्रदूषण के प्रकार :-

1) बहुत अधिक चमक की उपस्थिति
2) किसी संपति में अवांछित प्रकाश का प्रवेश
3) जरूरत के ज्यादा प्रकाश का उपयोग
4) रात में शहरों का आवश्यकता से ज्यादा प्रकाशियकरण

प्रकाश प्रदूषण का मानव पर प्रभाव

रात के समय मुख्यत: आकाश में द्रश्यता के कमी होती है जिसके कारण प्रकाश की आवश्यता होती है। उदाहरण के लिए, सड़क पर रात के समय वाहनों में इस्तेमाल होन वाले उपकरण जिससे ज्यादा प्रकाश उत्पन्न होते हैं, ये सड़क दुर्घटना का मुख्य कारण होता है। रात के समय कम या ज्यादा प्रकाश में मोबाइल, टीवी आदि उपकरणों के कारण बच्चों मे कम उम्र मे ही ऑंखों की रोशनी कम होना भी प्रकाश प्रदूषण का कारण है।

प्रकाश प्रदूषण का जानवरों पर प्रभाव

प्रकाश प्रदूषण का पक्षियों और अन्य जानवरों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। उदाहरण के लिए, प्रवासी पक्षी रात में उड़ते हैं, जब सितारों और चंद्रमा से प्रकाश उन्हें नेविगेट करने में मदद करता है। शहरी और उपनगरीय क्षेत्रों में उड़ते समय ये पक्षी कृत्रिम प्रकाश की चमक से भ्रमित हो जाते हैं। अमेरिकन बर्ड कंजर्वेटरी द्वारा यह अनुमान लगाया गया है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में हर साल चार मिलियन से अधिक प्रवासी पक्षी चमकीले रोशनी वाले टावरों और इमारतों से टकराकर मर जाते हैं। प्रकाश प्रदूषण को कुछ प्रवासी पक्षियों की नाटकीय गिरावट में योगदान देने वाले कारकों में से एक माना जाता है समुद्री कछुए भी प्रकाश प्रदूषण के प्रभावों के प्रति विशेष रूप से संवेदनशील हैं। हालाँकि लॉगरहेड समुद्री कछुओं जैसी प्रजातियों की मादाएँ आम तौर पर उस समुद्र तट पर लौट आती हैं जहाँ वे पैदा हुई थीं, लेकिन चमकदार रोशनी गर्भवती मादाओं को रोक सकती है, जिससे उन्हें कम परिचित या कम उपयुक्त विकल्प तलाशने के लिए मजबूर होना पड़ता है। अपने घोंसलों से निकलने वाले बच्चे कृत्रिम प्रकाश व्यवस्था के कारण भ्रमित हो सकते हैं और समुद्र की ओर जाने के बजाय अंतर्देशीय क्षेत्र की ओर बढ़ सकते हैं, जहाँ वे अक्सर थकावट, निर्जलीकरण, अन्य जानवरों द्वारा शिकार किए जाने या वाहनों की चपेट में आने से मर जाते हैं। समुद्री कछुओं के संरक्षण के

लिए एक बड़ी चुनौती , प्रकाश प्रदूषण अकेले संयुक्त राज्य अमेरिका में हर साल कई दसियों हज़ार बच्चों की मौत के लिए जिम्मेदार माना जाता है।

नियंत्रण

प्रकाश प्रदूषण को आधुनिक ऑप्टिकल नियंत्रणों के साथ अच्छी तरह से डिज़ाइन किए गए प्रकाश जुड़नार का उपयोग करके कम किया जा सकता है ताकि प्रकाश को नीचे की ओर निर्देशित किया जा सके और साथ ही क्षेत्र को रोशन करने के लिए न्यूनतम मात्रा में वाट क्षमता का उपयोग किया जा सके। निवासी रात में अपने पर्दे या ब्लाइंड्स बंद करके और बाहरी प्रकाश व्यवस्था का उपयोग कम करके प्रकाश प्रदूषण को कम कर सकते हैं।

राष्ट्रीय और स्थानीय सरकारी एजेंसियाँ उचित प्रकाश-नियंत्रण कानून और अध्यादेश पारित करके और उन्हें लागू करके मदद कर सकती हैं। 2002 में चेक गणराज्य प्रकाश प्रदूषण को संबोधित करने के लिए कानून बनाने वाला पहला देश बन गया: सभी बाहरी फिक्स्चर में प्रकाश को क्षैतिज से ऊपर फैलने से रोकने के लिए एक ढाल होना आवश्यक था। संयुक्त राज्य अमेरिका और अन्य जगहों पर, कई तटीय नगर पालिकाओं के पास समुद्री कछुओं के घोंसले के आवासों को संरक्षित करने के लिए समुद्र तटों के पास प्रकाश प्रदूषण को कम करने के लिए नियम हैं।

प्रकाश प्रदूषण को अगर सरकारे गंभीरता से नहीं ले तो इसका परिणाम भविष्य में व्यक्तियों में ऑखों की समस्या तथा इससे होने वाले अन्य रोग में वृद्रधि होने की आशा है ।

नागपुर शहर की विशेषता

प्रकाश पी. गावंडे
सहायक भंडारपाल (तकनीकी)
भारतीय खान ब्यूरो, नागपुर

नागपुर भारत के महाराष्ट्र राज्य का तीसरा सबसे बडा शहर है। यह महाराष्ट्र और भारत का एक प्रमुख नगर है और भारत के मध्य में स्थित है। नागपुर को महाराष्ट्र की उपराजधानी होने का दर्जा प्राप्त है. नागपुर भारत का १३वां व विश्व का ११४ वां सबसे बड़ा शहर हैं। यह नगर संतरों के लिये काफी मशहूर है। इसलिए इसे लोग संतरों की नगरी भी कहते हैं। हाल ही में इस शहर को देश के सबसे स्वच्छ व सुंदर शहर का इनाम मिला है। नागपुर भारत देश का दूसरे नंबर का ग्रीनेस्ट (हरित शहर) शहर माना जाता है। नागपुर शहर की स्थापना गोंड राजा बख्त बुलंद शाह ने की थी। फिर वह राजा भोसले के उपरान्त मराठा साम्राज्य में शामिल हो गया। १९वीं सदी में अंग्रेज़ी हुकूमत ने उसे मध्य प्रान्त व बेरार की राजधानी बना दिया। आज़ादी के बाद राज्य पुनर्रचना ने नागपुर को महाराष्ट्र की उपराजधानी बना दिया। डॉ. बाबासाहेब भीमराव आंबेडकर की यह दीक्षा भूमि भी है। नागपुर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और विश्व हिंदू परिषद जैसे राष्ट्रवादी संघटनाओ का एक प्रमुख केंद्र है।

नागपुर का नाम नाग नदी से रखा गया है। यह नदी नागपुर के पुराने हिस्से से गुजरती है। नागपुर महानगर पालिका के चिन्ह पर नदी और एक नाग है। नागपुर संतरों के लिये मशहुर है और उसे संतरा नगरी भी कहा जाता है। नागपुर में नाग सांप बहुत पाया जाता था इस कारण से नागपुर का नाम नागपुर रखा गया।

नागपुर शहर की स्थापना देवगड़ (छिंदवाड़ा) के शासक गोंड वंश के राजा बख्त बुलंद शाह ने की थी। यहां आज भी गोंड काल की भव्य इमारत हैं। संतरे की राजधानी के रूप में विख्यात नागपुर महाराष्ट्र का तीसरा सबसे बड़ा शहर है। पर्यटन की दृष्टि से यह महाराष्ट्र के अग्रणी शहरों में शुमार किया जाता है। यहां बने अनेक मंदिर, ऐतिहासिक इमारतें और झील यहां आने वाले सैलानियों के केन्द्र में होते हैं। इस शहर से बहने वाली नाग नदी के कारण इसका नाम नागपुर पड़ा। नागपुर की स्थापना देवगढ़ के गोंड राजा बख्त बुलंद शाह ने 1703 ई.में की थी। यह शहर 1960 तक मध्य भारत राज्य की राजधानी था। 1960 के बाद यहां की मराठी आबादी को देखते हुए इसे महाराष्ट्र के जिले के रूप में शामिल कर लिया गया। 9890 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैले इस जिले में 13 तहसील और 1969 गांव शामिल हैं। नागपुर का स्थान 21°06' उत्तर अक्षांश, 79° 03' पूर्व रेखांश है।

अंबाझरी झील-

शहर के पश्चिमी हिस्से में स्थित यह झील 15.4 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैली हुई है। चारों ओर से खूबसूरत बगीचों से घिरी इस झील में नौकायन का आनंद लिया जा सकता है। झील के संगीतमय फव्वारे इस झील की सुंदरता में चार चांद लगा देते हैं। झील के साथ ही एक बेहद खूबसूरत बगीचा है जिसे नागपुर के सबसे सुंदर स्थलों में शामिल किया जाता है।

बालाजी मंदिर-

सेमीनरी पहाड़ियों के सुरमय वातावरण में भगवान वेंकटेश बालाजी का यह मंदिर बना हुआ है। मंदिर की अद्भुत वास्तुकारी देखने और आध्यात्मिक वातावरण की चाह में

उत्तर और दक्षिण भारत से हजारों की तादाद में श्रद्धालुओं का यहां आगमन होता है। मंदिर परिसर में भगवान कार्तिकेय की प्रतिमा भी स्थापित है जिसे देवताओं की सेना का सेनापति कहा जाता है।

पोद्दारेश्वर राम मंदिर-

इस मंदिर का निर्माण राजस्थान के पोद्दार परिवार के श्री जमुनाधर पोद्दार ने 1923 ई.में करवाया था। मंदिर में भगवान राम और शिव की प्रतिमाएं स्थापित हैं। सफेद संगमरमर और लाल बलुआ पत्थर से बने इस मंदिर में खूबसूरत नक्कासी की गई है। राम नवमी को होने वाली राम जन्मोत्सव शोभायात्रा के दौरान यहां बड़ी संख्या में श्रद्धालु एकत्रित होते हैं।

गोरेवाडा प्राणी संग्रहालय व जंगल सफारी- यह जंगल सफारी नागपुर के उत्तर में स्थित है।

स्वामी नारायण मन्दिर-नागपुर शहर के पूर्व में यह स्वामी नारायण भगवान का मन्दिर है। यह मन्दिर अत्यंत सुंदर तरीके बनाया गया है।

दीक्षाभूमि-

पश्चिमी नागपुर में रामदास पेठ के निकट दीक्षाभूमि स्थित है। भारतरत्न डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर जी ने इसी जगह 1956 मे अपने लाखो अनुयायीयो के समक्ष बौद्ध धम्म की दीक्षा ली थी। हर साल बौद्ध धम्म के अनुयायी लाखो की संख्या मे आकर भेट देते है इसी कारण यह स्थान तीर्थस्थल के तौर पर जाना जाता है। इस स्थान पर एक मेमोरियल भी बना हुआ है। सांची के स्तूप जैसी एक शानदार इमारत का यहां निर्माण किया गया है जिसे बनवाने में 6 करोड़ रूपये खर्च हुए थे। इस इमारत के प्रत्येक खंड में एक साथ 5000 भिक्षु ठहर सकते हैं।

अदासा-

यह नागपुर का एक छोटा-सा गांव है। यहां अनेक प्राचीन और शानदार मंदिर देखे जा सकते हैं। यहां के गणपति मंदिर में भगवान गणेश की एकल शिलाखंड से बनी प्रतिमा स्थापित है। अदासा के समीप ही एक पहाड़ी में तीन लिंगों वाला भगवान शिव को समर्पित मंदिर बना हुआ है। माना जाता है कि इस मंदिर के लिंग अपने आप भूमि से निकले थे।

रामटेक-

रामटेक नामक तीर्थ स्थल नागपुर से करीब ५० की मी दुरी पर स्थित है। स्थान को रामटेक इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहां भगवान राम और उनकी पत्नी सीता के पवित्र चरणों का स्पर्श हुआ था। यहां की पहाड़ी के शिखर पर भगवान राम का मंदिर बना हुआ है, जो लगभग 600 साल पुराना माना जाता है। रामनवमी पर्व यहां बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। संस्कृत कवि कालिदास के मेघदूतम में इस स्थान को रामगिरी कहा गया है। इसी स्थान पर उन्होंने मेघदूतम की रचना की थी। पहाड़ी पर कालिदास का समर्पित एक स्मारक भी बना हुआ है। रामटेक पहाड़ी के उत्तर में निचले कर्पुर बावली नामक स्थान है जहा करीब 1200 साल पुराना जीर्ण मन्दिर है। खिंडसी नामक बड़ा तालाब भी रामटेक के पूर्व में स्थित है। रामटेक अत्यंत सुंदरा जैन मन्दिर है।

मनसर पुरातात्विक स्थल-

यहां प्राचीन वाकाटक साम्राज्य के प्रवरपुर के प्राचीन अवशेष है। यहाँ प्राचीन शिवलिंग भी है।

खेकरानाला-

नागपुर से 55 किलोमीटर दूर खेकरानाला में एक खूबसूरत बांध बना हुआ है। यहां के मनोरम और शांत वातावरण में सुकून के कुछ पल गुजारने के लिए लोग आते रहते हैं। खेकरानाला का स्वस्थ और हरा-भरा वातावरण पिकनिक के लिए भी बहुत अनुकूल माना जाता है।

मरकड-

वेनगंगा नदी के बांए तट पर स्थित मरकड एक धार्मिक स्थल के रूप में लोकप्रिय है। संत मार्कडेंय के नाम पर इस जगह का नाम पड़ा। यहां लगभग

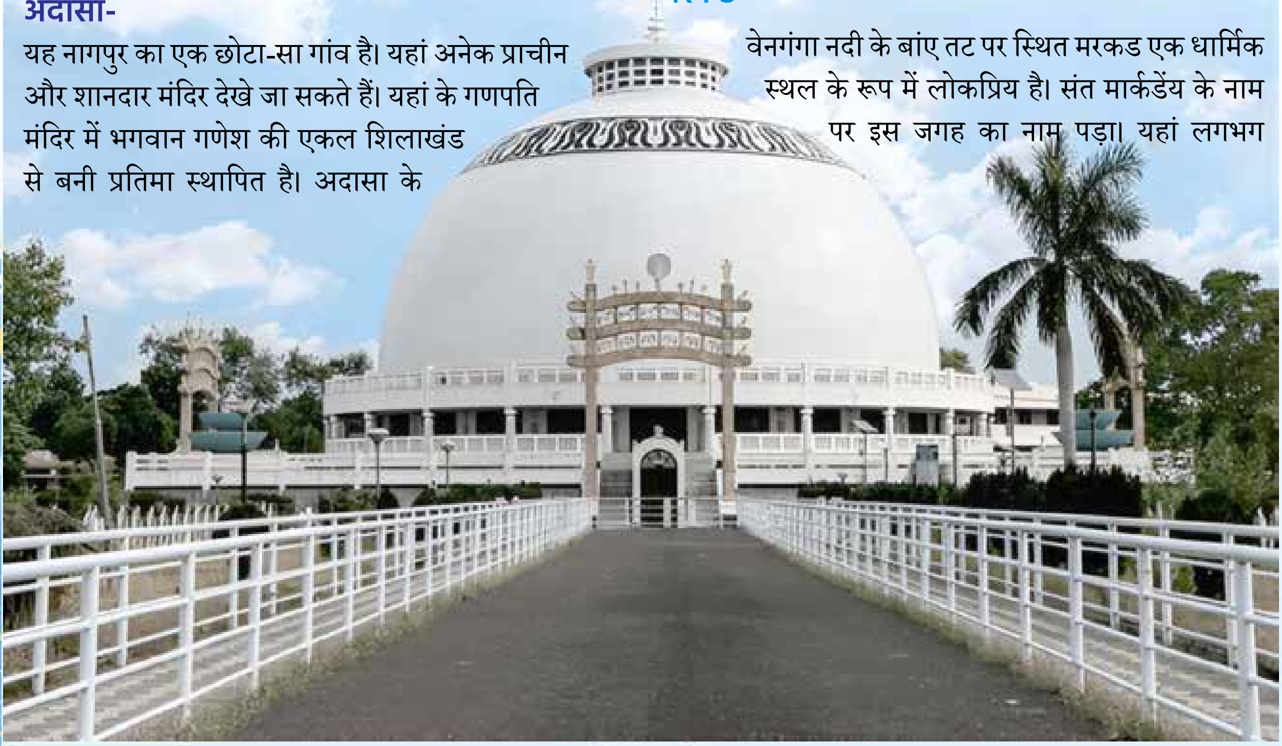

24 मंदिरों का समूह है। माना जाता है कि यहां के शिवलिंग की मार्कडेंय ने पूजा की थी। यहां के मंदिरों की वास्तुकारी खजुराहो के मंदिरों से मिलती है।

नगरधन-

नगरधन एक महत्वपूर्ण प्रागैतिहासिक नगर है। इस नगरधन को प्राचीन नन्दिवर्धन होने की बात कही जाती है। शैल साम्राज्य के राजा नंदवर्धन को इस नगर का मूल संस्थापक माना जाता है। नगरधन में भोंसलों द्वारा स्थापित एक किला है जिसकी दीवारें ईंटों से बनी हुई हैं। यहां एक वन्यजीव अभयारण्य भी है। यहां जंगली जानवरों को खुले में विचरण करते देखा जा सकता है। गौर यहां का मुख्य आकर्षण है। साथ ही सांभर, हिरन और अन्य बहुत से जीवों को देखा जा सकता है।

नवेगांव बांध-

नवेगांव बांध को विदर्भ के सबसे लोकप्रिय फॉरेस्ट रिजॉर्ट में शुमार किया जाता है। यहां साहसिक खेलों के अनेक अवसर उपलब्ध हैं। इस बांध को 18वीं शताब्दी की शुरूआत में कोलू पटेल कोहली ने बनवाया था। यहां की पहाड़ियों के बीच एक बेहद खूबसूरत झील भी बनी हुई है। नवेगांव बांध के वाचटॉवर से यहां के

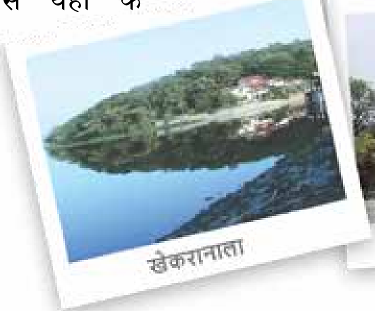
खेकरानाला

गोरेवाडा प्राणी संग्रहालय

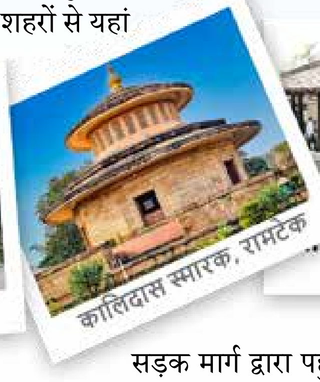

कालिदास स्मारक, रामटेक

बापू कुटी- सेवाग्राम

वन्यजीवों की गतिविधियां देखी जा सकती हैं। यहां एक डीयर पार्क भी बना हुआ है।

सेवाग्राम-

महात्मा गांधी ने 1933 में सेवाग्राम आश्रम स्थापित किया था। यहां उन्होंने अपने जीवन के 15 वर्ष व्यतीत किए थे। कहा जाता है कि इस स्थान पर महात्मा गांधी समाज सेवा के विविध कार्यक्रम संपन्न करते थे। इसी कारण इसे सेवाग्राम कहा जाता है। यहां के यात्री निवास में लोगों के ठहरने की व्यवस्था है।

सीताबर्डी किला-

यह किला दो पहाड़ियों पर बना है। किले को 1857 में एक ब्रिटिश अफसर ने बनवाया था। तब से यह किला नागपुर आने वाले सैलानियों को लुभा रहा है।

शिक्षा और वाणिज्य-

नागपुर में लगभग 10 से भी अधिक अभियांत्रीकी (इंजीनियरिंग) महाविद्यालय है। नागपुर विश्वविद्यालय महाराष्ट्र का एक बहुत बड़ा विश्वविद्यालय है। मेडिकल व अन्य विषयों की शिक्षा प्राप्त करने के लिए भी नागपुर एक स्थान है।

वायु मार्ग-

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय विमानक्षेत्र जिसे सोनेगांव एयरपोर्ट भी कहते हैं, यहां का सबसे नजदीकी एयरपोर्ट है जो सिटी सेंटर से 6 किलोमीटर की दूरी पर है। इस घरेलू एयरपोर्ट से देश के कई शहरों के लिए फ्लाइटें हैं।

रेल मार्ग-

नागपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन राज्य का एक प्रमुख रेलवे जंक्शन है। मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, कोल्हापुर, पुणे, अहमदाबाद, हैदराबाद, वाराणसी, गोरखपुर, भुवनेश्वर, त्रिवेन्द्रम, कोचीन, बंगलुरू, मंगलौर, पटना, इंदौर और सीतामढ़ी आदि शहरों से यहां के लिए सीधी ट्रेनें हैं। यह मध्य रेल का एक बहुत बड़ा और व्यस्त डिविशण (भाग) है।

सड़क मार्ग-

राष्ट्रीय राजमार्ग 44, राष्ट्रीय राजमार्ग 47 और राष्ट्रीय राजमार्ग 53 नागपुर को देश के प्रमुख शहरों से जोड़ता है। मुंबई, संभलपुर, कोलकाता, वाराणसी और कन्याकुमारी जैसे शहरों से यहां सड़क मार्ग द्वारा पहुंचा जा सकता है। नागपुर में सिटी बस की सेवा भी उपलब्ध है जो शहर में लोगों को शहर में एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाता है।

नागपुर, जिसे 'ऑरेंज सिटी' के नाम से जाना जाता है, महाराष्ट्र में मुंबई और पुणे के बाद सबसे तेजी से बढ़ते महानगरों में से एक है और तीसरा सबसे बड़ा शहर है। यह शहर राज्य के पूर्वी हिस्से में स्थित है और भारत का भौगोलिक 'केंद्र' है (देश का 'शून्य-मील का पत्थर' यहां स्थित है)। महाराष्ट्र राज्य को आज़ादी के समय बॉम्बे स्टेट के नाम से जाना जाता था। वर्तमान के महाराष्ट्र राज्य के दक्षिणी और विद्धर्भ राज्य को छोडकर वडोदरा, गुजरात, कर्नाटक आदि इसके अंग थे।

भारतीय प्रबंधन संस्थान नागपुर ने भारतीय प्रबंधन संस्थान अहमदाबाद के परामर्श के तहत वर्ष 2015 में अपनी यात्रा शुरू की। संस्थान में प्रबंधन में स्नात्कोत्तर कार्यक्रम (पीजीपी) का पहला बैच 23 जुलाई 2015 को शुरू हुआ।

वर्तमान में, भा.प्र.सं. नागपुर वीएनआईटी नागपुर के परिसर में स्थित है, मिहान, नागपुर में अपने परिसर (लगभग 135 एकड़) में स्थानांतरित होने तक।

भा.प्र.सं. नागपुर, एक नई पीढ़ी की भा.प्र.सं. होने के नाते,

मजबूत वैचारिक नींव और विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण के साथ मूल्य प्रेरित लीडर्स, वैश्विक प्रबंधक और उद्यमी देने का लक्ष्य रखता है ताकि वे जो भी क्षेत्र चुनें, उसमें सर्वश्रेष्ठ बन सकें। इसका उद्देश्य आधुनिक भारत की जरूरतों को नवीन रूप से संबोधित करना है, और आकांक्षाओं और वास्तविकताओं को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित बेंचमार्क प्राप्ति से जोड़ना है। भा.प्र.सं. नागपुर धीरे-धीरे इन उद्देश्यों को पूरा करने संबंधित गतिविधियों के अपने पोर्टफोलियो में वृद्धि कर रहा है।

संस्थान का पाठ्यक्रम प्रबंधन शिक्षा के क्षेत्र के विशेषज्ञों द्वारा डिजाइन किया गया है। यहां सीखने की प्रक्रिया विद्यार्थियों को उद्योग और अन्य हितधारकों से बहुआयामी तरीके से जुड़ने में मदद करती है। भा.प्र.सं.नागपुर की एक महत्वपूर्ण विशेषता फील्ड इमर्सन मॉड्यूल है जो विद्यार्थियों को वास्तविक जीवन की समस्याओं का अनुभव करने और उनके लिए व्यावहारिक समाधान खोजने में मदद करता है। कैंपस विभिन्न शैक्षिकों, कनेक्टिविटी के लिए आईटी संरचना और अन्य अकादमिक संसाधनों से लैस अत्याधुनिक कक्षाओं से युक्त है।

भा.प्र.सं. नागपुर के विद्यार्थियों को अपनी उद्यमशील महत्वाकांक्षाओं का पता लगाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है और इसके लिए, संस्थान के संकाय, जिनके पास शोध और शिक्षण का उत्कृष्ट ट्रैक रिकॉर्ड है, विद्यार्थियों को आवश्यक समर्थन और मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। भा. प्र. सं. नागपुर एसोसिएशन टू एडवांस कॉलेजिएट स्कूल्ज ऑफ बिजनेस (AACSB) का सदस्य है। भा. प्र. सं. नागपुर और एएसीएसबी दोनों एक सामान्य लक्ष्य के लिए प्रतिबद्ध हैं, अर्थात्, नेतृत्व की क्षमता रखने वाली अगली पीढ़ी का निर्माण। इस गठबंधन के माध्यम से, भा. प्र. सं. नागपुर वैश्विक नेटवर्क के साथ जुड़ने और दुनिया भर में व्यावसायिक शिक्षा की गुणवत्ता के सुधार में योगदान करने की इच्छा रखता है।

Oldest Temple in Nagpur: किसी स्थान की पहचान उसके इतिहास और वहां मौजूद इमारतों से होती है जो बीते समय की अनसुनी-अनकही कहानियों को दर्शाते हैं। नागपुर में रहने वाले ज्यादातर लोगों को आज सीताबर्डी, महल, अंबाझरी, फुटला, मॉल आदि जगहों के बारे में तो जरूर पता होगा। लेकिन नागपुर की सबसे पुरानी इमारत कौन सी है इस सवाल का जवाब शायद कुछ ही लोग जानते...

आज के इस आधुनिक युग में इतिहास के पन्ने कहीं पीछे छूट रहे हैं। ऐसे में हम अपनी धरोहर अपनी पुरातन संस्कृति से शायद अब भी पूरी तरह परिचित नहीं है। किसी स्थान की पहचान उसके इतिहास और वहां मौजूद इमारतों से होती है जो बीते समय की अनसुनी-अनकही कहानियों को दर्शाते हैं। नागपुर में रहने वाले ज्यादातर लोगों को आज सीताबर्डी, महल, अंबाझरी, फुटाला, मॉल आदि जगहों के बारे में तो जरूर पता होगा। लेकिन नागपुर की सबसे पुरानी इमारत कौन सी है इस सवाल का जवाब शायद कुछ ही लोग जानते होंगे।

इतिहास के बारे में इतिहासकार से बेहतर कौन जानता है। ऐसे ही एक साहित्यकार और 'वारसा दर्शन',विदर्भ संशोधन मंडल, नागपुर के संयोजक डॉ. शेषशयन देशमुख ने नागपुर के पुरातत्व के संबंध में अभिजीत भारत से खास बातचीत की। उन्होंने बताया कि नागपुर में ऐसी कई जगहें और उनसे जुड़ा इतिहास जिससे आज की पीढ़ी अनजान है। डॉ. देशमुख बताते हैं कि नागपुर का इतिहास गोंड के आगमन से भी कई साल पुराना है। वहीं, इमारतों की बात करें तो नागपुर में 200 से भी अधिक ऐतिहासिक इमारतें हैं। हालांकि, यह सूची अब घटकर 155 पर आ गई है।

नागपुर के सबसे पुराने इलाकों में सबसे पहला जिक्र महल का किया जाता है। यहां रुक्मिणी मंदिर, नाग मंदिर, जागृतेश्वर मंदिर जैसी कई प्राचीन स्मारक मौजूद हैं। यही वजह है नागपुर के इतिहास के पन्नों में इसका एक अलग स्थान रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक, माना जाता है कि अंग्रेज नागपुर आये थे तब यहां 98 मंदिर थे, इनमें से कई आज भी मौजूद हैं। जबकि कुछ ऐसे भी मंदिर जिनके निशान केवल इतिहास के पन्नों में मौजूद हैं।

नागपुर की सबसे पुरानी इमारत के बारे में पूछे जाने पर डॉ. देशमुख ने कहा कि वैसे तो नागपुर में कई सौ साल पुरानी इमारतें हैं लेकिन जगनाथ बुधवारी में मौजूद जागृतेश्वर मंदिर फिलहाल यहां की पुरानी इमारतों में से एक हैं। स्वयंभू श्री जागृतेश्वर साढ़े सात शिवलिंग मंदिर का इतिहास 450 साल पुराना है। यह नागपुर ग्राम देवता मंदिर है। उत्तर भारत में यह एकमात्र ऐसा स्थान है जहां आपको आधा शिवलिंग देखने को मिलेगा। यह मंदिर सरकारी विरासत वर्ग में है। श्री जागृतेश्वर मंदिर के परिसर में साढ़े सात शिवलिंग के आध्यात्मिक आशीर्वाद के साथ-साथ कई देवताओ का वास हैं। साढ़े सात स्वयंभू लिंग में श्री जागृतेश्वर, श्री पातालेश्वर, श्री काशी विश्वेश्वर, श्री अगणेश्वर, श्री अमृतेश्वर, श्री चण्डिकेश्वर और ढाई लिंगेश्वर (जिसमें एक शिव लिंग स्वयंभू नहीं है) शामिल हैं।

इतिहासकर मानते हैं कि इस मंदिर की मरम्मत का काम गोंड राजा के समय में हुआ था। इतिहास के ऐसे ही कई पहलू हैं जिन्हें जानने और संजोकर रखने की आवश्यकता है। नहीं तो यह धरोहर एक-एक कर लुप्त हो जाएंगी।

नागपुर को **"भारत की बाघ राजधानी"** भी कहा जाता है क्योंकि यह भारत के कई बाघ अभयारण्यों को दुनिया से जोड़ता है। यह पुणे के बाद महाराष्ट्र में आईटी क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण शहरों में से एक है। नागपुर देश के केंद्र में स्थित है और जीरो माइल मार्कर भारत के भौगोलिक केंद्र को दर्शाता है।

वरिष्ठों का मार्गदर्शन, नई पीढ़ी के लिए एक दीपस्तंभ

रोहित कुमार
अवर श्रेणी लिपिक
भारतीय खान ब्यूरो, जबलपुर

किसी भी संस्थान, समाज या संगठन की मजबूती का आधार उसके अनुभव और ऊर्जा का संतुलन होता है। अनुभव का प्रतिनिधित्व वरिष्ठजन करते हैं और ऊर्जा का स्रोत होती है युवा पीढ़ी। जब यह दोनों मिलकर कार्य करते हैं, तब सृजनात्मकता, उत्पादकता और संस्थागत विकास की नई ऊँचाइयाँ संभव होती हैं। वरिष्ठों का मार्गदर्शन नई पीढ़ी के लिए किसी दीपस्तंभ की तरह होता है, जो न केवल दिशा दिखाता है, बल्कि मुश्किल राहों में भी रोशनी देता है।

वरिष्ठ कर्मचारियों या अधिकारियों के पास वर्षों की मेहनत, असफलताओं और सफलताओं से उपजा अनुभव होता है। ये अनुभव न केवल कार्य के तरीकों को बेहतर बनाते हैं, बल्कि संकट की घड़ी में समाधान भी सुझाते हैं। युवा जब इस अनुभव का लाभ उठाते हैं, तो वे कम समय में अधिक दक्ष बन सकते हैं।

प्रशासनिक व तकनीकी कार्यों में वरिष्ठों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। सरकारी प्रक्रियाएं, नियम और निर्देशों की समझ वर्षों के अभ्यास से आती है। वरिष्ठ अधिकारी इन प्रक्रियाओं के ज्ञाता होते हैं और नवाचार के साथ संतुलन बनाना जानते हैं। उनकी देखरेख में कार्य करना युवा अधिकारियों को कार्यकुशलता और उत्तरदायित्व का बोध कराता है।

भारतीय खान ब्यूरो जैसे संगठनों में जहाँ खनन, भूगर्भशास्त्र और पर्यावरणीय सुरक्षा जैसे जटिल विषय होते हैं, वहाँ वरिष्ठों की मार्गदर्शिका भूमिका और भी महत्त्वपूर्ण हो जाती है। खनन के दौरान सुरक्षा, संसाधनों का विवेकपूर्ण दोहन, और नियमों का अनुपालन वरिष्ठों की सतर्क दृष्टि और अनुभव से ही संभव है।

वरिष्ठों और कनिष्ठों के बीच संवाद एक जीवंत कार्य संस्कृति को जन्म देता है। जब वरिष्ठ अपने अनुभव साझा करते हैं और कनिष्ठ नए विचारों के साथ आगे आते हैं, तब संगठन में एक सकारात्मक और नवाचारी माहौल बनता है। यह दोनों वर्गों को आत्म.संतुष्टि और परस्पर सम्मान की भावना प्रदान करता है। वरिष्ठों के जीवन में कई ऐसे प्रेरणादायक क्षण होते हैं, जब उन्होंने विषम परिस्थितियों में धैर्य, विवेक और ईमानदारी से कार्य कर एक मिसाल कायम की। यदि युवा इन प्रसंगों से प्रेरणा लें और उन्हें आत्मसात करें, तो वे न केवल सफल अधिकारी बन सकते हैं, बल्कि उत्कृष्ट नागरिक भी।वरिष्ठों से युवा न केवल कार्यकुशलता सीखते हैं, बल्कि अनुशासन, समयबद्धता, सहनशीलता और नैतिकता जैसे मूल्यों का भी पाठ पढ़ते हैं। ये मूल्य किसी भी पेशेवर जीवन की नींव होते हैं।

भारतीय खान ब्यूरो, जबलपुर के एक वरिष्ठ भूविज्ञानी डॉ. पुखराज नेणिवाल जी ने अपने तीन वर्षों के कार्यकाल में जिस समर्पण और दूरदर्शिता के साथ कार्य किया, वह नई पीढ़ी के लिए प्रेरणा का स्रोत है। उन्होंने प्रशासनिक अनुशासन के साथ-साथ तकनीकी नवाचारों को भी प्रोत्साहित किया। उनकी टीम भावना और नेतृत्व ने कार्य संस्कृति को नई दिशा दी।

ई पीढ़ी को यह समझना होगा कि वरिष्ठों के साथ मिलकर काम करना कोई बोझ नहीं, बल्कि एक रणनीति है। यह रणनीति उनके स्वयं के विकास, संस्थान की प्रगति और समाज के लिए स्थायी योगदान का मार्ग खोलती है।

वरिष्ठों का मार्गदर्शन एक ऐसी अमूल्य रोशनी है जो आने वाली पीढ़ियों को दिशा देती है। यह दीपस्तंभ न केवल उजाला फैलाता हैए बल्कि आगे बढ़ने की प्रेरणा भी देता है। हमें इस प्रकाश को सम्मानपूर्वक स्वीकार करए आगे बढ़कर उसे भविष्य की पीढ़ियों तक पहुँचाना चाहिए।

नई पीढ़ी और भारतीय संस्कृतिः दूरी या पुनराविष्कार

शिवशंकर
भण्डार लिपिक
भारतीय खान ब्यूरो, जबलपुर

भारतीय संस्कृति विश्व की सबसे प्राचीन और विविधतापूर्ण संस्कृतियों में से एक रही है। यह विभिन्न सभ्यताओं, धर्मों, भाषाओं, परंपराओं, रीति-रिवाजों और सामाजिक संरचनाओं का संगम है। सदियों से भारतीय संस्कृति ने बाहरी प्रभावों को आत्मसात कर अपनी मौलिकता को बनाए रखा है लेकिन आज वैश्वीकरण, आधुनिक, तकनीक और बदलती जीवनशैली के चलते नई पीढ़ी का भारतीय संस्कृति के प्रति दृष्टिकोण अलग होता जा रहा है।

भारतीय संस्कृति की परंपरागत विशेषताएँ :- भारतीय संस्कृति की जड़ें धर्म, दर्शन, कला, साहित्य, भोजन, संगीत और पारिवारिक मूल्यों से जुड़ी रही हैं। यह संस्कृति हमेशा से सामूहिकता, आध्यात्मिकता और पारिवारिक संबंधों पर आधारित रही है। यहाँ कुछ प्रमुख विशेषताएँ हैं:

1. **संयुक्त परिवार प्रणाली :-** भारतीय समाज में पारंपरिक रूप से संयुक्त परिवारों को महत्व दिया जाता रहा है, जहाँ कई पीढ़ियाँ एक साथ रहती थीं। यह व्यवस्था आपसी सहयोग, समर्थन और स्नेह को बढ़ावा देती थी।
2. **धार्मिक और आध्यात्मिक मूल्यों की प्रधानता :-** हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख और अन्य धर्मों के दर्शन भारतीय संस्कृति में गहरे समाए हुए हैं। पूजा-पद्धतियाँ, त्योहार, और धार्मिक कर्मकांड भारतीय समाज के अभिन्न अंग रहे हैं।
3. **नैतिक और सामाजिक अनुशासन :-** भारतीय संस्कृति में बड़ों का सम्मान, अतिथि देवो भवः की भावना और सामाजिक शिष्टाचार को अत्यधिक महत्व दिया जाता रहा है।
4. **लोक कला एवं संगीत :-** भारतीय संगीत, नृत्य, चित्रकला, और हस्तकला हजारों वर्षों से चली आ रही हैं और इनमें हर क्षेत्र की अपनी अनूठी पहचान है।
5. **भाषाई विविधता :-** भारत में सैकड़ों भाषाएँ बोली जाती हैं। हर क्षेत्र की अपनी अलग सांस्कृतिक पहचान है जो इसे एक बहुपरतीय समाज बनाती है।

नई पीढ़ी के दृष्टिकोण में बदलाव :-

आज की युवा पीढ़ी पश्चिमी प्रभाव, इंटरनेट और नई तकनीकों के संपर्क में आकर जीवन के विभिन्न पहलुओं में बदलाव ला रही है। कुछ प्रमुख परिवर्तन निम्नलिखित हैं :-

1. **परिवार संरचना में परिवर्तन :-** संयुक्त परिवारों का स्थान अब एकल परिवार ले रहे हैं। व्यक्तिगत स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता को अधिक महत्व दिया जा रहा है।
2. **धार्मिक सोच का पुनरावलोकन :-** पहले की तुलना में युवा पीढ़ी धार्मिक अनुष्ठानों में कम संलग्न रहती है, लेकिन वे आध्यात्मिकता और व्यक्तिगत विचारों पर अधिक ध्यान देते हैं।
3. **भाषा और संचार शैली में बदलाव :-** अंग्रेजी और अन्य विदेशी भाषाओं के बढ़ते प्रभाव के कारण पारंपरिक भाषाओं का उपयोग घट रहा है।
4. **आधुनिक तकनीक और सोशल मीडिया :-** इंटरनेट और सोशल मीडिया के माध्यम से युवा वैश्विक संस्कृति से जुड़ रहे हैं, जिससे उनकी सोच और व्यवहार में बदलाव आ रहा है।
5. **फैशन और खान-पान में परिवर्तन :-** परंपरागत भारतीय पहनावे और खानपान की जगह पश्चिमी पोशाकें और फास्ट फूड का चलन बढ़ रहा है।

दूरी या पुनराविष्कार :-

यह बहस प्रासंगिक है कि क्या नई पीढ़ी भारतीय संस्कृति से दूर जा रही है या केवल इसे आधुनिक संदर्भ में ढालने की प्रक्रिया चल रही है।

1. **दूरी की धारणा :-** कुछ लोगों का मानना है कि पारंपरिक

मूल्यों में कमी आई है, जिससे भारतीय संस्कृति कमजोर हो रही है।

2. **पुनराविष्कार की संभावना :-** वहीं, दूसरी ओर, यह भी देखा जा सकता है कि आधुनिक पीढ़ी संस्कृति के विभिन्न तत्वों को नए तरीकों से अपना रही है।

उदाहरण के तौर पर :-

- योग और आयुर्वेद को नई पीढ़ी वैश्विक स्तर पर आगे बढ़ा रही है।
- भारतीय त्योहारों को अब आधुनिक तरीकों से मनाया जाता है, जिससे वे नए रूप में जीवंत हो रहे हैं।
- सोशल मीडिया के माध्यम से भारतीय कला, साहित्य, और संगीत को अधिक प्रचार मिल रहा है।

भारतीय संस्कृति के अनुकूलन और भविष्य की संभावनाएँ :- भारत ने सदियों से विभिन्न प्रभावों को आत्मसात किया और उन्हें अपनी सांस्कृतिक पहचान से जोड़ा। यही प्रवृत्ति आज भी जारी है।

1. **भारतीयता का पुनर्परिभाषन :** नई पीढ़ी अब भारतीय मूल्यों को नए संदर्भों में समझ रही है और उन्हें अपने जीवन में पुनः परिभाषित कर रही है।
2. **तकनीकी और डिजिटल भारत:** डिजिटल प्लेटफार्मों पर भारतीय विचारधारा, कला, और साहित्य को नया मंच मिल रहा है।
3. **वैश्विक भारतीयता:** प्रवासी भारतीय युवा अपनी संस्कृति को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर फैला रहे हैं।

नई पीढ़ी और भारतीय संस्कृति के बीच केवल दूरी नहीं है, बल्कि यह पुनराविष्कार का युग है। भारत की विशेषता सदैव उसके अनुकूलन क्षमता में रही है और युवा आज भी उसे नए रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। यह स्वीकार करने योग्य है कि भारतीय संस्कृति परिवर्तनशील रही है और आने वाली पीढ़ियाँ इसे अपने अनुसार ढालने में सफल रहेंगी। भारतीय संस्कृति कोई स्थिर अवधारणा नहीं है — यह एक निरंतर विकसित होने वाली परंपरा है और यही इसे जीवंत बनाए रखता है।

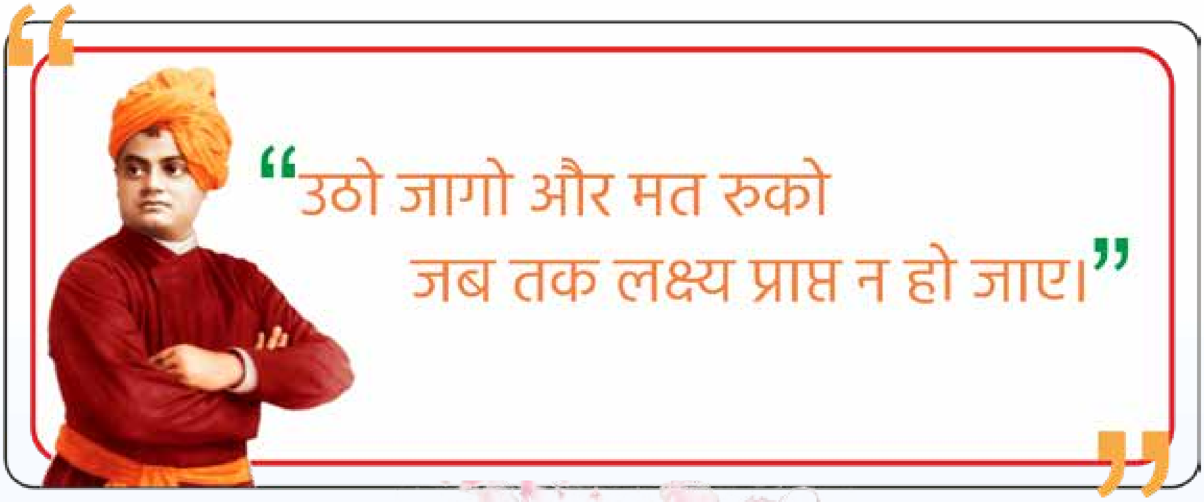

सोशल नेटवर्किंग साइटों का समाज पर प्रभाव

डॉ. संजय कुमार
उच्च श्रेणी लिपिक
भारतीय खान ब्यूरो, नागपुर

आज के डिजिटल युग में, सोशल नेटवर्किंग साइटें हमारे दैनिक जीवन का एक अभिन्न अंग बन गई हैं। जैसे - फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन और कई अन्य प्लेटफ़ॉर्मों ने दुनिया भर के अरबों लोगों को एक साथ जोड़ा है, जिससे संचार, सूचना प्रसार और सामाजिक संपर्क के तरीके में क्रांतिकारी परिवर्तन आया है। इन साइटों ने समाज पर गहरा और बहुआयामी प्रभाव डाला है, जिसके सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पहलू हैं।

एक ओर, सोशल नेटवर्किंग साइटें लोगों को जोड़ने और समुदायों को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। वे दोस्तों और परिवार के साथ संपर्क में रहने का एक आसान तरीका प्रदान करती हैं, खासकर जब भौगोलिक दूरी बाधा बनती है। ये प्लेटफॉर्म विभिन्न रुचियों वाले लोगों को एक साथ लाते हैं, जिससे नए संबंध बनते हैं और मौजूदा मजबूत होते हैं। सामाजिक आंदोलनों और जागरूकता अभियानों में भी इनकी भूमिका अहम है। "मी टू" और "ब्लैक लाइव्स मैटर" जैसे कई बड़े आंदोलन सोशल मीडिया के माध्यम से ही व्यापक रूप से फैले, जिससे महत्वपूर्ण सामाजिक परिवर्तन आए। जानकारी तक पहुंच भी अभूतपूर्व रूप से बढ़ी है; लोग वास्तविक समय में समाचार और घटनाओं से अवगत रह सकते हैं, और विभिन्न दृष्टिकोणों को समझ सकते हैं।

दूसरी ओर, सोशल नेटवर्किंग साइटों के कई नकारात्मक प्रभाव भी हैं। सबसे प्रमुख चिंताओं में से एक मानसिक स्वास्थ्य पर इसका प्रभाव है। निरंतर तुलना, साइबरबुलिंग, और दूसरों के "परिपूर्ण" जीवन को देखने से ईर्ष्या, चिंता और अवसाद की भावनाएँ पैदा हो सकती हैं। फेक न्यूज और गलत सूचना का तेजी से प्रसार एक और गंभीर मुद्दा है। सत्यापन के बिना जानकारी साझा करने की प्रवृत्ति से समाज में भ्रम और ध्रुवीकरण बढ़ सकता है। इसके अतिरिक्त, गोपनीयता का उल्लंघन एक बड़ी चिंता है, क्योंकि व्यक्तिगत डेटा का दुरुपयोग या हैकिंग का खतरा हमेशा बना रहता है। अत्यधिक उपयोग से उत्पादकता में कमी, नींद की कमी, और वास्तविक दुनिया के सामाजिक संबंधों से अलगाव भी हो सकता है, क्योंकि लोग आभासी दुनिया में अधिक समय बिताने लगते हैं।

राजनीतिक परिदृश्य पर भी सोशल मीडिया का गहरा प्रभाव पड़ा है। यह नागरिकों को राजनीतिक प्रक्रिया में भाग लेने, अपने विचार व्यक्त करने और अधिकारियों को जवाबदेह ठहराने का एक मंच प्रदान करता है। हालांकि, यह राजनीतिक ध्रुवीकरण को भी बढ़ावा दे सकता है, क्योंकि लोग अक्सर उन समूहों में शामिल होते हैं जो उनके विचारों की पुष्टि करते हैं, जिससे विभिन्न दृष्टिकोणों के प्रति असहिष्णुता बढ़ सकती है।

सारांश में, सोशल नेटवर्किंग साइटें एक दोधारी तलवार हैं। वे संचार को आसान बनाते हैं, सूचना तक पहुंच प्रदान करते हैं, और सामाजिक आंदोलनों को बढ़ावा देते हैं। हालांकि, वे मानसिक स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं, गलत सूचना फैला सकते हैं, और गोपनीयता संबंधी चिंताएं पैदा कर सकते हैं। यह महत्वपूर्ण है कि हम इन प्लेटफार्मों का जिम्मेदारी से और सोच-समझकर उपयोग करें। व्यक्तियों, सरकारों और सोशल मीडिया कंपनियों को मिलकर काम करना चाहिए ताकि इन साइटों के सकारात्मक प्रभावों को अधिकतम किया जा सके और नकारात्मक प्रभावों को कम किया जा सके, जिससे एक स्वस्थ और अधिक जुड़ा हुआ समाज बन सके।

खुफिया कैमरा और निजता पर उसका प्रभाव

रंजय कुमार
उच्च श्रेणी लिपिक
भारतीय खान ब्यूरो, नागपुर

खुफिया कैमरे, जिन्हें अक्सर जासूसी कैमरे या हिडन कैमरे कहा जाता है, हमारी निजता पर एक गंभीर आघात हैं। जबकि इनका उपयोग सुरक्षा उद्देश्यों या अपराधों को रोकने के लिए किया जा सकता है, वहीं इनका अनधिकृत या गलत इस्तेमाल व्यक्तिगत गोपनीयता का उल्लंघन करता है।

निजता पर खतरा

- **निगरानी और जासूसी:** खुफिया कैमरे व्यक्तियों की जानकारी के बिना उनकी गतिविधियों को रिकॉर्ड कर सकते हैं। यह घरों, कार्यस्थलों, सार्वजनिक स्थानों और यहाँ तक कि निजी वाहनों में भी हो सकता है, जिससे लोगों को लगातार निगरानी में महसूस हो सकता है।
- **व्यक्तिगत जानकारी का दुरुपयोग:** रिकॉर्ड किए गए फुटेज में व्यक्तिगत, संवेदनशील जानकारी हो सकती है जिसका दुरुपयोग ब्लैकमेल, पहचान की चोरी, या अन्य आपराधिक गतिविधियों के लिए किया जा सकता है।
- **विश्वास का टूटना:** जब लोगों को पता चलता है कि उन पर चुपके से नज़र रखी जा रही है, तो इससे विश्वास का भंग होता है, खासकर दोस्तों, परिवार के सदस्यों या सहकर्मियों के बीच।
- **भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक प्रभाव:** लगातार निगरानी में होने की भावना लोगों में तनाव, चिंता और असुरक्षा पैदा कर सकती है। यह उन्हें अपनी गतिविधियों और व्यवहार को संशोधित करने के लिए मजबूर कर सकता है, जिससे उनकी सहजता खत्म हो जाती है।
- **कानूनी और नैतिक मुद्दे:** कई देशों में, बिना सहमति के किसी की रिकॉर्डिंग करना अवैध है। खुफिया कैमरों का उपयोग अक्सर कानूनी और नैतिक सीमाओं को पार कर जाता है, जिससे गंभीर कानूनी परिणाम हो सकते हैं।

संतुलन की आवश्यकता

खुफिया कैमरों के संभावित लाभों और निजता के अधिकार के बीच एक संतुलन बनाना महत्वपूर्ण है। सरकारों और व्यक्तियों को इस मुद्दे पर गंभीरता से विचार करना चाहिए :-

- **कड़े कानून और नियम:** खुफिया कैमरों के उपयोग को नियंत्रित करने वाले स्पष्ट और कड़े कानून बनाने की आवश्यकता है। यह सुनिश्चित करना चाहिए कि इनका उपयोग केवल वैध उद्देश्यों के लिए और उचित सहमति के साथ ही हो।
- **जागरूकता बढ़ाना:** लोगों को खुफिया कैमरों के खतरों और अपनी निजता के अधिकारों के बारे में शिक्षित करना महत्वपूर्ण है।
- **तकनीकी समाधान:** ऐसी तकनीकों का विकास करना जो अनधिकृत निगरानी का पता लगा सकें, भी एक महत्वपूर्ण कदम हो सकता है।

संक्षेप में, खुफिया कैमरे निजता पर एक गंभीर खतरा पैदा करते हैं। इस खतरे से निपटने के लिए कानूनी ढाँचा, जन जागरूकता और तकनीकी नवाचार तीनों आवश्यक हैं ताकि हम एक सुरक्षित और निजी समाज में रह सकें।

सवाल का जवाब

प्रशांत तिनगुरिया
आशुलिपिक
भारतीय खान ब्यूरो, नागपुर

आज काफी बारिश हो रही थी। साहब तो समयपर कार्यालय में आ गये थे, परन्तु उनके अधीनस्थ कुछ कर्मचारी नहीं आये थे। थोड़ी बारिश रुकी तो सभी कर्मचारी कार्यालय में उपस्थित हो गए। साहब ने जो जो लेट आये थे उनको अपने केबिन में बुलाया और लेट आने का कारण पूछा तो सभी ने एक साथ कहा बारिश का मौसम बहोत ख़राब होता है सर, और वे सभी बारिश के कारण लेट हो गए। साहब पहले तो थोड़ा मुस्कुराये। फिर एक सवाल सभी से पूछा "बताओ 12 में से 4 गए तो कितने बचे?

सभी अपने अपने मन में मुस्कुराने लगे की यह कैसा सवाल है। इसका जवाब तो पहली क्लास में पढ़ने वाला बच्चा भी दे सकता है।

सभी ने एक साथ कहा की इसका जवाब 8 है।

साहब बोले " यह गलत जवाब है।"

सभी एक दुसरे को देखने लगे और सोचने लगे की हमारा जवाब तो सही है।

"देखो साल में मुख्य तीन मौसम होते हैं गर्मी, बारिश और ठण्ड लेकिन अगर बारिश के चार महीनें मतलब साल के बारह महीनें में से चार महीने बारिश के निकाल लिए तो कुछ नहीं बचेगा।

वैसे तो सभी मौसम महत्वपूर्ण है, लेकिन बारिश का मौसम सभी के लिए बहोत अधिक महत्वपूर्ण है।" साहब ने जवाब दिया।

बेरोजगारी
एक समस्या एवं समाधान

हर्षित गुप्ता
एम. टी. एस.
भारतीय खान ब्यूरो, उदयपुर

प्रस्तावना :

बेरोजगारी एक गंभीर सामाजिक और आर्थिक समस्या है, जो न केवल युवाओं, बल्कि समाज के सभी वर्गों को प्रभावित करती है। भारत जैसे विकासशील देश में, जहां जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है, रोजगार के अवसर सीमित होते जा रहे हैं। बेरोजगारी के कारण आर्थिक विकास में बाधा आती है और लोगों के जीवन स्तर में गिरावट आती है। यह समस्या न केवल आर्थिक अस्थिरता का कारण बनती है, बल्कि अपराध और सामाजिक तनाव को भी बढ़ावा देती है। वर्तमान में, कोविड-19 महामारी के बाद, बेरोजगारी की दर में वृद्धि ने इस मुद्दे को और भी गंभीर बना दिया है । प्रस्तावना को काफी विस्तार से लिखा जा सकता है। भारत में बेरोजगारी की समस्या एक गंभीर मुद्दा बनी हुई है, जो देश के आर्थिक विकास और सामाजिक स्थिरता के लिए चुनौतियां साबित हो रही है। इसे ऐसी स्थिति के रूप में परिभाषित किया जाता है, जहां काम करने के इच्छुक और सक्षम व्यक्ति को उपयुक्त रोजगार नहीं मिल पाता है। यह देश के विभिन्न जनसांख्यिकी और क्षेत्रों में लाखों लोगों को प्रभावित करता है।

बेरोजगारी क्या है ?

बेरोजगारी एक स्थिति है जिसमें कार्य करने योग्य व्यक्ति बिना नौकरी के होते हैं। यह एक गंभीर सामाजिक और आर्थिक समस्या है। बेरोजगारी का मुख्य कारण जनसंख्या वृद्धि है, जो रोजगार के अवसरों को सीमित करती है, अर्थव्यवस्था में मंदी भी बेरोजगारी को बढ़ाती है। कौशल की कमी और तकनीकी परिवर्तन भी इसका एक बड़ा कारण हैं। बेरोजगारी के प्रभाव में आर्थिक अस्थिरता, मानसिक तनाव और सामाजिक अपराध शामिल हैं। यह समस्या विशेष रूप से युवाओं को प्रभावित करती है, जिससे उनका आत्मविश्वास कमजोर होता है। बेरोजगारी के समाधान के लिए कौशल विकास, शिक्षा प्रणाली में सुधार और उद्यमिता को बढ़ावा देना आवश्यक है। समाज और सरकार के सहयोग से इस चुनौती का सामना किया जा सकता है

बेरोजगारी के प्रकार :-

प्रस्तावना के बाद भारत में बेरोजगारी को कई प्रकारों पर नजर डालना जरूरी है। इसके प्रकार के बारे में आगे विस्तारपूर्वक जानकारी दे रहे हैं।

1. **संरचनात्मक बेरोजगारी :** नौकरी के इच्छा रखने वाले लोगों के कौशल और नौकरी देने वाले लोगों द्वारा मांग की गई कौशल का न मिल पाना।
2. **चक्रीय बेरोजगारी :** व्यापार चक्रों में उतार-चढ़ाव के परिणामस्वरूप, आर्थिक मंदी के दौरान अस्थायी रूप से नौकरी छूट जाती है।
3. **मौसमी बेरोजगारी :** कृषि और निर्माण जैसे काम में लगे लोगों को मौसमी परिवर्तनों के साथ रोजगार के अवसर उतार-चढ़ाव का सामना करना पड़ता है।
4. **शैक्षणिक बेरोजगारी :** यह तब उत्पन्न होती है जब शिक्षित व्यक्ति को अपनी योग्यता के अनुसार नौकरी नहीं मिल पाता है, जिससे कि उन्हें मजबुरन बेरोजगार रहना पड़ता है।

बेरोजगारी के कारण :

भारत में बेरोजगारी के कई कारण है, जिनमें कुछ मुख्य कारणों की यहां चर्चा करेंगें।

1. **जनसंख्या वृद्धि** : तेजी से बढ़ती जनसंख्या रोजगार उत्पन्न करने के प्रयासों को पीछे छोड़ देती है, जिससे कई क्षेत्रों में काम की कमी हो जाती है।
2. **धीमी गति से औद्योगिक वृद्धि :** औद्योगिक और विनिर्माण क्षेत्रों में धीमी गति से वृद्धि होने पर कम लोगों की आवश्यकता होती है, जो बेरोजगारी उत्पन्न कर सकता है।
3. **शैक्षणिक असमानताएँ :** स्कूल, कॉलेज में जाने वाले ज्ञान और कौशल का नौकरी देने वाले लोगों द्वारा मांगे जाने वाले कौशल से भिन्न होना।
4. **तकनीकी उन्नति :** आज कल कई स्वचालन मशीन आ गए है, जिसके कारण कई काम के लिए लोगों की आवश्यकता खत्म हो गई है। साथ ही तकनीकी उन्नति ने इंसान को कई क्षेत्र में रिप्लेस कर दिया है।

बेरोजगारी के प्रभाव :

बेरोजगारी के प्रभाव को आज समाज में बखूबी देखा जा सकता है। यहां लोगों, समाज और अर्थव्यवस्था पर गहरा

प्रभाव डालता है। यहां हम बेरोजगारी के प्रभाव पर एक नजर डालेंगे।

1. **व्यक्ति:** आय का नुकसान, जीवन स्तर में कमी और मनोवैज्ञानिक तनाव में वृद्धि।
2. **समाज:** सामाजिक अशांति, अपराध में वृद्धि और समाज में तनाव का माहौल।
3. **अर्थव्यवस्था:** उत्पादकता में कमी, मानव संसाधनों की बर्बादी और आर्थिक वृद्धि और विकास में बाधा।

बेरोजगारी के समाधान :

बेरोजगारी की समस्या को दूर करने के लिए कई उपाय को अपनाया जा सकता है, जिससे कि देश के विकास में मदद मिल सके। यहां हम बेरोजगारी के समाधान के बारे में बता रहे हैं।

1. **कौशल विकास कार्यक्रम:** उद्योग की मांगों के साथ तालमेल बिठाने के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण और कौशल विकास कार्यक्रमों को बढ़ावा देना।
2. **उद्यमिता को बढ़ावा देना:** रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए उद्यमिता और लघु उद्योगों को प्रोत्साहित करना।
3. **औद्योगिक विविधीकरण:** विशिष्ट क्षेत्रों पर निर्भरता कम करने के लिए उद्योगों के विविधीकरण को बढ़ावा देना।
4. **सरकारी पहल:** रोजगार सृजन को प्रोत्साहित करने के लिए बुनियादी ढांचे के विकास, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश और श्रम सुधारों के लिए नीतियों को लागू करना।

बेरोजगारी हटाने के लिए सरकारी प्रयास :

बेरोजगारी की समस्या को हल करने के लिए अनेक उपाय अपनाए जा सकते हैं, जैसे -

1. सरकारी नीतियों में सुधार।
2. कौशल विकास कार्यक्रमों का विस्तार।
3. स्वरोजगार को बढ़ावा देना।
4. गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना।
5. आधारभूत संरचना को सुदृढ़ बनाना।

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MGNREGA)

MGNREGA, 2005 में शुरू किया गया, भारत के प्रमुख सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों में से एक है। यह ग्रामीण परिवारों को प्रति वर्ष 100 दिनों के मजदूरी वाले रोजगार की गारंटी देता है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका सुरक्षा को बढ़ाना है। सड़क निर्माण और जल संरक्षण जैसी सार्वजनिक निर्माण परियोजनाओं में मैनुअल श्रम के अवसर प्रदान करके, MGNREGA न केवल ग्रामीण आय को बढ़ाता है बल्कि स्थानीय बुनियादी ढांचे को भी मजबूत करता है।

प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (PMKVY)

2015 में शुरू की गई, PMKVY का उद्देश्य भारतीय युवाओं के कौशल को बढ़ाना और उन्हें कई उद्योगों में रोजगार योग्य बनाना है। यह स्वास्थ्य सेवा, निर्माण और कृषि जैसे क्षेत्रों में कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रदान करता है। पीएमकेवीवाई प्रशिक्षण कार्यक्रमों को उद्योग की आवश्यकताओं के साथ जोड़ता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि लाभार्थी प्रासंगिक कौशल हासिल करें, जिससे उनकी रोजगार क्षमता और आय-अर्जन क्षमता बढ़े।

स्टार्टअप इंडिया और मेक इन इंडिया

- 2016 में शुरू किया गया स्टार्टअप इंडिया, स्टार्टअप के लिए कर छूट और आसान अनुपालन मानदंडों जैसे प्रोत्साहन प्रदान करके उद्यमशीलता और नवाचार को बढ़ावा देता है। इसका उद्देश्य स्टार्टअप के लिए अनुकूल वातावरण बनाना है, जिससे रोजगार के अवसर पैदा हो और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिले।
- 2014 में शुरू किया गया मेक इन इंडिया, विनिर्माण को बढ़ावा देने और भारत को वैश्विक विनिर्माण केंद्र के रूप में बढ़ावा देने का प्रयास करता है। घरेलू विनिर्माण को प्रोत्साहित करके और विदेशी निवेश को आकर्षित करके, मेक इन इंडिया का उद्देश्य कई विनिर्माण क्षेत्रों में रोजगार पैदा करना है, जिससे आयात पर निर्भरता कम हो और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिले।

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MGNREGA),

प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (PMKVY), स्टार्टअप इंडिया और मेक इन इंडिया जैसी पहलों के माध्यम से बेरोजगारी को खत्म करने के लिए भारत सरकार के प्रयास बेरोजगारी की चुनौतियों का समाधान करने के लिए सरकार के प्रयासों को दर्शाते हैं। इन कार्यक्रमों का उद्देश्य न केवल तत्काल रोजगार के अवसर और कौशल विकास प्रदान करना है, बल्कि उद्यमशीलता को बढ़ावा देना और विनिर्माण क्षमताओं को बढ़ावा देना भी है।

निष्कर्ष :

बेरोजगारी एक जटिल सामाजिक और आर्थिक समस्या है जिसे सुलझाने के लिए सरकार सहित हम सभी को सामूहिक प्रयास करने की जरूरत है। शिक्षा में सुधार, उद्योगों में बढ़ोत्तरी, और सरकार के संयुक्त प्रयासों से ही हम इस समस्या का समाधान पा सकते हैं। समाज और देश के प्रगति के लिए बेरोजगारी पर जीत जरुरी है।

कविताएँ

रोहित स्नेही
सहायक खनन अभियंता
भारतीय खान ब्यूरो, नागपुर

सृष्टि की संवेदना

उन्नति के चरम पथ पर तुमने उद्‌भव को भूला दिया
हरे भरे सुन्दर पेड़ो को अब सर्वदा सुला दिया।
जलते पेड़ से निकलते धुँए की, ये तमरात घनेरी है,
अब तो जागों लाल मेरे, अब काहे की देरी है ?

जो नदियां है पतित पावनी, उनको नाला बना दिया ।
जिनके नीर से बने निरोगी, उन्हें काल निवाला बना दिया ।
जलमाला का जीवन बचालो, दारुण पुकार ये मेरी है
अब तो जागों लाल मेरे, अब काहे की देरी है ?

सोना उगलती धन्य धरा की, तुमने कब महिमा गायी है,
कृत्रिम खाद से उर्वरता को उसकी खाक बनाई है।।
वेदों पर विज्ञान का व्यापन, ये कैसी हेरा फेरी है
अब तो जागों लाल मेरे, अब काहे की देरी है ?

समीरण की सुध लेलो अब, कि कैसा उसका हाल है ?
पवन देव का रुप हो रहा, काल से भी विकराल है।
धीरे धीरे सिमट रही गिनती सांसो की तेरी है,
अब तो जागों लाल मेरे, अब काहे की देरी है ?

अंतिम बची मानवता, वो भी खड़ी कगारे है,
विनय कर रही सृष्टिमाँ, तुमसे अब हाथ पसारे है।
आने वाले प्रलय युग की बाज रही रणभेरी हैं,
अब तो जागों लाल मेरे, अब काहे की देरी है ?

सौम्या केशरी
एम. टी. एस.
भारतीय खान ब्यूरो, नागपुर

आगे बढ़ती रहूंगी मैं

थक सी रही हुँ मैं , पिछड़ सी रही हुँ मैं ,
पगो के सांस लड़खड़ा रहे हैं ,
अब लगे बिखर रही हुँ मैं ।

रफ्तार से चली थी सफर पर
अब हर टोक पर ठहर सी रही हुँ,
अब जहाँ से गुजर रही हूं मैं ।

न शेष रुआब मेरे बाजुओं के शौर्य में
नित्य- नित्य ढल रही हुँ मैं ।

नदी की तरह है सफ़र मेरा,
उन्माद और रौब से भरा,
पर ढलानों से जैसे ढल जाती है रवानी
और चुपके से किसी जगह दम तोडती है कहानी ।

ठीक वैसे ही पराजय के पैरों तले दबकर
कुचली जा रही हुँ मैं ।
परंतु हर रात की वह घटना
किसी का मेरे ख्वाबों में आकर धीरे से कहना,
हर हार पर हर बार तुम और सँवर रही हो।
सूर्य किरण की भांति नभ से धरा पे उतर रही हो।

परंतु आस और निराश के बीच मे
एक और प्रयास से डर रही हुँ मैं ।
पर सोचो तो ये भी सही है,

हौसलों के दिये तूफानों से कब बुझे हैं ,
जीते वही जो अन्त तक ना थके हैं ।
समय के आघात से गिरती रहूंगी मैं,
फिर भी धैर्य से हमेशा आगे की तरफ ही बढ़ती रहूंगी मैं ।

राजभाषा संबंधी गतिविधियाँ

गत छः माह के दौरान
हिंदी संबंधी कार्यों का विवरण

1. **तकनीकी एवं प्रशासनिक पत्रों का अनुवाद कार्य :-** संसदीय स्थाई समिति, मंत्रालय एवं मुख्यालय स्थित अन्य प्रभागों / अनुभागों से अनुवाद हेतु करीब 500 पृष्ठों की प्राप्त सामग्री / पत्रों / दस्तावेजों का अनुवाद कार्य यथासमय प्रस्तुत किया गया जिसमें भारतीय खान ब्यूरो की उपलब्धियों से सम्बंधित सामग्री का अनुवाद भी शामिल है।

2. **संसदीय राजभाषा समिति की तीसरी उप समिति द्वारा विभिन्न कार्यालयों का राजभाषा**

निरीक्षण :-

- संसदीय राजभाषा समिति की तीसरी उप समिति द्वारा उदयपुर आंचलिक कार्यालय का निरीक्षण :- दिनांक 03/03/2025 को राजभाषा निरीक्षण किया गया था। इस उक्त निरीक्षण के दौरान भारतीय खान ब्यूरो मुख्यालय से श्री पंकज कुलश्रेष्ठ (मुख्य खान नियंत्रक), डॉ. योगेश जी. काले (खान नियंत्रक एवं राजभाषा अधिकारी) तथा श्री अभिनय कुमार शर्मा, संपादक भी उपस्थित थे। मंत्रालय की ओर से डॉ. योगेश जी. काले (खान नियंत्रक एवं राजभाषा अधिकारी) ने निरीक्षण में प्रतिनिधित्व किया। निरीक्षण के उपरांत संसदीय राजभाषा समिति द्वारा दी गई निरीक्षण रिपोर्ट पर कारवाई की जा गई।

- **संसदीय राजभाषा समिति की तीसरी उप समिति द्वारा गुवाहाटी क्षेत्रीय कार्यालय का राजभाषा निरीक्षण:-**

संसदीय राजभाषा समिति की तीसरी उप समिति द्वारा गुवाहाटी क्षेत्रीय कार्यालय का दिनांक 21/04/2025 को राजभाषा निरीक्षण किया गया। इस उक्त निरीक्षण के दौरान भारतीय खान ब्यूरो मुख्यालय से कोलकाता आंचलिक कार्यालय के श्री शैलेन्द्र कुमार (खान नियंत्रक) तथा श्री अभिनय कुमार शर्मा संपादक उपस्थित थे तथा मंत्रालय की ओर से डॉ. योगेश जी. काले (खान नियंत्रक एवं राजभाषा अधिकारी) ने प्रतिनिधित्व किया। निरीक्षण के दौरान गुवाहाटी क्षेत्रीय कार्यालय की हिंदी गृह पत्रिका "अरुणिमा" का माननीय संसदीय राजभाषा समिति के सदस्यों के कर कमलों द्वारा विमोचन किया गया। इस हेतु मुख्यालय से सम्बंधित निरीक्षण प्रश्नावली के 11 पृष्ठ तैयार किए गए एवं उक्त निरीक्षण से सम्बंधित अन्य आवश्यक कार्य किए गए।

- **राजभाषा समिति की तीसरी उप समिति द्वारा देहरादून क्षेत्रीय कार्यालय का राजभाषा निरीक्षण:-**

संसदीय राजभाषा समिति की तीसरी उप समिति द्वारा देहरादून क्षेत्रीय कार्यालय का दिनांक 19/06/2025 को राजभाषा निरीक्षण किया गया। उक्त निरीक्षण के दौरान भारतीय खान ब्यूरो मुख्यालय से श्री पीयूष नारायण शर्मा, महानियंत्रक (प्रभारी), डॉ. योगेश जी काले, खान नियंत्रक एवं राजभाषा अधिकारी तथा श्री अभिनय कुमार शर्मा, संपादक उपस्थित थे। खान मंत्रालय की ओर से डॉ. योगेश जी. काले, खान नियंत्रक एवं राजभाषा अधिकारी ने निरीक्षण में प्रतिनिधित्व किया। देहरादून क्षेत्रीय कार्यालय की ओर से डॉ. राजेश कुमार दास, उप खान नियंत्रक एवं प्रभारी अधिकारी उपस्थित थे।

- **संसदीय राजभाषा समिति की तीसरी उप समिति द्वारा गांधीनगर क्षेत्रीय कार्यालय का राजभाषा निरीक्षण:-**

  संसदीय राजभाषा समिति की तीसरी उप समिति द्वारा गांधीनगर क्षेत्रीय कार्यालय का दिनांक 12/09//2025 को राजभाषा निरीक्षण किया गया। उक्त निरीक्षण के दौरान भारतीय खान ब्यूरो मुख्यालय से श्री वी.जे. के. बाबू ,खान नियंत्रक तथा श्री अभिनय कुमार शर्मा संपादक उपस्थित थे तथा मंत्रालय की ओर से डॉ. योगेश जी. काले मुख्य खान नियंत्रक एवं राजभाषा अधिकारी ने प्रतिनिधित्व किया।

3. **खान भारती के अंक-12 का विमोचन:-** दिनांक 03/03/2025 को संसदीय राजभाषा समिति द्वारा आंचलिक कार्यालय उदयपुर के निरीक्षण के दौरान माननीय संसदीय राजभाषा समिति के उपाध्यक्ष श्री भर्तृहरी महताब एवं समस्त सदस्यों के द्वारा खान भारती के अंक-12 का वर्ष (अक्टूबर 2024 - मार्च 2025) का विमोचन किया गया।

4. **विभिन्न कार्यालयों को प्रदान किए गए राजभाषा पुरस्कार :-**

- दिनांक 05 मार्च, 2025 को गुवाहाटी, असम में आयोजित पूर्व एवं पूर्वोतर क्षेत्र का संयुक्त क्षेत्रीय राजभाषा सम्मेलन-पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन हुआ, जिसमें क्षेत्रीय कार्यालय भूवनेश्वर, भारतीय खान ब्यूरो को वर्ष 2023-2024 के दौरान संघ की राजभाषा नीति के उत्कृष्ट क्रियान्वयन के लिए भारत सरकार, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग द्वारा पूर्व एवं पूर्वोतर स्थित केंद्रीय कार्यालयों की श्रेणी में द्वितीय पुरस्कार प्रदान किया गया। गुवाहाटी में आयोजित क्षेत्रीय राजभाषा सम्मेलन में माननीय मुख्यमंत्री असम श्री डॉ. हिमंत बिस्वा शर्मा एव माननीय केंद्रीय गृह राज्य मंत्री श्री नित्यानंद राय जी के कर कमलों से पुरस्कार स्वरूप क्रमशः शील्ड तथा प्रमाण पत्र कार्यालय प्रमुख श्री अरुण कुमार, क्षेत्रीय खान नियंत्रक तथा श्री राजेश कुमार दास, उप खान नियंत्रक एवं हिंदी संपर्क अधिकारी ने प्राप्त किया।

- नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की मूल्यांकन समिति द्वारा देहरादून के विभिन्न सदस्य कार्यालयों द्वारा हिन्दी में किए गए कार्य के प्राप्त आंकड़ों का मूल्यांकन किया जाता है। नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (कार्यालय – 1), देहरादून द्वारा वर्ष 2023-24 के दौरान हिन्दी में सर्वोत्तम कार्य करने के लिए भारतीय खान ब्यूरो, देहरादून को दिनांक 11/03/2025 को द्वितीय पुरस्कार प्राप्त हुआ है।

- दिनांक 28/04/2025 को बरोदा अपैक्स अकादमी, गांधीनगर में नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (नराकास) की 24 वी छमाही बैठक व वार्षिक पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन हुआ जिसमें गांधीनगर क्षेत्रीय कार्यालय को नराकास राजभाषा शील्ड 2024-25 के द्वितीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया तथा शील्ड भी प्राप्त हुई ।

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, कार्यालय क्रमांक 2, जबलपुर की 16वीं समीक्षा बैठक श्रीमती शोभना बंधोपाध्याय, अध्यक एवं महाप्रबंधक पश्चिम मध्य रेलवे की अध्यक्षता में क्षेत्रीय कार्यालय, भारतीय खान ब्यूरो जबलपुर को नगर राजभाषा ट्रॉफी वर्ष 2024 के लिए दिनांक 31/7/2025 को प्रथम ट्रॉफी पुरस्कार प्राप्त हुआ।

5. हिंदी गृह पत्रिका "खान भारती" को वर्ष 2023 हेतु सर्वश्रेष्ठ पत्रिका का प्रथम पुरस्कार : नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (का-2) की छमाही बैठक का आयोजन दिनांक 28/07/2025 को होटल सेंटर पॉइंट नागपुर में किया गया। बैठक में नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (का-2) नागपुर के तत्वाधान में दिनांक 31/01/2025 से 07/03/2025 के दौरान आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं के परिणाम की घोषणा की गयी और पुरस्कार वितरित किये गए। भारतीय खान ब्यूरो के 04 कार्मिकों को पुरस्कृत किया गया।

उक्त पुरस्कार वितरण समारोह में भारतीय खान ब्यूरो की हिंदी गृह पत्रिका "खान भारती" को वर्ष 2023 हेतु सर्वश्रेष्ठ पत्रिका का प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ। भारतीय खान ब्यूरो की ओर से डॉ. योगेश जी. काले, खान नियंत्रक एवं राजभाषा अधिकारी तथा श्री अभिनय कुमार शर्मा संपादक ने पुरस्कार ग्रहण किया।

6. **विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 133 वीं बैठक का आयोजन :-** विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 133 वीं बैठक श्री पीयूष नारायण शर्मा, महानियंत्रक की अध्यक्षता में दिनांक 24/04/2025 को महानियंत्रक महोदय के सभाकक्ष में आयोजित की गई। सर्वप्रथम खान नियंत्रक (मध्य) एवं राजभाषा अधिकारी डॉ. योगेश. जी. काले द्वारा अध्यक्ष महोदय तथा समिति के अन्य सदस्यों का बैठक में स्वागत किया गया। तत्पश्चात अध्यक्ष महोदय की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारंभ की गई। बैठक में पिछली बैठक में लिए गए निर्णयों पर की गई अनुवर्ती कार्रवाई पर चर्चा की गई। बैठक में अध्यक्ष महोदय को अवगत कराया गया कि निदेशानुसार विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की गत बैठक में अनुपस्थित खनिज अर्थशास्त्र प्रभाग प्रमुख को इस आशय का पत्र जारी किया गया तथा जिन कार्यालयों, जैसे खनिज प्रसंस्करण प्रभाग, विधिक प्रकोष्ठ,प्रकाशन अनुभाग और जबलपुर क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा निर्धारित लक्ष्य से कम हिंदी टिप्पणियां लिखी गयी थीं, उन्हें समीक्षा पत्र द्वारा हिंदी टिप्पणियां निर्धारित लक्ष्यानुसार लिखे जाने हेतु कहा गया। साथ ही यह जानकारी भी दी गई की रायपुर क्षेत्रीय कार्यालय एवं जबलपुर क्षेत्रीय कार्यालय को उनके नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों द्वारा क्रमशः तृतीय और प्रथम पुरस्कार प्रदान किये जाने के फलस्वरूप उन्हें प्रशंसा पत्र जारी किया गया।

साथ ही 134 वीं बैठक श्री पियूष नारायण शर्मा, महानियंत्रक की अध्यक्षता में दिनांक 16/07/2025 को अपराहन 4.00 बजे महानियंत्रक महोदय के सभाकक्ष में आयोजित की गई। अध्यक्ष महोदय एवं अन्य सदस्यों के स्वागत के पश्चात अध्यक्ष महोदय की अनुमति से डॉ. योगेश जी. काले, खान नियंत्रक (मध्य) एवं राजभाषा अधिकारी द्वारा बैठक की कार्यवाही प्रारंभ की गई। कार्यसूची के अनुसार बैठक में पिछली बैठक (133वीं) के कार्यवृत्त पर की गई अनुवर्ती कार्रवाई एवं कार्यवृत्त की पुष्टि की गई। इसके पश्चात अप्रैल – जून, 2025 अवधि की मुख्यालय एवं अधीनस्थ कार्यालयों की तिमाही रिपोर्ट की समीक्षा की गई।

बैठक में अखिल भारतीय विशेष हिंदी कार्यशाला का आयोजन, कुछ प्रभाग / अनुभाग द्वारा हिंदी कार्यशाला में नामांकन नहीं किया जाना, मुख्यालय द्वारा क्षेत्रीय कार्यालयों के साथ हिंदी पत्राचार, प्रभाग / अनुभाग द्वारा हिंदी पत्राचार के आंकड़ों का ठीक से रख - रखाव न किया जाना तथा हिंदी तिमाही प्रगति रिपोर्ट हिंदी अनुभाग को समय पर प्राप्त न होना आदि महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तृत चर्चा की गई।

अंत में अध्यक्ष महोदय की अनुमति से बैठक समाप्ति की घोषणा की गई।

7. **भारतीय खान ब्यूरो, मुख्यालय, नागपुर में दिनांक 27/06/2025 को एक दिवसीय हिंदी कार्यशाला का आयोजन :-** भारत सरकार की राजभाषा नीति के कार्यान्वयन एवं हिंदी के प्रचार – प्रसार व प्रगति के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए भारतीय खान ब्यूरो, मुख्यालय, नागपुर में दिनांक 27/06/2025 को अधिकारियों एवं कर्मचारियों हेतु एक दिवसीय हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस हिंदी कार्यशाला में कुल 30 अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। सर्वप्रथम खान नियंत्रक एवं राजभाषा अधिकारी डॉ. योगेश जी. काले ने हिंदी कार्यशाला की प्रस्तावना रखते हुए कार्यशाला का औपचारिक शुभारंभ किया।

हिंदी कार्यशाला में वेस्टर्न कोलफिल्ड लिमिटेड नागपुर एवं भारतीय खान ब्यूरो कार्यालय के व्याख्याताओं ने अलग – अलग विषयों पर अपने व्याख्यान दिए। इसमें वेस्टर्न कोलफिल्ड लिमिटेड नागपुर के श्री दीपक सिंह चौहान, अनुवादक ने संशोधित तिमाही रिपोर्ट भाग-1 एवं भाग-2 की विस्तृत व्याख्या, भारतीय खान ब्यूरो के श्री अभिनय कुमार शर्मा, संपादक ने ई-ऑफीस में हिंदी का प्रयोग आदि विषयों पर तथा श्री असीम कुमार, वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी ने कार्यालयीन एवं तकनीकी शब्दावली पर व्याख्यान दिए।

8. देहरादून क्षेत्रीय कार्यालय का राजभाषा निरीक्षण :- भारतीय खान ब्यूरो, मुख्यालय द्वारा दिनांक 03/04/2025 को श्री अभिनय कुमार शर्मा, संपादक एवं श्री असीम कुमार, वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी द्वारा देहरादून क्षेत्रीय कार्यालय का राजभाषा निरीक्षण राजभाषा निरीक्षण किया गया तथा निरीक्षण से सम्बंधित कार्य किए गए व दिनांक 04/04/2025 को देहरादून क्षेत्रीय कार्यालय में हिंदी कार्यशाला का अयोजन किया गया।

9. विजयवाड़ा क्षेत्रीय कार्यालय का राजभाषा कार्यान्वयन संबंधी निरीक्षण :- भारतीय खान ब्यूरो, मुख्यालय द्वारा दिनांक 24/07/25 को श्री अभिनय कुमार शर्मा, संपादक एवं श्री असीम कुमार, वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी द्वारा विजयवाड़ा क्षेत्रीय कार्यालय का राजभाषा कार्यान्वयन संबंधी निरीक्षण किया गया तथा निरीक्षण रिपोर्ट भेजी गई। साथ ही , दिनांक 23/07/25 को उक्त कार्यालय में एक दिवसीय हिंदी कार्यशाला का भी आयोजन किया गया।

10. गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग द्वारा स्वर्ण जयंती समारोह का आयोजन :- अपनी स्थापना के पच्चास वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग द्वारा दिनांक 26 जून, 2025 को भारत मंडपम, प्रगति मैदान, नई दिल्ली में "राजभाषा विभाग स्वर्ण जयंती समारोह" आयोजित किया गया जिसमें भारतीय खान ब्यूरो मुख्यालय, नागपुर से श्री किशोर पारधी, कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी ने भाग लिया।

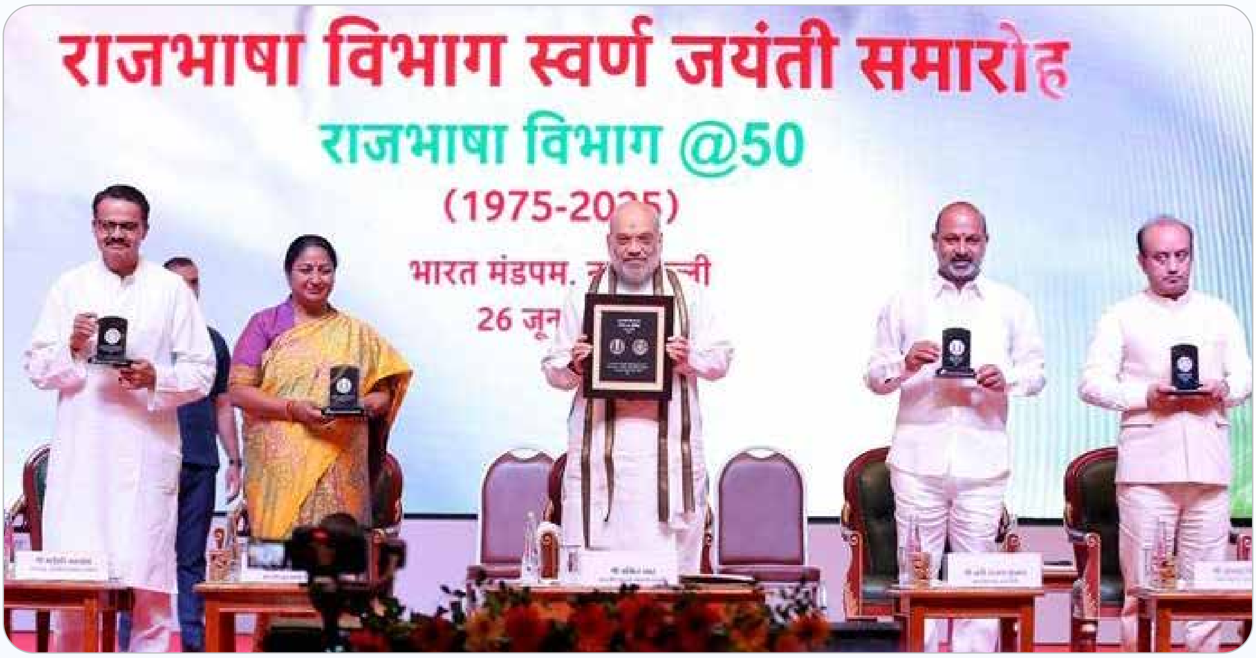

हैदराबाद क्षेत्रीय कार्यालय, भारतीय खान ब्यूरो में तृतीय एक दिवसीय अखिल भारतीय विशेष हिंदी कार्यशाला का आयोजन

भारतीय खान ब्यूरो, मुख्यालय, नागपुर के तत्वाधान में दिनांक 13.08.2025 को भारतीय खान ब्यूरो के हैदराबाद क्षेत्रीय कार्यालय में एक दिवसीय अखिल भारतीय विशेष हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता भारतीय खान ब्यूरो के महानियंत्रक श्री पीयूष नारायण शर्मा ने की। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में डॉ. योगेश जी. काले, खान नियंत्रक एवं राजभाषा अधिकारी तथा विशिष्ट अतिथि के रूप में श्री संतोष कुमार, सहायक निदेशक, केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण उप संस्थान, हैदराबाद उपस्थित थे। इस अवसर पर श्री रामकिशन रावुला, उप खान नियत्रंक व प्रभारी अधिकारी, हैदराबाद क्षेत्रीय कार्यालय भी उपस्थित थे।

सर्वप्रथम मंच पर उपस्थित गणमान्य अतिथियों द्वारा दीप प्रज्जवलन कर कार्यशाला का शुभारम्भ किया गया। तत्पश्चात पुष्पगुच्छ द्वारा उपस्थित महानुभावों का स्वागत किया गया। श्री रामकिशन रावुला, उप खान नियत्रंक व प्रभारी अधिकारी, हैदराबाद क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा स्वागत भाषण दिया गया। तदुपरान्त श्री एजाज अहमद खान, सहायक खनन भूविज्ञानी द्वारा आयोजित की जाने वाली हिंदी कार्यशाला की रूपरेखा प्रस्तुत की गई।

अपने अध्यक्षीय संबोधन में श्री पीयूष नारायण शर्मा ने हिंदी की महत्ता पर प्रकाश डालते हुए कहा की भारत में सभी भाषाऔं का सम्मान है तथा सभी भाषाएँ का सम्प्रेषण का खूबसूरत माध्यम हैं और एक दूसरे की पूरक हैं । डॉ योगेश जी. काले ने अपने संबोधन में हिंदी कार्यशाला की महत्ता पर प्रकाश डाला और भारतीय खान ब्यूरो में अखिल भारतीय विशेष हिंदी कार्यशाला के आयोजन की शुरुआत की जानकारी दी। सभा को विशिष्ट अतिथि श्री संतोष कुमार ने भी संबोधित किया।

उक्त विशेष हिंदी कार्यशाला में भारतीय खान ब्यूरो, मुख्यालय,नागपुर एवं संपूर्ण भारत में स्थित इसके समस्त आंचलिक/क्षेत्रीय कार्यालयों से करीब 35 प्रतिभागियों ने प्रतिभागिता की। कार्यशाला में कुल चार व्याख्यान दियें गये। कार्यशाला के प्रथम सत्र में दो व्याख्यान हुए। भारतीय खान ब्यूरो के खान नियंत्रक एवं राजभाषा अधिकारी डॉ. योगेश जी. काले ने राजभाषा नीति संबधित दिशा–निर्देश विषय पर व्याख्यान दिया। द्वितीय व्याख्यान अतिथि वक्ता श्री संतोष कुमार, सहायक निदेशक, केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण उप संस्थान, हैदराबाद द्वारा कार्यालयों में भारतीय भाषाऔं के साथ हिंदी का प्रयोग तथा व्याकरणिक शुद्धता विषय पर दिया गया।

कार्यशाला के द्वितीय सत्र में श्री अभिनय कुमार शर्मा, संपादक तथा प्रभारी हिंदी अनुभाग, भारतीय खान ब्यूरो, नागपुर द्वारा ई–ऑफिस में हिंदी भाषा से संबंधित विस्तृत जानकारी विषय पर व्याख्यान दिया गया। चतुर्थ व्याख्यान श्री असीम कुमार, वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी द्वारा नई हिंदी तिमाही रिपोर्ट की विस्तृत व्याख्या विषय पर दिया गया।

उक्त हिंदी कार्यशाला के सफल आयोजन के अंतिम चरण में समापन समारोह का आयोजन हुआ जिसमें गणमान्य अतिथितियों द्वारा कार्यशाला में भाग लेने वाले सभी प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र वितरित किये गये ।राष्ट्रगान के पश्चात हिंदी कार्यशाला का समापन हुआ। कार्यशाला में प्रतिभागिता कर रहें सभी प्रतिभागी कार्यशाला में दिये गये व्याख्यान से अत्यधिक लाभान्वित हुए। मंच का संचालन श्रीमती पद्मनी एस मेनन, निजी सचिव ने किया तथा धन्यवाद ज्ञापन श्री जितेश गंगावत, सहायक खान नियंत्रक ने दिया। इस तरह एक दिवसीय अखिल भारतीय विशेष हिंदी कार्यशाला का आयोजन अत्यंत ही सफल रहा। ज्ञात हो कि भारतीय खान ब्यूरो, मुख्यालय,नागपुर द्वारा प्रत्येक वर्ष अलग- अलग स्थान पर एक दिवसीय अखिल भारतीय विशेष हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया जाता है जिसमें भारतीय खान ब्यूरो के समस्त आंचलिक/क्षेत्रीय कार्यालयों से अधिकारी एवं कार्मिक भाग लेते है और कार्यशाला का लाभ उठाते हैं।

अखिल भारतीय विशेष हिंदी कार्यशाला

अखिल भारतीय विशेष हिंदी कार्यशाला
भारतीय खान ब्यूरो मुख्यालय नागपुर के तत्वावधान में
दिनांक : बुधवार 13-08-2025

हिंदी कार्यशाला

हिंदी ज्ञान परखें

1. **"हाथ से लिखी हुई पुस्तक" वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा?**
   (क) पाश्विक (ख) पांडुलिपि (ग) परकीया (घ) प्रणतपाल
2. **"जिसे कठिनाई से जाना जा सके" वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा?**
   (क) दुर्बोध (ख) दुस्साध्य (ग) दुरभिग्रह (घ) दुर्ज्ञेय
3. **"दाता" शब्द का विलोम नहीं है**
   (क) दानी (ख) कृपण (ग) कंजूस (घ) सूम
4. **मोर का पर्यायवाची शब्द है -**
   (क) नीलकंठ (ख) अम्बुद (ग) पयोद (घ) राम
5. **निम्न में से शुद्ध शब्द चुनिए:**
   (क) बीमारी (ख) प्रीती (ग) प्रकट (घ) पृष्ट

उत्तर : 1. (ख) 2. (घ) 3. (क) 4. (क) 5. (ग)

राजभाषा प्रश्नोत्तरी

1. गांधीनगर स्थित केंद्र सरकार का कार्यालय राजभाषा नियम 1976 के अंतर्गत किस क्षेत्र में आता है?
(क) 'क' क्षेत्र (ख) 'ख' क्षेत्र (ग) 'ग' क्षेत्र (घ) इनमें से कोई नहीं

2. भारतीय संविधान के लागू होने के समय कितनी भाषाएं संविधान की अष्टम अनुसूची में दर्ज थीं?
(क) 14 (ख) 15 (ग) 16 (घ) 18

3. भाषा के त्रिभाषा सूत्र में किसका समावेश नहीं है?
(क) क्षेत्रीय भाषा (ख) मातृभाषा (ग) हिंदी (घ) अंग्रेजी

4. संसदीय राजभाषा समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं?
(क) 30 (ख) 20 (ग) 15 (घ) 25

5. निम्नलिखित दस्तावेजों में से कौन सा धारा 3(3) के अंतर्गत नहीं आता?
(क) करार (ख) प्रेस विज्ञप्तियाँ (ग) निविदा (घ) अर्ध - सरकारी पत्र

उत्तर : 1. (ख) 2. (क) 3. (ख) 4. (क) 5. (घ)

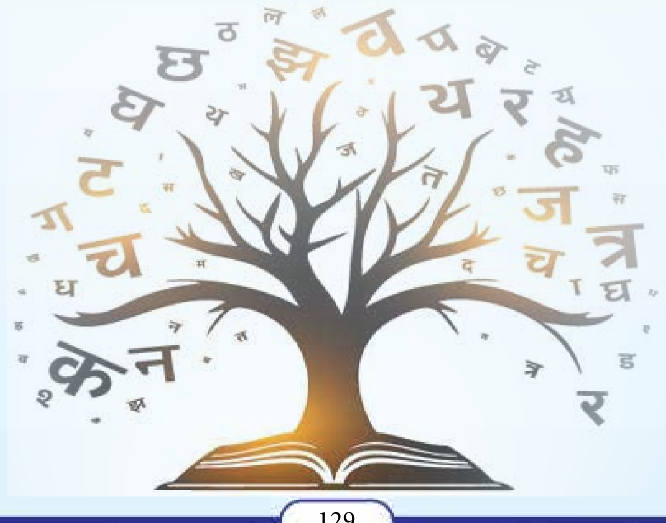

अंग्रेजी में प्रयुक्त विदेशी अभिव्यक्तियाँ और उनके हिंदी पर्याय
Foreign expression used in English and their equivalent

Ab initio	शुरू से
Above par	अधिमूल्य पर
Ad certum diem	निश्चित दिन
Adhoc	तदर्थ
Ad infinitum	निरवधि
Ad interim	अंतरिम
Ad valorem	मूल्यानुसार
Agenda	कार्यसूची
Ante	पहले
Ante meridian	पूर्वाह्न
At par	सममूल्य पर
Au fait	विशेषज्ञ
Belles-letters	उत्कृष्ट साहित्य
Bonafide	सद्भाव से
Bonafides	सदाशयता
Cadre	संवर्ग
Carte blanche	पुर्नाधिकार पत्र
Charge d' affairs	कार्यदूत
Contra	विरुद्ध
Corrigendum	शुद्धि पत्र
De facto	वस्तुतः
De Jure	विधितः
De novo	नए सिरे से
Dictum	कहावत
Dies non	अकार्य दिवस
En masse	सामुहिक रूप से
En route	मार्ग में
Erratum	अशुद्धिपत्र
Ex gratia	अनुग्रहपूर्वक
Ex officio	पदेन
Ex parte	एक तरफा
Ex-post facto	कार्योत्तर (मंजूरी)
Fait accompli	संपन्न कार्य
Faux pas	गलत कदम
Habeas corpus	बंदी प्रत्यक्षीकरण
Impasse	गतिरोध

In camera	गुप्त
In situ	अपनी जगह पर
In-toto	पूरी तरह से
Inter alia	अन्य बातों के साथ-साथ
Inter se	परस्पर से
Lingua franca	सामान्य भाषा, लोक भाषा
Locus standi	सुने जाने का अधिकार
Modus operandi	कार्यप्रणाली
mutatis mutandis	यथोचित परिवर्तनों के साथ
Per centum ad valorem	मूल्यानुसार प्रतिशत
Per diem	प्रतिदिन
Per mensem	प्रति मास
Per bearer	पत्र वाहक द्वारा
Persona grata	ग्राह्य व्यक्ति
Persona non grata	अग्राह्य व्यक्ति
Deshmeridiem (Post meridiem)	अपराह्न
(Prima facie)	प्रथम दृष्ट्या
Pros and cons	पक्ष-विपक्ष
(Pro rata)	यथाअनुपात
Cime die (Sine die)	अनिश्चित काल के लिए
Sin qua non	अनिवार्य शर्त
Status quo	यथापूर्व स्थिति
Sub judice	न्यायाधीन
Suo moto	स्वः प्रेरणा से
Tete-a-tete	गुप्त वार्तालाप
Ultimo	गत मास का
Ultra vires	शक्ति बाह्य
Verbatim	शब्दशः
Versus	बनाम
Via	बरास्ता
Vice versa	उल्टे क्रम से
Videlicet (viz)	अर्थात्
Vis-a-vis	तुलना में
Viva-voce	मौखिक परीक्षा
Vires	शक्तिमता

विविध

हिंदी शब्द सिंधु
(एक वृहत एवं समावेशी डिजिटल शब्दकोश)

राजभाषा विभाग द्वारा विभिन्न भारतीय भाषाओं के प्रचलित शब्दों को समाहित करते हुए 'हिंदी शब्द सिंधु' नामक हिंदी से हिंदी बृहत शब्दकोश का निर्माण एक अनूठी पहल है। माननीय प्रधानमंत्री जी की आकांक्षाओं को ध्यान में रखते हुए हिंदी से हिंदी डिजिटल शब्द कोश 'हिंदी शब्द सिंधु' निर्माण की परियोजना माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री जी की प्रेरणा से राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय तथा केंद्रीय हिंदी निदेशालय, शिक्षा मंत्रालय के संयुक्त तत्वावधान में वर्ष 2021 में शुरू की गई थी। इसमें स्वास्थ्य, तकनीकी, मीडिया, विधि आदि जैसे विभिन्न क्षेत्रों के शब्दों को भी शामिल किया गया है। इस डिजिटल शब्दकोश से हिंदी के तकनीकी सशक्तिकरण का मार्ग प्रशस्त होगा। इसके पहले संस्करण का लोकार्पण गृह मंत्री जी ने सूरत के द्वितीय अखिल भारतीय सम्मेलन के अवसर पर किया था। तृतीय अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन में हिंदी शब्द सिंधु के दूसरे संस्करण (3,51,000 शब्द) का लोकार्पण किया गया। चतुर्थ अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन में माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री जी ने इसे वर्ष 2029 तक विश्व का सबसे बड़ा, अद्यतन और समावेशी कोश बनाने का लक्ष्य रखा है।

वेबलिंक: https://hindishabdsindhu.rajbhasha.gov.in/

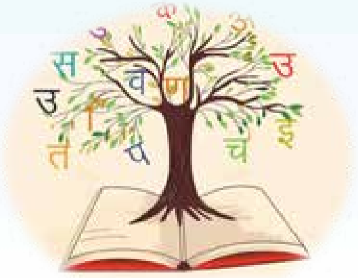

शब्दकोश में समाहित

- हिंदी और हिंदी क्षेत्र की बोलियों, उपभाषाओं और भाषाओं के शब्द
- अन्य भारतीय भाषाओं के प्रचलित शब्द
- तकनीकी और विज्ञान के शब्द
- अन्य सभी क्षेत्रों के शब्द

मुख्य आकर्षण

- पूर्णतया डिजिटल वेब आधारित
- शब्दकोश केंद्रीय हिंदी निदेशालय द्वारा निर्धारित मानकीकृत वर्तनी के अनुसार
- यूनिकोड फॉन्ट का उपयोग
- आठवीं अनुसूची में शामिल भारतीय भाषाओं के की-बोर्ड की सहायता से टंकण कर शब्द खोजने की सुविधा।
- किसी भी शब्द के विस्तृत डाटा की उपलब्धता

कंठस्थ 2.0
(अनुवाद सारथी)

राजभाषा विभाग द्वारा न्यूरल मशीन ट्रांसलेशन और मेमोरी ट्रांसलेशन को समेकित करते हुए अनुवाद करने में सहायता देने वाला **"कंठस्थ"** नामक एक सॉफ्टवेयर टूल सी-डैक, पुणे के सहयोग से विकसित किया गया है। सूरत (गुजरात) में 14 सितंबर, 2022 को सम्पन्न हुए हिंदी दिवस और द्वितीय अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन के अवसर पर माननीय गृह और सहकारिता मंत्री जी द्वारा कंठस्थ 2.0 का लोकार्पण किया गया। साथ ही वर्ष 2023 में आयोजित विश्व हिंदी सम्मेलन, फिजी में कंठस्थ 2.0 मोबाइल वर्जन का भी लोकार्पण किया गया। पुणे (महाराष्ट्र) में 14-15 सितंबर, 2023 को सम्पन्न हुए हिंदी दिवस और तृतीय अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन के अवसर पर 'कंठस्थ 2.0' (अनुवाद टूल) के ई-ऑफिस के साथ एकीकृत संस्करण का लोकार्पण किया गया।

इस अद्यतन संस्करण **'कंठस्थ 2.0'** में नई विशेषताएँ शामिल की गई है जिससे यह अब बेहद उपयोगी सॉफ्टवेयर बन गया है। ये फीचर इस प्रकार हैं:

अनुवाद का व्यापक डेटाबेस तथा सटीक अनुवाद – इस समय इसकी मेमोरी में 4 करोड़ से अधिक वाक्य हैं। इसके परिणामस्वरूप अब और भी सटीक अनुवाद प्राप्त किया जा सकता है।

स्मार्ट चैटबोट – यह May I Help You की तरह है। इसमें नए प्रयोक्ता के लिए बहुत सारे प्रश्नों के संक्षेप में उत्तर दिए गए हैं। आप इनके एक प्रकार से "FAQs" या "अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न" कह सकते हैं। इनसे प्रयोक्ताओं को कंठस्थ का प्रयोग करने में बहुत महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होगी।

वॉयस टाइपिंग – अब इस सॉफ्टवेयर में टाइपिंग करने की सुविधा भी उपलब्ध करा दी गई है। प्रयोक्ता बोलकर भी टाइप कर सकते हैं।

वेबलिंक: https://kanthasth.rajbhasha.gov.in/

भारतीय भाषा अनुभाग
भाषायी समन्वय की ओर एक कदम

भारतीय भाषा अनुभाग का उद्देश्य भारत की भाषायी विविधता को संरक्षित रखते हुए सभी प्रमुख भारतीय भाषाओं के बीच सहज अनुवाद को बढ़ावा देना है। इस पहल के तहत विकसित किए जा रहे सॉफ्टवेयर और तकनीकी का लक्ष्य भाषायी समन्वय को मजबूत करना और नागरिकों के लिए बहुभाषी संचार को सरल बनाना है।

इस परियोजना के अंतर्गत संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल 22 भारतीय भाषाओं में परस्पर अनुवाद की सुविधा दी जाएगी।

यह अनुवाद सॉफ्टवेयर न केवल स्वचालित अनुवाद को सक्षम बनाएगा, बल्कि शुद्धता, सहजता और त्वरित अनुवाद की क्षमता भी प्रदान करेगा। इसके जरिए सरकारी दस्तावेज, अकादमिक शोध, कानूनी लेखन, तकनीकी सामग्री और प्रशासनिक संवाद को किसी भी भारतीय भाषा से दूसरी भाषा में सटीक रूप से परिवर्तित किया जा सकेगा।

इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य भाषायी समरसता को बढ़ावा देना है, ताकि विभिन्न भाषा-भाषी समुदायों के बीच संवाद बाधारहित हो सके। इससे नागरिकों को उनकी मातृभाषा में अधिक से अधिक जानकारी उपलब्ध होगी, जिससे शिक्षा, न्याय, प्रशासन और व्यापार के क्षेत्रों में भाषा संबंधी कठिनाइयाँ कम होंगी।

तकनीकी विशेषताएँ

- तत्काल अनुवाद सुविधा
- मशीन लर्निंग और न्यूरल मशीन ट्रांसलेशन (NMT) आधारित उन्नत अनुवाद
- विभिन्न भाषाओं के लिए व्यापक शब्दकोश और डेटा संग्रह
- सरकारी, शैक्षणिक और व्यावसायिक उपयोग के लिए बहुभाषी समर्थन
- क्षेत्रीय भाषाओं में अनुवाद की सुविधा हेतु 36 प्रकार के फाइल फॉर्मेट अपलोड करने की सुविधा

यह परियोजना भारत की भाषायी विविधता को जोड़ने और डिजिटल युग में सभी भाषाओं को समान अवसर देने का प्रयास है। यह पहल भारत में बहुभाषी संवाद को सहज और सुलभ बनाने के साथ-साथ राष्ट्रीय एकता को भी मजबूत करेगी।

हैदराबाद क्षेत्रीय कार्यालय में दिनांक 13/08/2025 को आयोजित अखिल भारतीय विशेष हिंदी कार्यशालामें
श्री पी. एन. शर्मा महानियंत्रक का सत्कार करते हुए श्री योगेश जी. काले, खान नियंत्रक एवं राजभाषा अधिकारी

नराकास (का. - 2), नागपुर द्वारा भारतीय खान ब्यूरो की हिंदी गृह-पत्रिका " खान भारती" को सर्वश्रेष्ठ पत्रिका हेतु प्रथम पुरस्कार

"आइए, हम सब मिलकर राजभाषा नीति के निष्ठापूर्वक अनुपालन में अपनी सक्रिय भूमिका निभाएँ।"

कैसे?

- अपने हस्ताक्षर रोमन लिपि के स्थान पर देवनागरी लिपि में ही करें।
- अपने द्वारा लिखे जाने वाले सभी कागजात/दस्तावेज हिंदी में लिखें।
- सभी प्रकार के वार्तालाप में अपनी अभिव्यक्ति हिंदी में करें।
- हिंदी में प्राप्त पत्र पर कार्रवाई या उत्तर हिंदी में दें।
- द्विभाषी में प्राप्त कागजात पर आवश्यक कार्रवाई हिंदी में ही करें।
- अंग्रेजी में प्राप्त कागजात पर भी आवश्यक कार्रवाई यथासंभव हिंदी में ही करें।
- लिफाफों, पत्रों आदि पर पते अनिवार्यतः हिंदी में ही लिखें।
- भेजे जाने वाले पत्र व अन्य कागजात हिंदी में ही लिखें।
- धारा 3 (3) के अंतर्गत जारी किए जाने वाले कागजात हिंदी / द्विभाषी में जारी करें।
- सभी रजिस्टर, लेखाकर्म, सेवापंजी व अन्य रिकॉर्ड हिंदी में ही लिखें।
- फाइलों आदि पर विषय अनिवार्यतः हिंदी या द्विभाषी में ही लिखें।
- हिंदी या अंग्रेजी में आयी फाइल में अगली टिप्पणी हिंदी में लिखें।
- केवल हिंदी / अंग्रेजी या द्विभाषी फॉर्म / मसौदे प्राधान्यतः हिंदी में ही प्रयोग करें।
- सभी प्रकार की बैठकों की कार्यसूची, कार्यवाही, कार्यवृत्त में हिंदी ही प्रयोग करें।
- सभी आयोजनों में चर्चा, विचार-विमर्श हिंदी में ही करने की पहल करें।
- व्यक्तिगत व कार्यालयीन नामपट्ट, साइनबोर्ड व मुहरें हिंदी/द्विभाषी में ही बनवाएँ।
- सभी सरकारी कार्यक्रमों के निमंत्रण पत्र हिंदी या द्विभाषी में ही छपवाएँ।
- अनावश्यक रूप से कठिन व बोझिल नहीं बल्कि सरल सुबोध हिंदी लिखें।
- हिंदी लेखन के हर पहल-प्रयास को प्रोत्साहन, सहयोग व मार्गदर्शन दें।
- अपने दायित्व-सक्षमता के अनुसार उल्लंघन रोक कर अनुपालन सुगम बनाएँ।
- हर व्यवहार में हीन ग्रंथि व झिझक के बिना राजभाषा हिंदी को अपनाएँ।
- सभी आयोजनों के बैनर, अतिथि नामपट्ट, निमंत्रण आदि हिंदी / द्विभाषी बनाएँ।
- हिंदी न जानने वाले अहिन्दी भाषियों को हिंदी सीखने में प्रोत्साहन व मार्गदर्शन दें।

भारतीय खान ब्यूरो
नागपुर
INDIAN BUREAU OF MINES
NAGPUR